खण्ड-514, अंक-02
बुधवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1943
(18 अगस्त, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2021)

(खण्ड 514 में 03 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रदेश में महंगाई के कारण खाद्य सामग्री की तेजी से बढ़ती कीमतों के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की माँग	9-11
प्रश्नोत्तर	12-124
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	124-125
वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	126-128
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	128
विधान सभा मण्डप के अन्दर भारत के संविधान निर्माता डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	128-130
जिला पंचायत चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को नामांकन से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	130-132
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	132-134
जनपद सुल्तानपुर की तहसील बल्दीराय में बहुरावां में पूरे जोगयन तिवारी का पुरवा निकट संझौवा के सामने रामनगर रजबहा पर पुलिया निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा अमरतल से ग्राम लोहरा तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर बाजार में बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
उत्तर प्रदेश में मार्च, 2020 के बाद उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा की गई अनिमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद जौनपुर के ग्राम सबरहद में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण जल्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों की अवहेलना करके निर्माण कराये जाने से उत्पन्न हुए भीषण जल जमाव के कारण सभी जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136-137
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिण्डन नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समय सीमा निर्धारित कर योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद कुशीनगर में पदस्थ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद झांसी में नदियों/नालों से सिंचाई हेतु किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139
जनपद-गोण्डा सदर के अन्तर्गत सीवर लाइन व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत तिगरी धाम में घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
जनपद मथुरा के निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पालीटेक्निक में बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ग्राम अटौला में श्मशान घाट का नव निर्माण, चहारदीवारी, टीन शेड व इण्टरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहंजहापुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर तक डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही को सी0एच0सी0 का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142
जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के अन्तर्गत अम्बाला मार्ग एन0 एच0-73 से भाऊपुर रेलवे फाटक तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142-143
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम श्यामीवाला/मुजाहिदा पट्टी के आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कीरतपुर अन्तर्गत ग्राम भरेठी से नसीरपुर मिठारी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
जनपद कानपुर देहात, तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	144
जनपद कानपुर नगर में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के नाम पर हो रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम नेवल जकटापुर में भगवान बुद्ध तीर्थ स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं का पूर्ण नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	146
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर बाईपास मार्ग तथा स्टेशन मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147
उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति सूची के क्रमांक तीस पर अंकित फकीर शब्द के साथ उसके उपजाति/उपनाम साईं, शाह, अलवी, फकीर, शाह अलवी शब्द सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147-148
उत्तर प्रदेश मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी दवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड सदर में गौरा चौराहे नामक स्थान को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रौजागांव- रुदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
जनपद कानपुर नगर के नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	149-150
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	150
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	150
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	150
उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	150

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-422/ग्यारह-2-21-9 (46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (174)- 2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	151
अनुपूरक बजट की प्रतियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना ...	151
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-365/ग्यारह 2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	151
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-335/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (176)-2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	151
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (177) 2021, दिनांक 21 मई, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	152
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	152
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-512/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	152
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-513/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	153
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-586/ग्यारह-2-21-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक, 16 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	153
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-587/ग्यारह-2-21-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	153
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवां सशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	153

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-494/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	153
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-492/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	154
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-594/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	154
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-595/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	154
राज्य कर अनुभाग-2 का शुद्धि-पत्र सं0-673/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (191) 2021, दिनांक 01 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	154
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-593/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	154-155
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-651/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	155
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-493/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	155
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	155
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	155

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	155-156
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	156
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनचासवां संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	156
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-650/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (193)-2021, दिनांक 28 जुलाई 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	156
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	156
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा दिनांक 31-03-2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का समीक्षा अभिकथन (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	157
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई)	157
लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन सं0-1-2017 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया) ...	157
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया) ...	157
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	157-158
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	158
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	158

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	158
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	158-159
उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	159
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	159
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	159
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	159-160
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	160
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 ...	160
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना) ...	160
उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	160
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	161
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	161
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	161
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना) ...	161
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	162
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना) ...	162

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 19वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	162
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 20वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 21वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का 12वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का 10वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	163-164
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति" वर्ष (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	164
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की "प्रतिनिहित विधायन समिति" वर्ष (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	164
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 11 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	164-165
श्री योगेन्द्र उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	165-166
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	166
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	167-168

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 12 याचिकाएं तथा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	168-169
श्री बैजनाथ रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	170
श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	170
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	170
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 21 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	171-173
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	173
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	173-174
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	174
श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	174
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	174-175
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 16 याचिकाएं, जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)...	175-177
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	177
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	177-179
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	179-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 16 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	180-181
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	182-183
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	183
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	183
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	184
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	184-215
उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	215
उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	215
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	215-216
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	216
उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	216
उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक 2021 (पुरःस्थापित) ...	217
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	217
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	217-218
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	218-222
जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमसागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	222

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के ग्राम पंचायतों में हो रहे घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	223-225
जनपद शाहजहांपुर में अवैध कब्जा हटाये जाने एवं कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	226-233
जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज की बदायूं सिंचाई परियोजना में मानकों के विपरीत नहर निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	233-235
जनपद अमेठी के अन्तर्गत आवास हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन न किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ..	235-239
जनपद फिरोजाबाद में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	239-243
जनपद अमेठी के गौरीगंज में राजस्व विभाग द्वारा परिवारों को प्रताड़ित किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	243-246
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	247-250
कानपुर नगर निगम के धनकुट्टी अस्पताल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	250-251
प्रदेश में आयुष चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	251-252

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य ...	252-254
आज सदन में पुरःस्थापित विधेयकों की विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	254
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021 (पारित)	255-278
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 (पारित)...	278-283
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	283-285
उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 (पारित)	285-302
उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 (पारित)	302-304
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	304-313
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	313-315
उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (पारित)...	315-330
उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (पारित) ...	330-346
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)...	346-350
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध संशोधन विधेयक, 2021 (पारित)	350-354
माननीय सदस्यों के लिए सेन्ट्रल हाल में जलपान की व्यवस्था ...	354
नत्थियां	355-368

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 अगस्त, 2021

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-340

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
9. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
10. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
11. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
12. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
13. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
19. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
20. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
21. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
24. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
25. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
26. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
28. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
30. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
31. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
36. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद

44. इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
45. उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
46. उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
48. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री	कानपुर नगर
49. उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
50. उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
51. ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
52. ओमकुमार, श्री	बिजनौर
53. ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
55. कमल सिंह मलिक, श्री	हापुड़
56. कमलेश शुक्ल, श्री	देवरिया
57. कमलेश सैनी, श्रीमती	बिजनौर
58. करण सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
59. कल्पनाथ पासवान, श्री	आजमगढ़
60. कारिन्दा सिंह, श्री	मथुरा
61. काली प्रसाद, श्री	देवरिया
62. किरत सिंह, श्री	सहारनपुर
63. किशन लाल राजपूत, श्री	पीलीभीत
64. कुशाग्र सागर, श्री	बदायूं
65. कृष्णपाल मलिक, श्री	बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री	बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री	वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
70. गंगा, श्री	कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती	अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री	जौनपुर
73. गुलाब देवी, श्रीमती	सम्भल
74. गौरव कुमार, श्री	बाराबंकी
75. गौरी शंकर, श्री	जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री	बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री	बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री	चित्रकूट
79. चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
80. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री	बरेली
81. जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
82. जय देवी, श्रीमती	लखनऊ
83. जयप्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
85. जवाहर लाल राजपूत, श्री	झांसी
86. जितेन्द्र वर्मा, श्री	आगरा
87. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0	आगरा
88. ज्ञान तिवारी, श्री	सीतापुर
89. ज्ञानेन्द्र, श्री	महाराजगंज
90. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0	बरेली
91. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0	नाम-निर्देशित
92. तजीन फातमा, डा0	रामपुर
93. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री	शामली
94. त्रिवेणी राम, श्री	गाजीपुर
95. दयाराम चौधरी, श्री	बस्ती
96. दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
97. दारा सिंह चौहान, श्री	मऊ
98. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री	सन्तकबीर नगर
99. दिनेश खटीक, श्री	मेरठ
100. दिनेश चौधरी, श्री	जौनपुर
101. दीनानाथ भाष्कर, श्री	भदोही

102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
106. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
109. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
110. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
111. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
112. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
113. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
114. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
115. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
116. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
117. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
120. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
121. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
122. नाहिद हसन, श्री शामली
123. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
124. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
125. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
126. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
127. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
128. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
129. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
130. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
131. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
132. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
133. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
137. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
138. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
139. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
140. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
141. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
142. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
143. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
144. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
147. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
148. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
149. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
150. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
151. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
155. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
156. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
157. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
158. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
159. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी

160. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
161. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
162. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
163. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
164. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
165. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
166. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
167. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
168. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
169. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
170. महबूब अली, श्री अमरोहा
171. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
172. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
173. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
174. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
175. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
176. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
178. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
179. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
180. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
181. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
182. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
183. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
184. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
185. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
186. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
187. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
188. योगेश धामा, श्री बागपत
189. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
190. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
191. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
192. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
193. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
194. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
195. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
196. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
197. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
198. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
199. रवीन्द्र जायसाल, श्री वाराणसी
200. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
201. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
202. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
203. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
204. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
205. राकेश सिंह बघेल, श्री संतकबीर नगर
206. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
207. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
208. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
209. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
210. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
211. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
212. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
213. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
214. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
215. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
216. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
217. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
218. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद

219. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
220. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
221. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
222. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
223. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
224. राम गोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
225. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
226. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
227. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
228. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
229. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
230. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
231. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
232. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
233. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
234. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
235. लकी यादव, श्री जौनपुर
236. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
237. लाखन सिंह, श्री औरैया
238. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
239. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
240. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
241. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
242. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
243. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
244. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
245. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
246. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
247. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
248. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
249. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
250. विनय शाक्य, श्री औरैया
251. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
252. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
253. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
254. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
255. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
256. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
257. वीरेन्द्र, श्री एटा
258. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
259. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
260. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
261. शशांक वर्मा, श्री खीरी
262. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
263. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
264. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
265. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
266. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
267. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
268. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
269. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
270. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
271. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
272. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
273. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
274. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
275. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
276. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ

277. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
278. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
279. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
280. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
281. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
282. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
283. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
284. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
285. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
286. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
287. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
288. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
289. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
290. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
291. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
292. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
293. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
294. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
295. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
298. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
299. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
300. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
301. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
302. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
303. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
304. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
305. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
306. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
307. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
308. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
309. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
310. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
311. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
312. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
313. सुरेश कुमार, श्री शामली
314. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
315. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
316. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
317. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
318. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
319. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
320. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
321. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
322. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
323. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
324. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
325. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
326. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
327. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
328. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
329. सौरभ सिंह, श्री खीरी
330. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
331. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
332. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
333. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी

334. हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	338. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
335. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	339. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
336. हरीराम, श्री	सोनभद्र	340. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
337. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर		

नोटः- मा0 मुख्य मंत्री (योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रदेश में महंगाई के कारण खाद्य सामग्री की तेजी से बढ़ती कीमतों के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न लेते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, जिससे जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल हो जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम और आप जितने भी माननीय सदस्य हैं, सबकी जिम्मेदारी पहले जनता के प्रति है। आज पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, बिजली यह सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, जिससे जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। आज का एजेण्डा आप देख लीजिये। हम लोगों ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको एजेन्डा में मद संख्या-78 पर रखा गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई चरम पर है और सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिससे जनता परेशान है।

(समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आपका बोला हुआ लिखा नहीं जायेगा। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप महंगाई पर सुन लीजिये। महंगाई जनता के लिए जानलेवा हो गई है और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। लोगों के घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। पहले महंगाई पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो सूचना दी है पहले उस पर चर्चा करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही चलाने में अपना-अपना योगदान दें। आप लोगों का बोला हुआ कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। अब हो गया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर खाद्यान्न बंट रहा है। पूरे प्रदेश में खाद्यान्न निःशुल्क बंट रहा है।

श्री अध्यक्ष-

महंगाई का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं होता है। आप लोगों को इसमें आनन्द आता है, यह अलग बात है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए सदन को समाप्त करने के लिए। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य वेल में लगातार नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। पूरे प्रदेश में खाद्यान्न निःशुल्क बंट रहा है। प्रदेश की तरफ से अलग बंट रहा है और देश की तरफ से अलग बंट रहा है। डीजल और पेट्रोल पर सबसे कम टैक्स उत्तर प्रदेश में है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों का रंगारंग कार्यक्रम हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह लोग जहां की सरकारों का समर्थन कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स है।

(घोर व्यवधान के मध्य वेल में सपा तथा कांग्रेस के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे "जबसे यह सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है, जबसे भाजपा आई, कमर तोड़ महंगाई है", "महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी")

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी यह लोग कहेंगे कि सदन चलाओ। जब सदन चल रहा है तो यह स्थिति है। पूरे प्रदेश में तथा पूरे देश में खाद्यान्न निःशुल्क बंट रहा है। पूरे देश में तथा पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मोदी जी की ओर से नवम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न बंटेगा और इनको महंगाई दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है, जहां पर डीजल पर और पेट्रोल पर सबसे कम टैक्स लगा है। जो कांग्रेस समर्थक प्रदेश हैं, जो समाजवादी पार्टी समर्थक प्रदेश हैं, वहां पर डीजल और पेट्रोल का मूल्य भी ज्यादा है और टैक्स भी ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल महंगाई पर नियम-56 है।

(घोर व्यवधान के मध्य लगातार नारेबाजी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 06 मिनट पर सदन की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 46 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।)

(आज की कार्य-सूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने गये)[†]

[†] नोटः- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बनी सड़क को लो0नि0वि0 में स्थानान्तरित कर निर्माण की जानकारी विषयक

***1-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बनी हुई सड़क को पाँच वर्ष के पूर्व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में विगत दो वर्षों में कुछ मार्ग को लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कर निर्माण कराया गया है ? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गों का ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों को पाँच वर्ष के पूर्व लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण किया जा सकता है।

जी हाँ।

मार्गों की सूची संलग्न[†] हैं।

प्रदेश में घरों से उत्सर्जित कूड़े व इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त प्लास्टिक, फाइबर एवं शीशा तथा पुराने कागज, प्लास्टिक, फाइबर, टिन आदि को रिसाइकिल करने की योजना बनाने विषयक

***2-श्री संजय गर्ग-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरों से उत्सर्जित कूड़े व इलेक्ट्रानिक उपकरणों में प्रयुक्त प्लास्टिक फाइबर एवं शीशा तथा पुराने कागज, प्लास्टिक, फाइबर, टिन आदि को रिसाइकिल करके पुनः प्रयोग लायक बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्यावरण को नियंत्रित करने हेतु इन कचरों को व्यापक स्तर पर रिसाइकिल करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

जी हाँ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार के शासनादेश संख्या-2221/नौ-5-18-352सा/2016, दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति प्रख्यापित की गयी है। उपरोक्त नीति के प्राथमिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में अपशिष्ट के स्रोत पर न्यूनीकरण व पुनरुपयोग के साथ पुनर्चक्रण को लक्षित किया गया है।

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या 355-356 पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***3-श्री नाहिद हसन-**

[18-मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-04 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विगत 3 वर्षों में प्रदेश में स्थित गन्ना चीनी मिलों एवं गन्ना उत्पादक किसानों को सरकार द्वारा दी गई सहायता की जानकारी संबंधी

***4-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई ? क्या चीनी मिलों की भांति गन्ना किसानों को भी आर्थिक सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

विगत 03 वर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा निजी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सरल ब्याज पर ऋण देने के लिए **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** घोषित की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की **53 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को रु0 2,916 करोड़** का ऋण दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश की नगर निगम, सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को खरीदे गये गन्ने पर **रु0 4.50 प्रति कुन्तल** की दर से कुल **रु0 484 करोड़** की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लिमिटेड को क्रमशः **रु0 23.00 करोड़ एवं 25.00 करोड़** का ऋण गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड को वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः **रु0 885.00 करोड़, रु0 700.00 करोड़** एवं **रु0 500.00 करोड़** की वित्तीय सहायता गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण के रूप में प्रदान की गई। उपरोक्तानुसार गन्ना कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए ही चीनी मिलों को ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गयी है।

उपरोक्तनुसार।

प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में मानकानुसार नए स्लॉटर हाउस खोलने व पुरानों को सुविधा सम्पन्न बनाने संबंधी

***5-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में मानकानुसार नये स्लॉटर हाउस खोले जाने या पुराने केन्द्रों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने

की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायी अनुभाग-1 उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या-817/79-वि0-1-18-1(क)1-18, दिनांक 12-04-2018 एवं अधिसूचना संख्या-816/79-वि0-1-18-1 (18)2-18, दिनांक 12-04-2018 द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की संगत धाराओं में संशोधन करते हुए उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2018 एवं उ0प्र0 नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया जा चुका है। उक्त संशोधन के उपरान्त प्रदेश की समस्त नागर निकायों को किसी प्रकार की पशु वधशाला की स्थापना/संचालन के दायित्व से मुक्त किया जा चुका है।

प्रदेश के गन्ना किसानों को गत पेराई सत्र 2019-20 के लम्बित गन्ना मूल्य भुगतान कराने से सम्बन्धित

***6-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को गत पेराई सत्र 2019-20 का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि सहकारी निगम व निजी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल कितना गन्ना मूल्य भुगतान लम्बित है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के लम्बित गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

दिनांक **10-08-2021** की अद्यतन सूचना के अनुसार पेराई सत्र **2019-20** के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य **रु0 35,898.85 करोड़** के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में उक्त सत्र के अन्तर्गत कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

***7-श्री विनय शंकर तिवारी-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

***8-श्री मनोज कुमार पारस-**

[15-गुरुवार के ता0प्र0सं0-02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***9-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[29-शुक्रवार के ता0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसान द्वारा अन्य किसान से कृषि भूमि खरीद के बाद भी गन्ने का बेसिक कोटा न बढ़ने विषयक

***10-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान द्वारा अन्य किसान से कृषि भूमि खरीद के खाते खतौनी में चढ़ने के बाद भी गन्ने का बेसिक कोटा नहीं बढ़ने के कारण किसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को उनकी बढ़ी कृषि भूमि क्षेत्रफल के अनुसार गन्ने का बेसिक कोटा बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

पेराई सत्र 2020-21 के लिए निर्गत गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषक द्वारा अपनी निजी भूमि पर उत्पादित गन्ने के सापेक्ष विगत दो वर्ष, तीन वर्ष व पाँच वर्ष में की गयी गन्ना आपूर्ति में सर्वाधिक औसत गन्ना आपूर्ति ही कृषक का बेसिक कोटा होता है। भूमि खरीद कर खाते खतौनी में चढ़ने से बेसिक कोटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि बेसिक कोटे का निर्धारण कृषक द्वारा उत्पादित गन्ने के सापेक्ष चीनी मिलों में की गयी गन्ना आपूर्ति के आधार पर किया जाता है, इसलिये भूमि खरीद कर खाते खतौनी में चढ़ने से बेसिक कोटा प्रभावित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गन्ने की एम0एस0पी0 बढ़ाने पर विचार विषयक

***11-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों से किसानों के गन्ने की एम0एस0पी0 में कोई वृद्धि नहीं की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गन्ने के एम0एस0पी0 को बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कारकों एवं सभी हितबद्ध पक्षों को सुनते हुए सुसंगत पहलुओं पर विचार कर कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए पेराई सत्र 2020-21 के लिए राज्य परामर्शित दरें निम्नवत् निर्धारित की गयीं :-

अगेती प्रजाति रु0 325.00 प्रति कुन्तल

सामान्य प्रजाति रु0 315.00 प्रति कुन्तल

अनुपयुक्त प्रजाति रु0 310.00 प्रति कुन्तल

उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारण करते हुए राज्य परामर्शित मूल्य घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र को आबादी से बाहर लगाये जाने पर विचार किये जाने विषयक

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र लगाये गये तथा उनमें से कितने सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि घनी आबादी में लगे उक्त संयंत्रों के प्रदूषण से उन क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियां हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे संयंत्रों को आबादी से बाहर लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

वर्तमान में प्रदेश के कुल 32 नगरीय निकायों में कूड़े से खाद बनाये जाने हेतु संयंत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मोड पर विगत वर्षों में लगाये गये हैं, जिनमें 14 संयंत्र क्रियाशील हैं एवं शेष 18 नग अस्थायी रूप से संयंत्र ऑपरेटर से आर्बिट्रेशन/भूमि विवाद/भूमि की अनुपलब्धता के कारण सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश सरकार व गन्ना मिल मालिकों द्वारा गन्ना पैदावार कम होने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिये जाने विषयक

***14-श्री अजय कुमार "लल्लू"-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना मिल मालिकों द्वारा गन्ना के रिकवरी के लिये किसानों द्वारा अर्ली किस्म का गन्ना बोने से पैदावार बढ़ने की जगह दस गुना तक कम हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को उक्त की क्षतिपूर्ति के लिये कोई मुआवजे का प्रावधान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में गन्ना किसानों द्वारा अर्ली किस्म का गन्ना बोने से पैदावार में कमी होने का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। गत 04 वर्षों में प्रदेश का अर्ली गन्ना क्षेत्रफल एवं कटाई परिणामों के अनुसार आँकलित औसत उपज का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	अर्ली किस्म गन्ना क्षेत्रफल (ला0हे0)	औसत उपज (टन/हे0)
1	2	3
2017-18	16.20	79.20
2018-19	23.99	80.50
2019-20	25.31	81.10
2020-21	26.70	81.50

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के स्थानीय निकायों/नगर निगमों में पार्षदों को पेंशन आदि सहायता राशि दिये जाने पर विचार विषयक

***15-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की स्थानीय निकायों/नगर निगमों में चुने गये पार्षदों को पेंशन/सहायता राशि देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में स्थानीय निकायों/नगर निगमों में चुने गये पार्षदों को पेंशन/सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के चाँद खम्हरिया में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति "काला हिरण" के सम्बन्ध में

***16-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के चाँद खम्हरिया में पाए जाने वाले संरक्षित वन्य पशु "काला हिरण" (दुर्लभ प्रजाति) की अद्यतन संख्या क्या है तथा उक्त की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जंतु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जनपद इलाहाबाद (प्रयागराज) के चाँद खम्हरिया में वर्ष 2019 में करायी गयी वन्य जीव गणना के अनुसार कुल 506 काला हिरण हैं।

जी हाँ।

इस क्षेत्र के वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्राकृतवास का सुधार कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में फार्मेसी विभाग में आचार्यों की संख्या व उनका स्थानान्तरण नियमानुसार किये जाने विषयक

***17-श्री तसलीम अहमद-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में फार्मेसी विभाग के आचार्यों पर स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्थानान्तरण नीति के विपरीत कितने आचार्य (प्रोफेसर) बीस वर्षों से या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त फार्मेसी आचार्यों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आचार्यगण प्रशासनिक पद के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इनका मुख्य कार्य अध्यापन एवं शोध का होता है। अतः इनका स्थानान्तरण तभी किया जाता है, जब एन0एम0सी0/ पी0सी0आई0 मानकों की पूर्ति अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य हो।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के शेष जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित कराये जाने विषयक

***18-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज नहीं खोले जा सके हैं ? क्या सरकार अवशेष जनपदों में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अद्यतन प्रदेश के 16 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से वंचित हैं। शेष सभी जनपदों में या तो राजकीय अथवा निजी क्षेत्रों में अथवा दोनों क्षेत्रों में मेडिकल कालेज उपलब्ध हैं।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य सरकार असेवित जनपदों में निजी सहभागिता से मेडिकल कालेज स्थापित करने पर विचार कर रही है।

प्रदेश के लो0नि0वि0 की सड़कों के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्य योजना विषयक

***19-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों के दोनों तरफ स्थित विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर सरकार हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन क्षेत्र के मूल निवासियों को भूमि आवंटित किये जाने विषयक

***20-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन वन क्षेत्र में निवास करने वाले मूल निवासियों को कृषि तथा आवास हेतु जमीन आवंटित की जा रही है ? यदि हाँ, तो प्रदेश के सभी जिलों में उक्त अधिनियम के प्रभावी होने से अब तक कुल कितने परिवारों को कृषि व आवास के लिए जमीन आवंटित की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के जिलों में अब तक कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ? क्या सरकार प्रदेश के वन क्षेत्र में स्थित सभी मूल निवासियों को जमीन आवंटन करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, दिनांक 31-12-2007 से प्रभावी है एवं अब तक प्रदेश के कुल 13 जनपदों (लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, महराजगंज, बिजनौर, चित्रकूट, चन्दौली, गोण्डा व सहारनपुर) में 20053 परिवारों को कृषि व आवास हेतु वन भूमि के अधिभोग के अधिकार अनुमन्य किये गये हैं। प्रदेश के महराजगंज (18 वन ग्राम), गोरखपुर (5 वन ग्राम), गोण्डा (5 वन ग्राम), बलरामपुर (5 वन ग्राम), लखीमपुर खीरी (1 वन ग्राम), सहारनपुर (3 वन ग्राम) व बहराइच (1 वन ग्राम) जनपदों में कुल 38 टांगिया/वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है, जिसके प्राविधानों

के अन्तर्गत "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं और "अन्य परम्परागत वन निवासी" जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना दावा सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने वाले दावेदारों को अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पात्र पाये जाने की दशा में वन भूमि के अधिभोग वन अधिकार अनुमन्य किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

शिकायती-पत्र दिनांक 16-09-2020 जोकि विजिलेंस एस0आई0टी0 जाँच से सम्बन्धित है, पर कृत कार्रवाई की जानकारी

1-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 हरगोविन्द भार्गव, विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 16-09-2020 जो विजिलेंस/ एस0आई0टी0 जाँच विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा गठित समिति से करायी गयी। निदेशक, सूडा के पत्र दिनांक 11-02-2021 एवं 13-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में शिकायती बिन्दु बलहीन एवं निराधार पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चफरिया से मटेही सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

2-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहीपुरवा के ग्राम सभा चफरिया से मटेही सम्पर्क मार्ग तक दूरी लगभग 3 किलोमीटर ग्राम सभा रमपुरवा प्रधानमंत्री सड़क से हरिहरपुर लालपुर तक दूरी 3 किलोमीटर तथा बहराइच-लखीमपुर रोड से कोनाईपुरवा सम्पर्क मार्ग दूरी 1.5 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा चफरिया एवं मटेही पूर्व से ही पक्के लेपित मार्ग से जुड़े हैं। पूर्व से जुड़े हुये मजरों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। हरिहरपुर लालपुर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 162 है, जो लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण के मानक से आच्छादित नहीं है। बहराइच-लखीमपुर मार्ग से दाहिने अथवा बायीं ओर विधान सभा क्षेत्र बलहा में कोनाईपुरवा नाम की कोई बसावट स्थित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना सूची में इस नाम की कोई बसावट अंकित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ककरहा से इन्द्रानगर कालोनी तक मार्ग निर्माण विषयक

3-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत ककरहा से इन्द्रानगर कालोनी भगाड़िया तक दूरी लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ककरहा व इन्द्रानगर कालोनी तथा भगड़िया तीनों बसावटें पूर्व से एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चन्दनपुर के मजरा, गोकुलपुर में काज-वे से गोकुलपुर गाँव तक मार्ग निर्माण विषयक

4-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चन्दनपुर के मजरा गोकुलपुर में काज-वे से गोकुलपुर गाँव की तरफ रामसमुझ के घर तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा चन्दनपुर का मजरा गोकुलपुर एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम सभा गोकुलपुर में काज-वे से गोकुलपुर गाँव की तरफ रामसमुझ के घर तक (ग्राम सभा गोकुलपुर का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है, अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा से अनुसूचित जाति कालोनी तक मार्ग निर्माण विषयक

5-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा में ककरहा से अनुसूचित जाति कालोनी तक मार्ग लम्बाई लगभग 1250 मीटर रोड का डामरीकरण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सभा ककरहा से अनुसूचित जाति कालोनी तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण के गठन से दिनांक 31-03-2018 तक सचिव व आफिस के अभाव में बने नक्शों को वैध कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

6-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन 28-10-2016 को हुआ था ? क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28-10-2016 से 31-03-2018 तक विनियमित क्षेत्र बस्ती के पास 1209 नक्शों को विकास प्राधिकरण अवैध मान रहा है ? क्या सरकार की जानकारी है कि उक्त समयावधि में बस्ती विकास प्राधिकरण का न ही आफिस था और न ही कोई सचिव नियुक्त था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार 1209 नक्शों को वैध कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

बस्ती विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त कार्यालय विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा स्वीकृत 1209 मानचित्रों का बस्ती महायोजना के प्राविधानों के अनुसार पुनः परीक्षण कराये जाने का बस्ती विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के अठदमा चीनी मिल (रुधौली) द्वारा किसानों को गन्ना भुगतान हेतु कार्रवाई करने विषयक

7-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अठदमा चीनी मिल (रुधौली) के द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रतिवर्ष न करके अगले पेराई सत्र में किया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों का गन्ना भुगतान समय पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जिला-बस्ती में स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल अठदमा, रुधौली की वित्तीय स्थिति अत्यन्त रूग्ण होने के कारण किसी भी बैंक द्वारा चीनी मिल की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं हो पाती है, जिसके कारण चीनी मिल अठदमा द्वारा कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान प्रायः विलम्ब से किया जा रहा है। गन्ना किसानों को आपूर्तित गन्ना के भुगतान कराने का दायित्व सम्बन्धित चीनी मिल का है, तथापि राज्य सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0क्षे0 रुधौली जनपद बस्ती के गन्ना किसानों को अठदमा शुगर मिल से काट कर मुण्डेरवा चीनी मिल से सम्बद्ध करने विषयक

8-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अठदमा सुगर मिल की अपेक्षा मुण्डेरवा चीनी मिल की पेराई की क्षमता अधिक है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रुधौली के गन्ना किसानों को मुण्डेरवा चीनी मिल से सम्बद्ध करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में स्थित चीनी मिल अठदमा की पेराई क्षमता चीनी मिल मुण्डेरवा से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती वि0स0क्षे0 रुधौली में धनाभाव के कारण आधी अधूरी सड़कों की सूची उपलब्ध कराने विषयक

9-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्वीकृत मार्गों को धनाभाव के कारण कहीं मिट्टी कहीं गिट्टी डाल कर आधी अधूरी छोड़ दी गयी है, जिन पर आवागमन में क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पडता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्वीकृत मार्गों पर धनावंटन प्राप्त है। मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति में है। प्राप्त आवंटन के सापेक्ष कार्य माह मार्च, 2022 तक मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुलरा, मजरा भज्जापुरवा गांव से दखिनपुरवा गांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

10-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलहा में ग्राम पंचायत गुलरा, मजरा भज्जापुरवा गांव से दखिनपुरवा गांव तक दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम पंचायत गुलरा, मजरा भज्जापुरवा एवं दखिनपुरवा तीनों बसावट एकल लेपित मार्ग से संतृप्त हैं। पूर्व से जुड़े हुये मजरों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत शाहपुर कला और अड़गोड़वा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

11-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलहा में शाहपुर कला और अड़गोड़वा के मध्य दूरी लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम शाहपुर कला एवं अड़गोडवा दोनों बसावट एकल लेपित मार्ग से संतृप्त हैं। जुड़ी हुयी बसावटों को आपस में जोड़े जाने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

12-श्रीमती सरोज सोनकर-

[02-मंगलवार के आतारांकित प्र0सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के नाम व लागत तथा सड़कों की मरम्मत तथा उसके विवरण विषयक

13-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 07-12-2020 तक विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत की गयी है ? उक्त के नाम व निर्माण तथा मरम्मत लागत क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बागपत में बड़ौत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 07-12-2020 तक वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना (2016-17) अन्तर्गत 1 मार्ग, नाबार्ड (2014-15) योजनान्तर्गत 1 मार्ग, राम मनोहर लोहिया (2016-17) योजनान्तर्गत 1 मार्ग, विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 30 मार्ग एवं नवीनीकरण योजनान्तर्गत 5 कार्य सम्पादित

कराये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 13 मार्ग, नवीनीकरण योजनान्तर्गत 5 मार्ग एवं राज्य योजनान्तर्गत 1 लघु सेतु के कार्य सम्पादित कराये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 2 मार्ग, नवीनीकरण योजनान्तर्गत 3 मार्ग के कार्य सम्पादित कराये गये तथा जिला योजना (2019-20) के अन्तर्गत 1 मार्ग का नव निर्माण एवं राज्य योजना के अन्तर्गत 1 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रगति में हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 4 मार्ग एवं नवीनीकरण योजनान्तर्गत 1 मार्ग के कार्य सम्पादित कराये गये सूची संलग्न[†] है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में गन्ना विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण लागत व मरम्मत तथा उक्त का विवरण दिये जाने विषयक

14-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 07-12-2020 तक विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में गन्ना विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत की गयी है ? उक्त के नाम व निर्माण तथा मरम्मत लागत क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 07-12-2020 तक विधान सभा बड़ौत क्षेत्र में गन्ना विभाग द्वारा कुल 18 सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराया गया है। गन्ना विभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत करायी गयी उक्त 18 सड़कों की लम्बाई 18.06 किमी0 लागत 411.163 लाख है। सड़कों के नाम, कार्य की प्रकृति, निर्माण का वर्ष तथा लागत की सूची संलग्न[††] है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर, ग्राम नवादा दरोबस्त में सी0 एण्ड डी0 एस0 संस्था द्वारा राजकीय हाई स्कूल से राजकीय इण्टर कालेज के उच्चीकरण में घटिया व मानक के विपरीत भ्रष्टाचार की जांच विषयक

15-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अर्न्तगत ग्राम-नवादा दरोबस्त में सी0 एण्ड डी0 एस0 संस्था द्वारा राजकीय हाई

[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या 357-360 पर।

[††] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या 361 पर।

स्कूल से उच्चीकृत राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण घटिया एवं निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निर्माण की जाँच कमेटी गठित कर करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद शाहजहाँपुर, विधान सभा क्षेत्र कटरा में ग्राम-नवादा दरोबस्त, विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल का उच्चीकरण के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर दिनांक 17-06-2020 को क्लाइन्ट विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा समय-समय पर किया गया है, जिसके अनुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर अन्तर्गत केसीनगला सम्पर्क मार्ग के निर्माण की जांच कराने विषयक

16-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत निर्मित केसीनगला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य घटिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रोड के निर्माण कार्य की कमेटी गठित कर जाँच करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

केसीनगला सम्पर्क मार्ग का कार्य माह 08 अगस्त, 2018 में पूर्ण कराया गया है, जिसकी दशा वर्तमान में संतोषजनक है। उक्त मार्ग रामगंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। वर्षा ऋतु में नदी का जल स्तर बढ़ने से मार्ग की पटरी के कटाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय-समय पर ठीक कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत रामनगर सम्पर्क मार्ग के निर्माण, सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रकरण में कार्रवाई विषयक

17-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अर्न्तगत निर्मित रामनगर सम्पर्क मार्ग मात्र 02 वर्ष के अन्दर ही पूर्ण रूप से जर्जर हो

गया है एवं निर्धारित स्थान पर पुलिया न होने के कारण रोड पूरी तरह से कट गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

रामनगर सम्पर्क मार्ग (ग्राम नगरिया के उत्तर से रामनगर होते हुए सिमरिया देंदू तक) का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में किया गया था। अत्यधिक वर्षा से मार्ग के किमी0-1 में बलुई मिट्टी होने के कारण कुछ स्थानों पर पटरी क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसकी मरम्मत करा दी गयी है। वर्तमान में मार्ग यातायात के सुचारु रूप से आवागमन हेतु उपयुक्त है। मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कटरा, जनपद-शाहजहाँपुर द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में उक्त मार्ग की टी0ए0सी0 से जाँच कराकर आख्या प्राप्त की गयी है। टी0ए0सी0 जाँच आख्या पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा सर्राकलां में 750 मी0 सड़क का डामरीकरण कराने हेतु

18-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सर्राकलां में एल0डी0आर0डी0 स्कूल से गांव होते हुए सर्राकलां पिच मार्ग तक दूरी लगभग 750 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सभा सर्राकलां में सर्राकलां सम्पर्क मार्ग से कसौंजी लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा सर्राकलां ग्राम सभा में एल0डी0आर0डी0 स्कूल, मिहीपुरवा-गोपिया-पड़रिया-मटेही कला मार्ग के किमी0 13 में स्थित है, से कसौंजी गाँव तक के प्रस्तावित संरेखण पर कोई बसावट स्थित नहीं होने के कारण प्रश्नगत रोड के डामरीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं होता है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गिरगिट्टी में 100 मी0 खड़न्जा निर्माण विषयक

19-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी में जिलेदार के घर से भुसैली के घर तक लम्बाई लगभग 100 मीटर खड़न्जा का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा गिरगिट्टी पूर्व से एकल लेपित मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा गिरगिट्टी में जिलेदार के घर से भुसैली के घर तक खड़न्जा का निर्माण (ग्राम पंचायत गिरगिट्टी का आन्तरिक मार्ग) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़खड़िया के आनन्द नगर में जयराम के घर से तेलियन पुरवा तक सड़क निर्माण विषयक

20-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़खड़िया के आनन्द नगर में जयराम के घर से तेलियन पुरवा पिचरोड तक लम्बाई लगभग 1200 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बड़खडिया का आनन्द नगर एवं तेलियन पुरवा एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है, अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात में भूड़गढ़ी बांबे पर स्थित चमड़ा फैक्ट्री की जाँच कराने विषयक

21-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात में भूड़गढ़ी बांबे पर स्थित त्रियश चमड़ा फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश की अनुमति बिना वर्तमान में संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चमड़ा फैक्ट्री की जाँच कर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गाजियाबाद के ग्राम-भूड़गढ़ी, परगना-डासना में मेसर्स त्रियश इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0, ग्राम-भूड़गढ़ी, डासना, गाजियाबाद नाम से टेनरी उद्योग स्थापित है, जिसको उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16-01-2020 द्वारा संचालन हेतु जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि 31-12-2024 है।

जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में निर्मित मैरेज होम विषयक

22-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में बने कितने मैरिज होम का मानचित्र स्वीकृत है और किनका नहीं है ? क्या सरकार नगर विकास अधिनियम के तहत जिन मैरिज होमों का मानचित्र स्वीकृत नहीं है, के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गाजियाबाद विकास क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत डासना में 11 मैरिज होम निर्मित हैं। निर्मित/संचालित मैरिज होम की सूची संलग्न[†] है। उपरोक्त 11 मैरिज होम का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। उक्त निर्मित मैरिज होमों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 व 28 के अधीन कार्यवाही प्रचलित है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वेदान्ता फार्म हाउस के शमन आवेदन पर कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-362 पर।

नगर निगम झांसी के अन्तर्गत गाटा संख्या-125 को कब्जा मुक्त किये जाने हेतु

23-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम झांसी के अन्तर्गत गाटा सं0-125 व अन्य में दबंगों द्वारा अवैध रूप से बनवाये जा रहे चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण रुकवा कर उक्त जमीन को मुक्त कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6747771, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 सदस्य, विधान सभा के प्रश्नगत पत्र दिनांक 07-12-2020 के पूर्व समान विषय पर उनका पत्र दिनांक 03-09-2020 प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर नगर निगम, झांसी द्वारा जाँच करायी गयी थी। जाँच आख्या के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत मौजा तालपुरा स्थित गाटा संख्या-125, रकबा 4.233 हे0 राज्य सरकार की सम्पति है, जो नगर निगम, झांसी के प्रबन्धन में है। इसमें अमृत योजना के अन्तर्गत चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। मौके पर नींव भरी हुई है। प्रश्नगत स्थल पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है। मौजा तालपुरा स्थित गाटा संख्या-125 भूमि के पूर्व दिशा में गाटा संख्या-131/776 स्थित है। प्रस्तावित चिल्ड्रेन पार्क की भूमि को खातेदार द्वारा गाटा संख्या-131/776 बताया गया है, जिसका वाद उप जिलाधिकारी, झांसी के न्यायालय में विचाराधीन है। चिल्ड्रेन पार्क की भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण पार्क का निर्माण कार्य रुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा कस्बे में वर्ष 2019 में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का फर्जी भुगतान किये जाने विषयक

24-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के गरौठा कस्बे में वर्ष 2019 में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग/फर्जी भुगतान एवं कार्य के प्रति उदासीनता की जाँच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6512034, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी के मालतीपुरवा में रामलखन के घर से आसाम रोड तक सड़क निर्माण विषयक

25-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी के मालतीपुरवा में रामलखन के घर से आसाम रोड तक रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा गिरगिट्टी पूर्व से एकल लेपित मार्ग से संतृप्त है। मालतीपुरवा ग्राम वर्ष 2011 की जनगणना सूची में अंकित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा में राजाराम के खेत से बिंदिया प्रसाद के घर तक सड़क निर्माण विषयक

26-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा ककरहा में राजाराम के खेत से बिंदिया प्रसाद के घर तक दूरी लगभग 1000 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा ककरहा एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम सभा ककरहा में राजाराम के खेत से बिंदिया प्रसाद के घर तक (ग्राम सभा ककरहा का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की सहकारी/ प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में हुए विलम्ब की जांच कराये जाने विषयक

27-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की सरकारी एवं निजी चीनी मिलों द्वारा कितने मीट्रिक टन गन्ने की खरीद हुई तथा उसके सापेक्ष कितना भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है एवं कितना बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

प्रदेश में गन्ना मूल्य की देयता पेराई सत्रवार आगणित की जाती है। तद्नुसार अद्यतन सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित निगम क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 15.13 लाख टन, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 97.12 लाख टन एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 1,005.84 लाख टन (कुल 1,118.09 लाख टन) गन्ने की खरीद की गई थी। उक्त के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,898.85 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त सत्र के अन्तर्गत कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सूडा में कार्यरत कतिपय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में श्रीमती राजबाला, विधायक मिलक, रामपुर के पत्र दिनांक 30-11-2018 पर कार्यवाही हेतु

28-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उत्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजबाला, मा0 विधायक मिलक, रामपुर का पत्र दिनांक 30-11-2018 जो सूडा में कार्यरत कतिपय अधिकारी के भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा गठित समिति से करायी गयी। निदेशक, सूडा के पत्र दिनांक 11-02-2021 एवं 13-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में शिकायती बिन्दु बलहीन एवं निराधार पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2018 से 2019 में की गई अनियमितता के संबंध में

29-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में वर्ष 2017 से 2019 तक 50 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डलवा कर सूडा के कार्यक्रम अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा निकलवा कर अनियमितता करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद का पत्रांक, 510/प्र0आ0यो0-शहरी/ 2020-21, दिनांक 20-07-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 20-07-2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में वर्ष 2017 से 2019 तक कार्यक्रम अधिकारी, सूडा एवं उनकी टीम द्वारा रु0 50.00 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डलवाने और उसे निकलवा कर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। श्री अनुपम गर्ग, परियोजना अधिकारी, डूडा, फिरोजाबाद द्वारा की गयी कतिपय अनियमितताओं के दृष्टिगत उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार कर उनके मूल (पैतृक) विभाग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 20-07-2020 में उल्लिखित धनराशि रु0 17510000.00 में से रु0 13403500.00 की वसूली की जा चुकी है। शेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ एवं अन्य के विरुध्द अनियमितता विषयक आरोपों की जाँच कराने विषयक

30-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ एवं अन्य के विरुद्ध अनियमितता विषयक आरोपों के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के पत्रांकः 821 (1)/ 39-450ए (8)/2011, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा जाँच करायी गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त जाँच के क्या परिणाम रहे तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत जांच को सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा के ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में सर्वोदय महाविद्यालय से आसाम रोड से तमोलियनपुरवा रामजानकी विद्यालय तक डामर रोड का निर्माण कराने विषयक

31-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में सर्वोदय महाविद्यालय के बगल से आसाम रोड से तमोलियनपुरवा रामजानकी विद्यालय तक 700 मीटर डामर रोड का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में वर्णित ग्राम सभा परवानी गौढ़ी व तमोलियनपुरवा पूर्व से ही एकल मार्गों से जुड़े हैं इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गंगापुर में 350 मी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

32-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282, बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा गंगापुर में पारस के घर से ओम प्रकाश पिपराघाट तक दूरी लगभग 350 मी0 सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

पिपराघाट ग्राम सभा गंगापुर का मजरा है, जो गंगापुर सम्पर्क मार्ग पर स्थित है। श्री ओम प्रकाश एवं श्री पारस का घर उक्त मजरे में ही स्थित होने के कारण पक्के मार्ग से

संतृप्त है। श्री पारस के घर से श्री ओम प्रकाश के घर तक मार्ग ग्राम सभा गंगापुर का आन्तरिक मार्ग है। ग्राम के आन्तरिक मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

गन्ना मूल्य भुगतान से सम्बन्धित

33-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में स्थापित चीनी मिल रामगढ़ व जवाहर पुर पर गन्ना किसानों का गत सत्र 2019-20 एवं वर्तमान सत्र 2020-21 का कुल कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 10-08-2021 तक की स्थिति के अनुसार (पेराई सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के अन्तर्गत) जिला-सीतापुर में स्थित चीनी मिल रामगढ़ एवं जवाहरपुर पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

के0जी0एम0यू0, लखनऊ में गठिया रोग विभाग के चिन्हित डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक

34-श्री राम अचल राजभर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ की दिनांक 08-06-2020 की कार्य परिषद् की बैठक में सरकारी सेवा में रहते हुए प्रा0 कम्पनी का संचालन करने वाले गठिया रोग विभाग के चिन्हित डाक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय के परिपालन में आरोपियों को आरोप-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं ? क्या सरकार उक्त की निष्पक्ष जाँच हेतु आरोपियों को पद भार/ दायित्यों से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

जी नहीं।

डा0 अनुपम वाखलू द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या-1114/बी-2021, दिनांक 13-01-2021 के द्वारा डा0 अनुपम वाखलू का प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, गठिया रोग विभाग के पद से दिनांक 13-01-2021 से त्याग पत्र स्वीकृत करते हुए कार्य मुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिसिंग रोड बनवाये जाने विषयक

35-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरौठा से मोतीकटरा तक विश्व बैंक परियोजना द्वारा मिसिंग रोड बनवाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-512539, दिनांक 6 दिसम्बर, 2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पत्र सं0-512539, दिनांक 06-12-2020 प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु पत्र सं0-512539, दिनांक 08-12-2020 प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजनान्तर्गत हमीरपुर-राठ, गरौठा, चिरगांव-झांसी (राज्य मार्ग सं0-42) के उच्चीकरण एवं रख-रखाव कार्य के अन्तर्गत राठ से मोतीकटरा होते हुए गरौठा (द्वितीय पैकेज) चैनेज 74.550 किमी0 से 110.278 किमी0 तक (मिसिंग लिंक) निर्माण हेतु चयनित है। इस भाग के उच्चीकरण हेतु 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर का आगणन गठित किया गया है। गठित आगणन के अनुसार मार्ग की लम्बाई 35.882 किमी0 एवं लागत रु0 25125.97 लाख है। विश्व बैंक से अनुमोदन के उपरान्त आगणन मुख्य अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-01-2021 के माध्यम से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। उक्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित हो चुका है तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम पंचायत मटिहा से थुनिया मांटी गांव तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

36-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मटिहा से थुनिया माटी गांव तक लम्बाई 1.500 किलोमीटर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत मटिहा पूर्व से एकल लेपित मार्ग से संतृप्त है। ग्राम थुनिया माटी (धुनियाभारी) गाँव तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम पंचायत हंसुलिया में भरिया से खैरीपुरवा मार्ग तक सड़क निर्माण कराने विषयक

37-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अर्न्तगत ग्राम पंचायत हंसुलिया में भरिया से खैरीपुरवा सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 1100 मीटर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

भरिया एवं खैरीपुरवा ग्राम पंचायत हंसुलिया के मजरे हैं तथा भरिया एवं खैरीपुरवा पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों/मजरों को आपस में जोड़े जाने की कोई नीति प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बोझिया शिवपुर में रोड का डामरीकरण कराने विषयक

38-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा बोझिया शिवपुर में शिव जी के घर से राम विश्वास के घर तक दूरी लगभग 700 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बोझिया पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा मजरा शिवपुर में श्री शिव जी का घर एवं श्री राम विश्वास का घर गूढ़-हरखापुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-13 में स्थित है, इस प्रकार दोनों के घर गूढ़ हरखापुर मार्ग के कि0मी0 13 में स्थित है। अतः इन्हें अन्य किसी संरेखण से जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से निर्माण कराये जाने विषयक

39-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र की जैसे तालौड से पट्टी कुम्हरा, सिमिरिया से शाहजहाँपुर, बरनाया से बेलमा, जेरा से बरनाया आदि 9 सड़कों का बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-6759927, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

उक्त पत्र में उल्लिखित मार्गों में 02 मार्ग जेरा से बरनाया एवं बजीता से शाहजहांपुर को स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि अवशेष की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के नगर पंचायत एरच में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से जबरन वसूली विषयक

40-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पंचायत एरच में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से की जा रही अवैध वसूली की जाँच कराने एवं पीड़ित लाभार्थियों को पैसा वापस कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-6759719, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 16-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार नगर पंचायत बोर्ड प्रस्ताव में स्वीकृत मानचित्र दरों के अनुसार लाभार्थियों, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत क्षेत्रफल के अनुसार भवन निर्माण किया गया, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जिनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया, उनके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा स्वीकृत निर्धारित दर के अनुसार प्रति लाभार्थी रु0-1000/- की धनराशि विधिवत रसीद निर्गत करते हुए, प्राप्त धनराशि को नगर पंचायत फण्ड में जमा करायी गयी है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मोतीपुर में मंगल आरा मशीन से प्रा0 विद्यालय मोतीपुर तक डामर रोड का निर्माण कराने विषयक

41-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा मोतीपुर में मंगल आरा मशीन से प्राथमिक स्कूल मोतीपुर तक 1 किलोमीटर डामर रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा मोतीपुर में मंगल आरा मशीन तथा प्राथमिक स्कूल मोतीपुर, हंसुलिया ग्रामीण मार्ग के क्रमशः किमी0 1 व 2 पर स्थित हैं, उक्त दोनों स्थान पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मोतीपुर में प्रा0 विद्यालय से हंसुलिया तक सड़क का मरम्मतीकरण कराने विषयक

42-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा मोतीपुर में प्राथमिक स्कूल से हंसुलिया तक 4 किलोमीटर सड़क की मरम्मत/ निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मार्ग की मरम्मत का कार्य माह मार्च, 2021 में किया गया था। वर्तमान में मार्ग के आंशिक भाग में पैच बन गये हैं जिसे मौसम अनुकूल होते ही ठीक करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा राजापुर कर्तिनिया में राजापुर में शाहपुर खुर्द तक डामर रोड का निर्माण कराने विषयक

43-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा राजापुर कर्तिनिया में राजापुर में शाहपुर खुर्द तक 4 किमी0 डामर रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में वर्णित ग्राम राजापुर कर्तिनिया व शाहपुर खुर्द पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा परवानी गौड़ी में अवध बाल शिक्षा निकेतन से सूक्खापुरवा रोड तक इण्टरलॉकिंग मार्ग का निर्माण कराने विषयक

44-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परवानी गौड़ी में अवध बाल शिक्षा निकेतन से सूक्खापुरवा रोड तक दूरी 400 मीटर इण्टरलॉकिंग सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा परवानी गौड़ी में आबादी भाग लेपित सतह से जुड़ा है। अवध बाल शिक्षा निकेतन परवानी गौड़ी सम्पर्क मार्ग से लगभग 400 मी0 की दूरी पर स्थित है। स्कूल/ शिक्षण संस्थान को पक्के मार्ग/ इण्टरलॉकिंग से जोड़ना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित

किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम पंचायत बसथनवा में छंगाराम के खेत के पास नाले का निर्माण कराने विषयक

45-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बसथनवा में छंगाराम के खेत के पास नाला का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न में वर्णित ग्राम पंचायत बसथनवा लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा छंगाराम के खेत के पास नाला निर्माण (ग्राम पंचायत बसथनवा का आन्तरिक कार्य) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत जिला नगरीय विकास प्राधिकरण बागपत द्वारा कस्बा बड़ौत की जर्जर गलियों के निर्माण विषयक

46-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नगरीय विकास अभिकरण बागपत द्वारा कस्बा बड़ौत की क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ। मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 24-01-2019 एवं 12-03-2020 द्वारा स्वीकृत कुल 07 परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण, बागपत द्वारा नगर पालिका परिषद, बड़ौत की अल्पविकसित बस्तियों में क्षतिग्रस्त गलियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच विषयक

47-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जनपद झांसी के गरौठा कस्बे में वर्ष 2019 में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग/फर्जी भुगतान एवं कार्य के प्रति उदासीनता की जाँच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 512049, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या-28 वी0आई0पी0/9-3-2021, दिनांक 07-01-2021 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा बड़खड़िया के आनन्दनगर मजरा से छठ माता के स्थान तक खड़न्जा लगवाने विषयक

48-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़खड़िया के आनन्दनगर मजरा से सुरेन्द्र के घर से छठ माता के स्थान तक 1600 मीटर खड़न्जा सरकार लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

ग्राम सभा बखड़िया व मजरा आनन्दनगर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं तथा मजरा आनन्दनगर में सुरेन्द्र के घर से छठ माता के स्थान तक खड़न्जा लगवाने का कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बेझा में बेझा टावर के पास से कालीचरन के घर तक सड़क निर्माण कराने विषयक

49-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बेझा में बेझा टावर के पास से कालीचरन के घर तक लम्बाई 175 मीटर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बेझा पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा बेझा टावर के पास से कालीचरन के घर तक 75 मीटर इण्टरलॉकिंग एवं 100 मीटर ब्रिक सोलिंग लगी है। अतः प्रश्नगत लम्बाई पर सड़क निर्माण का कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गंगापुर में गंगापुर मण्डी से वीरघाट तक सड़क का निर्माण कराने विषयक

50-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगापुर में गंगापुर मण्डी से वीरघाट तक 1.500 किलोमीटर पक्की रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम सभा गंगापुर में गंगापुर मण्डी से वीरघाट तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

51- श्रीमती सरोज सोनकर-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बड़खड़िया में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराने विषयक

52-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़खड़िया में रामजीत के घर के पास से सुनील कुमार के घर

तक 500 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम बड़खडिया में रामजीत के घर के पास से सुनील कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग (ग्राम सभा बड़खड़िया का आन्तरिक मार्ग) का कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-महोबा के कबरई कस्बे में संचालित क्रेशरों से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में

53-श्री बृजेश कुमार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महोबा के कबरई कस्बे में सैकड़ों की संख्या में मानक के विपरीत क्रेशर संचालित होने के कारण हवा में बारीक डस्ट से वहां निवास करने वाले नागरिक कई तरह की गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या मानक के विपरीत संचालित क्रेशर संचालकों और उनको संरक्षण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक 13-08-2021 द्वारा सूचित किया गया है कि कबरई व आस-पास के क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशरों के श्रमिकों व रिहायशी इलाकों में कराये गये समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षणों में डस्ट से मुख्य रूप से पड़ने वाला प्रभाव सिलकोसिस का कोई प्रकरण अब तक संज्ञान में नहीं आया है।

जिला नगरीय विकास अभिकरण बागपत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में लाभार्थियों द्वारा लिये गये ऋण की लम्बित किस्तों के भुगतान कराने विषयक

54-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नगरीय विकास अभिकरण बागपत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में आवास निर्माण ऋण हेतु कितने पात्रों को द्वितीय व तृतीय किस्त का भुगतान कितने

समय से लम्बित है ? क्या सरकार उक्त लम्बित किस्तों का भुगतान कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), बागपत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में 1420 लाभार्थियों के सापेक्ष 1420 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1215 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 564 लाभार्थियों को तृतीय किस्त प्रदान की जा चुकी है। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आवासों की निर्धारित निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष किश्तें प्रदान की जायेंगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सुजौली से हरखापुर तक खड़न्जा निर्माण कराये जाने विषयक

55-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सुजौली से हरखापुर तक 9 किलोमीटर खडन्जा मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा सुजौली एवं हरखापुर एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत ग्रामों को जोड़ने की कोई नीति लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सुजौली में अमेरिका लोध के घर से 800 मी0 मार्ग के निर्माण कराने विषयक

56-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सुजौली में अमेरिका लोध के घर से प्रधानमंत्री सड़क तक मार्ग

लम्बाई 800 मीटर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

श्री अमेरिका लोध ग्राम सुजौली का मजरा अयोध्या गाँव के निवासी है। ग्राम सुजौली व मजरा अयोध्या गांव पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा परवानी गौड़ी में 500 मी0 इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

57-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परवानी गौड़ी में प्रमुख यादव के घर से जूनियर स्कूल तक मार्ग लम्बाई 500 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा परवानी गौड़ी पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है। परवानी गौड़ी में श्री प्रमुख यादव के घर से जूनियर स्कूल तक इण्टरलॉकिंग (ग्राम सभा परवानी गौड़ी का आन्तरिक मार्ग) का कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सुजौली में सुभाष यादव के घर से भैंसा घुमना तक सड़क का निर्माण कराने विषयक

58-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सुजौली में सुभाष यादव के घर से भैंसा घुमना तक लम्बाई 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा सुजौली में श्री सुभाष यादव का घर धनिया बेली सम्पर्क मार्ग के किमी0-4 में पड़ता है, जोकि पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा भैंसा घुमना ग्राम जंगल गुलरिहा मजरा है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 216 है, जो लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण के मानक से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

59-श्रीमती सरोज सोनकर-

[02- मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी में मोंठ से भाण्डेर एवं मोंठ समथर से पण्डेखर के मार्ग निर्माण विषयक

60-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में मोंठ से भाण्डेर (मध्य प्रदेश) एवं मोंठ समथर-पण्डेखर (मध्य प्रदेश) इण्टर स्टेट सड़कें क्रमशः वर्ष 2018-19 व 2019-20 में स्वीकृत हुयी थीं ? यदि हाँ, तो उक्त सड़कों का निर्माण वर्तमान तक पूरा न कराये जाने के लिए दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त सड़कों का निर्माण कार्य सरकार पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जी हाँ।

मोंठ से भाण्डेर मार्ग पर विलम्ब से कार्य करने के कारण दोषी फर्म पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। मोंठ समथर-पण्डेखर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 2020 में निर्गत हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण कार्य के नियोजन में विलम्ब हुआ है। दोनों मार्गों पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। दोनों ही मार्गों पर अनुबन्धित कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा विश्वनाथ गांव में पिच रोड से चांदपुरवा पिच रोड तक सड़क का निर्माण कराने विषयक

61-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा विश्वनाथ गांव में पिच रोड से चांदपुरवा पिच रोड तक लम्बाई

1500 मीटर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

विश्वनाथ गाँव पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम सभा विश्वनाथ गाँव के मजरा (बसावट) चांदपुरवा की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 195 है, जो लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण के मानक से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के कार्यवाहक अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को हटाने के संबंध में दिये गये पत्र सं0-ख-6 न0-642756 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर को हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6-न0-642756, दिनांक 17-02-2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी)-

जी हां।

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय पत्रांकः 2018-21/विधि, दिनांक 29-07-2021 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38(1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष (कार्यवाहक अध्यक्ष) को धारित पद से हटाने हेतु प्रबन्ध कमेटी, जिला सहकारी बैंक लि0, बुलन्दशहर को नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जाँच कराने के संबंध में दिये गये पत्र सं0-ख-6 नं0-623328 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने

विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-623328, दिनांक 17-02-2019 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मा0 विधायक का पत्र संख्या-ख-6 नं0-623328, दिनांक 17-12-2019 मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है। प्रकरण की जाँच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से करायी गयी, कोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या दिनांक 19-02-2021 में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है। मा0 विधायक महोदया द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-01-2021 द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के निरीक्षण के बाद गुणवत्ता को संतोषजनक पाया गया है। प्रकरण में लिये गये निर्णय से मा0 सदस्या, विधान सभा को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 06-08-2021 के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में श्री अनिल शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लिमिटेट द्वारा की गई अनियमितता की जाँच विषयक दिये गये पत्र सं0-ख-6 नं0-623746 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर द्वारा की गयी आर्थिक अनियमितताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0-ख-6 नं0-623746, दिनांक 18-02-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी-

जी हाँ।

शिकायती-पत्र के क्रम में विभागीय जांच कराई गई। जांच में सिद्ध पाए गए आरोपों के क्रम में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, बुलन्दशहर के कार्यालय पत्रांकः 578/शिकायत, दिनांक 26-07-2021 द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38(1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष को धारित पद से हटाने हेतु प्रबन्ध कमेटी, जिला सहकारी बैंक लि0, बुलन्दशहर को नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला, ग्राम पंचायत मद्दौभीट में सरदार पटेल इण्टर कालेज के सामने मार्ग पर अतिक्रमण हटाये जाने विषयक

65-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला ग्राम पंचायत मद्दौभीट में सरदार पटेल इण्टर कालेज के सामने लोक निर्माण विभाग मार्ग पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर दुकान बनाने के कारण उक्त मार्ग अवरुद्ध है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला, ग्राम पंचायत मद्दौभीट में सरदार पटेल इण्टर कालेज के सामने से सादुल्लानगर-चन्द्रदीप घाट ग्रामीण मार्ग जाता है। राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार उक्त स्थान पर 16 मी0 चौड़ाई में (भूमि) रास्ता खाते में दर्ज है। मार्ग की लेपित चौड़ाई 3.00 मी0 है। तटबन्ध की चौड़ाई 7.50 मीटर है, जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। ग्रामीण मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट लागू नहीं है

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में साधन सहकारी समिति में उर्वरक रखने हेतु भवन के नव निर्माण हेतु बजट जारी करने विषयक

66-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में स्थित साधन सहकारी समिति में उर्वरक रखने के गोदाम भवन जर्जर हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों के नव निर्माण हेतु बजट जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी-

जी हाँ।

वर्तमान में जनपद गोण्डा में उक्त जर्जर भवनों के नव निर्माण हेतु कोई योजना स्वीकृत/संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद की सहकारी समितियों के भवन निधि खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण गोदाम मरम्मत/ नव निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बस्ती के स्टेट हाई-वे पर पटेल चौक निकट टोल प्लाजा के अवैध वसूली के सम्बन्ध में

67-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के स्टेट हाई-वे पर पटेल चौक के निकट स्थापित टोल प्लाजा के आउटर रोड पर टोल प्लाजा के कर्मियों के द्वारा बैरियर लगा कर नियम विरुद्ध टैक्स वसूली की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत टोल प्लाजा जनपद बस्ती में स्टेट हाई-वे पर नहीं है, अपितु एन0एच0-27 पर पटेल चौक के निकट स्थापित है, जिस पर टैक्स वसूली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा बैरियर लगा कर कोई टैक्स वसूली नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में आमी नदी की सफाई के सम्बन्ध में

68-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में आमी नदी को जल प्रदूषण से मुक्त करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

आमी नदी को जल प्रदूषण से मुक्त करने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जो सम्बन्धित विभागों के माध्यम से क्रियान्वित है। आमी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की कार्य योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित रिवर रिजुविनेशन कमेटी (आर0आर0सी0) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के छपिया व बभनजोत विकास खण्ड में मार्गों का पुनर्निर्माण कराने विषयक

69-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया व बभनजोत विकास खण्डों में गन्ना विभाग द्वारा निर्मित कितनी सड़कें जर्जर व

गड्ढायुक्त हैं ? क्या सरकार उक्त मार्गों को चिन्हित कर विशेष मरम्मत योजना में सम्मिलित कर उक्त का पुननिर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद गोण्डा में स्थित गन्ना विकास परिषद् मनकापुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित कोई मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है एवं बभनजोत के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित 02 सड़कें जर्जर व गड्ढायुक्त हैं। चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में उक्त प्रयोजन हेतु कोई धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महानगर क्षेत्र में पी0ए0सी0 छावनी के गेट नं0-1 से कारमल स्कूल चौराहे तक मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

70-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के महानगर क्षेत्र में पी0ए0सी0 छावनी के गेट नं0-1 से कारमल स्कूल चौराहे तक का मार्ग जर्जर होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर निगम में ग्रास कास्ट कांट्रेक्ट मॉडल के अंतर्गत वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराये जाने विषयक

71-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर निगम में ग्रास कास्ट कान्ट्रेक्ट मॉडल के अन्तर्गत वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारी उद्योग एवं लघु उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा फेम इण्डिया स्कीम-II योजनान्तर्गत चयनित प्रदेश के 11 शहरों तथा प्रदेश सरकार द्वारा चयनित 03 शहरों, कुल 14 शहरों में ग्रास कॉस्ट कान्ट्रैक्ट मॉडल पर 700 वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें फिरोजाबाद शहर सम्मिलित नहीं है।

जनपद झांसी नगर पंचायत गुरुसराय, एरच, गरौठा में पेयजल की आपूर्ति कराने विषयक

72-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की नगर पंचायत गुरुसराय, एरच, गरौठा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को पीने का पानी क्रय करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायतों में पेयजल की नियमित जलापूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

1-गुरुसराय पेयजल योजना- वर्ष 1988 में निर्मित हुई है, योजना का मुख्य स्रोत बड़वार झील है और सहायक स्रोत के रूप में 06 नग नलकूप अधिष्ठापित हैं। 01 नग ओवर हेड टैंक के माध्यम से गुरुसराय नगरीय क्षेत्र को जलापूर्ति की जाती है।

2-गरौठा नगर पंचायत पेयजल योजना- लगभग 30 वर्ष पुरानी है, जिसके अन्तर्गत 02 नग नलकूप एवं 02 ओवरहेड टैंक स्थापित हैं।

3-नगर पंचायत एरच पेयजल योजना का मुख्य स्रोत बेतवा नदी है। योजना के अन्तर्गत ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सी0डब्लू0आर0 एवं 02 ओवरहेड टैंक स्थापित हैं और साथ ही 02 नग नलकूप भी स्थापित हैं, जिससे एरच नगर पंचायत में जलापूर्ति सुचारु रूप से हो रही है। उक्त के साथ-साथ ग्रीष्म ऋतु में पेयजल टैंकरों द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की जाती है। समस्या के स्थाई समाधान हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-झांसी की नगर पालिका परिषद्, गुरुसराय एवं नगर पंचायत गरौठा नगर की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना, स्वीकृत लागत रु0 8324.27 लाख का कार्य जल निगम द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है, जिसके कार्य प्रारम्भ की तिथि 15-07-2019 एवं कार्य को माह जनवरी, 2022 तक पूर्ण किया जाना है। योजना में वर्तमान तक 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर पंचायत एरच में अवैध वसूली विषयक

73-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर पंचायत एरच में की जा रही अवैध वसूली रोकने एवं की गयी वसूली की वापसी विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-759719, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 16-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार नगर पंचायत बोर्ड प्रस्ताव में स्वीकृत मानचित्र दरों के अनुसार लाभार्थियों, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत क्षेत्रफल के अनुसार भवन निर्माण किया गया, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जिनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया, उनके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के आधार पर बोर्ड द्वारा स्वीकृत निर्धारित दर के अनुसार प्रति लाभार्थी रु0-1000/- की धनराशि विधिवत रसीद निर्गत करते हुए, प्राप्त धनराशि को नगर पंचायत फण्ड में जमा करायी गयी है।

बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्रों से होने वाली आय व अन्य की जानकारी के सम्बन्ध में

74-श्री दयाराम चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विकास प्राधिकरण का गठन के उपरान्त कितने भवन स्वामियों के मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं, कितने विचाराधीन हैं तथा उक्त से कितनी आय हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि बिना नक्शा पास भवन निर्माण करने पर कितने लोगों को नोटिस जारी कर कितना कम्पाउन्ड शुल्क वसूला गया है ? क्या सरकार भवन मानचित्र की समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन शासन द्वारा दिनांक 28-10-2016 को किया गया है। गठन से दिनांक 31-07-2021 तक कुल 384 मानचित्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 182 मानचित्र स्वीकृत किये गये, 122 मानचित्र अस्वीकृत किये गये एवं 80 मानचित्र विचाराधीन हैं। प्राधिकरण को मानचित्रों के निस्तारण से अब तक कुल रुपये 3.20 करोड़ शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण के गठन से अब तक 561 अवैध निर्माणों को चिन्हित करते

हुये उनके विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। प्राधिकरण के गठन से 31-07-2021 तक शमन शुल्क के रूप में रुपये 3.00 करोड़ शुल्क प्राप्त हुआ है। बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त मानचित्रों का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्लास्टिक कचरे को नष्ट करने हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के संबंध में

75-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों के द्वारा रिसाइक्लिंग न होने वाले प्लास्टिक से बने बोतल बन्द पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर आदि से कितना टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है ? क्या सरकार उपरोक्त उत्पादों पर मुनाफा लेने वाली कम्पनियों पर जनपदवार कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने सम्बन्धी कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

नगर निकायों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार प्रदेश में जनित अपशिष्ट प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक से बने बोतल बन्द पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर आदि से जनित अपशिष्ट की मात्रा 161147.5 टन/ वर्ष है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित के नियम-9 में प्रोड्यूसर, ब्राण्ड ओनर एवं मैन्यूफैक्चरर द्वारा जनित अपशिष्ट प्लास्टिक के निस्तारण हेतु उनकी उत्तरदायिता निर्धारित की गयी है। उक्त अपशिष्ट प्लास्टिक नियम सम्पूर्ण देश में प्रभावी है। उक्त के अतिरिक्त अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग हेतु इकाइयां पंजीकृत की गयी हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रिसाइकिल न होने वाले अपशिष्ट प्लास्टिक को सीमेन्ट इण्डस्ट्री में को-प्रोसेसिंग के माध्यम से एवं सड़कों में निर्माण हेतु प्रयोग कर निस्तारित किया जा रहा है। प्रदेश में प्लास्टिक से ऑयल तैयार किये जाने वाले संयंत्र स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सांऊघाट में छितई-पकरी जेई मार्ग का निर्माण विषयक

76-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र सांऊघाट में छितई-पकरी जेई मार्ग लम्बाई 05 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.13 किमी0 है, जिसका 3.43 किमी0 का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। मार्ग के उक्त भाग की दशा संतोषजनक है तथा मार्ग आवागमन के लिये सुगम है। शेष 700 मी0 के भाग का स्वामित्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पी0आई0यू0 बस्ती के अधीन अनुरक्षणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के टापाकलां पीली कोठी मायापुरी वाल्मीकि से आनन्द नगर खेड़ा लक्ष्मी के मकान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

77-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में टापाकलां पीली कोठी मायापुरी वाल्मीकि से आनन्द नगर खेड़ा लक्ष्मी डॉक्टर के मकान तक के मेन रोड क्षतिग्रस्त होने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक संख्या-क-6 नं0-452178, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरान्त धनराशि रु0 1608080.00 का आगणन तैयार कर लिया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के दखल पुलिया से सत्य नगर नाले की पुलिया तक कच्ची नाले की पटरी का निर्माण कराये जाने विषयक

78-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में दखल पुलिया से लेकर सत्य नगर नाले की पुलिया तक कच्ची नाले की पटरी क्षतिग्रस्त होने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452177, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु महापौर, नगर निगम, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये धनराशि रु0 67,71,815.00 के आगणन का प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा धनराशि रु0 16,18,610.00 का आगणन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में मायापुरी टंकी के पास की गलियों के मार्ग निर्माण कराने विषयक

79-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मायापुरी टंकी के पास की गलियाँ क्षतिग्रस्त होने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452199, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु महापौर, नगर निगम, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये धनराशि रु0 27,40,680.00 के आगणन का प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा धनराशि रु0 22,16,545.00 का आगणन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में मायापुरी में प्रिंस, कल्याण सिंह वार्ड आदि स्थानों की जर्जर गलियों के निर्माण विषयक

80-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मायापुरी में प्रिंस, कल्याण सिंह, गीतम एवं सुरेश मसीह वार्ड की कुछ आंतरिक गलियाँ क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452176, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु महापौर, नगर निगम, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये धनराशि रु0 19,04,550.00 के आगणन का प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा धनराशि रु0 9,52,265.00 का आगणन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला मोहन विहार में रामवीर स्वरूप से नटराज टेलर्स एवं प्रवीन के घर से सुनील के घर तक जर्जर गलियों का निर्माण विषयक

81-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला मोहन बिहार में रामवीर स्वरूप से नटराज टेलर्स एवं प्रवीन के घर से सुनील के घर तक की कुछ क्षतिग्रस्त एवं जर्जर लिंक गलियों की मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452101, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य का आगणन धनराशि रु0 5,47,650.00 का प्रस्ताव रखा गया। समिति द्वारा धनराशि रु0 6,14,495.00 का आगणन स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के नगर पालिका, कुशीनगर में रिक्त पदों पर भर्ती करने विषयक

82-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत नगर पालिका, कुशीनगर में भिन्न पदों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर में विभिन्न पदों के स्वीकृत 26 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 19 पद भरे हैं तथा 07 पद रिक्त हैं। सभी रिक्त 07 पद उ0प्र0 पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पदों की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है।

जनपद हरदोई के ग्राम महतिवाना आनन्द नगर पालिका की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में

83-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका सण्डीला जनपद हरदोई के ग्राम महतवाना आनन्द नगर पालिका पर मजरा व तहसील सण्डीला हरदोई की भूमि खेसरा सं-626. 630 ख, 639, 632, 638, 687, 680, 628 ख व 636 पर भू-माफियाओं द्वारा स्थानीय आदिवासियों व कर्मचारियों की सांठ-गांठ से कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर क्रय की गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे व फर्जी बैनामा को निरस्त कर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सण्डीला, जनपद हरदोई ने अवगत कराया है कि ग्राम महतवाना आनन्द नगर पालिका सण्डीला, हरदोई के भूमि खसरा संख्या-626, 630ख, 639, 632, 638, 687, 680, 628ख व 636 पर किसी भी स्थानीय निवासी व कर्मचारी की सांठ-गांठ से फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को विक्रय नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी से सोहारीलाल बाबा देवस्थान तक मार्ग का निर्माण कराने विषयक

84-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी से सोहारीलाल बाबा देवस्थान तक मार्ग न होने के कारण दर्शनार्थियों को पगडंडियों से देवस्थान तक आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हाँ, तो क्या

सरकार ग्राम-मोतियारी से सोहारीलाल बाबा देवस्थान तक मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम मोतियारी सम्पर्क मार्ग के किमी0-2 से सोहारीलाल बाबा देव स्थान की दूरी 1.60 किमी0 है। वर्तमान में सोहारीलाल बाबा देव स्थान पर कच्ची मिट्टी की मजार है। जहां की आबादी शून्य है। आबादी शून्य होने के कारण मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा अन्तर्गत कस्बा ओरन से कस्बा अतर्रा मार्ग का निर्माण कराने विषयक

85-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा अन्तर्गत कस्बा ओरन से कस्बा अतर्रा मार्ग लगभग 03 किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

अतर्रा-ओरन-चौसड मार्ग पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0, एस0टी0पी0 आदि के लिये बनाई जाने वाले डी0पी0आर0 में प्रस्तावित योजना के हेतु भूमि का चयन सुनिश्चित कराने विषयक

86-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमृत योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0, एस0टी0पी0 आदि के लिये बनाई जाने वाले डी0पी0आर0 में प्रस्तावित योजना हेतु भूमि चयन सुनिश्चित कराये बिना धनावंटन न कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

योजना का विरचन ओवरहेड टैंक, सी0डब्लू0आर0, एस0टी0पी0 आदि की भूमि चिन्हांकन होने के उपरान्त ही किया जाता है। भूमि प्राप्त करने के उपरान्त समान्यतया धनावंटन की औपचारिक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में कैथलैब एवं ईको कार्डियोग्राफी मशीन की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने से संबंधित कतिपय अधिकारियों के पत्रों पर कृत कार्यवाही विषयक

87-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में कैथलैब एवं ईको कार्डियोग्राफी मशीन की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन का महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रधानाचार्या, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः 201/71-3-2020-68/2018, टी0सी0 दिनांक 13-12-2020 एवं प्रतिलिपि संख्या-201 सी0जे0/71-3-2018, दिनांक 13-2-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हां।

केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में उच्चीकृत किया गया है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में ईको कार्डियोग्राफी मशीन रेडियोलॉजी विभाग में उपलब्ध है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुसार संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला लक्ष्मी नगर में बन्नी सिंह यादव के घर से आकाश कोरी के मकान तक जल निकासी की व्यवस्था के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रांक : संख्या क-6 नं0 452237, दिनांक 24-12-2020 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला लक्ष्मी नगर में बन्नी सिंह यादव के घर से आकाश कोरी के मकान तक जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को कठिनाइयों के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452237, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर वार्ड नं0-12 ककरऊ नई आबादी में बनी सिंह यादव के मकान से आकाश कोरी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य का आंगणन रु0 35,54,900.00 तैयार करा लिया गया है। प्रश्नगत कार्य हेतु बजट आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला लक्ष्मीनगर ककरऊ नई आबादी की क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण विषयक

89-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला लक्ष्मी नगर ककरऊ नई आबादी की गलियाँ क्षतिग्रस्त होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452238, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरान्त अवर अभियंता द्वारा धनराशि रु0 48,11,960.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री संजय गर्ग-

[3-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0- 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला यदुवंश नगर ककरऊ में कतिपय स्थानों की क्षतिग्रस्त व जर्जर गलियों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः संख्या क-6 नं0-452235, दिनांक 24-12-2020 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

91-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला यदुवंश नगर ककरऊ में शिवकुमार के मकान से श्री किशन यादव के मकान तक, सी0पी0 के मकान से मनोज शर्मा के मकान तक तथा पूरन सिंह के मकान से श्यामा देवी के मकान तक की गलियां वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी,

फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452235, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरांत अवर अभियंता द्वारा धनराशि रु0 3,92,828.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला झलकारी नगर में गली नंबर 7 मरघटी वाली गली में शिवराम कोरी के मकान से सुनील के मकान तक कच्ची एवं क्षतिग्रस्त गली होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः संख्या क-6 नं0-452234, दिनांक 24-12-2020 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला झलकारी नगर में गली नंबर-7 मरघटी वाली गली में शिवराम कोरी के मकान से सुनील के मकान तक की गली कच्ची एवं क्षतिग्रस्त होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः क-6 नं0-452234, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरांत अवर अभियंता द्वारा धनराशि रु0 3,92,828.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला आनन्द नगर नई आबादी एवं मोहल्ला ककरऊ नई आबादी में क्षतिग्रस्त व जर्जर गलियों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांकः संख्या-क-6 नं0-452236,दिनांक 24-12-2020 पर कार्यवाही विषयक

93-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला आनन्द नगर नई आबादी एवं मोहल्ला ककरऊ नई आबादी में सभी गलियाँ क्षतिग्रस्त एवं जर्जर

होने के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6 नं0-452236, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरांत अवर अभियंता द्वारा धनराशि रु0 10,41,315.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद के मोहल्ला ककरऊ में "मेला प्रांगण" में कीचड़ एवं गंदगी होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक संख्या-क-6 नं0-452236, दिनांक 24-12-2020 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला ककरऊ में मेला प्रांगण में कीचड़ एवं गंदगी होने के कारण मेले का आयोजन करने में कठिनाइयों के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6 नं0-452236, दिनांक 24-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरान्त अवर अभियंता द्वारा धनराशि रु0 9,22,945.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत एरच में कान्हा पशु आश्रय निर्माण में धांधली विषयक

95-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत एरच में कान्हा पशु आश्रय निर्माण में की गयी धांधली की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-759722, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 08-12-2020 कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जनपद झांसी के नगर पंचायत, एरच में कान्हा पशु आश्रय स्थल के निर्माण में की गयी धांधली की जाँच के संबंध में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 22-06-2021 एवं इससे संलग्न श्री अमित चौरसिया, जिला मंत्री, झांसी का शिकायती-पत्र दिनांक 03-10-2020 प्राप्त हुआ। शासन के पत्र दिनांक 25-06-2021 द्वारा जिलाधिकारी, झाँसी को मा0 सदस्य के पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर जांच आख्या संस्तुति सहित शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत एरच, झांसी में निर्माणाधीन कान्हा पशु आश्रय स्थल की गुणवत्ता की जांच हेतु जिलाधिकारी के आदेश द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 12-07-2021 में कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती की नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में नगर पंचायत कार्यालय तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

96-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में कार्यालय के अभाव से नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में नगर पंचायत कार्यालय की स्थापना तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

नवसृजित नगर पंचायत भानपुर के गठन के उपरान्त इसका अस्थायी कार्यालय तहसील भानपुर परिसर में संचालित हैं। नवसृजित नगर पंचायत भानपुर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-614/नौ-9-21-133ज/20, दिनांक 08 मार्च, 2021 द्वारा धनराशि रु0 2,13,42,778/- प्रदान किया गया। है। उप जिलाधिकारी, भानपुर द्वारा ग्राम जोगिया तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर में स्थित 391.00 झमि/0.379 हे0 भूमि आवंटित की गयी है तथा कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्माण कराया जायेगा। शासनादेश संख्या-2581/नौ-9-2020-133ज/20, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में जनपद बस्ती की नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में प्रशासक के रूप में प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय जनपद बस्ती नामित है तथा नगर पंचायत रुधौली

बाजार में कार्यरत अधिशासी अधिकारी को नगर पंचायत भानपुर का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सेवाप्रदाता के माध्यम से आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के रूप में कार्मिकों की तैनाती की गयी है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा मथुरापुर चौराहे से बस्ती मेंहदावल मार्ग को पूर्ण कराने विषयक

97-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में लोक निर्माण विभाग द्वारा गतवर्ष मथुरापुर चौराहे से बस्ती मेंहदावल मार्ग को जोड़ने हेतु 3 किलोमीटर मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जिस पर मात्र 500 मीटर पिच मार्ग का निर्माण कर शेष सड़क का कार्य अपूर्ण है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में मथुरापुर चौराहे से बस्ती मेंहदावल मार्ग का नाम सेहुड़ा से भीटारामसेन चौराहा होते हुए मथुरापुर नाम से है। उक्त मार्ग की लम्बाई 2.50 किमी0 है। मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है। प्रश्नगत मार्ग हेतु शासनादेश सं0-11/2019/343/23-9-2019-01 अन्य/ 2018 टी0सी0, दिनांक 01-03-2019 द्वारा 2.50 किमी0 व लागत रु0 190.63 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष मार्ग का निर्माण कार्य माह 08/2020 में पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है एवं मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के आई0सी0यू0 में पैरामेडिकल स्टाफ पदों के सृजन विषयक

98-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के आई0सी0सी0यू0 में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ पदों का सृजन सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आई0सी0सी0यू0 मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत स्थापित एवं क्रियाशील है। मेडिसिन विभाग में 01 आचार्य, 02 सहआचार्य,

03 सहायक आचार्य, 03 सीनियर रेजीडेन्ट के पद सृजित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में कुल 175 नर्सिंग स्टाफ, 31 पैरामेडिकल स्टाफ एवं 182 चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव नगर पंचायत पुरवा में राजाबाजार में कुंआँ, मंदिर परिसर आदि की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6, 775031, दिनांक 31-12-2020 पर कृत कार्रवाई की जानकारी

99-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की नगर पंचायत पुरवा में राजाबाजार में कुआं, मंदिर परिसर आदि की जमीन पर किये गये अवैध/जबरन कब्जे को हटवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6, 775031, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

नगर पंचायत पुरवा द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान में कुआँ, मन्दिर परिसर पर मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अंतर्गत सिकरारा से बरईपार मार्ग का चौड़ीकरण करवाने विषयक

100-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत स्व0 लालजी सिंह (वैज्ञानिक) सिकरारा से बरईपार मार्ग का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत स्व0 लालजी सिंह (वैज्ञानिक) सिकरारा से बरईपार मार्ग (लम्बाई 13.180 किमी0) अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 4263 है, जिसके अनुसार मार्ग को 5.50 मी0 में चौड़ीकरण कराये जाने की आंकलित लागत रु0 457.59 लाख है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नगर पालिका जौनपुर द्वारा वर्ष 2018 से 2021 तक संविदा पर रखे गये सफाई कर्मचारियों की जानकारी

101-श्री लकी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की नगर पालिका जौनपुर में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कितने सफाई कर्मचारी (संविदा पर व अन्य संस्थाओं के द्वारा) रख कर वर्षवार कितना-कितना भुगतान किया गया है और सफाई कर्मचारियों को कहां-कहां पर ड्यूटी पर लगाया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि कागजों पर ही उक्त कर्मियों की ड्यूटी लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर पालिका परिषद् जौनपुर में वर्ष 2006 में चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों की संख्या-74 है, जो वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कार्यरत हैं। अन्य संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा रखे गये सफाई कार्य में लगे कर्मियों की संख्या-290 है। उक्त अवधि में संविदा पर व अन्य संस्थाओं से आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मचारियों पर वर्षवार किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि रुपये में

वर्ष	संविदा पर	अन्य संस्था (आउटसोर्सिंग)
2018-19	1,28,15,622.00	2,03,97,337.00
2019-20	1,29,47,352.00	3,66,43,088.00
2021-21 (माह जनवरी, 2021 तक)	1,35,73,953.00	2,85,15,786.00

सफाई कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत नगर के सड़कों, गलियों, नाला-नालियों की दैनिक सफाई एवं कूड़ा निस्तारण कार्य हेतु लगाया गया है। नगर पालिका परिषद् जौनपुर में रखे गये समस्त सफाई कर्मचारियों से सफाई का कार्य कराया जा रहा है। सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत निर्माणाधीन पुल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

102-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत निर्माणाधीन बैजारामपुर पुल का निर्माण धन के अभाव में रुका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल के शेष कार्य हेतु धनावंटन कर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह 09 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कालेज, जनपद जौनपुर के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

103-श्री लकी यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहीद उमानाथ सिंह मेडिकल कालेज जौनपुर का निर्माण कार्य बजट के अभाव में रुका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के निर्माण की मूल स्वीकृत लागत रु0 554.1671 करोड़ के सापेक्ष रु0 299.8385 करोड धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा रु0 235.0881 करोड़ की धनराशि का उपभोग किया गया है तथा अभी भी रु0 64.7504 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है। इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 80.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्य बजट के अभाव में नहीं रुका है। वर्तमान में परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 44 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम एल0ओ0पी0 के अनुसार दिनांक 31-08-2021 तक तथा सम्पूर्ण परियोजना सितम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सीहीपुर रेलवे क्रासिंग पर जाम से निजात दिलाये जाने विषयक

104-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सीहीपुर रेलवे क्रासिंग पर जाम की स्थिति से स्थानीय लोगों को निजात दिलाने की व्यवस्था हेतु सरकार उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

यह सम्पार शहरी क्षेत्र में है, जिसका टी0वी0यू0 माह फरवरी, 2018 में 431072 है। रेलवे विभाग से सहभागिता हेतु सेतु की आंकलित लागत रु0 8141.12 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

105-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के परिसर में निर्माण कार्य के आगणन की स्वीकृति हेतु

106-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद (पूर्व में जिला चिकित्सालय) के परिसर में 500 के0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 एवं 50 के0एल0डी0 क्षमता के ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु निर्माण का आगणन लागत रु0 544.26 लाख प्रधानाचार्या/सी0एम0एस0, फिरोजाबाद से प्रतिहस्ताक्षरित कार्यालय पत्रांकः 865/प्रब0 (आग0-2)/म0प्र0(तक0) स्वा0वि0फा0/रानिनि/2020, दिनांक 29-12-2020 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को प्रेषित है, के क्रम में उक्त निर्माण कार्य के आगणन स्वीकृति हेतु अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को पत्रांकः 843/मैनपुरी इकाई/रानिनि/2020, दिनांक 30-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-1253/71-3-2020, दिनांक 02-11-2020 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया एवं शासनादेश संख्या-

48/2021/503/71-3-2021, दिनांक 31-03-2021 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में एसटीपी/ईटीपी की स्थापना हेतु रु0 5.85 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 100.00 लाख निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत कलीचाबाद में सँकरी पुलिया का चौड़ीकरण किये जाने विषयक

107-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत कलीचाबाद में पुलिया सँकरी होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी के पत्र दिनांक 09-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अनुसार एन0एच0-56 जौनपुर-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम कलीचाबाद में स्थित सड़क के अत्यन्त जर्जर एवं सँकरी पुलिया के स्थान पर नई चौड़ी पुलिया के निर्माण हेतु उपलब्ध सरकारी भूमि के सीमांकन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 05-08-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। वर्तमान एन0एच0-56 में उक्त पुलिया के दोनों तरक मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिससे आवागमन सुचारु रूप से हो सके। प्रस्तावित जौनपुर बाईपास का निर्माण भी प्रगति पर है, जिसे सम्भवतः माह सितम्बर, 2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। उक्त बाईपास के निर्माण के उपरान्त ट्रैफिक खुलते ही प्रश्नगत पुलिया पर जाम की समस्या से स्थायी रूप से निजात मिल जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में आसफाबाद तिराहे से बम्बा बाईपास के दोनों तरफ पटरी का निर्माण करने विषयक

108-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में आसफाबाद तिराहे से लेकर बम्बा बाईपास मार्ग की दोनों तरफ पटरी स्थान ककरऊ कोठी तक कच्ची एवं ऊबड़-खाबड़ होने के कारण वर्षा ऋतु में कीचड़युक्त हो जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार

उक्त मार्ग की दोनों तरफ की पटरी का पक्का निर्माण कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद तिराहे से लेकर बम्बा बाईपास मार्ग के दोनों ओर पटरी पर लम्बाई 6.030 किमी0 में इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं सुरक्षात्मक कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद, नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला ठारपूठा में कच्ची व क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0-क-6, नं0-452212, दिनांक 30-12-20 पर कृत कार्यवाही विषयक

109-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद अन्तर्गत मोहल्ला ठारपूठा में लाखन सिंह के घर से सोनू की दुकान तक, रामकिशन के घर से अनिल के घर तक, दामोदर के घर से बाबू के घर तक एवं मोहित के घर से ओमपाल के घर तक कच्ची एवं क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6, नं0-452212, दिनांक 30-12-2020 प्राप्त हुआ है। यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत तीनों स्थलों के निरीक्षणोपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा क्रमशः धनराशि रु0 7,65,800.00 एवं रु0 19,93,100.00 तथा रु0 8,19,950.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम, फिरोजाबाद में कच्ची एवं क्षतिग्रस्त गली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक संख्या-क-6, नं0-452213, दिनांक 30-12-2020 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद अन्तर्गत मोहल्ला महादेव नगर में राधेश्याम के घर से पुष्पा कुशवाह के घर तक कच्ची एवं क्षतिग्रस्त

गली के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6, नं0-452213, दिनांक 30-12-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य का आगणन धनराशि रु0 25,32,000.00 स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 काशीराम आवास योजना में बने हुये आवासीय भवनों में अनुरक्षण हेतु बजट की व्यवस्था विषयक

111-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मा0 काशीराम आवास योजना अन्तर्गत निर्मित आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु कोई बजट की व्यवस्था नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों के अनुरक्षण के लिये कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2219/आठ-2-11-87 मा0का0यो0/11, दिनांक 08-08-2011 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3 के अनुसार योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का रख-रखाव लाभर्थी आवंटियों द्वारा अपने व्यय पर किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में सहायक निदेशक, गन्ना किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर में इमारतों के निर्माण व मरम्मत, रंगाई, पुताई में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

112-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या चीनी मिलें एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जी0आर0एस0 नं0-018150190080222 जो सहायक निदेशक, गन्ना किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहांपुर द्वारा कृषकों के प्रशिक्षण आदि केन्द्र की बिल्डिंग को बनवाने तथा मरम्मत, पुताई आदि में व्यापक भ्रष्टाचार तथा वर्ष 2008 से एक ही स्थान पर तैनात रहने की शिकायत

विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

उक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि कृषकों के प्रशिक्षण आदि में आमंत्रित वैज्ञानिकों को मानदेय के भुगतान आदि की व्यवस्था मुख्यालय आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत ही किया जाता है। कृषकों को किसी प्रकार का कोई भुगतान किये जाने की व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग बनवाने तथा मरम्मत, पुताई आदि संबंधित कोई कार्य नहीं हुआ है। गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर द्वारा प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की योजनाओं की तकनीकी जानकारी तथा गन्ने एवं कृषि से सम्बन्धित नवीनतम कृषि अनुसंधानों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है। नई गन्ना तकनीकी को कृषकों के हित में सुग्राह्य व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालन हेतु अनुभवी एवं क्षेत्र से सुपरिचित अधिकारियों की आवश्यकता होती है। कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाये जाने हेतु तकनीकी अधिकारियों में केन्द्र पर 02 प्रशिक्षक, 02 विषय विशेषज्ञों के साथ ही सहायक निदेशक का पद सृजित है। केन्द्र पर तकनीकी अधिकारियों में एकमात्र अधिकारी होने के कारण श्री प्रवीण कुमार की तैनाती गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर में वर्ष 2008 से बराबर बनी हुई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के नगर पंचायत मोंठ में मीट मार्केट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

113-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पंचायत मोंठ में मीट मार्केट आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-487962, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

मा0 विधायक जी के पत्र में उल्लिखित शिकायत के संबंध में पाया गया कि नगर पंचायत मोंठ में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से अस्थायी रूप से दुकानें लगाने हेतु जगह चिन्हित की गयी थी, किन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उक्त स्थान पर बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था, जिसे जानकारी होने पर हटा दिया गया। उक्त समस्या के निराकरण हेतु नगर पंचायत मोंठ बोर्ड द्वारा दिनांक 25-08-2020 को मीट व्यवसायियों के लिए मुर्गा-मीट

मण्डी के रूप में स्थान निर्धारित कर दुकानें बनाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बजट की उपलब्धता होते ही दुकानों का निर्माण किया जाना है।

जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बालू खनन, क्रेसर क्षेत्र में आर0सी0सी0 सड़कों का निर्माण कराने विषयक

114-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बालू खनन, क्रेसर क्षेत्र में कथित सड़कों का निर्माण आर0सी0सी0 से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-नं0-6,-477899, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

स्वीकृति संबंधी कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वाल्टरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में

115-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के वाल्टरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु वर्ष 2014 का प्रस्ताव जिस पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर हैं, की पत्रावाली प्रकरण लम्बित है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनपद बस्ती के वाल्टरगंज को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06-10-2016 के मानक 2(1) अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए और मानक 2(2) के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए। जनपद बस्ती के वाल्टरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 25-02-2015 द्वारा तत्समय नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश दिनांक 28-08-2014 में निर्धारित मानकों के अनुसार आख्या उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें निर्धारित मानक 75 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 35 प्रतिशत व्यक्तियों के व्यवसाय पर आधारित होने के कारण तत्समय नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 23-02-2016 द्वारा पुनः जनपद बस्ती के वाल्टरगंज (श्रीपालपुर) को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रस्तावित ग्राम पंचायत वाल्टरगंज की निर्धारित मानक के सापेक्ष जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 8666 होने के दृष्टिगत नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। पुनः जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 16-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ग्राम पंचायत वाल्टरगंज की निर्धारित मानक के सापेक्ष जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 8666 होने के दृष्टिगत नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुफ्तीगंज के ब्लाक मुफ्तीगंज के मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम असवारा जाने वाले मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने विषयक

116-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र एवं मुफ्तीगंज के ब्लाक मुफ्तीगंज के मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम असवारा को जाने वाली सड़क गड्ढामुक्त एवं जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3, बैच-1 के अन्तर्गत पैकेज सं0-यू0पी0-37112 के अधीन सम्पर्क मार्ग टी-04 (मुफ्तीगंज बाजार एल0एम0 रोड कि0मी0 275) से असवराखास, लम्बाई 5.100 किमी0 के उच्चीकरण हेतु अनुबंध गठित किया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति में है। कार्य दिनांक 16-05-2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीरनगर के कस्बा खलीलाबाद के नगर पालिका क्षेत्र ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4,7,14 व 21 में चक नाली पर अवैध कब्जा हटवाने विषयक

117-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीरनगर के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4,7,14 तथा 21 में दर्ज चक नाली पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवा कर चक नाली खुलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

गाटा संख्या-4, नाली की भूमि खाली है व गाटा संख्या-7, चकमार्ग पर सार्वजनिक रास्ता बना है, गाटा संख्या-21 नाली, सार्वजनिक रास्ता बना है एवं गाटा संख्या-14 नाली का

कुछ भाग सार्वजनिक रास्ते के रूप में है और कुछ भाग पर अतिक्रमित स्थाई (पक्का मकान) प्रवृत्ति का है। उक्त अवैध कब्जे को हटाने के लिये पी0पी0 एक्ट 4/7 के तहत दिनांक 04-08-2021 को मा0 न्यायालय उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद में वाद संस्थित है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 24-08-2021 को निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने व कार्रवाई विषयक

118-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0-ख-6-नं0-640394, दिनांक 19-09-2020 जो नगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने से सम्बन्धित है, जिलाधिकारी, मऊ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

उक्त प्रकरण में अध्यक्ष के प्रत्युतर पर जिलाधिकारी, मऊ के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के समय दिये गये बचाव उत्तर पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त अध्यक्ष के विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाये जाने के फलस्वरूप शासन के आदेश संख्या-1272/9-1-20-53 रिट/2019, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 द्वारा श्री शकील अहमद, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुहम्मदाबाद गोहना को भविष्य के लिए सचेत करते हुए शासन के कारण बताओ नोटिस सं0-441/9-1-20-53 रिट/2019, दिनांक 28-04-2020 को निरस्त करते हुए अध्यक्ष के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों को बहाल किया गया है।

जिलाधिकारी, मऊ एवं मण्डलायुक्त, आजमगढ़ को प्रश्नकर्ता द्वारा जनहित की समस्याओं से सम्बन्धित प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में

119-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मण्डलायुक्त, आजमगढ़ तथा जिलाधिकारी, मऊ को जनहित की समस्याओं से सम्बोधित पत्र सं0-ख-6-नं0-640038 640199, 640183, 640176 तथा पत्र सं0-ग-6-नं0-301187, 301135, 301061, 301066, 301148, 3013375 तथा ख-6-नं0-640163, दिनांक 27-04-2020 से 27-08-2020 प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी,

मऊ द्वारा किसी पत्र पर कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मण्डलायुक्त, आजमगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, मऊ के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी, मऊ को जनहित की समस्याओं से सम्बन्धित मा0 सदस्य के क्रमशः पत्र सं0-ख-6 नं0-640038, 640199, 640183, 640176, पत्र सं0-ग-6 नं0-301187, 301066 तथा 3013375 प्राप्त हुए हैं, किन्तु पत्र संख्या-301135, 301061, 301148 एवं ख-6 640163 प्राप्त नहीं हुए हैं। जिलाधिकारी, मऊ को मा0 सदस्य के प्राप्त पत्रों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :-

- पत्र सं0-ख-6 नं0-640038 के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, मऊ की आख्यानुसार जिला महिला चिकित्सालय, मऊ में अधीक्षिका के अतिरिक्त मात्र एक नियमित महिला चिकित्सक तैनात है, जिसके द्वारा चिकित्सा कार्य के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। वर्तमान में संविदा पर 02 महिला चिकित्सकों की तैनाती की गयी है, साथ ही जिला महिला चिकित्सालय में समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को चेतावनी निर्गत की गई है कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों को अनावश्यक अन्यत्र सन्दर्भित (स्थानान्तरित) न किया जाय। यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

- पत्र सं0-640199 के सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी, मऊ की आख्यानुसार संदर्भित उचित दर की दुकान के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया, सत्यापन के दौरान फर्जी कार्ड व कार्डों में फर्जी यूनिट संख्या का कोई भी प्रकरण सत्यापन के दौरान प्रकाश में नहीं आया।

- पत्र सं0-640183 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत ग्राम सरायलखन्सी पूर्व तहसील-मऊनाथ भंजन वर्तमान तहसील सदर जनपद-मऊ का कुल क्षेत्रफल 339.846 हे0 है जिसमें से चकबन्दी योग्य कृषिक क्षेत्रफल मात्र 103570 हे0 ही है। इस प्रकार ग्राम के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्रफल 30.74 प्रतिशत है, जो चकबन्दी कराए जाने हेतु निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से कम है। अतः अधिनियम की धारा-4 (2) के अधीन जारी विज्ञप्ति संख्या-4255, दिनांक 15-11-1997 को एतद्द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2013 को निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में ग्राम सरायलखन्सी में चकबन्दी की प्रक्रिया नहीं चल रही है।

- पत्र सं0-640176 के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, घोसी जनपद-मऊ की आख्यानुसार ग्राम खानपुर बुजुर्ग परगना व तहसील घोसी, जनपद मऊ में स्थित आराजी

संख्या-396 मौके पर खड़न्जा (चकमार्ग) बना हुआ है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खड़न्जा (चकमार्ग) पत्थर नसब से पूर्व का बना है। वर्तमान में कोई स्थलीय परिवर्तन नहीं हुआ है। सम्बन्धित वाद में सिविल जज जू0डि0 मऊ के न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 07-9-2021 तक प्रभावी है।

- पत्र सं0-ग-6 नं0-301187 के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, मोहम्मदाबाद गोहना द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रकरण की जाँच तहसीलदार, मोहम्मदाबाद गोहना से करायी गयी। जाँच आख्या राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की टीम गठित कर ग्राम खलिसा के चकमार्ग संख्या-893899 व नाली संख्या-894 का सीमांकन अगलबगल के काश्तकारों तथा ग्राम प्रधान व पुलिस बल की उपस्थिति में कराया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पूर्व में किया गया सीमांकन सही पाया गया।

- पत्र सं-301066 के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, मऊ द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार जिला महिला चिकित्सालय, मऊ के पश्चिमी गेट का निर्माण नगर पालिका परिषद् मऊनाथ भंजन द्वारा करा दिया गया है। जिला महिला चिकित्सालय, मऊ के नवनिर्मित भवन में मरीजों का आवागमन पश्चिमी गेट से सुचारु रूप से चालू है।

- पत्र संख्या-3013375 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ प्रखण्ड आजमगढ़ के अनुसार छोटी सरयू ड्रेन में जगह-जगह जंगली पेड़ गिरे हुए हैं तथा जगह-जगह जलकुम्भी भरी हुयी है जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया था, इस ड्रेन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पूर्व में इस ड्रेन में पानी का बहाव ठीक ढंग से हो रहा था। मा0 जनप्रतिनिधि की मांग पर पुनः छोटी सरयू ड्रेन के रेस्टोरेशन/सिल्ट सफाई का कार्य आंशिक रूप से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नवगठित नगर पंचायत भानपुर में जल निकासी हेतु भानपुर गांव के दक्षिण में बेड़ा नाले तक नाले के निर्माण के सम्बन्ध में

120-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने से अनुसूचित जाति आबादी सोनकर आदि मोहल्ले में तथा गांव के अन्दर जाने वाले मार्ग पर जल जमाव बना रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु भानपुर गांव के दक्षिण तरफ स्थित बेड़ा नाले तक नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 05-12-2019 द्वारा नगर पंचायत, भानपुर, जनपद-बस्ती का गठन किया गया है। नवसृजित नगर पंचायत, भानपुर के कतिपय क्षेत्र में जल जमाव की कुछ समस्या है।

जी हाँ।

नवसृजित नगर पंचायत, भानपुर में जल निकासी का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बजाज शुगर मिल कुन्दरकी गोण्डा पर गन्ना किसानों का सम्पूर्ण भुगतान शीघ्र कराने विषयक

121-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजाज शुगर मिल कुन्दरकी गोण्डा तथा दि शिम्भावली शुगर मिल चिलकरिया बहराइच पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गन्ना मूल्य भुगतान के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? क्या सरकार वर्ष 2019-2020 पेराई सत्र के गन्ने मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 10-08-2021 की अद्यतन स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, कुन्दरकी, जिला-गोण्डा एवं सिम्भावली शुगर्स लि0, इकाई-चिलवरिया, जिला-बहराइच पर कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है। पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, कुन्दरकी, जिला-गोण्डा एवं सिम्भावली शुगर्स लि0, इकाई-चिलवरिया, जिला-बहराइच पर क्रमशः रु0 209.59 करोड़ एवं रु0. 103.95 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। पेराई सत्र 2020-21 के अन्तर्गत अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु प्रश्नगत चीनी मिलों को दिनांक 11-01-2021 को नोटिसें निर्गत की गईं। साथ ही विभिन्न स्तर पर गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा बैठक के माध्यम से भी चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण अध्यासी चीनी मिल चिलवरिया के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। पेराई सत्र 2019-20 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रेसमड चीनी मिल तिलहर में प्रेसमड उत्पादन व वितरण में भ्रष्टाचार की जांच विषयक

122-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 07-8-19 एवं 05-9-19 जो प्रेसमड चीनी मील तिलहर में प्रेसमड उत्पादन तथा

वितरण में भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 07-08-2019 के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2127/यू0पी0एफ0/1691/ शि0प्र0, दिनांक 26-8-2019 द्वारा श्री अरुण निगम, प्रधान प्रबन्धक (एस0टी0) को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया, दूसरा पत्र दिनांक 05-09-2019 पत्र दिनांक 07-08-2019 के समान ही है। उक्त जाँच अधिकारी से जांच आख्या दिनांक 17-09-2019 को प्राप्त हुई, जिसके क्रम में प्रकरण की और अधिक गहराई से छानबीन हेतु दो अधिकारियों की एक समिति चीनी मिल्स संघ कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2268/यू0पी0एफ0/1691/शि0प्र0, दिनांक 08-11-2019 द्वारा गठित की गयी, जिसमें श्री प्रताप नारायण, प्रधान प्रबन्धक एवं श्री सुधीर कुमार सोनकर, उप प्रबन्धक (आडिट) को जाँच हेतु निर्देशित किया गया। सन्दर्भित समिति की जाँच आख्या दिनांक 20-12-2019 को प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर कुल 17 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, चीनी मिल्स संघ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3012/ यू0पी0एफ0/1691 /शि0प्र0, दिनांक 10-02-2021 द्वारा संस्थित की गई, जिसमें श्री आजाद भगत सिंह (पी0सी0एस0), प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल लि0, सम्पूर्णानगर खीरी को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जिसमें दिनांक 01-03-2021 को प्राप्त रिपोर्ट में कुल 06 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये गये, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पृथक-पृथक दण्डादेश पारित करते हुए दण्डित किया गया है एवं सहकारी चीनी मिल, तिलहर का कुल रु0 1,29,948/- की आर्थिक क्षति का आकलन कर उपरोक्त 06 अधिकारियों/ कर्मचारियों से समानुपातिक रूप से वसूली हेतु निर्देश दे दिया गया है। तद्नुरूप सम्बन्धित पत्रों के क्रम में समुचित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड रोहनियाँ ग्राम पंचायत इरौरा के बअऊपुर में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

123-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियाँ के ग्राम पंचायत इरौरा के बअऊपुर में कोई पक्का रास्ता नहीं होने के कारण गाँव के लोगों को आवागमन में परेशानी के दृष्टिगत को रानीगंज होते हुए 700 मीटर सड़क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड-रोहनियाँ के ग्राम पंचायत "इरौरा के बअऊपुर" का नाम "इटौरा के बछऊपुर" है। इटौरा बुजुर्ग राजस्व ग्राम है, जिसका मजरा बछऊपुर है। मजरा बछऊपुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 0.500 किमी0 व लागत रु0 32.78 लाख का आगणन गठित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी की अमिला से अजमतगढ़ तथा नदवासराय से जीयनपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने विषयक

124-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-12-2020 जो जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी की अमिला से अजमतगढ़ तथा नदवासराय से जीयनपुर तक का सड़क का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में विकास खण्ड बडराँव के अन्तर्गत अमिला-अजमतगढ़ मार्ग (अ0जि0मा0, लम्बाई 12.50 किमी0) पर यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 6744 है। उक्त मार्ग के 02 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की आंकलित लागत लगभग रु0 2872.03 लाख है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नदवासराय से जीयनपुर मार्ग (अ0जि0मा0, लम्बाई 6.40 किमी0) पर यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 3742 है, जो 02 लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक 6000 से कम है। अतः उक्त मार्ग का 02 लेन में चौड़ीकरण कराया जाना निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-2020 जो मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के इन्दारा रेलवे क्रासिंग पर आर0 ओ0 बी0 के निर्माण से संबंधित है, पर कृत कार्रवाई की जानकारी

125-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-12-2020 जो मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के इन्दारा रेलवे क्रांसिंग पर आर0ओ0बी0 के निर्माण कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद मऊ में विधान सभा क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत मऊ-इन्दारा मंझवारा मार्ग (अ0जि0मा0) पर मऊ इन्दारा रेल सेक्शन के अन्तर्गत किमी0 60/5 में सम्पार संख्या-4सी पर टी0वी0यू0 64598 है, जो एक लाख से कम है। उक्त आर0ओ0बी0 रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है, जिस कारण रेलवे द्वारा उक्त रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की लागत में सहभागिता नहीं की जायेगी। अतः उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरा के अन्तर्गत तमसा नदी पर गोदाम घाट के पास पुल निर्माण विषयक

126-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक रतनपुरा अन्तर्गत तमसा नदी पर गोदाम घाट के पास पुल निर्माण कराने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-2020 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद-मऊ में प्रस्तावित स्थल पर विकास खण्ड-रतनपुरा, ग्राम-पिपरसाथ के निकट गोदामघाट पर पीपे के पुल का निर्माण कार्य हेतु रु0 33.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू-मंझनपुर मार्ग से ग्राम असकरनपुर-मंगरोहनी सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराने विषयक

127-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू-मंझनपुर मार्ग से ग्राम असकरनपुर-मंगरोहनी सम्पर्क मार्ग संकरा एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का ग्राम स्थित अति प्राचीन शिवालय तक का चौड़ीकरण कर मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद कौशाम्बी में सिराथू-मंझनपुर मार्ग से ग्राम असकरनपुर-मंगरोहनी सम्पर्क मार्ग (कुल लम्बाई 1.10 किमी0) ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो लो0नि0वि0 के स्वामित्व में है। इस

मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जो सुगम यातायात हेतु उपयुक्त है। उक्त मार्ग का यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) 652 है, जो चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक से कम है। अतः अपेक्षित पी0सी0यू0 न होने के कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है। असकरनपुर-मंगरोहनी मार्ग के चैनेज 0.600 किमी0 से दाहिने और प्राचीन शिवालय तक मार्ग की लम्बाई 0.375 किमी0 है, जिसका स्वामित्व नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर का है। अतः इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली बाजार में सोलर लाइटों की रिपेयरिंग के सम्बन्ध में

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली बाजार में लगायी गयी सोलर लाइट अधिकांश संख्या में खराब हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सोलर लाइटों की रिपेयरिंग करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

नगर पंचायत रुधौली बाजार द्वारा खराब सोलर लाइटों का चिन्हांकन कराकर रिपेयर योग्य सोलर लाइटों का रिपेयर कार्य कराया जा रहा है।

जनपद बस्ती में संचालित सहारा बैंक द्वारा किसानों की जमा धनराशि को उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाकर वापस कराये जाने विषयक

129-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में संचालित सहारा बैंक द्वारा किसानों की जमा धनराशि वापसी में सहारा बैंक कर्मियो के द्वारा जमाकर्ताओं को उन्हीं का जमा पैसा बैंक द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच कराकर सहारा बैंक में जमाकर्ताओं के जमा धनराशि को वापस करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

1-मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सहारा अपनी सम्पत्ति का विक्रय कर सकती है, परन्तु विक्रीत धनराशि सहारा-सेबी एकाउन्ट में जमा किया जायेगा।

2-वर्तमान में कोरोना महामारी एवं लम्बी अवधि तक लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में अवरोध होने की परिस्थितियां विद्यमान रहने के कारण निवेशकर्ताओं की निवेशित

धनराशि के भुगतान में देरी अवश्य हो रही है, परन्तु उन्हें भुगतान से इन्कार नहीं किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित चिड़ियाघर के गेट नं0-1 के बगल गेट नं0-2 डी0जी0पी0 आवास के जर्जर मार्ग को सी0सी0 रोड बनाने विषयक

130-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित चिड़ियाघर के गेट नं0-1 के बगल से गेट नं0-2 (डी0जी0पी0 आवास) को जाने वाला सीमेन्टेड ईंटों का रास्ता जर्जर एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को सी0सी0 मार्ग बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

सड़क के आंशिक भाग में सीवर लाइन डाली गयी थी, जिसका सुधार कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस में सादाबाद-राया मार्ग से गांव नगला हरनाम से एदलपुर तक सड़क पर जलभराव से सम्बन्धित

131-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में सादाबाद-राया मार्ग से गांव नगला हरनाम होते हुए एदलपुर तक सड़क का वर्ष 2020 में मरम्मतीकरण कार्य अधोमानक होने के कारण उक्त सड़क पर स्थित गांव नगला हरनाम में अभी भी जलभराव की समस्या है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, आबादी भाग में कोई कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020 में नहीं कराया गया है। जनपद हाथरस में सादाबाद-राया मार्ग से गांव नगला हरनाम होते हुए एदलपुर मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 1.400 किमी0 है। इस मार्ग पर माह मार्च, 2015 में नवीनीकरण का कार्य सम्पादित कराया गया था। उसके उपरान्त कोई कार्य नहीं हुआ है। मार्ग के किमी0 01 में नगला हरनाम की घनी आबादी है। स्थानीय घरों का पानी मार्ग पर आने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस घनी आबादी भाग में पानी निकासी की कोई

व्यवस्था नहीं है। इसलिए आबादी के इस भाग में सीमेन्ट कंक्रीट रोड का प्राविधान करते हुए कार्य की आंकलित लागत रु0 26.17 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति की जांच व दोषी तत्कालीन निदेशक को निलम्बित करने विषयक

132-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-02-2020 जो उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर के वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति वर्ष 2015 में मण्डलायुक्त सहारनपुर की जांच आख्या दिनांक 09-03-2018 द्वारा तत्कालीन प्रभारी निदेशक को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करने विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

आपके संदर्भित पत्र दिनांक 14-02-2020 पर प्रभारी निदेशक के विरुद्ध तत्समय की गयी कार्यवाही से आपको पत्र संख्याः वि0स0-06/46-1-2020, दिनांक 27-02-2020 के द्वारा अवगत कराया गया है। अद्यतन स्थिति यह है कि प्रभारी निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर तत्कालीन प्रभारी निदेशक सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर को अपर निदेशक के प्रारम्भिक वेतनमान रु0 37400-67000 (ग्रेड वेतन रु0 8900/-) पर प्रत्यावर्तित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति की जांच व दोषी तत्कालीन निदेशक को निलम्बित करने विषयक

133-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या- ख-6 नं0 250338 तथा 430494 क्रमशः दिनांक 8-4-2019 एवं 26-7-2019 जो उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर में तत्कालीन प्रभारी निदेशक द्वारा वैज्ञानिकों की भर्ती

नियम के विरुद्ध करने के सम्बन्ध में है, विशेष सचिव चीनी उद्योग अनुभाग-1 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

मा0 सदस्य द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 8-4-2019 एवं 26-7-2019 के सम्बन्ध में प्रभारी निदेशक, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 30-10-2020 द्वारा तत्कालीन प्रभारी निदेशक सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर को अपर निदेशक के प्रारम्भिक वेतनमान रु0 37400-67000 (ग्रेड वेतन रु0 8900/-) पर प्रत्यावर्तित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी है, से मा0 सदस्य को पत्र संख्याः 1901/46-1-20-20(11)/2016, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर से सेवानिवृत्त लिपिक के सभी देयकों के भुगतान विषयक

134-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजनीश बाबू पुत्र स्व0 वेद प्रकाश तोल लिपिक के पद पर दिनाक 30-01-19 को किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर से सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हाँ, तो उन्हें सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सेवानिवृत कर्मचारी के देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ, जिसका मदवार भुगतान विवरण निम्न प्रकार है :-

1-जी0आई0एस0 रु0 41536.00 का भुगतान चेक संख्या-022589, दिनांक 07-05-2019 के द्वारा किया जा चुका है।

2-भविष्य निधि (पी0एफ0) की अवशेष धनराशि 119000.00 का भुगतान चेक संख्या-003874, दिनांक 17-02-2021 द्वारा किया गया है।

3-ग्रेच्युटी की कुल धनराशि रु0 263303.00 में से रु0 2000.00 अग्रिम समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि रु0 261303.00 का भुगतान 1-चेक संख्या-00891, दिनांक 08-6-2019 रु0 100000.00, 2-चेक संख्या-000015, दिनांक 17-02-2021 रु0 161303.00 का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार इनकी सम्पूर्ण देय ग्रेच्युटी

का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार श्री रजनीश बाबू गुप्ता के समस्त सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में कोई भुगतान शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली बस्ती के रामनगर में जनपद बस्ती व गोण्डा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

135-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के रामनगर अन्तर्गत जनपद बस्ती व जनपद गोण्डा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में कुआनो नदी पर स्थित बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल निर्माण न होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कुआनो नदी पर स्थित बाढूघाट व पगारेघाट पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के रामनगर अन्तर्गत जनपद बस्ती व जनपद गोण्डा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में कुआनो नदी पर स्थित बाढूघाट पर 80 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 25-02-2021 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य प्रगति पर है। प्रश्न में उल्लिखित पगारेघाट से लगभग 12 किमी0 अपस्ट्रीम में 3 x 25 मी0 स्पान का 79.48 मी0 लम्बा अड़वाघाट सेतु तथा लगभग 22 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में 3 x 25 मी0 स्पान का 79.48 मी0 लम्बा अइलाघाट सेतु निर्मित है। कुआनो नदी पर पगारेघाट-करमहिया मार्ग के पगारेघाट पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के श्याम नगर में क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण विषयक

136-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या ख-6 नं0-725784, दिनांक 11-01-2021 जो जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्र श्याम नगर में सड़क

क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरान्त धनराशि रु0 8,02,100.00 का आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी में जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण विषयक

137-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला द्वारिकापुरी में चन्द्रपाल के घर से हीरा सिंह के घर तक की गली ऊबड़-खाबड़ एवं जर्जर/ क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को हो रही कठिनाइयों विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-6 नं0-505094, दिनांक 11-01-2021 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य का आगणन धनराशि रु0 3,28,212.00 स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद चौराहे से बम्बा बाईपास मार्ग पर ककरऊ कोठी तक हाई-वे पर प्रकाश की व्यवस्था कराने विषयक

138-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद चौराहे से बम्बा बाईपास मार्ग पर ककरऊ कोठी तक हाई-वे मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था न होने से उक्त मार्ग पर अंधेरा होने के कारण गुजरने वाले वाहनों तथा व्यक्तियों के साथ दुर्घटना घटित होती रहती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

मार्ग दुर्घटना हेतु एक निश्चित कारण (मार्ग प्रकाश का अभाव) को ही स्पष्ट रूप से इंगित करना सम्भव नहीं है। यद्यपि इस विषय में सायं 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के मध्य उपरोक्त मार्ग पर घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1- प्रश्नगत हाई-वे मार्ग पर पुलिस थाना उत्तर फिरोजाबाद स्थापित है। विगत एक वर्ष में थाना उत्तर क्षेत्र ककरऊ कोठी से बम्बा चौराहे के मध्य दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 15 अगस्त, 2021 तक मार्ग प्रकाश के अभाव में कुल 06 एक्सीडेन्ट हुये हैं, जिसमें से 05 व्यक्ति घायल एवं 01 व्यक्ति की मृत्यु तथा 03 वाहन क्षतिग्रस्त हुये हैं। घटना की एफ0आई0आर0 संबंधित थाने में पंजीकृत है।

2- प्रश्नगत हाई-वे मार्ग पर पुलिस थाना रामगढ़, फिरोजाबाद स्थापित है। थाना रामगढ़ क्षेत्र में लालपुर की पुलिया से बम्बा बाईपास महादेव नगर के नाले की पुलिया तक माह जुलाई, 2020 से 15 अगस्त, 2021 तक मार्ग प्रकाश के अभाव में कुल 01 एक्सीडेन्ट की घटना घटित हुयी है, जिसमें 01 मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हुयी है, लेकिन घटना स्थल पर कोई जनहानि नहीं हुयी है। घटना की एफ0आई0आर0 सम्बन्धित थाने में पंजीकृत है।

3- प्रश्नगत हाई-वे मार्ग पर पुलिस थाना, रसूलपुर, फिरोजाबाद स्थापित है। थाना रसूलपुर क्षेत्र में एन0एच0-2 आसफाबाद चौराहा को छोड़कर आसफाबाद चौराहे से लालपुर की पुलिया तक माह जुलाई, 2020 से 15 अगस्त, 2021 तक कोई एक्सीडेन्ट की घटना घटित नहीं हुयी है। जलेसर रोड आसफाबाद चौराहे से बम्बा बाईपास मार्ग पर ककरऊ कोठी तक हाई-वे मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रश्नगत कार्य कराया जाना धन की उपलब्धता एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 08-06-2020 आई0जी0आर0एस0सं0 18157200028984 पर कार्यवाही विषयक

139-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् उ0प्र0 का पत्र दिनांक 8-6-2020 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18157200028984 जोकि आरोपी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही का शासनादेश के आलोक में समयबद्ध पूर्ण कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम कानपुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए निदेशक, नगर निकाय निदेशालय के आदेश संख्या-8334/रा0नि0/ 199-वै0पत्रा0 /17, दिनांक 12-07-19 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गयी है।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में राजस्व निरीक्षक पद पर चयन के समय प्रस्तुत शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से कराया गया, जिसमें उसके शैक्षिक अभिलेख पुष्टित पाये गये।

अपचारी कार्मिक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा शिक्षा विभाग में की गयी पूर्व सेवा के संबंध में ज्ञात किए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा के पत्रांक-सत्यापन/ 3201-2/2020-21, दिनांक 31-08-2020 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी। आख्या में अपचारी कार्मिक द्वारा सहायक अध्यापक की नियुक्ति के समय प्रस्तुत शैक्षिक अभिलेख-बी0ए0 (वोकेशनल) एवं बी0एड0 (प्रशिक्षण) की दोनों अंक तालिकायें नितान्त कूट रचित एवं फर्जी होने के आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा उनकी सहायक अध्यापक के पद पर की गयी अस्थाई नियुक्ति को निरस्त किये जाने की सूचना दी गयी है। तद्क्रम में अपचारी कार्मिक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति के समय उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रस्तुत आवेदन में झूठी घोषणा अंकित करने तथा पूर्व में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के निरस्तीकरण संबंधी तथ्यों को छिपाये जाने हेतु श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह को निदेशालय के पत्र संख्या-पी0ए0/140/आरोपपत्र/एफ0ए0ओ0/2020, दिनांक 15-09-2020 द्वारा आरोप पत्र तामील करा दिया गया है। प्रकरण में विभागीय जाँच शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

प्रदेश के चीनी मिल तिलहर में उत्पादन व वितरण में भ्रष्टाचार की जाँच विषयक

140-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 23-12-19 जो किसान सरकारी चीनी मिल तिलहर में भ्रष्टाचार विषयक है ? विशेष सचिव चीनी उद्योग अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 23-12-2019 प्राप्त होने के पूर्व समान पत्र दिनांक 07-08-2019 पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 सहकारी

चीनी मिल्स संघ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2127/ यू0पी0एफ0/1691/शि0प्र0 दिनांक 26-08-2019 द्वारा श्री अरुण निगम, प्रधान प्रबन्धक (एस0टी0) को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त जाँच अधिकारी से जाँच आख्या दिनांक 17-09-2019 को प्राप्त हुई, जिसके क्रम में प्रकरण की और अधिक गहराई से छानबीन हेतु दो अधिकारियों की एक समिति चीनी मिल्स संघ कार्यालय ज्ञाप संख्या-2268/यू0पी0एफ0/1691/शि0प्र0 दिनांक 08-11-2019 द्वारा गठित की गयी, जिसमें श्री प्रताप नारायण, प्रधान प्रबन्धक एवं श्री सुधीर कुमार सोनकर, उप प्रबन्धक (आडिट) को जाँच हेतु निर्देशित किया गया। सन्दर्भित समिति की जाँच आख्या दिनांक 20-12-2019 को प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर कुल 17 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, चीनी मिल्स संघ के कार्यालय, ज्ञाप संख्या-3012/यू0पी0 एफ/1691/शि0प्र0 दिनांक 10-2-2021 द्वारा संस्थित की गई, जिसमें श्री आजाद भगत सिंह, (पी0सी0एस0) प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल लि0, सम्पूर्णानगर, खीरी को जाँच अधिकारी नामित किया गया, जिसमें दिनांक 01-03-2021 को प्राप्त रिपोर्ट में कुल 06 अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये गये, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पृथक-पृथक दण्डादेश पारित करते हुए दण्डित किया गया है एवं सहकारी चीनी मिल, तिलहर का कुल रु0 1,29,948/- की आर्थिक क्षति आँकलित कर उपरोक्त 06 अधिकारियों/कर्मचारियों से समानुपातिक रूप से वसूली हेतु निर्देश दे दिया गया है। तद्नुरूप सम्बन्धित पत्रों के क्रम में समुचित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 15-10-2020 आई0जी0आर0एस0सं0 181572600060902 पर कार्यवाही विषयक

141-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 आई0जी0आर0एस0 सम्दर्भ सं0-181572600060902 जो जनपद मऊ की नगर पंचायत मधुबन में विकास सम्बन्धी कार्यों में की जा रही अनियमितताओं विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

श्री धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18157200060902 प्राप्त है। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जाँच उप जिलाधिकारी, मधुबन तथा त्रिसदस्यीय संयुक्त समिति-खण्ड विकास

अधिकारी, फतेहपुर मण्डॉव, अवर अभियन्ता, आर0ई0एस0 एवं अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से करायी गयी। जाँच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू, ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में आम के बाग को अवैध रूप से काटे जाने की जांच कराने विषयक

142-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी की आराजी संख्या-345, रकबा 0.183 हेक्टेयर में स्थित पुरानी आम की बाग को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी आराजी संख्या-345 रकबा 0.183 हेक्टेयर में दिनांक 30-05-2019 को 02 अदद् कलमी आम एवं दिनांक 26-12-2020 को 01 अदद् कलमी आम के वृक्षों का अवैध पातन पाया गया। उक्त 02 अदद् कलमी आम के वृक्षों का अवैध पातन के मामलें में गप्पू श्रीवास्तव पुत्र गिरजा श्रीवास्तव निवासी मंगरोहनी के विरुद्ध सिराथू रेंज केस संख्या-03/2019-20 दिनांक 30-05-2019 इजरा कर ई-3 संख्या-04/021486, दिनांक 06-07-2019 द्वारा रु0 12,000.00 प्रतिकर वसूला गया। उक्त 01 अदद् कलमी आम के वृक्ष का अवैध पातन के मामले में संतोष पुत्र मोहन लाल निवासी मंगरोहनी के विरुद्ध सिराथू रेंज के संख्या-27/2020-21 दिनांक 26-12-2020 इजरा कर ई-3 संख्या-07/021747 दिनांक 01-01-2021 द्वारा रु0 8,000.00 प्रतिकर वसूल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महामायानगर, तकरोही, इंदिरा नगर म0नं0-53,54,55 के पास सड़क का नव निर्माण व पार्क में अवैध निर्माण न होना सुनिश्चित कराने विषयक

143-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के महामायानगर तकरोही इन्दिरा नगर स्थित मकान सं0-53, 54, 55 के सामने स्थित पार्क के चारों तरफ की जर्जर गड्ढेदार सड़क का नव निर्माण तथा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत कॉलोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसायटीज द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कालोनी है, जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अनियोजित रूप से बसायी गयी कालोनी में प्राथमिक दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर का ही होता है। प्राइवेट कालोनी में किसी भी प्रकार का विकास कार्य कराये जाने का नगर निगम का दायित्व नहीं है, किन्तु जनहित को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते है। वर्तमान समय में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। जहाँ तक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल पर 03 विद्युत पोल मय एल0ई0डी0 फिटिंग सहित व पार्क के अन्दर 01 सेमीहाईमास्ट लगाकर मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के क्षेत्र मौहल्ला जैन नगर खेड़ा में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर गली व नाली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक संख्या क-6 505095 दिनांक 11/01/2021 पर कार्यवाही विषयक

144-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्र मौहल्ला जैन नगर खेड़ा में चन्द्रशेखर स्कूल से सिंह साहब तक की गली व नाली क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने के कारण नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6 505095 दिनांक 11/01/2021 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य का आगणन धनराशि रु0 3,32,670.00 स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

145-श्री मनीष असीजा-

[02 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0- 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर निगम फिरोजाबाद के क्षेत्र में गलियाँ क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक संख्या क-6 505086 दिनांक 12/01/2021 पर कार्यवाही विषयक

146-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्र में शिवधाम मैरिज होम से प्रवीन के घर तक की गलियाँ क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क-6 505086 दिनांक 12/01/2021 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल के निरीक्षणोपरांत अवर अभियंता द्वारा सम्पूर्ण कार्यों का आगणन (तीनों भागों में) क्रमशः धनराशि रुपया- 18,11,800.00 एवं रुपया- 9,98,400.00 तथा रु0-13,83,500.00 का तैयार किया गया है। 15वें वित्त आयोग से नगर निगम, फिरोजाबाद को प्राप्त होने वाली धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद की बैठक दिनांक 15-02-2021 में मोहल्ला श्रीराम कॉलोनी में चॉदनी धाम मंदिर वाली गली से अरविन्द पाल सिंह के मकान से होते हुये वकील साहब के मकान तक कच्ची गली में आर0सी0सी0 नाली व कलर्ड स्ट्रिप के साथ इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 13,83,500.00 का आगणन स्वीकृत है। उक्त कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ईट पकाई भट्ठा/ उद्योग को पुनः सुचारू रूप से संचालित कराये जाने पर विचार करने विषयक

147-श्री मनीष असीजा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट पकाई उद्योग पर रोक होने से ईट पकाई भट्ठों/उद्योग से सम्बन्धित लोगों/मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ईंट पकाई भट्ठा/ उद्योग को पुनः सुचारू रूप से संचालित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में नियमानुसार विधि मान्य रूप से स्थापित एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त ईंट पकाई उद्योगों पर सरकार द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। यद्यपि मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ईंट भट्ठों के संबंध में पारित आदेशों का अनुपालन अवश्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गयी प्रमुख जिला मार्ग, राज्य मार्ग व अन्य मार्गों की सड़कों के नवीनीकरण मानक व उनकी भार क्षमता बढ़ाने पर विचार विषयक

148-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गयी ग्रामीण जिलानुमार्ग (ओ0डी0आर0) प्रमुख जिला मार्ग, राज्य मार्ग, व राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सड़कों के नवीनीकरण का मानक क्या है ? क्या सरकार बढ़ते ट्राफिक व गाड़ियों के भार क्षमता के दृष्टिगत सड़कों के नवीनीकरण के वर्ष के मानकों को घटाने व अधिक भार क्षमता वाली सड़कों को निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण के मानक श्रेणीवार निम्नवत है :

1- राज्य मार्ग- 04 वर्ष

2- प्रमुख जिला मार्ग 04 वर्ष

3- अन्य जिला मार्ग 05 वर्ष

4- ग्रामीण मार्ग- 08 वर्ष

5- राष्ट्रीय राज्य मार्ग की सड़कों के नवीनीकरण के मानक भारत सरकार के मोर्थ मंत्रालय द्वारा तय किये जाते हैं।

मार्गों का निर्माण आई0आर0सी0 के दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुसार कराया जाता है। यदि कोई मार्ग नवीनीकरण चक्र से पूर्व क्षतिग्रस्त होता है तो ऐसे मार्ग पर नवीनीकरण वर्ष में शिथिलता प्रदान करते हुये विशेष मरम्मत मद में कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पालिका परिषद् ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद की मलिन बस्तियों में सड़क व नाली निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत करने विषयक

149-श्री नवाब जान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पालिका परिषद् ठाकुरद्वारा की मलिन व अल्पसंख्यक बस्तियों में

इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी प्रथम व द्वितीय किश्त का अंश भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्गत किया जा चुका है किन्तु अवशेष धनराशि के अभाव में कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि निर्गत कर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद मुरादाबाद की नगर पालिका परिषद, ठाकुरद्वारा में इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित कुल 09 परियोजनाओं हेतु रु0 520.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 260.47 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 24/06/2016 द्वारा अवमुक्त की गयी। उक्त 09 परियोजनाओं में से 03 परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रु0 104.495 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 23/02/2018 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। शेष 06 परियोजनाओं की अवशेष धनराशि हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के निःसंवर्गीय कार्मिक/ओ0एस0डी0 को अन्य वरिष्ठ कार्मिकों की भांति उच्च वेतनमान दिये जाने विषयक

150-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग 3 की सं0क0नि03 सी0एम081/11-2007-400(52)/94-1 दिनांक 08 अप्रैल, 2008 द्वारा निःसंवर्गीय अस्थाई पद पर तैनात कार्मिक/ओ0एस0डी0 को उच्च वेतनमान दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि विभाग में तैनात अन्य निःसंवर्गीय वरिष्ठ कार्मिक/ओ0एस0डी0 को उक्त वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य निःसंवर्गीय कार्मिक/ ओ0एस0डी0 को भी उच्च वेतनमान देगी ? यदि हां, ता कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

शासन द्वारा विशेष कार्याधिकारी का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सरकार में निःसंवर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मियों का अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति समान वेतनमान की सुविधा दिये जाने पर विचार विषयक

151-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के वेतन समिति की संख्या-वे0आ0 2-1313/दस-54 (एम)/2008 के दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के पैरा-40 में निःसंवर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मियों का अन्य राज्य कर्मचारियों के समान वेतन मान की सुविधा देने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

संकल्प संख्या- वे0आ0-2-1313/दस-54 (एम)/2008 के दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में प्रस्तर- 40 का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में लोक निर्माण विभाग के अधीन जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

152- श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के अधीन अधिकांश सड़क वर्तमान में जर्जर है ? यदि हाँ, तो उक्त मार्गों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करने की कोई नई कार्य योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

विभाग द्वारा मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर समय-समय पर मरम्मत/ नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की नगर पालिकाओं को भी स्मार्ट नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में

153-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर पालिका के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अद्यतन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 नगर निगमों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

लखनऊ नगर के गणेश बिहार कालोनी (कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर) शंकर पुरवा प्रथम, वार्ड नं0-85, कल्याणपुर से सुअरों को हटवाये जाने विषयक

154-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गणेश बिहार कालोनी (कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर) शंकर पुरवा प्रथम, वार्ड नं0-85, कल्याणपुर में सुअरों द्वारा क्षेत्र में गंदगी फैलाने से बीमारियों की आशंका बनी रहती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिहायशी इलाके से सुअरों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के समय श्री किशोर पुत्र अज्ञात, श्री राम सागर पुत्र श्री दौलतराम, श्री लाला पुत्र श्री किशन कुमार एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश आदि निवासीगण गणेश बिहार, कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर, शंकरपुरवा, प्रथम वार्ड, कल्याणपुर, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से सुअरों को पालकर गंदगी करते पाया गया। उक्त सुअरपालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत दिनांक 06-08-2021 को चालान की कार्यवाही कर चालान सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा सुअरों को अन्यत्र हटायें जाने हेतु दिनांक 09-08-2021 को उपरोक्त सुअर पालकों को नोटिस भेजी गयी, जिसकी प्रतिलिपि संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त/थानाध्यक्ष को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

155-श्रीमती उषा सिरोही-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0- 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के बस्ती विकास प्राधिकरण विकास विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा तय मानकों में व्यावहारिक सुधार कराने के सम्बन्ध में

156-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र बस्ती में बाजार स्ट्रीट के मानक में अधिकतम भू-आच्छादन मात्र 40 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज तथा 25-30 फुट फ्रन्ट बैंक छोड़ने के मानक के कारण कतिपय दुकानों की गहराई मात्र 20 फीट होने से निर्माण के लिए जगह नहीं मिल रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बस्ती विकास प्राधिकरण विकास विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा बनाये गये उक्त मानकों में व्यवहारिक सुधार करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बस्ती विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व विनियमित क्षेत्र, बस्ती द्वारा बस्ती महायोजना- 2021 लागू की गई थी। उक्त महायोजना में बाजार स्ट्रीट के मानक में अधिकतम आच्छादन 40 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज दिया गया है तथा महायोजना मार्ग की चौड़ाई के अनुरूप 6 मीटर से 7.5 मीटर तक (20 फीट से 25 फीट) फ्रन्ट सेट बैक छोड़े जाने का प्राविधान है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में बाजार स्ट्रीट के मानकों में 50 प्रतिशत भू-आच्छादन का प्राविधान है। बस्ती विकास प्राधिकरण की षष्ठम् बोर्ड बैठक दिनांक 21-11-2020 में बस्ती महायोजना एवं विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018, 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) में प्राविधानित "बाजार स्ट्रीट" के मानकों में एकरूपता स्थापित करने हेतु निर्णय लिया गया है कि बाजार स्ट्रीट से संबंधित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उक्त प्राविधानों को नई महायोजना-2031 में समाहित करा लिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के नगर पालिका महमूदाबाद में स्थित माता संकटा देवी मन्दिर के पानी निकास हेतु नाले के लिये धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में

157-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद में स्थित माता संकटा देवी मंन्दिर के तालाब के गन्दे पानी की निकासी हेतु स्वीकृत नाले का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हाँ, तो

क्या सरकार उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि जारी कर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् महमूदाबाद में स्थित माता संकटा देवी मंन्दिर के तालाब के गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना की निर्धारित लागत रु0 305.44 लाख के सापेक्ष रु0 240.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के क्रम में जनपद बांदा के औगासी घाट के सेतु निर्माण को पूर्ण कराने विषयक

158-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के क्रम में क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के औगासी घाट का सेतु दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य में बिलम्ब के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अधूरे सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर यातायात चालू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य का पुनरीक्षित आगणन दिनांक 19-03-2020 को स्वीकृत हुआ है, जिसके पश्चात कोरोना महामारी में लॉकडाउन एवं वर्षा ऋतु में पानी बढ़ने के कारण कार्य बाधित रहा है। माह नवम्बर, 2020 से निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। मार्च, 2021 से पुनः कोविड-19 महामारी के कारण कार्य बाधित रहा है। वर्तमान में सेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अतः विलम्ब के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। सेतु का निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतन लाल नगर स्थित रफाका नाला को ढकने विषयक

159-श्री सुरेंद्र मैथानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतन लाल नगर में स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरने वाले रफाका नाले से पूरे शहर की गंदगी बहती है जो पूरी तरह से खुला होने के कारण छोटे बच्चे और जानवर उक्त नाले में गिर जाते है और आस-पास के क्षेत्र के लोग गंम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नाले को ढकने का कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत नाला बारा सिरोहा, आवास विकास पनकी, सैय्यद नगर कैलाश पुलिया, विजय नगर चौराहा से शास्त्री चौक, रतनलाल नगर एवं हाई वे होते हुये पाण्डु नदी तक जाता है, जिसकी लम्बाई लगभग 10 कि0मी0 है एवं चौड़ाई लगभग 12 से 15 मी0 है। उक्त नाले में प्रश्नगत क्षेत्र से निकलने वाले वर्षा जल एवं घरेलू उत्प्रवाह बहता है। उक्त नाले की सफाई प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर करायी जाती है। नाले की चौड़ाई एवं गहराई अधिक होने के कारण उक्त नाले की सफाई का कार्य पोकलैण्ड मशीन से किया जाता है। उक्त नाला आंशिक रूप से पक्का है, जो ढका नहीं है तथा शेष भाग कच्चा बना हुआ है। नाले की सफाई हेतु नाले को ढका जाना उचित नहीं है। उक्त नाले के पक्के निर्माण एवं सुरक्षा के उपाय करने हेतु लगभग धनराशि रु0 650 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत उक्त धनराशि का व्यय किया जाना संभव नहीं है। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली केन्द्रीय निधि अनुदान की धनराशि टाइड ग्रान्ट के रूप में प्राप्त हुयी है, जिसमें स्टार्म वाटर ड्रेन (नाला निर्माण/नाला सुधार) का कोई मद नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने व कार्यवाही विषयक

160-श्री संजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण प्रयागराज के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी के कौन-कौन से क्षेत्र सम्मिलित है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि इन क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रयागराज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी क्षेत्र के सम्मिलित ग्रामों की सूची संलग्न है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग संज्ञान में आने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जाती है। पुलिस प्रशासन की उपलब्धता की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है। सम्बन्धित थाना अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन की कार्यवाही भी करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में निकायों के उच्चीकरण व नवीन पद सृजन के विवरण विषयक

161-श्री संजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में कितनी निकाय उच्चीकृत एवं कितनी नवसृजित हुई तथा उक्त निकायों में कितने पद सृजन हुए ? क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जनपद कौशाम्बी में अधिसूचना संख्या-1480/नौ-6-2017-06सी0वि0/2016, दिनांक 01-09-2017 द्वारा नगर पंचायत भरवारी को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद् भरवारी तथा अधिसूचना संख्या-1508/नौ-6-2019-6सी0वि0/2007, दिनांक 31-12-2019 द्वारा नगर पंचायत, मंझनपुर को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद, मंझनपुर का अर्थात् कुल 02 नगर पालिका परिषद् का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद कौशाम्बी में अधिसूचना संख्या-2018/9-1-2019-17टी0ए0/17 दिनांक 23-12-2019 द्वारा नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम, अधिसूचना संख्या-2875/9-1-2019-28टी0ए0/2019 दिनांक 31-12-2019 द्वारा नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा बाजार तथा अधिसूचना संख्या-2518/9-1-2020-34 टी0ए0/19 दिनांक 20-12-2020 द्वारा नगर पंचायत चरवा का अर्थात् कुल 03 नगर पंचायतों का गठन किया गया है। प्रत्येक नवसृजित नगर पंचायत में शासनादेश संख्या-668/9-1-2020-08-सा/2020, दिनांक 02-06-2020 तथा शासनादेश संख्या-1032/9-1-21-08सा/20, दिनांक 08-06-2021 द्वारा अधिशासी अधिकारी (नगर पंचायत) 01 पद लिपिक/टैक्स कलेक्टर- 01 पद एवं चपरासी/चौकीदार- 01 पद (आउटसोर्सिंग के आधार पर) का सृजन किया गया है। शासनादेश संख्या-2581/ नौ-9-2020-133ज/20, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 की व्यवस्थानुसार जनपद कौशाम्बी की नवसृजित निकायों में प्रशासक के रूप में प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जनपद कौशाम्बी को नामित किया गया है। अधिशासी अधिकारी के पद का प्रभार निकटस्थ नगर निकायों के

अधिशासी अधिकारी को प्रदान करते हुए सेवाप्रदाता के माध्यम से आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाए ली जा रही है। नवसृजित नगर पालिका परिषद, मंझनपुर एवं नगर पालिका परिषद् भरवारी में पद सृजन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद कौशाम्बी में परियोजना अधिकारी डूडा के विरुद्ध जांच व प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में

162-श्री संजय कुमार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में तैनात परियोजना अधिकारी डूडा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), जनपद कौशाम्बी में तैनात श्री सुधाकान्त मिश्रा, परियोजना अधिकारी डूडा के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त श्री मिश्रा को जनपद कौशाम्बी से हटाकर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), फतेहपुर से सम्बद्ध कर विभागीय जाँच प्रारम्भ कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजनान्तर्गत इनटेकवेल व जोनल पंपिंग स्टेशनों, नलकूपों आदि के रख-रखाव व संचालन हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

163-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 120 एम0एल0डी0 क्षमता का डब्लू0टी0पी0 इनटेकवेल एवं जोनल पंपिंग स्टेशनों, नलकूपों आदि के रख-रखाव एवं संचालन हेतु अनुवंचित फर्म का अनुबंध दिनांक 31/01/2021 को समाप्त हो रहा है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना का रख-रखाव एवं संचालन हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना का संचालन एवं रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य मार्गों (टूलेन/फोरलेन) की मरम्मत/ निर्माण कराने को पूर्व में निर्धारित मानकों में बदलाव करने के सम्बन्ध में

164-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य मार्गों (टूलेन/फोरलेन) के मरम्मत/निर्माण के पूर्व में निर्धारित मानकों में हैवी ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मानकों में वर्तमान में क्या बदलाव किए गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत नये मानकों के अनुरूप करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

आई0आर0सी0 37-2018 लागू होने के उपरान्त क्वैरी क्षेत्र के मार्गों की परिकल्पना हेतु वास्तविक आधार पर व्हीकल डैमेज फैक्टर (वी0डी0एफ0) की गणना एक्सल लोड सर्वे कराकर की जा रही है। तदनुसार मार्गों की डिजाइन करके चौड़ीकरण/सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है।

जी हाँ। (प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-06-2019 संलग्न)[‡]

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना की ग्राम सभा कोतवाली, ब्लॉक कोतवाली व ग्राम भनेडा, ब्लॉक किरतपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने विषयक

165-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना की ग्राम सभा कोतवाली, ब्लॉक कोतवाली एवं ग्राम भनेडा, ब्लॉक किरतपुर को सरकार नगर पंचायत बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06-10-2016 के मानक 2(1) अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए और मानक 2(2) के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त

[‡] देखिये नत्थी (ड) आगे पृष्ठ संख्या–363–364 पर।

अन्य होना चाहिए। जनपद बिजनौर के ग्राम पंचायत कोतवाली देहात की जनसंख्या जनगणना, 2011 के अनुसार मात्र 11666 है तथा ग्राम पंचायत भनेड़ा की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार मात्र 9468 है एवं 55 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त होने के कारण नगर पंचायत गठन हेतु मानक पूर्ण नहीं करती है। अतः उक्त ग्राम कोतवाली देहात एवं ग्राम भनेड़ा को नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद सहारनपुर में दिल्ली यमनोत्री मार्ग से जन्धेडा से भदूनकी वाया पहासपुर विशेष मरम्मत कार्य कराने विषयक

166-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में दिल्ली यमनोत्री मार्ग से जन्धेडा से भदूनकी वाया पहासपुर का विशेष मरम्मत कार्य (अनुबंध संख्या-42 ई0ई0-2017- 18 दिनांक 06-01-2018) कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि से जी0एस0टी0 की कटौती न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का निराकरण कराते हुये मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर में दिल्ली यमनोत्री मार्ग से जन्धेडा से मदूनकी वाया पहांसपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य दिनांक 07-04-2018 को पूर्ण कराया जा चुका है तथा जी0एस0टी0 सहित भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में रामपुर-बडगांव से चक्काली होते हुए मिर्जापुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

167-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में रामपुर-बडगांव से कुराली का विशेष मरम्मत कार्य (अनुबंध संख्या-20 ई0ई0- 2017-18 दिनांक 08-09-2017) कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि से जी0एस0टी0 की कटौती न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का निराकरण कराते हुये मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर में रामपुर-बडगांव से कुराली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य दिनांक 29-12-2017 को पूर्ण कराया जा चुका है तथा जी0एस0टी0 सहित भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में खटकाहैडी-बागाखेड़ी वाया घाटैडा तक मार्ग का निर्माण कराने विषयक

168-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में रामपुर-बडगांव से चक्वाली होते हुये मिर्जापुर तक का विशेष मरम्मत कार्य (अनुबंध संख्या-20 एस0ई0 सहारनपुर 2017-18 दिनांक 30-12-2017) कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि से जी0एस0टी0 की कटौती न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का निराकरण कराते हुये मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर में रामपुर-बडगांव से चकवाली होते हुये मिर्जापुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य दिनांक 15-04-2018 को पूर्ण कराया जा चुका है तथा जी0एस0टी0 सहित भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में खटकाहैडी-बागाखेडी वाया घाटैडा मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य

169-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में खटकाहैडी-बागाखेडी वाया घाटैडा का विशेष मरम्मत कार्य (अनुबंध संख्या-19 एस0ई0 सहारनपुर 2017-18 दिनांक 27-06-2017) कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि से जी0एस0टी0 की कटौती न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का निराकरण कराते हुये मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सहारनपुर में खटकाहेडी-बागाखेडी वाया घाटेडा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य दिनांक 13-02-2018 को पूर्ण कराया जा चुका है तथा जी0एस0टी0 सहित भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा जैम पोर्टल की नियम शर्तों में फेरबदल एवं चहेते ठेकेदार को भ्रष्टाचार कर लाभ पहुँचाने पर कार्यवाही करने विषयक

170-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से जैम पोर्टल की नियम शर्तों में फेरबदल एवं चहेते ठेकेदार को भ्रष्टाचार करते हुये लाभ पहुँचाने के लिये स्वयं की शर्तों को जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-6 505177 दिनांक 16/01/2021 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

नवसृजित नगर पंचायत मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 07-12-2020 के द्वारा आउटसोर्सिंग श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा का प्रकाशन कराया गया था। उक्त प्रकाशित बिड के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोंपरान्त उक्त निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

जनपद बागपत कस्बा छपरौली व समालखा (हरियाणा) के बीच यमुना नदी पर सेतु निर्माण कार्य दोबारा चालू कराने के सम्बन्ध में

171-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के कस्बा छपरौली को समालखा (हरियाणा) से जोड़ने हेतु यमुना नदी पर सेंट्रल रोड्स फंड की लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य की अंतिम तिथि जून, 2021 है का निर्माण कार्य मार्च, 2020 से बन्द है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बागपत के कस्बा छपरौली टांडा मार्ग के कि0मी0 20 से हरियाणा राज्य के समालखा को जोड़ने वाले मार्ग के दोनों राज्यों में पड़ने वाले पहुँच मार्गों तथा यमुना नदी पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत रु0 87.08 करोड़ की निर्गत है। प्रश्नगत कार्य पूर्ण करने की तिथि 26-11-2020 निर्धारित थी। वर्तमान में 40 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। हरियाणा

सरकार द्वारा प्रश्नगत कार्य को दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जिला विकास अभिकरण, फिरोजाबाद में मलिन बस्तियों में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र सं क-6 नं0 452258 दिनांक 19-01-21 पर कार्यवाही विषयक

172-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अभिकरण, फिरोजाबाद की मलिन बस्तियों में नाली एवं इण्टरलॉकिग/सी0सी0 निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018 एवं 2019 में स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किस्त जारी न हो पाने के कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य अधूरे होने से क्षेत्रीय निवासियों को हो रही कठिनाइयों के विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक क-6 नं0-452258 दिनांक 19-01-2021 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 19-01-2021 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के सम्बन्ध में अब तक राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) से प्राप्त द्वितीय किश्त के प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश दिनांक 12-03-2021 द्वारा रु0 86.635 लाख, शासनादेश दिनांक 12-07-2021 द्वारा रु0 190.33 लाख एवं शासनादेश दिनांक 14-08-2021 द्वारा रु0 238.21 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब, इको-कार्डियोग्राफी संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

173-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब, इकोकार्डियोग्राफी स्थापना कर संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद का अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा-3, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्रांक संख्या एफजैडडी/2020/3578 दिनांक 13/1/2021 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में उच्चीकृत किया गया है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में ईको कार्डियोग्राफी मशीन रेडियोलॉजी विभाग में उपलब्ध है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुसार संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद को नियमित चयन द्वारा भरे जाने विषयक

174-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 में निदेशक के रिक्त पद को नियमित चयन द्वारा भरे जाने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

मेरिट आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2019/13(2)2007/ का-1-2019 दिनांक 27-09-2019 में मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था निर्धारित की गयी है, के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में लहना नाले पर सेतु का निर्माण विषयक

175-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-633548 दिनांक 4/3/2020 जो जनपद प्रतापगढ़ में स्थित लहना नाले पर डी0आर0बी0 निर्माण विषयक है। मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रस्तावित सेतु स्थल के 04 कि0मी0 पर अपस्ट्रीम में रमगढ़वा-नरहरपुर मार्ग पर चमरौरा नाला के सत्येश्वरनाथ घाट पर 52.40 मी0 लम्बाई का सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 03 कि0मी0 पर बैजलपुर-पूरे हुड़डा मार्ग पर चमरौरा नाला के पूरे हुड़डा घाट पर 78.50 लम्बाई का सेतु निर्मित है। अतः प्रस्तावित सेतु से 10 कि0मी0 से कम दूरी पर दीर्घ सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी के पत्रांक सं 1397/शिवरि- 2019 दिनांक 7-12-19 क्षेत्र की सीमा विस्तार करने विषयक

176-श्री राजकुमार पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी का पत्रांक 1397/शिविर-2019 दिनांक 7/12/2019 जो विनियमित क्षेत्र-प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार विषयक है प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

विनियमित क्षेत्र, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार विषयक जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के उपरोक्त-पत्र के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी। तत्क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 10-08-2021 के द्वारा विनियमित क्षेत्र, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ग-6 नं0-293453 दिनांक 18-11-19 विषयक डी0एफ0ओ0 प्रतापगढ़ द्वारा व्यापारियों के शोषण व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने व कार्यवाही विषयक

177-श्री राजकुमार पाल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग-6 नं0 293453 दिनांक 18/11/2019 जो डी0एफ0ओ0 प्रतापगढ़ द्वारा व्यापारियों के शोषण व भ्रष्टाचार विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज से कराई गयी, जिसके अनुसार अभिवहन नियमावली, 1978 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अभिवहन शुल्क प्राप्त किया जाता है तथा जनपद प्रतापगढ़ में व्यापारियों द्वारा किसानों से ऑवला क्रय कर अन्य राज्यों को भेजने सम्बन्धी प्रकरण में अभिवहन पास जारी किये जाने/अभिवहन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में स्थापित ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जांच कार्यवाही में सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं को दिनांक 08-06-2020 को शिकायत की जांच में सहयोग हेतु जांच अधिकारी द्वारा बुलाया गया, परन्तु शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। यह आरोप कि अभिवहन शुल्क में घूस लिया जाता है, साक्ष्य विहीन एवं निराधार है तथा शिकायतीपत्र में यह शिकायत कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़ द्वारा सरकारी परिसर में राजनीतिक पार्टी के को-आर्डिनेटरों की खातिरदारी व वन कर्मियों से वसूली की जाती है, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्टी को-आर्डिनेटरों से कोई लेना-देना नहीं है। शिकायत निराधार है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख-6नं0 644787 दिनांक 04-03-20 विषयक जनपद प्रतापगढ़ स्थित चमरौरा नाले पर डी0आर0बी0 पुल बनाने विषयक

178-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0-649787 दिनांक 4/3/2020 जो जनपद प्रतापगढ़ में स्थित चमरौरा नाले पर डी0आर0बी0 पुल बनाने विषयक है मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रस्तावित सेतु स्थल के 04 कि0मी0 पर अपस्ट्रीम में बनसत्ती-निमडभा मार्ग पर चमरौरा नाला पर 104.00 मी0 लम्बाई का सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 05 कि0मी0 पर कंधरपुर-जगेशरगंज मार्ग पर चमरौरा नाला के डुहिया घाट पर 70.88 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है। अतः प्रस्तावित सेतु से 10 कि0मी0 से कम दूरी पर दीर्घ सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज तहसील करछना अंतर्गत ग्राम गधियांव में प्रयागराज मिर्जापुर मुख्य सड़क मार्ग की मरम्मत व डामरीकरण कराने विषयक

179-श्री राजकुमार पाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के तहसील करछना अन्तर्गत ग्राम गधियांव में प्रयागराज-मिर्जापुर मुख्य सड़क पर त्रिलोकी नाथ यादव के घर से धर्मराज द्विवेदी के घर तक 200 मीटर मार्ग की गिट्टी उखड़ गयी है तथा सड़क पर बड़े गड्ढ़े हो गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज करछना के अंतर्गत ग्राम गंधियाव रा0मा0 संख्या-35 के कि0मी0 244 से दायीं ओर स्थित है तथा पुरैनी ग्राम बायीं ओर स्थित है। इसी मार्ग पर श्री त्रिलोकी नाथ यादव एवं श्री धर्मराज द्विवेदी के घर स्थित हैं। प्रश्नगत मार्ग गड्ढ़ामुक्त है एवं यातायात के आवागमन के लिये उपयुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर की सड़कों/नालियों आदि का निर्माण कराने विषयक

180-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय परिसर की सभी सड़के जीर्ण-शीर्ण होने से ट्रामा सेंटर/आकस्मिक विभाग के मरीजों को शिफ्ट करने तथा आईपीडी में भर्ती करने हेतु हो रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु प्रारम्भिक आगणन धनराशि रु0 721.55 लाख का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफजेडड़ी/ 2020/3571 तथा पत्रांक एफ जैड डी/ 2020/3579 दिनांक 13/1/2021 प्रेषित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार परिसर की सड़कों/नालियों आदि का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-205/71-3-2021 दिनांक 25-02-2021 द्वारा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) को चिकित्सालय परिसर के स्थलीय विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन प्लांट की स्थापना कराये जाने पर विचार विषयक

181-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन प्लांट तथा सेन्ट्रल आक्सीजन सिस्टम की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-I/88580/2021/71-1002(099)/19/2021-1, दिनांक 13-08-2021 द्वारा समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन गैस की स्थापना करने तथा पूर्व से स्थापित प्लाटों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के स्तर से केन्द्रीयकृत ई-निविदा प्रकाशित कराकर नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के तहत फर्म के चयन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निर्देश दिए गये है, जिसमें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद भी सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में वर्तमान में सभी बेडों पर सेन्ट्रल आक्सीजन पाइप लाईन की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद संतकबीरनगर में विश्वनाथपुर से नगर पंचायत हरिहरपुर होते हुए महुली तक मार्ग का पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण कराने विषयक

182-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-संत कबीर नगर में विश्वनाथपुर से नगर पंचायत हरिहरपुर होते हुए महुली तक का मुख्य मार्ग वर्तमान में जर्जर एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण एंव चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रशाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के विशेष मरम्मत के कार्य की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 19-01-21 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। कार्य पुर्ण है तथा यातायात हेतु मार्ग सुगम है। मार्ग पर पी0सी0यू0 मानक कम होने के दृष्टिगत मार्ग चौड़ीकरण के मानक में नहीं आता है।

उपयुक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में पेयजल आपूर्ति हेतु बराटा बेसिन योजना द्वारा जलापूर्ति के सम्बन्ध में

183-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पेयजल आपूर्ति हेतु बराटा बेसिन योजना पर कितनी लागत आई तथा उक्त योजना से झांसी के किन-किन मोहल्लों/क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जनपद झांसी में बराटा बेसिन योजना (वर्ष 1991 मे निर्मित की गयी थी) के पुनर्गठन का कार्य अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के माध्यम से कराया गया है। पूर्व मे बंद पड़ी योजना का जीर्णोद्धार कराते हुये तीन नये पम्प हाउस, दो नये बोरिंग, राइजिंग मेन एवं 500 मिमी0 व्यास की 2600 मीटर फीडर मेन बदलने का कार्य तथा बंद पड़े पम्प की मरम्मत आदि का कार्य कराया गया है। उक्त कार्यों में कुल रु0 3.48 करोड़ व्यय हुआ है।

उक्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में लगभग 5000 हाउस कनेक्शन करते हुए पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है :-

1- मेडिकल कॉलेज जोन-21 (पिछौर, गुमनावरा, महाराणा प्रताप नगर, वीरांगना नगर, जे0डी0ए0 कॉलोनी आदि)।

2- कोंछाभांवर जोन-19 (कोंछाभांवर,कुम्हार का कुआ)

3- गुमनावारा जोन-21 (ए) (करगुवां जी क्षेत्र)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में अमृत योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन फिल्टर ओवर हेड टैक का निर्माण कराने विषयक

184-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में अमृत योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन, फिल्टर, ओवर हेड टैंक आदि के कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुयी और कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ और कितने प्रतिशत शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी की शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''

जी हाँ।

जनपद झांसी में अमृत योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन, फिल्टर ओवर हेड टैंक इत्यादि कार्यों हेतु दो चरणों में योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रथम चरण में झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 हेतु शासनादेश दिनांक 20-12-2016 द्वारा रु0 219.51 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष वर्तमान में रु0 113.13 करोड़ का व्यय किया गया है एवं 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। 24 प्रतिशत कार्य शेष है।

द्वितीय चरण में झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-2 हेतु शासनादेश दिनांक 30-10-2016 द्वारा रु0 600.42 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 130.94 करोड़ का व्यय वर्तमान तक किया जा चुका है। फेज-2 योजना के 32 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराये जा चुके है एवं 68 प्रतिशत कार्य शेष है।

जी हाँ।

जनपद झांसी में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 एवं फेज-2 के अवशेष कार्य कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बाधित रहे जो क्रमशः माह जनवरी, 2022 एवं जून, 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक

185-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बातने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचे जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ कारवाई करते हुए उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हाँ।

ग्राम डासना, तहसील व जनपद गाजियाबाद की खतौली 1359 फसली 1360 व 1361 में फर्जीवाड़ा करके ग्राम समाज की भूमि पर प्रेम कुमार आदि एवं कुछ कम्पनियों के नाम जिसके डायरेक्टर श्री प्रेम कुमार बताये जाते हैं, के नाम पर ग्राम समाज की लगभग 410 बीघा जमीन (जिसका कुछ भाग नगर पंचायत डासना की सीमा के अर्न्तगत है,कुछ भाग डासना देहात की सीमा के अन्तर्गत है) दर्ज पायी गयी। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2005 के परिपालन में अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन द्वारा 135 बीघा पुख्ता जमीन पर जांच में एल0एम0सी0 पायी गयी।

उप जिलाधिकारी सदर के आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2005 द्वारा उपरोक्त भूमि एल0एम0सी0 के नाम दर्ज हुई, जिसके विरुद्व भिन्न-भिन्न न्यायालयों में वाद योजित होने के फलस्वरूप मा0 सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उप जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2005 निरस्त कर दिया गया जिसके विरुद्व नगर पंचायत डासना द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-66990/2014 व 66991/2014 योजित की गयी, जो अभी तक विचाराधीन है। नगर पंचायत डासना की सीमा में ग्राम डासना की खतौनी के खसरा नं0-1251 पर 1359 फसली में खेड़ा वीरान दर्ज थी, जिसकी शिकायत दिनांक 19-12-2003 को तत्कालीन अध्यक्ष नगर पंचायत डासना के द्वारा की गयी जिसके सही पाये जाने पर उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 05-01-2004 के द्वारा उक्त भूमि एल0एम0सी0 में दर्ज कर दी गयी। उक्त भूमि पर विभिन्न न्यायालयों में वाद चलने के फलस्वरूप में मा0 राजस्व परिषद् द्वारा उप जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 05-01-2004 निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्व नगर पंचायत डासना द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या- 7594/2012 व 6005/2012 सम्प्रति विचाराधीन है।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत गीगला से जारऊ तक सड़क मरम्मत कराने सम्बन्धित

186-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत गीगला से जारऊ तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नगरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत गीगला से जारऊ मार्ग का नवीनीकरण जून, 2019 में कराया गया है। वर्तमान में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम भानपुर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

187-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण

अनुसूचित जाति बस्ती तथा गांव की सड़कों पर बरसात के दिनों में जल-जमाव से आवागमन में लोगों को अत्यन्त परेशानी होती हैं? यदि हां तो ग्राम भानपुर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 05-12-2019 द्वारा नगर पंचायत, भानपुर, जनपद-बस्ती का गठन किया गया है। नवसृजित नगर पंचायत, भानपुर के कतिपय क्षेत्र में जल-जमाव की कुछ समस्या है।

जी हां।

नवसृजित नगर पंचायत, भानपुर में जल निकासी का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी चिकित्सालय में कुत्ते काटने पर लगायी जाने वाली वैक्सीन को सुचारु रूप से उपलब्ध कराये जाने विषयक

188-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर लगायी जाने वाली वैक्सीन की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रधानाचार्या, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 21-07-2021 से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में उच्चीकृत किये जाने के दृष्टिगत उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लखनऊ द्वारा ए0आर0वी0 (रेबीज निरोधक टीका) प्राप्त नहीं कराया गया है। जनपद फिरोजाबाद के निकटतम समुदायिक स्वास्थय केन्द्र दीदामयी पर ए0आर0वी0 इन्जेक्शन लगवाया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में खराब हैंडपम्पों को रि-बोर/ठीक कराने विषयक

189- श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में जल निगम द्वारा स्थापित कितने एवं कहां-कहां हैंडपम्प वर्तमान में खराब हैं ? क्या

सरकार उक्त खराब हैंडपम्पों को ठीक/रि-बोर करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर क्षेत्र बड़ौत में कुल 570 नग हैंडपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। उक्त हैंडपम्पों में से 18 नग हैंडपम्प खराब है। 31 जुलाई, 2021 को नगर पालिका परिषद, बड़ौत, जनपद बागपत की बोर्ड बैठक में हैंडपम्प रि-बोर का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है 03 माह के भीतर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर विकास विभाग में पदोन्नति में दिव्यांगजनों के आरक्षण का कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में

190- श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग में पदों की पदोन्नति में दिव्यांगजनों के आरक्षण का कोटा पूरा सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हाँ।

प्रत्येक समूह/श्रेणी में रिक्त होने वाले पदों पर दिव्यांगजन को आरक्षण की अनुमन्यता के आधार पर चिन्हित पदों के सापेक्ष नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के ग्राम भितेहरा के सहकारी साधन समिति से रामबुझारत पाण्डेय के घर तक 500 मी0 मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

191- श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली के अन्तर्गत ग्राम भितेहरा के सहकारी साधन समिति से रामबुझारत पाण्डेय के घर तक लगभग 500 मी0 मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में जैराजपुर-परशुरामपुर मार्ग से भलुवाई होते हुए मार्ग का नवर्निर्माण कराने विषयक

192- श्री नफीस अहमद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में जैराजपुर-परशुरामपुर मार्ग से भलुवाई होते हुए भटनी बैदरा का जाने वाला मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में दिनांक 1/1/2018 से 1/1/2021 तक फिरोजाबाद नगर में व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिये जाने विषयक

193-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्य मंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि फिरोजाबाद नगर में राज्यकर विभाग में कुल कितने व्यापारी पंजीकृत हैं ? तथा दिनांक 1/1/2018 से 1/1/2021 तक कितने व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना में बीमित/नामित व्यापारियों के हित के लिए इस योजना के कवरेज में आने वाले व्यापारियों को एक सघन अभियान, व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से चिन्हीकृत कराने तथा नियमानुसार दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

फिरोजाबाद नगर में राज्यकर विभाग में कुल 20152 व्यापरी पंजीकृत है। दिनांक 1-1-2021 तक कुल 05 प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही की गयी है।

उक्त योजना में बीमित/नामित व्यापारियों के हित के लिए विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वंय तथा व्यापारी कल्याण बोर्ड उ0प्र0 के माननीय सदस्यों द्वारा विभाग द्वारा संचालित मुख्य मंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा मुख्य मंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जाता हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में एम0एच0आई0 व टोल संग्रहकर्ता कम्पनी के बीच हुए करारों में स्टाम्प चोरी पकड़े जाने विषयक

194- श्री दलवीर सिंह-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां पर तथा कितनी धनराशि की एन0एच0आई0 व टोल संग्रहकर्ता कम्पनी के बीच हुए करारों में स्टाम्प चोरी के प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार बतायेगी की उक्त स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल में रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी हाँ।

प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर एन0एच0आई0 व टोल संग्रहकर्ता कम्पनी के बीच हुए करारों के 73 प्रकरणों (सूची संलग्न)[†] में स्टाम्प चोरी के प्रकरण प्रकाश में आये हैं जिनमें रु0 287.05 करोड़ की धनराशि अंतर्ग्रस्त हैं।

उक्त स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए 69 प्रकरणों में स्टाम्प वाद योजित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में पेयजल की परियोजना पूर्ण कराये जाने विषयक

195- श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में पेयजल हेतु वर्ष 2018-19 में 10 करोड़ लागत की संचालित कार्य योजना धनराशि पर्याप्त न होने के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर उक्त योजना को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हाँ।

जनपद झांसी के नगर पालिका परिषद् गुरसराय एवं नगर पंचायत गरौठा नगर की संयुक्त पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु शासनादेश दिनांक 01-01-2019 द्वारा रु0 8324.27 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 100.00 लाख, शासनादेश दिनांक 28-02-2019 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रु0 900.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 30-03-2021 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में रु0 600.00 लाख अर्थात् कुल रु0 1600.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। योजना पूर्ण होने की सम्भावित तिथि जनवरी, 2022 है।

[†] सूची के लिये देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-365-368 पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी, तहसील मोंठ के मौजा जौरा में सहकारी कृषि समिति जौरा की भूमि रजि नं0- 672 पर अवैध कब्जे को हटवाये जाने विषयक

196-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की मोंठ तहसील के मौजा जौरा में सहकारी कृषि समिति जौरा की भूमि रजि0 नं0-672 रकबा 20.6020 हे0 पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने एवं समिति की आय-व्यय की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-512543, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का इसी आशय का पत्र संख्या-ख-6 नं0-759771, दिनांक 21-12-2020 प्राप्त हुआ है।

जनपद झांसी की मोंठ तहसील के मौजा जौरा की सहकारी कृषि समिति जौरा की भूमि रजिस्ट्रेशन नं0- 672, रकबा 20.620 हे0 पर अवैध कब्जे की जांच उप जिलाधिकारी, मोंठ तथा तहसीलदार, मोंठ द्वारा संयुक्त रूप से की गयी है, जिसमें पाया गया है कि वर्तमान में उक्त आराजी पर कोई अवैध कब्जा नहीं है तथा न ही मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पर समिति का कब्जा है।

समिति की समस्त आय-व्यय की जांच विभाग द्वारा करवा ली गयी है एवं वर्ष 1985-86 से वर्ष 2020 तक का आडिट भी करवाया जा चुका है, जिसमें समिति का संकलित लाभ दिनांक 31-03-2020 को मु0 12572.14 रुपये आंकलन किया गया है।

(12 बज कर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक आग्रह था कि आपको कार्य-सूची में बदलाव करने का अधिकार है। पूरे प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है।

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश हो जाने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, याचिकाओं को प्रस्तुत मान लिया जाये। मा0 मंत्री जी अपना बजट पेश कर दें और उसके बाद महंगाई पर चर्चा करा दीजिये। इतना ही मेरा आपसे आग्रह है और आपको अधिकार भी है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावली के नियम-115 को पढ़ लीजिये, तब तक हम निधन के निर्देश ले लेते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इतना धीरे-धीरे बोल रहे हैं कि सुनाई ही नहीं दे रहा हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आपकी तरह जोर से नहीं बोल पायेंगे। हम कह रहे हैं कि आप जो विषयों के क्रम को बदलने की बात कह रहें है, इसके बारे में नियमावली के नियम-115 में प्राविधान है, तब तक आप उसको पढ़ लीजिये। हमको निधन के निर्देश वाला पूरा कर लेने दीजिये।

[12:12] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

इस सदन को भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना मिली हैं, उनमें से श्री बंश नारायण सिंह, जौनपुर, श्री प्रेमदत्त, फतेहपुर, श्री जादौन सिंह यादव, फिरोजाबाद, श्री वीरेन्द्र सिंह, बरेली, श्री मुख्तार अनीस, सीतापुर, श्री गोपाल दास यादव, प्रयागराज, श्री भगवती सिंह, लखनऊ, श्री जगदीश सिंह राणा, सहारनपुर, कुंवर महावीर सिंह, हरदोई, श्री सुरेश पासी, प्रतापगढ़, श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, बांदा, श्री नारायण सिंह, आगरा, श्री राम मूर्ती सिंह वर्मा, शाहजहांपुर, श्री राजेश कुमार, लखीमपुर-खीरी, श्री गुलाब सिंह, मिर्जापुर, श्री दुलारे लाल, मिर्जापुर, श्री हरी राम शाक्य, मैनपुरी, श्री कमला प्रसाद रावत, बाराबंकी, श्री विजय सिंह राणा, आगरा, श्री रियाज अहमद, पीलीभीत, श्री उमाशंकर यादव, जौनपुर, श्री नैपाल सिंह, मेरठ, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह, गोण्डा, श्री परमजीत, मुजफ्फरनगर, श्री यशपाल चौधरी, लखीमपुर-खीरी, श्री इन्द्रपाल सिंह, औरैया, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, फतेहपुर, कुंवर धीरेन्द्र बहादुर सिंह, लखीमपुर-खीरी, श्री रुद्र प्रसाद, मिर्जापुर, श्री फजले मसूद, देवरिया, श्री विभूति प्रसाद निषाद, आजमगढ़, श्री अम्बिका सिंह, गोरखपुर, श्री सुमेर चन्द्र गोपाल, सहारनपुर, श्री जगवीर सिंह, बुलन्दशहर एवं श्री रामापति उर्फ रामाकान्त, कुशीनगर सभी सदस्य सदन की शान रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत कुछ किया है।

यह सदन शोकग्रस्त है। आइये उनकी स्मृति में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखते हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर वैसे तो अभी टाइम है, लेकिन जैसा आप कहें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी समय भी है, तब तक नियम-300-301 ले सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमको बुला लिया है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत से भूतपूर्व मा0 सदस्यों का नाम छूट गया है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको दिखा लेंगे।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर विभूति निषाद जी का स्वर्गवास हुए 02 महीने हो गये हैं। मान्यवर, आप सूचना तो मंगवायें ही साथ में यह भी देख लें कि आखिर विलम्ब हो क्यों रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम नाम जोड़े लेते हैं और इसे दिखा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट रुक जाइये, आपका समय अभी हुआ नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने नाम बुला लिया था, आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, आपने बुला लिया इसलिये मैं खड़ा हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यही तो मैं भी कह रहा था कि इनको सर्वाधिकार है और आपने उस बात की पुष्टि कर दी। आज बजट प्रस्तुत कर दीजिये, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी जीरो आवर और नियम-56 ले लें, इनका तो सर्वाधिकार सुरक्षित है।

[12:26] वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कई रिकार्ड स्थापित किये हैं...

श्री लाल जी वर्मा-

ये बाते कल आप चर्चा में कहियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दो-तीन मिनट केवल हाईलाइट्स बता दें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आप जान तो जायेंगे कि क्या दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल चर्चा तो होगी ही इनको बोलने का मौका भी मिलेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

आप नियमानुसार चलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सब कुछ नियमानुसार ही हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

आप खुद नियमावली हैं। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, तीन-चार मिनट मैं अपनी बात कह लूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बजट प्रस्तुत हो गया, कल चर्चा में मा0 मंत्री जी विस्तार से अपनी बात रखेंगे, आज चूंकि सिर्फ प्रस्तुतिकरण है तो वह तो हो ही गया।

श्री अध्यक्ष-

वह कोई विस्तार में नहीं बोलेंगे, इतनी देर में तो हो जाता। यह परम्पराओं को देख लें, अभी तक जितनी बार भी प्रस्तुतिकरण हुआ है और जो नियमावली रही है, केवल प्रस्तुतिकरण की रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट है। यह हमारा जो 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का जो एनुवल बजट था उसका 1.33 प्रतिशत है, बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और खास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यन्त जनकल्याणकारी है या किसी-किसी योजना को पूरा करने के लिये और मान्यवर, कुछ ऐसी नई मांगें भी हैं, खास तौर से यह गांव के लिये रोजगार के अवसर सृजन करने के लिये विशेष रूप से 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(मेजें थपथपाई गयीं)

गन्ने का भुगतान, अधिवक्ताओं के लिये सामाजिक सुरक्षा की निधि, अम्बेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर तथा चौकीदारों के लिये मानदेय में वृद्धि, विद्युत व्यवस्था में सुधार, गौ-वंश का रख-रखाव और अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और साथ-साथ मान्यवर, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में इजाफा, मान्यवर, यह कुछ हाईलाइट्स थी जो विशेष रूप से अनुपूरक में हम लेकर आये हैं। विस्तृत चर्चा तो कल होगी, लेकिन हम विशेष रूप से कहना चाहतें हैं कि इस साढ़े चार साल की सरकार ने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। लोक दृष्टि सबसे बड़ा मापदण्ड होता है, किसी भी सरकार के मूल्यांकन का और आज जनता की यह आवाज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकार्ड बनाये हैं और कई रिकार्डों को मान्यवर, तोड़ा भी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33 परसेण्ट का मात्र अनुपूरक बजट लेकर आये हैं, इसलिये बिना चर्चा के हम सब लोग इसे पास कर दें तो बहुत अच्छा है।

(मेजें थपथपाई गयी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आग्रह मैं आपसे कर रहा था, उसी बात की माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पुष्टि की। आज केवल इनको अनुपूरक बजट का प्रस्तुतीकरण करना था, नियमावली में भी है, परम्परा भी है। यही परम्परा रही है कि केवल 'प्रस्तुत करता हूं', उसके बाद बैठ जाते। कल इस पर चर्चा की डेट लगी है, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गये और यह भी कह गये कि इस सरकार ने कई रिकार्ड कायम कर दिये।

सुरेश कुमार खन्ना-

यह तो सही है, मान्यवर, यह बिल्कुल सही है, ये तो राजनीति के राम हैं और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिये यहां बैठे हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथापई और जय श्रीराम के नारे लगाये)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये राजनीतिक मापदण्डों के नहीं, ये आचार्य पीठ के सन्त हैं। आज आपने जो रिकार्ड कायम किया है, मैं भी मानता हूं कि कायम किया है।

महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा करके लोगों को जान से मारने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके लोगों को तहस-नहस करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

हम इस विषय को बाद में लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पैंतालीस वर्ष में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, इसका रिकार्ड आपने कायम किया है। मैं मानता हूँ, आपने रिकार्ड कायम किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पूरे देश मे खाद्यान्न वितरण हो रहा हैं।

मान्यवर अब नियम-300 ले लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, अब नियम-300 ले लीजिये, 301 ले लीजिये, उसके बाद 56 ले लीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया, प्रतियां तत्काल मिलनी चाहिये थीं। प्रतियां हम लोगों को वितरित नहीं की गयीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित हो रही हैं। असल में सब लोग सुनने लगते हैं, जब राम गोविन्द जी खड़े होते हैं, खन्ना जी खड़े होते हैं, तो वह भूल जाते हैं कि प्रतियां बांटनी है। आप दोनों महानुभाव काफी आकर्षक बातें करते हैं। (हंसी)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

विधान सभा मण्डप के अन्दर भारत के संविधान निर्माता डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसमें पहली सूचना मा0 उमाशंकर सिंह जी की है। इस सूचना में डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तैल चित्र लगाने की बात है। तैल चित्र बन रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह मण्डप भी जाने की 18-02-2019 को आपकी ही पीठ द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि तैलीय चित्र लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि उसका ऑर्डर विधान सभा की तरफ से कर दिया गया है और मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से भी परामर्श ले लिया गया था, इसलिये वह लगेगा।

मा0 राम गोविन्द जी ने एक सूचना दी है और वह सूचना किसी भी तरह से चाहे नियमावली को उलट के पढ़िए, चाहे पलट के पढ़िए, चाहे बैठ के पढ़िए किसी भी तरह पढ़िए उसमें नहीं आती है। वह वरिष्ठ नेता हैं तो हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे आती है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपका मार्ग दर्शन तो नहीं कर सकता। संविधान का चौदह देखिये इसमें आता नहीं है। आप सब जानते हैं इस नियम को। समता का अधिकार यह संविधान के चौदह में है। विधि के समक्ष समता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, या विधियों के अधिकार से वंचित नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मौलिक अधिकारों में हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, पन्द्रह भी देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित मामले ही औचित्य के प्रश्न के रूप में आते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, संविधान से सम्बन्धित थे, नियमावली से सम्बन्धित, सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित और संविधान से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष-

अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो आप हमारे लिए कह रहे हैं वह मैं आपके लिए नहीं कह सकता, क्योंकि आप सर्वोपरि आसन पर हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमको मालूम है कि नहीं कहेंगे तो इसलिए हम कह देते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मेरा कहना है कि हर तरह से मेरा नियम-300 मे आता है। संविधान की दृष्टि से और नियमावली की भी दृष्टि से या जो आपका आदेश होगा उसको मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको हम लोगों की तरफ से, संविधान की तरफ से और नियमावली की तरफ से विशेषाधिकार है। आप इस आदरणीय सदन में किसी भी समय खड़े होकर बोल सकते हैं। आपको तो अधिकार है, आप चाहे जब बोलें, लेकिन नियम-300 में यह नहीं आता। अब आपने क्या तय किया ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, तय आपको करना है, तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से भी सही है और नियमावली से भी सही है और संविधान में जो हमको मौलिक अधिकार मिला है, उसकी भी दृष्टि से सही है। आपका जो आदेश होगा, मैं उसी को मानूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर दो मिनट बोल दीजिये।

जिला पंचायत चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को नामांकन से रोके जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, सरकार का विश्वास संविधान में नहीं है, इस सरकार का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, जनतांत्रिक प्रणाली में नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इनका विश्वास नहीं है। अभी थोड़े दिन ही पहले बी0डी0सी0 सदस्यों का चुनाव हुआ। यहाँ सब मननीय सदस्य बैठे हैं चाहे किसी भी दल के हों। सभी अखबारों और चैनलों ने कवर भी किया। अखबारों ने लिखा, चैनल के लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया पर चला कि समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक मेम्बर जीते हैं। अब जब चुनाव आया तो जिनको संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, महाराज जी की कृपा से, सरकार की कृपा से और सरकार की जबरदस्ती से ऐसा हुआ। लोग वास्तव में कह रहे है, जो लोग बहुत लम्बे समय से सदन मे आ रहे हैं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन में लम्बे समय से आ रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ। (सदन में जोरदार हंसी)

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कह दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संक्षिप्त ही है। मा0 अध्यक्ष जी, जो प्रत्याशी नॉमिनेशन करने गया, उसका अपहरण हुआ, उसका पर्चा फाड़ा गया, उसका घर जलाया गया। हमारी माताओं और बहनों की साड़ियाँ

खींची गईं। मा0 अध्यक्ष जी, एक महिला का चीर हरण करने पर इस देश में महाभारत हुआ था और अभी इस सरकार के माध्यम से इस चुनाव में हमारी दर्जनों माँ, बेटियों का चीर हरण किया गया है, इसलिए अब एक दूसरा महाभारत होगा। वह महाभारत तीर से लड़ा गया, गदा से लड़ा गया, तलवार से लड़ा गया, भाला से लड़ा गया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी यह महाभारत वोट से लड़ा जाएगा और आपने जो नंगा नाच किया है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, जनतंत्र का जो आपने मजाक उड़ाया है, आपने जो लोकतंत्र का छाती पर बैठ कर उसको रौंदने का काम किया है, इसके लिए ये जनता आपको सबक सिखाएगी और आपने जो हमारी माँ, बहन, बेटियों का जो चीर हरण कराया है, तो ये वर्ष 2022 के महाभारत में वोट के माध्यम से आपका सफाया करेगी, आप इधर आओगे, ये इधर से चलकर उधर जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो यह तय हो जाए कि यह वास्तव मे नियम-300 मे आता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

हम तो यह कह चुके हैं कि नहीं आता है।

संसदीय कार्य एवं वित मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जो भी कण्टेण्ट आपने दिये हैं और बहुत-बहुत जोर से बोलने से कोई गलत बात सहीं नहीं हो जाती, कभी नहीं होती। एक शायर ने कहा था और इन्हीं के जैसे जोर-जोर से बोलने पर कहा गया था कि-

इतना रौशन न करो अपनी तमन्ना का चिराग,
बुझते देखा है उन्हें जिनको भड़कते देखा है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजे थपथपाई गईं)

मा0 अध्यक्ष जी, यह वह सरकार है कि जिसने 36 घण्टे विधान सभा में केवल इसलिए सेशन आहूत किया कि हम लोगों को संविधान में दी गयी ड्यूटीज का कर्तव्य बोध करा सकें। कर्तव्य बोध इस सरकार ने कराया है, पहली बार योगी सरकार ने कराया है। मान्यवर, इसके पहले कभी 36 घण्टे का सेशन नहीं हुआ और कभी संविधान में लिखी ड्यूटीज के ऊपर चर्चा नहीं हुई। जिसका क्षमा करेंगे मा0 राम गोविन्द जी और उनके दल के लोगों ने बहिष्कार किया था और ये लोग हमें संविधान की परिभाषा बता रहे हैं, हमें संविधान की परिभाषा सिखा रहे हैं। हमने कर्तव्य बोध कराया है। संविधान के अनुच्छेद-51(ए) मे जो 11 ड्यूटीज दी गई है, हमने उसके ऊपर पूरे 36 घण्टे तक लगातार एक्सरसाइज की है। मान्यवर, हमने वर्ष

2015 भी देखा था, हम वर्ष 2015 की याद नहीं दिलाना चाहते, सदन का वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मान्यवर, ये तो जिला पंचायत, बी0डी0सी0 और प्रधानों की बात कर रहे हैं और इन्होंने तो पार्लियामेण्ट और असेम्बली तक में निर्विरोध होने पर इस तरह की हरकतें कारवाई हैं। लेकिन चूँकि हम उसको मानते नहीं, क्योंकि सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, संविधान के वे उपबन्ध जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती हो, इसमें साफ-साफ लिखा है।

इसमें बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है, औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो तब बनता है, तो मान्यवर, पंचायत चुनाव से इस सदन का कार्य कहाँ विनियमित होता है। मैं आपके माध्यम से विनम्रता से राम गोविन्द चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि कहीं से भी यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए सदन का समय बिना खराब किए हुए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर, इसको आग्रह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमान, यह तो आप पहले ही कह चुके हैं कि यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, उसके बाद भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इन्होंने एक बात कही कि 2015 का चुनाव इन्होंने देखा है। मैं आपको पंच मानता हूं। आप सर्वोच्च कुर्सी पर हैं वर्ष 2015 की जाँच करा दीजिये और इस समय की भी जाँच करा दीजिये यदि 2015 में एक भी इस तरह का कार्य किया गया होगा, तो मैं पूरे सदन में माफी मागूँगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, अतः अग्राह्य की गई।

[12:44] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 18-08-2021 को कुल 55 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 35 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुई हैं :-

पहली सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद सुल्तानपुर बल्दीराय में बहुरावां में पूरे जोगियन तिवारी का पुरवा निकट संझौवा के सामने रामनगर रजबहा पर पुलिया निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा अमरतल से ग्राम लोहरा तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर बाजार में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की उत्तर प्रदेश में मार्च, 2020 के बाद उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा दी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री शैलेन्द्र

यादव ललई की जनपद जौनपुर के ग्राम सबरहद मे 33/11 के0वी0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण जल्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों की अवहेलना करके निर्माण कराये जाने से उत्पन्न हुए भीषण जल जमाव के कारण सभी जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिन्डन नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का समय-सीमा निर्धारित कर योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर में पदस्थ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में नदियों/नालों से सिंचाई हेतु किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रतीक भूषण सिंह की जनपद गोंडा सदर के अन्तर्गत सीवर लाइन व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत तिगरी धाम में घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में बाउन्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ग्राम अटौला में श्मशान घाट का नव निर्माण, चहारदीवारी, टीन शेड व इण्टरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर तक डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही को सी0एच0सी0 का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के अन्तर्गत अम्बाला मार्ग एन0एच0-73 से भाऊपुर रेलवे फाटक तक सी0सी0 रोड बनावाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबद में ग्राम श्यामीवाला/मुजाहिदा पट्टी के आबादी भाग मे सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे है, बाइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कीरतपुर अन्तर्गत ग्राम भरेठी से नसीरपुर मिठारी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री विनोद

कटियार की जनपद कानपुर देहात, तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के नाम पर हो रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम नेवल जकटापुर में भगवान बुद्ध तीर्थ स्थल का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं का पूर्ण नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर बाईपास मार्ग तथा स्टेशन मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति सूची के क्रमांक तीस पर अंकित फकीर शब्द के साथ उसके उपजाति/उपनाम साईं, शाह, अलवी, फकीर, शाह अलवी शब्द सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है बत्तीसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी दवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड सदर में गौरा चौराहे नामक स्थान को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद आयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रौजागाँव-रुदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा पैंतीसवीं सूचना श्री उपेन्द्रनाथ पासवान की जनपद कानपुर नगर के नगर पालिका घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद सुल्तानपुर की तहसील बल्दीराय में बहुरावां में पूरे जोगियन तिवारी का पुरवा निकट संझौवा के सामने रामनगर रजवहा पर पुलिया निर्माण सिंचाई विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील व ब्लाक बल्दीराय के अन्तर्गत स्थित पूरे जोगियन तिवारी के सामने नहर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर पुलिया न होने के कारण इस पुरवा के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की महिलाओं को बीमार होने, प्रसव तथा विवाह के समय पुलिया न होने के कारण कई बार जान जोखिम में पड़ जाती है तथा जान जाने का खतरा बना रहता है। देश की आजदी के 75 वर्ष बाद भी उल्लिखित गांव में आवागमन की सुविधा नहीं है, यह अत्यन्त विचारणीय बिन्दु है। वहां के लोगों द्वारा लकड़ी के पटरे से साधन बना करके नाव बनाकर नहर पार की जाती है, जिससे जान-माल का खतरा निरन्तर बना रहता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में पूरे जोगियन तिवारी के सामने रजवहा रामनगर पर एम्बुलेंस आने-जाने लायक पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा अमरतल से ग्राम लोहरा तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा अमरतल से ग्राम लोहरा तक (ल0 लगभग 2.0 मी0) सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर बाजार में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद अम्बेडकरनगर की प्रमुख बाजार जलालपुर में प्रतिदिन जाम की समस्या से घण्टों-घण्टों तक आवागमन बाधित रहता है। उपरोक्त बाजार में स्थानीय जनता द्वारा काफी दिनों से बाईपास बनाने की मांग उठ रही है। परन्तु इस पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह जनहित का विषय है, उपरोक्त बाजार में बाईपास बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त बाजार में बाईपास बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश में मार्च, 2020 के बाद उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण उ0प्र0 में मार्च, 2020 के बाद से उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के चेयरमैन, एम0डी0 क्रय कमेटी के सदस्यों की जानकारी में विभिन्न फर्मों के द्वारा जो उत्पादक भी नहीं हैं, को लाभ पहुँचाने के लिए टेण्डर प्रक्रिया में समय-समय पर जिन फर्मों को टेण्डर दिया गया है, के अनुरूप टेण्डर की नियमावली बनायी गयी व टेण्डर पारदर्शी नहीं है, जो खरीददारी की गयी वह महंगे दाम पर व घटिया किस्म के जीवन-रक्षक उपकरणों की खरीददारी से मरीज के जीवन से खिलवाड़ किया गया है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के ग्राम सबरहद में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण जल्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद जौनपुर अन्तर्गत ग्राम सबरहद में 33/11 के0वी0 का विद्युत सब-स्टेशन जिसका निर्माण पिछले पाँच सालों से चल रहा है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा हो रही है। क्षेत्रीय जनता की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक माह के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत कराने की आवश्यकता है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त कार्य प्रथमिकता पर पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों की अवहेलना करके निर्माण कराये जाने से उत्पन्न हुए भीषण जल जमाव के कारण सभी जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की लापरवाही, गैर तकनीकी कार्य पद्धती तथा तुगलकी कार्य प्रणाली के कारण गोरखपुर महानगर के एक बड़े हित के नगरिकों का जीवन नारकीय हो चुका है। अभियन्ताओं के द्वारा मेडिकल रोड तथा देवरिया रोड पर इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तरह से, महानगर के जल निकासी के सामने अवरोध पैदा कर दिये गये हैं कि अब महानगर के इन हिस्सों का हर वर्ष जल जमाव झेलना इनका स्थाई नसीब बन गया है।

लोक निर्माण विभाग असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण करा रहा है। निर्माण के दौरान ही हमने पुरजोर विरोध किया है, अगर सड़क के दोनों ओर नाले इतने ही ऊंचे बनाये गये तो असुरन-मेड़ियगढ़ अशोक नगर-आर्दश नगर-शिव नगर-राम जानकी नगर-कौशलपुर-नकहा-गणेसपुरम-राप्ती भरतपुर के पचासों हजार नागरिकों को स्थायी रूप से जलभराव झेलना होगा, क्योंकि सारे मोहल्ले की नालियां 87 से0मी0 से 2 मीटर तक मेडिकल कॉलेज के नाले से नीचे हैं। नगर आयुक्त ने लिखित रूप से दिया कि सारे नाले इतने ही ऊपर इन इलाकों का पानी में डूबना निश्चित है। जिलाधिकारी, गोरखपुर ने 15 दिसम्बर, 2020 को हमारी उपस्थिति में पी0डब्लू0डी0 तथा नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठ करके नाले की जांच करके उचित परिवर्तन के लिए निर्देशित किया, लेकिन पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों ने सब कुछ जानते हुए भी मनमाने तरीके से नाला बनवाया।

ठीक वही स्थिति लोक निर्माण विभाग ने देवरिया रोड को, बिना जल निकासी की व्यवस्था किये, बेतरतीब तरीके से ऊंचा कर दिया और सिंघड़ियां प्रज्ञापुरम, वसुन्धरा कालोनी से लेकर इन्जीनियरिंग कॉलेज तक के मोहल्ले और पचासों हजार नागरिक महीनों-महीनों से अधिक जलभराव झेल रहे हैं।

इन अभियन्ताओं को गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में काम करते समय नगर निगम से तकनीकी सहमति तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना चाहिये था, लेकिन इन लोगों ने राय लेना तो दूर, उनकी आपत्तियों को भी दरकिनार किया। योजना की डीपीआर बनाने, स्वीकृति देने तथा मनमाने तरीके से ऊंचे नाले/सड़क बनवाने के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत कृत कार्रवाई के सन्दर्भ में सदन पटल पर वक्तव्य दें।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत हिण्डन नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में स्थित टपरी से हसनपुर-भलस्वा मार्ग पर हिण्डन नदी पर कोई सेतु नहीं बना हुआ है। यहां पर एकमात्र छोटी पुलिया है, जिस पर से ग्रामीणों के निकलने से दुघर्टना का खतरा बना रहता है और ग्रामीणों व आम जनता को कई किलोमीटर अतिरिक्त घूम कर सफर तय करना पड़ता है। जनहित में इस स्थान पर सेतु निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को समय-सीमा निर्धारित कर योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 सुखदेव, निवासी मिश्रीपुर, गुड्डी देवी पत्नी स्व0 राम नारायण, निवासी निगोही, विमला देवी पत्नी स्व0 दिनेश, निवासी विरासिन आदि सैकडों गरीब, निराश्रित विधवा महिलाओं के **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना** के आवेदन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर 02-03 वर्षों से ब्लॉक मुख्यालय/जिला मुख्यालय में लम्बित पड़े हैं, जिससे गरीब, निराश्रित विधवा महिलाओं को अनुमन्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधवा महिलाएं धनाभाव के कारण भुखमरी के कगार पर आ गयी हैं। मेरे द्वारा अनेकों बार इस सन्दर्भ में शासन/प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है और गरीब व निराश्रित विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से वंचित किया जा रहा है। **जनहित में विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का समय-सीमा निर्धारित करके लाभ दिलाया जाना नितान्त आवश्यक है।**

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में पदस्थ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर व गोरखपुर परिक्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जहाँ गोरखपुर परिक्षेत्र कार्यालय में उप निदेशक का पद सृजित है, परन्तु 2017 से क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र पदस्थ हैं, जो आकंठ भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर पर्यटन हित में कार्य नहीं करते, जनहित में गोरखपुर परिक्षेत्र में पर्यटन उप निदेशक की नियुक्ति कर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, परन्तु कार्यवाही कतिपय कारणों से नहीं हो पा रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, जनहित एवं लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी में नदियों/नालों से सिंचाई हेतु किसानों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण लोकहित का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जनपद झांसी में सिंचाई के लिए नहरों से खेतों तक पानी पहुंचना कठिन कार्य है। किसान ट्यूबवेल हेतु बोरिंग कराने में असमर्थ हैं। नदियों/नालों में पानी पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद विद्युत, पम्पिंगसेट के अभाव में पानी का सिंचाई हेतु उपयोग कर नहीं सकता। यदि किसानों को नदियों/नालों से पानी लिफ्ट करने हेतु बिजली के कनेक्शन दे दिये जायें तो किसान आसानी से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि झांसी की नदियों/नालों से सिंचाई हेतु किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा सदर के अन्तर्गत सीवर लाइन व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-296, गोण्डा (सदर) के अन्तर्गत गोण्डा नगर मुख्यालय पर सीवर लाइन एवं नालियों का निर्माण न होने से नगरवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में जल निकासी न होने के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है और बीमारी फैलने का भी भय बना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा अन्तर्गत तिगरी धाम में घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के तिगरी धाम से होकर पवित्र गंगा नदी बहती है। जहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। पक्के घाट न होने के कारण आये दिन डूबने व बहने की घटनायें घटित होती रहती हैं। यहां पर श्रद्धालु बड़े मन से पवित्र गंगा में स्नान हेतु आते हैं, परन्तु पक्का घाट न होने से डूबने एवं बहने की घटना से मौत के घाट उतर जाते हैं। जनहित में गंगा किनारे तिगरी धाम में पक्का घाट बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पावन धाम तिगरी में पक्का घाट बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग जनपद-मथुरा के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम यथा फार्मेसी, बी0 फार्मा, डी0 फार्मा0, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पैरा-मेडिकल आदि में शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19, 2019-20 में फर्जी छात्र दर्शाकार छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति हड़प कर करोड़ों रुपये के राजस्व का गबन करके हड़प लिया गया है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा शासन को छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति गबन के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया था, जिस पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश हुए थे। अभी संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी निजी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की मानकता न होते हुए भी फर्जी रूप से इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का दाखिला दर्शाकर शासन से छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति हेतु अग्रेषित कर दिया गया है, जबकि निजी शैक्षणिक संस्थान में छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति क्लेम वाले पाठ्यक्रम में विद्यालयों को मानकता नहीं है। निजी शैक्षणिक संस्थानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, मथुरा में यह सब कार्यवाही चल रही है। प्रकरण में करोड़ों रुपये का आर्थिक घोटाला करके सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी गयी है, इसलिए जनहित में प्रकरण की आर्थिक अपराध शाखा से जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में बाउण्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[महोदय, जनपद बरेली में स्थित राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में टूटी व जर्जर बाउण्ड्रीवाल का बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के ग्राम अटौला में श्मशान घाट का नव निर्माण व चहारदीवारी, टीन शेड व इण्टरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-46, किठौर, जनपद-मेरठ के ग्राम अटौला में श्मशान घाट पर चहारदीवारी, टीन शेड नहीं है, जिस कारण यहां होने वाले अंतिम संस्कार के उपरान्त जानवरों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे शवों के अवशेष सूंघते हुए जानवर वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी सुरक्षा कर पाना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार से टीन शेड के आभाव में बरसात के दिनों में शवों के अंतिम संस्कार में भारी कठिनाई होती है। जनहित में जनपद-मेरठ के किठौर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अटौला में श्मशान घाट का नव निर्माण चहारदीवारी, टीनशेड व इण्टरलॉकिंग टाइल्स आदि निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में छात्राओं के अध्ययन के लिए कोई भी राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ता है तथा अनेक छात्रायें साधनों के आभाव के कारण उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उक्त के विषय में मेरे द्वारा अनेक बार शासन एवं प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जनहित में क्षेत्र की छात्राओं के अच्छे भविष्य के लिए राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, महाविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक का खुलना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर तक डामरीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह "प्रिंस"-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नवादा मोड़ से तिलहर तक डामरीकरण व चौड़ीकरण एवं विकास खण्ड मुख्यालय को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जोड़ने हेतु मार्ग बनवाया जाना अति आवश्यक है। डामरीकरण व चौड़ीकरण न होने से आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जिसकी शिकायत जिले स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों से कर चुका हूँ, परन्तु अभी तक उक्त डामरीकरण व चौड़ीकरण नहीं हो पाया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही को सी0एच0सी0 का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही जनपद कुशीनगर को सी0एच0सी0 का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजान से संचालित होता है। यह ऐसा पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संचालित किया जाता है। इस सन्दर्भ में कई बार शासन को पत्र लिखे गये एवं कई बार इस प्रश्न को सदन में उठाया गया, किन्तु अभी तक कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। जिस कारण जनमानस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवायें सुचारु रूप से नहीं प्राप्त हो पाती हैं।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेवरही जनपद कुशीनगर को सी0एच0सी0 का दर्जा दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के अन्तर्गत अम्बाला मार्ग एन0एच0-73 से भाऊपुर रेलवे फाटक तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका में अम्बाला मार्ग एन0एच0-73 से ग्राम भाऊपुर रेलवे फाटक तक आबादी हो जाने के कारण पी0सी0 (तारकोल) रोड बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाइयां होती हैं। जनहित में उक्त रोड को बार-बार क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सी0सी0 रोड में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अम्बाला रोड हाई-वे एन0एच0-73 से ग्राम भाऊपुर रेलवे फाटक तक पी0सी0 रोड बनवाये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुरडीखेड़ा व ग्राम फतेहपुर पेलो दोनों गांवों के दोनों तरफ सोलानी व खजनावर खोल नदियां बहती हैं। बरसात के समय में नदियों में पानी आने के कारण दोनों गांवों का सम्पर्क तहसील व जिला हेडक्वार्टर से टूट जाता है, जिसके कारण दोनों गांवों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनहित में उक्त दोनों नदियों पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम श्यामीवाला/मुजाहिदा पट्टी के आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में ग्राम श्यामीवाला/मुजाहिदा पट्टी में आबादी भाग में रोड अत्यन्त खराब अवस्था में है। मार्ग के दोनों ओर 600 मी0 में घनी आबादी है। मार्ग में पानी भरा होने से आवागमन प्रभावित है। आस-पास के आधा दर्जन गांवों के ग्रामवासियों का मार्ग से प्रतिदिन आवागमन है। मार्ग में गहरे गड्ढे हो जाने से ग्रामवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त मार्ग काफी समय से नहीं बन पाया है।

अतः उक्त सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड निर्माण की मैं सदन से मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कीरतपुर अन्तर्गत ग्राम भरेठी से नसीरपुर मिठारी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विकास खण्ड कीरतपुर के ग्राम भटेकी से भनेडा रोड शिव मन्दिर होते हुए नसीरपुर मिठारी तक छूटी कड़ी मार्ग को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनवाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में शासन को छूटी कड़ी के अनुरूप भी इसका प्रस्ताव भी दिया गया। परन्तु आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम भटेकी से भनेडा रोड शिव मन्दिर होते हुए नसीरपुर मिठारी तक छूटी कड़ी मार्ग को बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कटियार-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात के ग्राम बरौर, तहसील-भोगनीपुर के ग्राम पंचायत की आबादी 24.000-28.000 से भी अधिक है। उक्त ग्राम पंचायत जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। यहां की बढ़ती हुई आबादी और सीमित संसाधनों के न होने के कारण इस ग्राम पंचायत का विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। यहां आबादी के हिसाब से नगर पंचायत घोषित किये जाने की मांग काफी दिनों से जनता द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी और शासन को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण कराकर ग्राम पंचायत-बरौर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर नगर में ड्राइविंग लाइलेंस टेस्ट के नाम पर हो रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। कानपुर नगर में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट हेतु प्राइवेट कम्पनी **ROZEMARTA** को नियुक्त किया गया है। पनकी स्थित कम्पनी का टेस्ट ट्रैक इतना जटिल बनाया गया है कि कोई सामान्य ड्राइवर टेस्ट को पास ही नहीं कर सकता। रु0 600/- एक बार की टेस्ट फीस है। फेल होने पर हर बार रु0 600/- जमा करना पड़ता है अथवा रु0 400/- अवैध रूप से देने के बाद टेस्ट के बिना पास हो जाते हैं। केवल ''मौत के कुंआ'' नामक स्टंट में गाड़ी चलाने वाले ही उक्त टेस्ट पास कर सकते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उक्त अवैध वसूली पर आकृष्ट कराते हुए आसान एवं व्यवहारिक ट्रैक बनवाये जाने, टेस्ट फीस कम किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के अन्तर्गत नवसृजित विकास खण्ड मंगापुर उदयपुर को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिये, तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनहित में **मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत 'मंगापुर उदयपुर' के नाम से एक नया विकास खण्ड स्वीकृत किया गया है, जिसका शासनादेश और सरकारी ''गजट'' भी जारी हो गया है, किन्तु अभी तक इसको क्रियाशील नहीं किया गया है।** उक्त विकास खण्ड से जहाँ क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। नवसृजित 'मंगापुर उदयपुर' जनहित में अतिशीघ्र क्रियाशील किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत चोगड़ा चट्टी में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत **चोगड़ा क्षेत्र के तमाम बड़े गांव हजौली, कुरेजी, बलेसरा, सिकिरिया कला, सिकिरिया खुर्द, सवन, बुढ़ऊ, बड़सरी, वीरपुरा, तकिया, हथौड़ी आदि में रतसड़ विद्युत सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती है, जोकि अत्यधिक दूरी एवं अत्यधिक लोड के कारण अक्सर जल जाने से आज भी इन गांवों में कभी भी सुचारु रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है।**

चोगड़ा क्षेत्र की विद्युत मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को देखते हुए जनहित में चोगड़ा में एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक भी है, क्योंकि इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता द्वारा बार-बार निवेदन भी किया जाता रहा है तथा इन गांवों में विद्युत आपूर्ति को लेकर अत्यधिक रोष भी व्याप्त है, जोकि कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चोगड़ा क्षेत्र में विद्युत के गम्भीर संकट को देखते हुए चोगड़ा चट्टी पर एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम नेबल जकटापुर में भगवान बुद्ध तीर्थ स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीकान्त कटियार-

[महोदय, कृपया विधान सभा क्षेत्र-162, बाँगरमऊ, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम नेवल जकटापुर में प्रसिद्ध भगवान बौद्ध तीर्थ स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण न होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना अति आवश्यक है, जोकि लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ग्राम नेवल जकटापुर में प्रसिद्ध भगवान बौद्ध तीर्थ स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं का पूर्ण नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, उत्तर प्रदेश आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं का पूर्ण नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक/शिक्षिकाओं की काफी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। जनहित में उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं का जेम-पोर्टल के बजाय समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्ण नवीनीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः निमय-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये उत्तर प्रदेश आश्रम पद्धति विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं का पूर्ण नवीनीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं होने की वजह से छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये करीब 40 किमी0 दूर जाना पड़ता है। जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर बाईपास मार्ग तथा स्टेशन मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि शाहजहाँपुर-पीलीभीत पूर्वोत्तर रेलवे लाइन को परिवर्तित करके ब्राड गेज लाइन निर्माण करवा दी गयी है तथा विद्युतीकरण भी रेल संचालन हेतु किया जा चुका है। रेलों का संचालन हेतु 01 सितम्बर, 2021 दिवस सुनिश्चित है। इस रेल लाइन के मध्य में नगर बीसलपुर स्थित है, जहां कि बीसलपुर बाईपास मार्ग तथा स्टेशन मार्ग पर दो रेलवे क्रांसिग है। जिन पर वाहनों की भारी आवागमन के कारण रेल निकलते समय रेल का फाटक बन्द होने से भारी भीड़ एकत्र होना स्वाभाविक है। परिणामतः भारी असुविधाओं का सामना जन-सामान्य को करना पड़ता है। इन दोनों स्थलों पर ओवरब्रिज का होना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा मांग की जा रही है कि उक्त उल्लिखित अवलोकित दोनों स्थलों पर ओवरब्रिज स्वीकृत कर निर्माण सुनिश्चित किया जाय, ताकि जन-सामान्य के इस विषम समस्या का समाधान हो सके।]

उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति सूची के क्रमांक तीस पर अंकित फकीर शब्द के साथ उसके उपजाति/उपनाम साईं, शाह, अलवी, फकीर, शाह अलवी शब्द सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में फकीर जाति के समुदाय का सम्बोधन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में साईं, शाह, अल्वी अथवा शाह अल्वी आदि भिन्न-भिन्न नाम से होता है। परन्तु उ0प्र0 के पिछड़ी जाति सूची में अन्य जाति समुदाय की भांति फकीर जाति शब्द के साथ उसके उपजाति/उपनाम का अंकन नहीं है। इससे उ0प्र0 में पिछड़े जाति प्रमाण-पत्र इनके उपजाति/उपनाम से निर्गत न होकर मूल जाति नाम फकीर शब्द से निर्गत किया जाता है। इससे इनकी उपजाति/उपनाम वाले शाह/साईं/अल्वी-फकीर/शाह अल्वी से सम्बोधित को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आना-कानी/गुमराह/भ्रम पैदा करके परेशान किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत/जारी नहीं किया जाता है। जिस कारण उ0प्र0 में निवासरत् फकीर समुदाय अधिकांश जनपदों में पिछड़ी जाति का आरक्षण लाभ से सूची में उपनाम न होने के कारण वंचित हो रहा है। परिणामस्वरूप उ0प्र0 में रहने वाले फकीर समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर व दयनीय होती जा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है। जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों के पिछड़े वर्ग की सूची में फकीर शब्द के साथ उनके उपनाम/उपजाति का अंकन किया गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर उ0प्र0 पिछड़ी जाति अनुमन्य सूची में फकीर मूल जाति के साथ इसकी उपजाति/उपनाम शाह, साईं, अल्वी-फकीर, शाह अल्वी, अल्वी शब्दों को सम्मिलित करने हेतु शासन को वक्तत्य देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।]

उत्तर प्रदेश मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी दवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। खेद है कि यू0पी0 मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा दवाओं की आपूर्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तो की जाती है, किन्तु नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें नहीं उपलब्ध करायी जातीं। इससे जनता को बड़ी असुविधा हो ही रही है। जनहित में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी पंजीकृत करते हुए यू0पी0 मेडिकल कार्पोरेशन द्वारा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना नितान्त अपरिहार्य है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उत्तर प्रदेश मेडिकल कारर्पोरेशन द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी दवा उपलब्ध करवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड सदर में गौरा चौराहे नामक स्थान को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टू राम-

[महोदय, अवगत कराना है कि बलरामपुर सदर विकास खण्ड का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ग्रामीण लोगों को विकास खण्ड मुख्यालय पर पहुंचने में काफी असुविधा होती है। विकास खण्ड सदर में गौरा चौराहे नामक स्थान को नया विकास खण्ड बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत रौजागांव-रुदौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत रौजागांव-रुदौली सम्पर्क मार्ग एन0एच0-28 लोहियापुर से गौरियामऊ होते हुए रुदौली सम्पर्क मार्ग, मवई ब्लाक मुख्यालय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग व माँ कामाख्या मन्दिर सम्पर्क मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृति के बाद शुरू किया गया, परन्तु 6 माह से प्रारम्भ किये गये इन मार्गों के कामों की अच्छे ढंग से विभाग द्वारा देख-रेख न किये जाने से ठेकेदारों द्वारा मनमानी की जा रही है। मानक के विपरीत किये गये कार्यों पर क्षेत्रवासियों की शिकायत पर मेरे द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर बताया गया, जिसके कारण आधे-अधूरे मार्गों पर न कहीं समुचित जल निकासी की व्यवस्था की गयी और न ही पटरी का कार्य कराया गया। परिणामस्वरूप इन सभी मार्गों पर चलना दूभर हो गया है। रौजागांव-रुदौली मार्ग पर इमली पटवा के पास पूरी सड़क धंस गयी। वर्तमान समय में आवागमन बाधित हो गया है। जनहित में बाधित मार्ग एवं उपरोक्त सभी मार्गों के निर्माण में हो रही अनियमितता की जाँच कराकर मानक के अनुसार मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के नगर पालिका परिषद, घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय विषय में कराना चाहूँगा कि जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लगभग आधा घाटमपुर शहर प्रतिवर्ष वर्षाकाल में डूब जाता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर घाटमपुर से लेकर गुजेला नून नदी तक पाइप लाइन डलवाकर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूँ।]

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन के लिए आप मान गये थे। हमारा अनुरोध है कि कार्य-स्थगन पहले ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आपने तो पूरे नियमों को बहुत ज्यादा याद किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

नियम तो याद किये हैं, लेकिन आपके पास सर्वाधिकार है। जैसा सर्वाधिकार आपने उधर कराया और अभी तक प्रतियाँ नहीं बँटीं। हमारा कहना है कि आपको सर्वाधिकार है और आपको जो सर्वाधिकार है उसका आप उपयोग कीजिये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

हमारा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने को दो थप्पड़ मारे, लेकिन मारता कोई नहीं है। (हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपको सर्वाधिकार है, कार्य-स्थगन ले लीजिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, अनुरोध है कि इसको ले लिया जाए, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

जो क्रम है उसी में हो जाने दीजिये। इससे बड़ी जल्दी हो जायेगा।

[12:45] उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021†

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-03 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021†

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-04 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021†

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021†

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-422/ग्यारह-02-21-9 (46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (174)-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-422/ग्यारह-2-21-9(46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (174)-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

अनुपूरक बजट की प्रतियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को एक सूचना देनी है। अभी माननीय वर्मा जी की तरफ से और कई मा0 सदस्यों की तरफ से अनुपूरक बजट की प्रतियों की बात कही गयी थी। वह प्रतियां मा0 विधायकों की जो वेबसाइट है, उस पर उपलब्ध हैं। इसलिए वह अलग से कागज के रूप में बांटी नही जा रही हैं। जो माननीय सदस्य अध्ययन करना चाहें, वह अपनी विधायकों वाली वेबसाइट पर अध्ययन कर लें।

[12:50] राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-365/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-365/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (176)-2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(176)-2021, दिनांक 6 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (177)-2021, दिनांक 21 मई, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(177)-2021, दिनांक 21 मई, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सहमत हों तो जहां तक आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद से मद संख्या-36 तक उपस्थित किया हुआ मान लिया जाये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, ठीक है, हम सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-36 तक उपस्थित किया गया मान लिया जाये।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-512/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-512/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-513/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-513/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-586/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक 16 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-586/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-587/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-587/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवां संशोधन) नियमावली, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-495/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (183)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचासवां संशोधन) नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-494/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-494/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-492/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-492/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-594/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-594/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-595/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-595/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 का शुद्धि-पत्र सं0-673/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (191)-2021, दिनांक 1 जुलाई, 2021††

राज्य कर अनुभाग-2 की शुद्धि-पत्र सं0-673/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (191)-2021, दिनांक 1 जुलाई, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-593/ग्यारह-2-21-9(147)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-593/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-651/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-651/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-493/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-493/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-496/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1365/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (168)-2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1285/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियमावली, 2017-आदेश (160)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 द्वारा

† छापी नहीं गयी।

प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छियालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-02/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (172)-2021, दिनांक 29 जनवरी, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-206/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (173)-2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-650/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (193)-2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-650/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (193)-2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-652/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (194)-2021, दिनांक 29 जुलाई , 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा दिनांक 31-03-2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का समीक्षा अभिकथन†

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा दिनांक 31-03-2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का समीक्षा अभिकथन को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18††

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-78 (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

लोक आयुक्त, उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या-1-2017 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-1-2017 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-3†

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-3 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) अधीन सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

[12:53] उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत **उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021**, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 01 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

01 मार्च, 2021 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 02 मार्च, 2021 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नही हुआ है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन

विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (1) उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **पहला** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (2) **उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **दूसरा** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (3) **उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **तीसरा** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (4) **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 फरवरी,

2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **चौथा** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (5) **उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **पांचवां** अधिनियम बन गया।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (6) **राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **छठवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (7) **उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **सातवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (8) **उत्तर प्रदेश राज्य क्रिड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 01 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **आठवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (9) **उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **नवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (10) **उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **दसवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (11) **उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 04 मार्च, 2021 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **ग्यारहवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (12) **उत्तर प्रदेश फन्डामेन्टल रूल-56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **बारहवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (13) **उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **तेरहवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता ग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (14) **उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता ग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 04 मार्च, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **चौदहवां** अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि (15) **उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020,** जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राष्ट्रपति महोदया की अनुमति दिनांक 08 जून, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का **पन्द्रहवां** अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-40 में कुछ नहीं है।

[12:59] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 19वां प्रतिवेदन†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 19वां प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गयां।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 20वां प्रतिवेदन†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 20वां प्रतिवेदन, जो नगर विकास से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 21वां प्रतिवेदन†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 21वां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का ग्याहरवां प्रतिवेदन, जो सिंचाई विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का 12वां प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन, जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का 10वां प्रतिवेदन†

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का दसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन†

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च,

---

† छापा नहीं गया।

2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का 6वां प्रतिवेदन†

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायक समिति'' वर्ष (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो कार्मिक विभाग, सतर्कता विभाग, शिक्षा विभाग तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का 7वां प्रतिवेदन†

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-50 से 68 तक की याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जाती हैं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 11 याचिकाएं††

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत गांगरानी से होरलापुर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव मोहन प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सिरसिया व भैसहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग कसया रामकेला से गोनाई छपरा सम्पर्क मार्ग, कुशीनगर मंगलपुर सम्पर्क मार्ग व जानकीनगर से बालखंडी चौराहा होते हुए साँडी बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग का महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों के योजनान्तर्गत चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगौली, विकास खण्ड पडरैना में फसलों के सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप की स्थापना व निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजकिशोर सिंह व अन्य निवासीगण विशुनपुरा, जनपद कुशीनगर की याचिका,

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् कुशीनगर में नगर पालिका द्वारा प्रदत्त भूमि विशुनपुर बिन्दवालिया वार्ड नं0-21 बुद्धनगरी गाटा संख्या-869 क्षेत्रफल 0.186 हेक्टेयर है, पर अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण विशुनपुरा, जनपद कुशीनगर की याचिका,

6-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत कसिया से नवोदय विद्यालय होते हुए रविन्द्रनगर जिला मुख्यालय तक ग्रामीण मार्ग का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रताप दुबे निवासी साखोपार, जनपद कुशीनगर व अन्य की याचिका,

7-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत वि0ख0-रामकोला के ग्राम सिंधावे में पानी के जलभराव की निकासी के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन सिंह व अन्य निवासीगण सिंधावे, जनपद कुशीनगर की याचिका,

8-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत टेकुआ में लड़कियों के सुलभ शिक्षा के लिए राजकीय महिला महाविद्यालय के स्थापना के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ मल्ह्रेशिया निवासी टेकुआर, जनपद कुशीनगर व अन्य की याचिका,

9-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में गायों के संरक्षण हेतु कुशीनगर में गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर की याचिका,

10-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पालिका, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थली पर स्थित हिरण्यावती नदी के दोनों पटरियों पर कसया बाईपास से देवरिया बाईपास तक पक्के मार्ग का पर्यटन हित में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश जायसवाल, व अन्य निवासीगण कसया, जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

11-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड पडरौना के ग्राम रसूलपुर बेलही में जल निकासी हेतु बने पुल के अवरुद्ध होने से जलभराव की निकासी के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

1-जनपद आगरा के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के सुलहकुल नगर व गोकुल नगर, बीघा नगर गढ़ी भदौरिया वार्ड स्थित जर्जर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री भुवन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आगरा के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में स्थित शांति वाटिका (मारूति स्टेट) से राधिका विहार के सामने होते हुए शंकरगढ़ की पुलिया-अलबतिया मार्ग से जोड़ने वाली जर्जर मुख्य सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री समर्थन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका, तथा

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी भाग में मारूति स्टेट चौरा से अलबतिया तक सीवर लाइन व गंगाजल की पाइप लाइन बिछाने से हुई जर्जर सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुशील भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 07 याचिकाएं†

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया -

1-जनपद महोबा के अन्तर्गत ब्लाक-चरखारी में पनवाड़ी बुडेरा मसूदपुरा से बरानों मार्ग (04 कि0मी0) में क्योलारी नदी पर क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर लघु सेतु का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

2-जनपद महोबा के अन्तर्गत चरखारी सूपा श्रीनगर अकौना जैतपुर मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण (23 कि0मी0) करने के सम्बन्ध में श्री अरूण मिश्रा व अन्य निवासीगण जैतपुर जनपद महोबा की याचिका,

3-जनपद महोबा के अन्तर्गत ब्लाक-चरखारी, रिछारा मडवारी मार्ग के कि0मी0-3 में क्योलरी नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर लघु सेतु का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राजपूत व अन्य निवासीगण गौरहारी जनपद महोबा की याचिका,

4-जनपद महोबा के अन्तर्गत ब्लाक पनवाड़ी में ग्राम स्योडी से सलैया मार्ग का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश व अन्य निवासीगण पनवाड़ी जनपद महोबा की याचिका,

5-जनपद महोबा के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कॉलेज का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण चरखारी जनपद महोबा की याचिका,

6-जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी नगर में बस डिपो स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

7-जनपद महोबा के विकास खण्ड-जैतपुर अन्तर्गत नयापुरा मुहाल में पेयजल की समस्या को देखते हुये पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 15 याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम देवगनमऊ से माइनर पर जमाल नगर तक माइनर के किनारे लगभग 05 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सिर्सचेरी से सहजनपुर मुंशीगंज होते हुए भदनी नदी तक सड़क का निर्माण कार्य तथा नाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत चकलवंशी मियाँगंज रोड से पंडित खेड़ा रोड तक लगभग 1.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बाँगरमऊ के ग्राम अशरफाबाद में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बी0के0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम न्यामतपुर से पावा तक लगभग 02 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेस-वे सफीपुर मियागंज रोड पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सफीपुर मियॉगंज रोड पे नानी कोठरिया से सिद्धनाथ होते हुए आसीवन तक लगभग 03.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मियाँगंज रोड से छत्ता खेड़ा तक लगभग 02.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम मिर्जापुर जमाल नगर के हार में सरकारी नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघव शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम मिर्जापुर से मुस्तफाबाद तक लगभग 02.00 कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के दिपवल रोड से नीमा खेड़ा तक लगभग तीन कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु श्री राम खेलावन, ग्राम प्रधान दिपवल, व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के वि0ख0 मियाँगंज जनपद उन्नाव के ग्राम ओगरापुर में सरकारी नलकूप का अधिष्ठापन हेतु श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम ओगरापुर, जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव में वि0ख0 नवाबगंज जनपद उन्नाव के ग्राम शाहपुर भदेमू में सरकारी नलकूप का अधिष्ठापन हेतु श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम शाहपुर जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव के टिनई मियाँगंज से पुरवा तक एक कि0मी0 सड़क तथा बीच में पुल का निर्माण कार्य हेतु श्री नारेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण टिनई, जनपद उन्नाव की याचिका तथा

15-जनपद उन्नाव के शिवथाना से रतन खेड़ा तक दो कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु श्री कुलदीप सिंह व अन्य निवासीगण शिवथाना, जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 12 याचिकाएं तथा जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

1-जनपद व तहसील बरेली में बरेली नैनीताल मार्ग से गुनाह हट्टू होते हूए कमालपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरपत मौर्य व अन्य निवासीगण गुनाह हट्टू जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद व तहसील बरेली में देवरनियां से मुड़ियाजागीर तक सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुनपाल मौर्य व अन्य निवासीगण देवरनियां, जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद व तहसील बरेली में बरेली नैनीताल मार्ग से मोहनपुर तक सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदास गंगवार व अन्य निवासीगण, मोहनपुर, जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम खतौला हुलास कुंवर में गांव से शमशान भूमि तक मिट्टी खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कटियार व अन्य निवासीगण ग्राम खतौला हुलास कुंवर जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम पहाड़गंज मन्दिर से खूबचन्द्र पटेल के निवास तक मिट्टी खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष व अन्य निवासीगण, पहाड़गंज, जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद व तहसील बरेली में बरेली हाई-वे से प्रा0वि0 परधौली तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण परधौली, जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम धौरेरामाफी की महानगर कालोनी के मुख्य मार्ग तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद व तहसील बरेली में अभयपुर रिठौरा मार्ग से लाडपुर होते हुए जटऊ पट्टी तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की चाचिका,

9-जनपद व तहसील बरेली में थाना भोजीपुरा से पट्टी बिहारीपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम महेशपुर शिवसिंह में मुख्य मार्ग से दुर्गा मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौबत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम खानपुर में मुख्य मार्ग से बाजार तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने से सम्बन्ध में श्री खरगसेन गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद व तहसील बरेली में ग्राम पीपलसाना चौधरी मकरन्दापुर रोड से हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

13-जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपकेन्द्र कुबेरस्थान में अलग फीडर बनाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गादयाल मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गई।

श्री बैजनाथ रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बैजनाथ रावत, सदस्य, विधान सभा जनपद लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर-6 के जे0पी0 होम्योपैथ फार्मेसी कालेज से आयुष विहार कालोनी में श्री चन्द्रहास सरोज के घर तक मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रहास सरोज व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री काली प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री काली प्रसाद -

1- जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर के ग्राम ठेंगवल तिवारी में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री बृजनन्दन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2- जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर के मझौलीराज में राजकीय नलकूल लगवाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3- जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार के ग्राम खरदहा घनश्याम में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4- जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर के ग्राम-पिपरा दवन में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

5- जनपद देवरिया के विकास खण्ड भागलपुर (धकपुरा) में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री विश्वामित्र मुनी मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका, तथा

6- जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार के ग्राम धमैली में राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में श्री विद्यासागर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल -

1- जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर में बस अड्डा के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

2- जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड-तुलसीपुर के ब्लॉक मुख्यालय के कौवापुर क्षेत्र में महिला इण्टर कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनय मिश्रा, प्रधान मंजरी बलरामपुर व अन्य की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 21 याचिकाएं†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय -

1- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनिया के ग्राम डिलौली में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री जीया लाल के दरवाजे तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अयोध्या पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम सूरजपुर बनापार में श्री राजेन्द्र यादव के दरवाजे से श्री पार्वती माता जी के मन्दिर तक विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री अनूप तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम उण्ड़वा में एवं ग्राम पंचायत जमोड़ी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द अग्निहोत्री, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम कन्धरपुर में श्री उदयभान के घर से बृजेश मौर्य के घर तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम बांसीपरान में सेलरहा बांसीपरान से हजरतपुर धीरनपुर, ऊंधनपुर रेलवे लाइन से विशुनदासपुर मटियार बांसीपरान व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में कन्दरवां चौराहे से गंज, जमुनापुर खरौली मार्ग व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में उण्ड़वा सम्पर्क मार्ग से सिंहपुर भटौली सम्पर्क मार्ग, कजियाना अशोक नगर से मुतवल्लीपुर व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के भनवामऊ से टिकठामुसल्लेपुर, मायेमऊ मन्दिर से अवस्थिन का पुरवा व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्नू सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

9- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में सेवरा से उबरनी सम्पर्क मार्ग, सेवरा से चैनपुर तक सम्पर्क मार्ग व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के नरहपुर से कुंजन का पुरवा, कल्यानपुर बेंती से ठाकुरद्वारा पखरौली व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनिया के उमरन से रसूलपुर, हनुमानगंज पुल से चकबीबी रसूलपुर व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 इफ्तिखार उर्फ लल्लू, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनिया के मतरमपुर गाँव से मवई रोड, बीकरगढ़ से सरेनी व अन्य मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश पटेल, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

13- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के ग्राम पंचायत निगोहां, बेहरामऊ, कोटिया, हरदो, चड़रई व मतरौली में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विन्देश्वरी पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

14- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम पंचायत जमोड़ी, सिंहापुर भटौली, उण्डवा, सुदामापुर एवं पूरबगांव में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द अग्निहोत्री, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

15- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के ग्राम चितऊ का पुरवा मजरे सरेजी में बारात घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

16- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में शहजादपुर सम्पर्क मार्ग से कोटिया चित्रा मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रज्जन दुबे, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

17- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में याची के यहां से लूकरचांदपुर, कोल्ड स्टोरेज से बांसीपरान, सलोन रोड से कुरौली दमा गांव तक सम्पर्क मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश सोनकर, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

18- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में याची के यहां से उण्डवा दौलतपुर सम्पर्क मार्ग से सिंहापुर भटौली, लखनऊ मेन रोड से नवाबगंज व अन्य मार्गों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद पासी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

19- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम ढेलहा मजरे सलेमपुर व राधा बालमपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं टूटे हुए पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

20- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में दीनगंज गांव से बाजार एवं जगतपुर रोड से मायेदीन के घर तक नये सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री मैराज, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

21- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर के ग्राम उण्डवा में दर्शन पासी के दरवाजे के सामने नया ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री पल्टूराम -

1- जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2- जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा पचौथा, लकमा, चंदापुर में बाँध निर्माण होने से किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में श्री संतराम जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3- जनपद बलरामपुर तहसील सदर अन्तर्गत डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भवन होने के बावजूद भी शिक्षण का कार्य न होने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

1- जनपद गोण्डा के गिन्नीनगर-अल्लीपुर मार्ग से राघव बस्ती खरहीभारी मार्ग लम्बाई लगभग 5 कि0 मी0 का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रघुवंश बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2- जनपद गोण्डा के बभनान मुख्य मार्ग से डिस्टलरी होते हुये गौरा चौकी मार्ग तक लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3- जनपद गोण्डा के दर्जीकुआं-मनकापुर-गौराचौकी बभनान का अवशेष 23 कि0मी0 मार्ग जो ध्वस्त है, का लोक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सोहरत प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

4- जनपद गोण्डा के मसकनवां-सिकन्दरपुर मार्ग के फटही बाजार से शीतलगंज होते हुये दरियापुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई-5 कि0मी0 का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री राम उजागर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत नगर पंचायत भैंसामऊ के ब्लॉक-इन्दौराबाग के वार्ड नं0-9 के भीखा माहरा के घर से एस0आर0 कालेज बाउन्ड्रीवाल तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ज्ञान तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री ज्ञान तिवारी-

1- जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा की ग्राम सभा थानगांव में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री विकास शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2- जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड-रेउसा के अन्तर्गत रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3- जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में रेउसा चौराहे के सौन्दर्यीकरण व जल निकासी के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

4- जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र सेवता में विकास खण्ड-रेउसा के अन्तर्गत राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण नन्द अवस्थी व अन्य निवासी जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

1- जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकासक्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत पीलीभीत बहराइच मार्ग से देव स्थान समय माता मन्दिर तक जाने वाले मार्ग लम्बाई

---

† छापी नहीं गयीं।

2.00 कि0मी0 का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

2- जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग से बड़ोखर शंकर जी के शिव मन्दिर लोढ़वा तक जाने वाले (लम्बाई 2.00 कि0मी0) मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 16 याचिकाएं जनपद कानपुर नगर से सम्बधिन्त 03 याचिकाएं तथा जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

1- जनपद कानपुर की गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित मामा तालाब के सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र स्थित अर्मापुर से दादा नगर इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाला वर्तमान में कच्चा मार्ग को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3- जनपद कानपुर के रावतपुर तिराहे और गोल चौराहे के मध्य जी0टी0 रोड के मानकानुसार चौड़ाई की सर्विस लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा पण्डित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4- जनपद कानपुर के रावतपुर तिराहे और गोल चौराहे के मध्य स्थित हृदय रोग संस्थान से होकर गुजरने वाली हाईटेंशन विद्युत लाइन के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

5- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पनकी नौरेयाखेड़ा से सी0टी0आई0 चौराहे तक नहर के दोनों तरफ नहर पटरी पक्की करवाने के सम्बन्ध में श्री के0के0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

6- जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-5 में नई वाटर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

7- जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-6 में नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-6 में नई वाटर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

9- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-5 में नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

10- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशालकाय खुले रफाका नामक नाला को ढके जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

11- जनपद कानपुर के दादानगर इण्डस्ट्रियल स्टेट में 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन स्थापित करवाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण दादानगर जनपद कानपुर की याचिका,

12- जनपद कानपुर के नेशनल हाई-वे-2 पनकी पड़ाव से शहर के बाहरी वाहनों का कानपुर महानगर में प्रवेश करने हेतु ''ग्रेड सप्रेटर'' के निर्माण हेतु श्री सुरेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण पनकी जनपद कानपुर की याचिका,

13- जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित पार्को में सूख रहे पौधों के संरक्षण हेतु सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता व अन्य निवासीगण गुजैनी जनपद कानपुर की याचिका,

14- जनपद चन्दौली के कार्यालय अधिशासी अस्थाई खण्ड (प्रप) लो0नि0 विभाग मुगलसराय चन्दौली में कार्यरत कर्मचारी के अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति जारी करवाने के सम्बन्ध में श्री समर सिंह निवासी ग्राम गुरीरी जिला चन्दौली की याचिका,

15- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में अन्तर्गत पनकी एवं दबौली क्षेत्र विविध वार्डों के अत्यन्त जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित उपाध्याय व अन्य निवासी पनकी कानपुर की याचिका,

16- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की वैकल्पिक आपूर्ति हेतु नये हैण्डपम्पों की उपलब्धता के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सैनी व अन्य निवासीगण, निराला नगर, जनपद कानपुर की याचिका,

17- जनपद कानपुर के ए0टू0जेड0 कम्पनी द्वारा पनकी बाईपास बनाये गये कूड़े के डम्प स्थल को अन्य कहीं स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शुक्ला व अन्य निवासीगण पनकी जनपद कानपुर की याचिका,

18- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की वैकल्पिक आपूर्ति हेतु खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

19- जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शहर के बीचों-बीच वीरान पड़े ''पनकी धाम रेलवे स्टेशन'' को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन सविता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

20- जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में कतिपय स्थानों पर खराब नलकूपों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती दीपा द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

1- जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के विकास खण्ड बलियाखेड़ी के अन्तर्गत ग्राम चांदनपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 करण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2- जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत कस्बा नागल में तालाब की सफाई कराकर नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल डाबर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3- जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम जधेड़ा समसपुर में तालाब की सफाई कराकर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद पंवार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4- जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम टपरी में हिण्डन नदी पर रपटा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठा0 मिलाफ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

5- जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नागल के अन्तर्गत ग्राम पिरड में तालाब की सफाई कराकर नाले का निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 15 याचिकाएं†

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

1- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम नवादा तालुके पलिया रमापुर उत्तरी से खादा तालुके पलिया तक क्षतिग्रस्त रोड का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर ग्राम अमरेडी मलरिया मिर्जापुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अटल तोमर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम भरतापुर को डामरीकरण से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम भरतापुर, वि0ख0 जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम कुलआबोझ से पिटरहाई तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम कुलआबोझ, वि0ख0 जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

5- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम खेड़ाबझेड़ा नवादा मोड़ पर जलभराव की समस्या का समाधान कराने के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण ग्राम खेड़ाबझेड़ा, वि0ख0 जैतीपुर जनपद, शाहजहांपुर की याचिका,

6- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया के पूरब साइड में नहर पर जर्जर पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण ग्राम नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया, वि0ख0 तिलहर, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

7- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के बुधआना गढ़ियारंगीन मार्ग से विरिया कला से विरिया खुर्द तक रोड का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम बुधआना, वि0ख0 मदनापुर जनपद, शाहजहांपुर की याचिका,

8- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम पेहना से फरीदपुर तक सड़क का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण ग्राम पेहना, वि0ख0 जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

9- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम भूड़िया से अलियापुर तक सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष गंगवार व अन्य निवासीगण ग्राम भूड़िया, वि0ख0 खुदागंज, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

10- जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया तक रोड का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पंचू व अन्य निवासीगण ग्राम नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया, वि0ख0 तिलहर, जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

11- जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम नगरिया में ग्रीश फौजी के मकान से रशीदपुर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्रीशपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

12- जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम पंचायत निजामपुर नगरिया के राजस्व ग्राम रशीदपुर व निजामपुर नगरिया, मडईया में जर्जर बिजली की लाइन को बदलवाए जाने व केबिल डलवाए जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह चन्देल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

13- जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम कोना याकूबपुर में मगटोरा डामरीकरण तक सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

14- जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद में ग्राम पेहना से फरीदपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

15- जिला शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम सहोरा से उमरसड़ मार्ग पर सहोरा के पास सुकन्त नदी पर पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

1- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत बहराइच मोहल्ला-बक्शीपुरा घोसिनबाग में श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के मकान से श्री अजय सिंह व मुकेश प्रजापति के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, निवासी बक्शीपुर घोसिनबाग, जनपद बहराइच की याचिका,

2- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत महाराजा सुहेलदेव शहीद स्मारक पर्यटन स्थल क्षेत्र से बहराइच मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज सहित आवागमन हेतु मार्ग के सम्बन्ध में श्री अमित श्रीवास्तव, निवासी घसियारीपुरा, जनपद बहराइच की याचिका,

3- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत बहराइच मो0 चांदमारी, घोसिनबाग में पंकज मिश्रा जी के घर से दीनदयाल तिवारी के घर होते हुए कल्याण जायसवाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

† छापी नहीं गयीं।

श्री नीलम श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण चांदमारी, घोसिनबाग, जनपद बहराइच की याचिका तथा

4- जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में यातायात की सुगमता हेतु आउटर रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित श्रीवास्तव, निवासी घसियारीपुरा, जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 16 याचिकाएं†

68-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

1- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दखिनारा में मानेक चन्द्र के घर के पास से होतीलाल के घर के सामने तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मानेक चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2- जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम आसदेवमई नूरपुर में भारत सिंह के घर से गोविन्द के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री भारत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3- जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम आसदेवमई नूरपुर में राजेन्द्र शर्मा के घर से बृजेश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण फिरोजाबाद की याचिका,

4- जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम आसदेवमई नूरपुर में चरन सिंह के घर से हरनाम सिंह के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दखिनारा में पप्पू दिवाकर के घर से अनार सिंह कुशवाहा के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री पप्पू दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम अकलपुर दामोदरपुर में नरेन्द्र कुमार के घर से राजेश कुमार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य (लगभग 100 मी0) कराने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम शंकरपुर में मढुआ डामर रोड से राजेन्द्र के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम आलमपुर कनैटा नगला खना में सुखदेवी हुकुम सिंह शिक्षण संस्थान से ग्रीशपाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्रीशपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पहाड़पुर में मुकेश के ट्यूबवेल से हमेश के घर तक नाला निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पहाड़पुर में किशन कान्त के घर से मानपाल के घर तक नाला निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मानपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम साढूपुर में चमरौली से साढूपुर होकर कौलामई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री रामनिवास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पहाड़पुर में मुकेश की ठार से मानपाल के घर होते हुए महेश के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पहाड़पुर में हरी सिंह के मकान से धीरी सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री हरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पहाड़पुर में मुकेश की ठार से सोभा देवी की दुकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम गढ़ी तिवारी चौराहे से जवाहर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

16- जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम खेड़ा गनेशपुर में सम्पर्क मार्ग से सन्तोष वाल्मीकी के घर से अमृत लाल के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध श्री सन्तोष व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-69 में कुछ नहीं है।

[01:04] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 अगस्त, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

1-दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ले ली जायं।

2-दिनांक 19 अगस्त, 2021 को सदन की बैठक होगी और वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं और उस दिन नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

दिनांक 17 अगस्त, 2021 से दिनांक 24 अगस्त, 2021 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

अगस्त, 2021

17 मंगलवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।
18 बुधवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं। 2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
19 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। 2-विधायी कार्य।
20 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
21 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार	विधायी कार्य एवं अन्य कार्य।
24 मंगलवार	विधायी कार्य एवं अन्य कार्य।

संसदीय कार्य एवं वित्ती मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्यमंत्री द्वारा रखा गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं है।

[01:07] उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक 2021†

श्रम, सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 27-08-2021 के साधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021†

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

[01:09] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, डा0 संग्राम यादव, श्री नफीस अहमद, श्री नाहिद हसन और श्री मनोज कुमार पारस जोकि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी विषय पर श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' श्री अजय कुमार 'लल्लू' श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर एवं श्री सोहिल अख्तर अंसारी जी की भी सूचना है। इन दोनों सूचनाओं का विषय एक है, इसलिए सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपने विचार रख लें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने तरीके से तमाम विषयों को जल्दी-जल्दी निपटा करके इस जनहित के मामले को सुनने की कृपा की है, इसलिए मैं सबसे अधिक आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, घनघोर महंगाई है, कमरतोड़ महंगाई है, जानलेवा महंगाई है और हर चीज महंगी है। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगा, हर तरह की दाल महंगी, हर तरह का अन्न महंगा, बिजली महंगी, चाहे वह घर की हो, चाहे ट्यूबवेल की हो, चाहे छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों की हो, सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, बालू महंगा, मौरंग महंगा, गिट्टी महंगा।

अध्यक्ष जी, क्या-क्या बताऊँ कि नहीं महंगा है ? इस सरकार में केवल एक चीज सस्ता है, लोगों की जान मार देना। बाकी सब चीज महंगा है। ये सरकार कहती है कि मुफ्त

---

† दिनांक 27-08-2021 के साधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

टीकाकरण, मुफ्त अनाज, मुफ्त आधारभूत ढाँचा, निःशुल्क बैंक खाता, गैस सिलेण्डर और मुफ्त बहुत कुछ बता रही है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता से रु0 10.00 वसूल करके रु0 04.00 वापस कर रही है और रु0 06.00 गप कर ले रही है। महँगाई को बढ़ा दे रही है। गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले पुनः गरीबी रेखा से नीचे गिर गये। किसी भी सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसी योजनाएं बनाए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप सरकार से सर्वे करवाएंगे, तो जो गरीब हैं, वह अत्यन्त गरीब हो गये हैं और इस देश के जो चन्द पूँजीपति है, उनकी केवल कोरोनाकाल में खरबों रुपये आमदनी बढ़ गयी। गरीब आदमी जो मुम्बई, महाराष्ट्र, बंगलौर, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, आसाम, पंजाब, दिल्ली, नोएडा एवं गुड़गाँव में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, वह घर आ गया है। आज वह एक-एक पैसे का मोहताज बना है। मा0 अध्यक्ष जी, मई, 2016 में क्रूड ऑयल की कीमत रु0 45.01 पैसे थी, तब पेट्रोल की कीमत रु0 62.19 पैसे और डीजल की कीमत रु0 50.95 पैसे थी। दिनांक 16-08-2021 को कच्चा तेल रु0 51.08 पैसे में है, तब पेट्रोल रु0 98.89 पैसे में है, यानी रु0 99.00 प्रतिशत पेट्रोल का दाम बढ़ा है। डीजल रु0 90.24 पैसे में बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार जनता से अधिक वसूली करने की नियत से ही इसे जी0एस0टी0 से बाहर रखा है। डीजल, पेट्रोल की महँगाई से भाड़ा लागत बढ़ी है। जिसका प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर महँगाई के रूप में सामने आ रही है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 को रसोई गैस की कीमत रु0 490.00 थी। आज अगस्त, 2021 में घरेलू गैस रु0 897.50 में और कामर्शियल गैस रु0 1650.00 में मिल रही है। घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी भी लगभग खत्म कर दी गयी है। सरसों तेल जनवरी, 2020 में रु0 85.00 प्रति लीटर था और आज रु0 200.00 में बिक रहा है। जनवरी, 2020 में रिफाइंड रु0 85.00 प्रति लीटर था और अब रु0 150.00 में बिक रहा है। अरहर दाल रु0 70.00 प्रति किलोग्राम थी और अब रु0 95.00 में बिक रहा है। उड़द दाल रु0 80.00 प्रति किलोग्राम था और अब रु0 130.00 में मिल रहा है। मूंगदाल रु0 72.00 प्रति किलोग्राम था और अब रु0 120.00 में मिल रही है। चना और मसूर दाल रु0 55.00 प्रति किलोग्राम था और अब रु0. 75.00 में मिल रही है। चीनी रु0 32.00 प्रति किलोग्राम थी और अब रु0 37.00 में मिल रही है। तेल रिफाइन्ड, दाल, माल-भाड़ा, कागज, प्लास्टिक, स्टेशनरी आदि तक में रु0 35-40 तक की वृद्धि/महंगी हुई है। फल, गैस, शराब, पेय पदार्थ, परिवहन, ईंधन, बिजली, पानी आदि सब महंगी हो गई है। सब्जियाँ रु0 10-15 प्रति किलो महंगी हो गई हैं। डीजल, बिजली, खाद, बीज की महंगाई से किसान निराश हो गया है। किसान को उसकी उत्पादन लागत तक नहीं मिल पा रही है और विचौलिए लाभ उठा रहे है।

मा0 अध्यक्ष जी, यहाँ तक की जीवन रक्षक दवाइयों के दाम विगत दो माह में 20 प्रतिशत तक बढ़ा है। एक माह पहले ब्लड प्रेशर की दवा एमप्लीप्रेस एंटी रु0 123.00 में

थी, अब रु0 135.00 में बिक रही है। कोलेस्ट्राल की गोली रोजावेल -20 रु0 303.00 में थी, अब रु0 330.00 में बिक रही है। दर्द की इंडोकैव एस0आर0 रु0 105.00 से 115.00 में बिक रही है। यूरिक एसिड की दवा फेबुस्टेट-40 रु0 84.00 से 202.00 में बिक रही है। सांस की दवा ए0बी0 फ्लो कैप्सूल रु0 112.00 से 123.00 में बिक रही है। ए0बी0 फाइलीन 100 एम0जी0 रु0 123.00 से 135.00 में बिक रही है। गैस की पैन-डी रु0 178.00 से 190.00 में बिक रही है। डायबिटीज की ट्राइजेम-2 रु0 92.00 से 115.00 में बिक रही है। डायबिटीज की ट्राइजेम-2 रु0 92.00 से 115 में बिक रही है। शुगर का इंसुलिन इन्जेक्शन लैटा कार्टेन 3284 से 3612.00 रुपये हो गया, ह्यूमन इंसुलिन 1610.00 से 1770.00 रुपये हो गई। और ह्यूमालग 3725.00 से 4095.00 रुपये, हो गई, बी0पी0 की दवा लोसा-50 98. 25 से 107.85 रुपये हो गई, स्टार प्रेज एक्स0 एल0 94.46 से 96.24 मोनिट 173.50 से 190.00 रुपये हो गयी है, यहां तक कि ब्रांडेड दवाओं का मूल्य जेनेरिक दवाओं से दुगुने दामों में बिक रही है और सभी डाक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाएं खरीदने पर दबाव देते है। आज थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर 12.94 फीसदी हो गयी है, खुदरा महंगाई दर 6.3 फीसदी पर पहुंच चुकी है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गयी रोजगार छिन गये है, जमा पूंजी समाप्त हो गयी है कर्ज लेकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। भाजपा सरकार की बनियागीरी नीतियों से बढ़ती महंगाई के कारण जनता में भयंकर आक्रोश है जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी मैं यह आपसे प्रार्थना करता हूं कि इससे बड़ा सवाल जनता के लिए हो नहीं सकता हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। इस मामले पर किसी को अलग नहीं होना चाहिए। कल हम सब को वोट लेने जाना है अगर हम सत्ता के चक्कर में कह दें कि पार्टी इस पर कार्यवाही करेगी कि मंहगाई नहीं है तब जनता हमें बख्शेगी नहीं। अध्यक्ष जी इससे महत्वपूर्ण सवाल और कोई नहीं है इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही रोक कर के इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से इस मांग को लेकर हम आप तक पहुचे और आपने इसको स्वीकार किया और जिस तरह से आपने कार्यवाही को जल्दी करके इस लोक महत्व के विषय को सुनने का समय दिया में आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई की मार से

त्रस्त है। प्रदेश की एक बड़ी आबादी को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। और यदि मिल भी रही है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी थाली से पौष्टिकता गायब हो गई है। प्रदेश कुपोषण की और बढ़ रहा है। बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज उत्तर प्रदेश बिहार से जो सबसे निचले पायदान पर है उससे ऊपर है। उत्तर प्रदेश सरकार के टैक्स और कर के कारण पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर हो गए। खाद्य तेल के दाम 150 से 200 प्रति लीटर पहुंच गए, अर्थात् खाद्य तेल के दाम पिछले दो वर्षों में दुगने से भी ज्यादा हो गए। दूध की कीमत बढ़ गई, घरेलू गैस की कीमत लगभग 900 रुपये प्रति सिलेण्डर पहुंच गई सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। खाद महंगी हो गई है। आटा, दाल, दलहन, चीनी जरूरत की हर चीज, यहां तक कि दवाइयां भी महंगी हो गई है। लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस मौजूदा सरकार में एक तरह से कालाबाजारी और जमाखोरी को संरक्षण दिया जा रहा है। महंगाई उसका सबसे बड़ा नतीजा है। आज किसान जो सस्ते दाम में अपना अनाज बेच रहा है अपनी खून पसीने की कमाई बेचता है और सरकार से वही महंगे दामों में खरीदता है।

आज जो सबसे शर्मनाक चीज है कोरोना काल में जिन लोगों की मौतें हुईं, श्मशान घाट पर लकड़ी भी 10 गुना बढ़ी कीमतों पर लोगों ने खरीदी यह सबसे बड़ी त्रासदी इस मंहगाई की है। यह सरकार नारा लेकर आयी थी कि "बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार भा0ज0पा0 सरकार"। खूब नारा चला। भा0ज0पा0 सरकार को लोगों ने मौका दिया। कोई विकास हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन महंगाई का विकास सबसे ज्यादा आज भी जारी है। अच्छे दिन आज देश पर भारी पड़ रहे है। रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जरूरत की चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जबरदस्त महंगाई का शिकार हो रही हैं। अगर गैस सिलेण्डर की बात करें तो 2014 में जो घरेलू गैस सिलेण्डर 410.50 रुपये में बिक रहा था, वह आज 2021 में 872.50 रुपये में बिक रहा है। यह वही गैस सिलेण्डर हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उज्ज्वला योजना आयी है उन गरीब औरतों के लिए जिनकी आँख में धुयें से आँसू बहते थे। आज वह गरीब महिला जब गैस सिलेण्डर वापस भरवाने जाती है तो उसके आँसू रुक नहीं रहे हैं। पेट्रोल के दाम पहले भी बढ़ा करते थे, हर सरकार में व हमेशा बढ़ते थे, साल में एक, दो व तीन बार बढ़ते थे, अब तो दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। जी0एस0टी0 से पेट्रोल और डीजल को बाहर रखा है। 2015 में पेट्रोल का दाम 66.09 रु0 प्रति लीटर और डीजल 46.87 रु0 प्रति लीटर था, वही आज 2021 में पेट्रोल का दाम 100.56 रु0 प्रति लीटर और डीजल लगभग 90 रु0 प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़े, परन्तु माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से खाद्य तेलों के दाम बढ़े तो पराठे से भी तेल का असर कम होता चला जा रहा है। लगातार गरीब की थाली से दाल और सब्जी गायब होती जा रही है और यहाँ तक कि बच्चों की बोतलों से दूध में कटौती करने के लिए भी माँए मजबूर हैं। बेतहाशा महंगाई हर

मामले में बढ़ती चली जा रही है। पिछले 15 महीनों में 40 प्रतिशत तक रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ गये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से इस सरकार में जमाखोरी को संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब कोरोना काल हुआ और एक बड़ी त्रासदी से पूरा देश और प्रदेश जूझ रहा था, रोजगार चले गये, नौकरी चली गयी, उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी थी कि गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था उनको किसी तरह से बचा सकें। परन्तु यह सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न कर सरकार जमाखोरों की मदद करती रही।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

अध्यक्ष जी, ये मेरे आंकड़े नहीं है ये सरकार के आँकड़े हैं कि पिछले 8 वर्षों में 7.39 प्रतिशत महंगाई देश में बढ़ी है। चाहे सब्जी के दाम ले लें-आलू, प्याज या जो भी चीजें हैं, हर चीज में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है, वह पिछले डेढ़ वर्षों में कोरोना काल में हुई है। यह सबसे ज्यादा चुनौती सरकार के सामने है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर टिप्पणी की जाती थी और यही कहा जाता था कि रुपये की ख़नक गायब हो गयी, सुनाई नहीं देती। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भारत के रुपये की कीमत मुख्य मंत्री जी के आवाज की तरह मौन क्यों है, यह जनता पूछ रही है ? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज वह नेता कहाँ हैं जब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेण्डर के दाम बढ़ते थे तो सड़कों पर छाती पीट-पीट कर आन्दोलन करते थे, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। गरीब जनता की आवाज उन तक नहीं पहुँच रही है। मैं इतना ही कहूँगी के कालाधन वापस नहीं आया, 15 लाख रुपये किसी के खाते में नहीं आये। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उनके हिस्से में नौकरी नहीं आयी है। यह 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। जी0डी0पी0 अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी है। महंगाई चरम पर है और सरकार मौन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इससे महत्वपूर्ण विषय आज और कोई नहीं हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायें। यह प्रदेश की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता कांग्रेस ने इस विषय पर विस्तार से आंकड़ों सहित अपना विषय रखा है। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाही इस विषय पर अपने विचार रखेंगे।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोध दल आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी, कांग्रेस की नेता आदरणीय श्रीमती मोना जी ने अभी विस्तारपूर्वक महंगाई के ऊपर अपने विचार रखे हैं। आप सबने कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को यहां पर रखा है। एक लम्बी फेहरिस्त माननीय नेता विरोधी दल ने दवाइयों के संदर्भ में दी है, डीजल-पेट्रोल की कीमतों पर मैं उसके बाद में आता हूं, उसकी वजह से मा0 नेता विरोधी दल का कहना है कि काफी महंगाई बढ़ी है जबकि यह तथ्य के परे है और नेता विरोधी दल बराबर कुछ चीजों को अतिरंजित करने के विशेषज्ञ है। जो मेरे पास दवाइयों की प्राइज लिस्ट आयी है, उसमें से एमलोप्रेस ए0टी0 की कीमत 135.9 रुपये थी, 135.9 रुपये अप्रैल महीने में कीमत थी और अभी भी अगस्त महीने में आज की तारीख तक 135.9 रुपये ही है। रोजावेल की कीमत 330 रुपये थी, अभी भी 330 रुपये ही कीमत है। इंडोकैप की कीमत 115 रुपये थी, वह अभी भी 115 रुपये बनी हुई है। जो इन्होंने दवाइयों की फेहरिस्त बताई है, उसमें से सिर्फ दो दवाइयां इस प्रकार की हैं, फेब्रुस्टेट 223 रुपये 60 पैसे की थी, जो अब 245 रुपये 96 पैसे की है और इसमें लगभग 22 रुपये की वृद्धि हुई है और इसी प्रकार से ह्यूमालॉग 745 रुपये की थी, वह 819 रुपये में है। जितने भी प्रदेश के ऐसे बीमारजन हैं, उनको जन औषधि केन्द्र से रियायती दर पर दवा उपलब्ध करायी जा रही है। यह आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर के हर प्रमुख स्थानों पर अनेक जन औषधि केन्द्र के माध्यम से इसकी व्यवस्था कर रखी है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस पूरे कोविड काल के भीतर प्रदेश में आने वाले जितने भी मरीज थे, सभी सरकारी अस्पतालों के भीतर उनके निःशुल्क इलाज का प्रबन्ध कराया गया। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क उनको किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं देना पड़ा। इस तरीके से उनको लगातार राहत दिये जाने का काम किया गया।

(नेता विरोधी दल द्वारा बैठ-बैठे बोलने का प्रयास करने पर)

आप तो स्वयं अस्पताल के भीतर थे और आपको इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार से एक बेहतर प्रबन्ध कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी कोशिश की कि सबके जीवन की रक्षा हो सके। पूरी सरकार उसके लिए तत्पर रही और हर प्रकार से जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कालेज तक, कोविड हॉस्पिटल तक सबमें इस प्रकार के प्रबन्ध किये, जिससे कि किसी भी मरीज को कठिनाई न हो और उनका समाधान निकाला जाए। आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल के बारे चर्चा की है। मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं और आदरणीय मोना जी ने भी इस विषय को बड़ी तल्खी के साथ रखा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर निर्धारित होती है। भारत सरकार और उनकी जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कम्पनियां हैं, वह अब बाजार रेट के हिसाब से उसको तय करती हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में वैट का सवाल है तो राज्य सरकार उसको निर्धारित करती है, लेकिन मैं इस

सदन के माध्यम से माननीय नेता विपक्ष को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य भी है। इन सभी राज्यों से पेट्रोल और डीज़ल की कीमते उत्तर प्रदेश में कम है। उदाहरण के रूप में राजस्थान के भीतर जयपुर में 99.08 रु0 में डीज़ल की बिक्री होती है। जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अन्य जनपदों के भीतर 90.32 रु0 पहले था। अब वह घट करके 90.08 रु0 पर आ गई है। पिछले एक हफ्ते से किसी भी प्रकार के डीज़ल के कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसी तरीके से लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 98.52 रु0 है जबकि राजस्थान के भीतर 108.78 रु0 है, दस रुपये ज्यादा है। वह अपने को इतनी हमदर्दी दिखाते हैं और इसीलिए आज महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं है। लगातार राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास किया इस कोविड काल के भीतर उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ते दर पर राशन ही नहीं, निःशुल्क राशन का प्रबंध किया है। जब पहला कोविड का दौर आया तब उस समय जितने भी मनरेगा के श्रमिक थे या श्रम विभाग के श्रमिक थे या अन्त्योदय कार्ड धारक थे इन सबको निःशुल्क राशन का वितरण उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अप्रैल, मई, जून तीन महीने तक उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे तमाम गरीब लोगों को कराया और ठीक इसी प्रकार से अभी भी तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त इस तीन महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था की जा रही है। जिस पर प्रति माह लगभग 188 करोड़ रुपये से अधिक का व्ययभार उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं कर रही है। स्वाभाविक रूप से इस महामारी के दौर में अनेक कल कारखाने बंद हो गये उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने प्रयास करके समय से उनको लॉकडाउन के बाद खोलने की व्यवस्था कराई। प्रदेश के भीतर किसानों को किसी तरीके की तकलीफ न हो इसके लिये कृषि आधारित सारे उद्योगों को चलाया चाहे फर्टीलाइज़र उद्योग हो, चाहे हमारी चीनी मिले रहीं हो, हर किसान को सुविधा रहे और साथ-साथ में हमारे पास संसाधन भी आए इस दृष्टि से हम लोगो ने राज्य के भीतर किसी को भी कठिनाइयों में नहीं जाने दिया। लगातार इस बात का प्रयास करते रहे। अभी कोविड के पहले फेज़ के भीतर जब पटरी दुकानदार, हमारे श्रमिक एक तरीके से रोजगार बन्द हो जाने के नाते लॉकडाउन के कारण वह अपने गांव व घरों पर थे। ऐसे 19 लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये दो महीने तक देने का काम पहले फेज में किया और 69 लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये दी जाने की व्यवस्था की गयी है। जिसके अन्तर्गत अब तक 23 लाख श्रमिकों को एक-एक हजार रुपये दूसरे फेज के बाद दिया जा चुका है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से आए। ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन का भोजन और एक-एक हजार रुपये उनको नगद देकर उनके घरों को भेजने का काम किया। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जो गरीबों के हित में पटरी दुकानदार, ठेले, खोमचे वाले इन सबको सम्मिलित करके उनको एक-एक हजार रुपये देने का काम किया और इस प्रकार से यह प्रयास किया है कि राज्य के भीतर जो आपने कहा इन्होंने पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिये या डीजल

पर वैट बढ़ा दिये, पेट्रोल और डीजल पर बहुत मामूली ही वैट बढ़ा है। जो कीमतें उसकी बढ़ी हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव की वजह से हुई हैं। जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। लगातार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के भीतर राज्य स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कीमतों की समीक्षा की जाती है। उसको नियंत्रित किए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, राज्य सरकार का निरन्तर ध्यान है कि कीमतें न बढ़ने पाएं इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की कोई तात्कालिकता नहीं है और इसको निरस्त कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब तो स्पष्ट हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तो बिल्कुल घोंट गए। हमारे मित्र हैं बी0एच0यू0 में पढ़ते थे तबसे मित्र हैं बात घुमाने में बड़े माहिर हैं, इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया

श्री अध्यक्ष-

दोनों माहिर हैं कि एक।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इन्होंने केवल दो दवाओं का नाम बताया न तेल का बताया न घी का बताया न रिफाइण्ड का बताया केवल दो दवा का नाम बताया आज ही अध्यक्ष जी रसोई गैस का दाम 30 रुपए से अधिक बढ़ गया कृषि मंत्री जी जो किसान बोरिंग करता है उसका प्लास्टिक का जो पाइप होता है वह 70 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो गया इसको आपने नहीं कहा। कृषि यंत्रों पर जो किसान खरीदता है वह महंगा हो गया, कीटनाशक बीज सब महंगे हो गए, आप भी किसान हैं, अच्छे किसान हैं, आप बड़े किसान हैं, आपको तो कोई अन्तर नहीं है, लेकिन हमारे जैसे किसान जो ढाई, तीन एकड़ के किसान हैं, उनको ही तो सारी कठिनाई है, यह किसी भी बात का जवाब नहीं दे सके अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, बड़े भाई राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बातें कहीं उस बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राम गोविन्द चौधरी जी बड़े भाई हैं किसी भी संकट काल में किसी नेता की नीयत देखी जाती है भारत में पहले ऐसे नेता हुए योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो संकट काल में साहस और धैर्य के साथ प्रजा के साथ खड़े रहे। आप महंगाई की बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जाी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ माननीय मंत्री जी ने इंगित किया कि कुछ राज्यों में यू0पी0 से ज्यादा दाम है डीजल और पेट्रोल के, मैं याद दिलाना चाहती हूँ शायद इनके पास आंकड़े नहीं पहुँचे होंगे या देख नहीं पाए होंगे, लखनऊ में 100 रुपए से ऊपर दाम पर पेट्रोल बिका। वह आंकड़े कैसे नहीं पहुँचे, किसने उन तक नहीं पहुंचाए यह बड़ी विडम्बना है अगर यह बात कही जाए कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है और जनता इससे त्रस्त नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा दुःखद और कुछ नहीं हो सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस पर कृपया चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसके तमाम विषय राज्य सरकार की क्षमता से बाहर हैं। सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अध्यक्ष जी, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, श्रमिकों के प्रति इनको जरा सा भी दर्द नहीं है। इनको इस बात का भान होना चाहिए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस का महोबा में सेकेण्ड चरण का लोकार्पण किया और राज्य की 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को गरीबों को और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गैस कनेक्शन सुलभ हो जाएंगे इसका इनको जरा सी परवाह नहीं है। राज्य के भीतर एक करोड़ 47 लाख 45 हजार 682 लोगों को उज्ज्वला गैस सुविधा उपलब्ध कराई गई है, कोरोनाकाल में तीन महीने तक प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, इनको इसका जरा सा भी भान नहीं है। इन्हें गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है, किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है। पिछले पाँच साल से फर्टीलाइजर की कोई भी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। राज्य के भीतर 10 हजार तक के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान लगातार हम लोग दे रहे हैं और उसकी व्यवस्था किए हुए हैं। इनके मन में जो विचार आ जाता है उसे रख देते हैं और विचार रखने की इनको स्वतंत्रता भी है, लेकिन वह तथ्य नहीं हैं, जो भारत सरकार से सम्बन्धित या अन्तराष्ट्रीय कीमतों से संबंधित है उस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मान्यवर कार्य स्थगन निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब तो स्पष्ट हो गया है, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी इस विषय पर चर्चा करा दीजिए, जब मंत्री जी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, तो इस पर चर्चा करा दी जाय। इस पर दोनों तरफ के सदस्यों का बयान आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों लोग पुराने मित्र हैं, तो आप आपस में बात कर लीजिएगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी हमारे मित्र हैं और रहेंगे भी, लेकिन राजनीतिक तौर से वह दूसरी पार्टी में हैं और हम दूसरी पार्टी में हैं, वह सरकार में हैं और मैं गैर सरकार में हूँ। मंत्री जी ने किसी भी बात का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है और आप चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, गरीबों को मारने वाली सरकार, गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे कर देने वाली सरकार एवं सही उत्तर न देने और चर्चा न कराये जाने के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत लोक महत्व का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार चर्चा से बच नहीं सकती है। सरकार इस पर चर्चा कराये अगर चर्चा नहीं करायी जाती है, अगर सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और अगर सरकार इस पर सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गयी)

श्री अध्यक्ष-

शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी ने सूचना दी है, इसमें श्री उमाशंकर सिंह, श्री आजाद अरिमर्दन एवं श्री विनय शंकर तिवारी जी की भी सूचना है।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष-

मैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी को बुलाता हूँ, प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी जो मुख्य सूचना थी वह नियम-311 में थी, उसी को नियम-56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह पहले से तय नहीं था और नियम-311 तो हम लेते ही नहीं हैं यह आपको मालूम है।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष जी आपका आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आज सरकार तैयार होकर नहीं आयी होगी, हमारे पास आपकी जो भी सूचनायें आती हैं, आप तो पुराने विधायक आपकी जानकारी में होगा।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मान्यवर, आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप समस्या तो सुन लें। हमारे पास जो नोटिस आते हैं वह हम संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज देते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण जिलों से या जहां से भी सूचनायें आनी होती वह मगांते। आप वाला विषय नियम-311 में था इसलिए उसकी सूचना सरकार ने नहीं मंगायी है, सरकार ने इसकी सूचना नहीं मंगाई होगी। बाढ़ पीड़ितों का विषय हमने सरकार को भेजा था और सरकार उसके लिए सम्भवतः तैयार भी है। आप बाढ़ वाले विषय पर बोलिये जिस पर आपका नोटिस हैं, वह नोटिस सुबह ही सरकार के पास चला गया था।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आम-जनों के लिए सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ से उत्पन्न हुई है। विशेष तौर से पूर्वांचल में चूँकि गंगा जी और घाघरा दोनों ऐसी नदियाँ हैं, जो इस समय उफान पर हैं, अभी दो-तीन दिनों से इनका पानी कम होना शुरू हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी इस विषय पर इसलिए भी विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। इसकी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम जानते हैं कि बरसात का सीजन हर साल आता है इसके लिए सरकार ने अलग से विभाग भी बनाये हैं और विभाग को सरकार की तरफ से अच्छा-खासा बजट भी दिया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी चूक होती है कि हर साल लाखों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है ? नये बने सैकड़ों मकान नदी में विलीन हो जाते हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी यह उदासीनता ही है और इसमें मॉनिटरिंग की कमी है। मा0 अध्यक्ष जी, जैसे शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, बस्ती, बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़ चूँकि यह सब ऐसे जनपद हैं जोकि पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। इस विषय पर चर्चा इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से जवाब आयेगा, तो विस्तार से बात आएगी कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ, वह पैसा मौके पर खर्च हुआ भी या नहीं, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी

सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो फसल नुकसान हो रही है, उसमें किसानों को नुकसान हो गया। आगे हमारी फसल नुकसान न हो जिसके लिए हमारी सरकार को प्लानिंग रखनी चाहिए। दूसरा जिसका नुकसान हो गया उसके मुआवजा का क्या प्रारूप होगा, जिनके मकान उस नदी में विलीन हो गये। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे-ऐसे वीडियो फुटेज हैं, बच्चे वीडियो बना रहे हैं, बड़े-बड़े मकान नदी में पूरी तरीके से विलीन होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि अभी भी हजारों लोग सड़क पर आ कर अपना बसेरा बनाये हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविलम्बनीय विषय पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप समस्त कार्यवाही रोक कर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

वैसे आपने पूरी बात कह ली है, लेकिन गुड्डू जो अपने दल के नये नेता चुने गये हैं, अगर ये कुछ कहना चाहें तो कह लें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे परमीशन दे दें, तो मैं किसान वाले पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर बोलिये, बाकी के लिए सरकार के पास कागज नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह-

कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, जवाब दे देंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान मंत्री हैं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस 5 मिनट बोल लेता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, वे जवाब दे लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसका उत्तर आपको कैसे मिलेगा ? बिना नोटिस के वे जवाब नहीं देंगे।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है जैसा आप कहें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल है, आपकी नोटिस कौन काट सकता है ?

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी बसपा के मित्रों ने बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ बात कही है और मुख्य रूप से उमाशंकर जी ने स्वीकार किया है कि पानी घट रहा है और पूरी तरीके से लोग सुरक्षित हैं। मान्यवर, मुझको बताते हुए प्रसन्नता है और हमारे सभी सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत अनुभवी लोग हैं और बहुत से लोगों ने नजदीक से तराई बेल्ट को भी देखा है और बाढ़ के इलाके को भी देखा है। उमाशंकर जी बलिया के रहने वाले हैं और बलिया को इन्होंने बहुत दिनों से देखा है। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, 24 जनवरी, 1950 को उत्तर प्रदेश बना था तबसे लेकर आज तक बाढ़ का पैसा मार्च और अप्रैल में दिया जाता था, अप्रैल और मई में उसका टेण्डर किया जाता था और जब बरसात स्टार्ट होती थी तो बताया जाता था कि पैसा बह गया और काम समाप्त हो गया। लेकिन मान्यवर, पहली बार आपके आशीर्वाद से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने, जो पैसा मार्च और अप्रैल में दिया जाता था उस पैसे को जनवरी में रिलीज किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ।

मान्यवर, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कुछ नीति बनाना चाहिए, आजादी से लेकर अब तक पहली बार ड्रेजिंग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग करके लोगों को बाढ़ से बचाने का अभिनव प्रयोग किया गया है। मान्यवर, जो जनवरी में पैसा दिया गया उसका प्रतिफल यह था कि 242 परियोजनायें हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, श्रावस्ती इन पूरी बेल्ट से इन सारे इलाकों से आते हैं उन सबको अच्छे से पता है कि पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने अपने कर-कमलों के द्वारा बाढ़ में कराये गये कार्यों का लोकार्पण किया और उसमें सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मान्यवर, दूसरी बड़ी बात है पहली बार सभी कार्यों का शिलान्यास किया और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि पहली बार मानसून आने से पहले हमने 70-80-85-90 प्रतिशत परियोजनाओं को पूरा किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं और मैं समझता हूँ कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति उस स्थान पर बैठे हुए हैं। अच्छे तरीके से लोगों को पता है 242 परियोजनाओं का पीलीभीत से लेकर बलिया तक सभी स्थानों पर मंत्री होने के नाते हमने अपने विधायक और सांसदों के साथ बाढ़ से पहले निरीक्षण किया। यह बहुत बड़ी बात है जब से देश आजाद हुआ है और उत्तर प्रदेश जबसे बना है नाले तो बनाए गये, लेकिन नालों की सफाई की योजना आज तक कभी लागू नहीं हुई। पहली बार दस हजार नालों की सफाई का काम हमने किया और मैंने चिट्ठी लिख कर दी। तब हमारे विधायकगण ने जाकर काम का शुभारम्भ किया और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि इसकी योजना बना दी जाए। जिसको उमाशंकर जी घाघरा कह रहे थे। अब उसका नाम सरयू

हो गया है। पूरा शुरू से अन्त तक शासन ने संशोधन करके मां सरयू के नाम से कर दिया है। इसलिए सरयू की तीव्रता बहुत ज्यादा है और सरयू का जो पार्ट है उसमें 6 लाख क्यूसेक लीटर से ज्यादा पानी नहीं आता है। लेकिन गंगा के अन्दर हम देखें तो गंगा का डिस्चार्ज ज्यादा से ज्यादा 5 लाख क्यूसेक लीटर तक ही होता है, तो गंगा उफना जाती है। लेकिन अभी-अभी मान्यवर एक घटना हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हो गयी। हमारे लोक सभा के अध्यक्ष मान्यवर, नाव से कोटा में विचरण कर रहे थे, अपने लोगों को देख रहे थे, राहत सामग्री पहुंचा रहे थे और जब यह अतिवृष्टि हुई तो केवल कोटा बैराज से 22 लाख क्यूसेक लीटर पानी छोड़ दिया गया, जो चम्बल नदी से उत्तर प्रदेश में आया। आज आश्चर्य हो रहा होगा लोगों को सुनकर कि 22 लाख क्यूसेक लीटर पानी आने के बाद भी जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की उसका प्रतिफल यह हुआ कि घाघरा तो 9 मीटर ऊपर चली गई और यमुना जी 4 मीटर ऊपर चली गईं। लेकिन कोई भी जनहानि उत्तर प्रदेश में नहीं हुई यह बहुत बड़ी बात है। हमारा इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, वाराणसी और बलिया में पूरा का पूरा पानी लगभग 3 लाख क्यूसेक लीटर पानी उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया। जिसमें 22 लाख क्यूसेक लीटर पानी राजस्थान ने छोड़ दिया। अगर दोनों को हम जोड़ें तो 25 लाख क्यूसेक लीटर पानी 3 तारीख को अचानक छोड़ा जाता है। फिर छोड़ने के बाद अलर्ट जारी होता है।

मान्यवर, 3 तारीख को पानी छूटता है और 4 तारीख को पानी इटावा पहुंचता है। चम्बल का जल स्तर 9 मीटर ऊपर जाता है। 4 तारीख को रात को जब पता चलता है कि चम्बल से इटावा में पानी आने वाला है। चकर नगर ब्लॉक और इटावा का ब्लॉक उससे प्रभावित होता है। हमारे प्रभारी मंत्री वहां के आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी हैं उनको तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देशित किया और राहत आयुक्त, सांसद और विधायक हमारे साथ थे। हम लोगों ने लग कर वहां काम किया और इटावा और औरैया का भी हमने दौरा किया। उसके बाद हम तुरन्त जालौन और हमीरपुर पहुंचे, फिर बलिया और वाराणसी पहुंचे। उसके दूसरे दिन ही माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पहुंच गये। एक-एक व्यक्ति को अपने हाथों से राहत सामग्री पहुंचायी है। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं पूरे 37 जिलों का आंकड़ा ले करके आया हूँ। मान्यवर, 2015-2016 में एक दल की सरकार थी, जो अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। उस समय लगभग 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसका प्रतिफल यह हुआ कि 15 लाख हेक्टेयर से घट करके 12 हजार हेक्टेयर पर आ गया यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्य बाढ़ से बचाव के लिए किया गया है। 242 परियोजनाएं पूरी करना और 38 हजार किलोमीटर नालों की सफाई मानसून से पहले कराना और 25 लाख क्यूसेक लीटर पानी आने के बाद भी एक भी बांध उत्तर प्रदेश में टूटा नहीं है। सबके सब सुरक्षित हैं। 9 मीटर किसी नदी का पानी खतरे के ऊपर चला जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद भी एक भी पशु हानि नहीं हुई

और न कोई जनहानि हुई है। निश्चित रूप से पानी बढ़ा है। खेतों में पानी गया है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देशित किया प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी मंत्री वहां पर गए। हमारे यहां सर्वे हो रहा है। किसान की जो भी फसले नष्ट हुई हैं। उसका पूरा मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा और इसी प्रकार के किसी नुकसान की बात कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने बाढ़ नियंत्रक की दृष्टि से बहुत काम किया है जैसे बाढ़ की चौकियों का निर्माण करना, एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 को लगाना, मेडिकल टीम का गठन करना, मोटर बोट और बोट की व्यवस्था करना, गोताखोर की व्यवस्था करना, फॉगिंग की व्यवस्था करना, क्लोरीन की गोली और पैरासीटामाल का वितरण कराना, मेडिकल किट की व्यवस्था करना, पशुओं को कोई दिक्कत न हो जिसके लिए भूसा की व्यवस्था करना, पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, जिनके कपड़े भीग गये उन बहनों और महिलाओं के लिए साड़ी की व्यवस्था कराना, जहां पर लाइट चली गई वहां पर इमरजेंसी लाइट, टार्च, मोमबत्ती, लालटेन की व्यवस्था करना। पहले भी राहत सामग्री बंटती थी, लेकिन अब आप उसका अन्तर देख सकते हैं। अभी हमारे आदरणीय प्रभारी मंत्री जी राहत सामग्री बांटकर आये हैं। बलिया में हम लोगों ने, हमारे सुरेन्द्र जी, हमारे उपेन्द्र तिवारी जी ने बांटा है। हमारे रत्नाकर जी ने बोट पर बैठकर बांटा है। हमने इतनी अधिक सामग्री बांटी है कि कोई एक व्यक्ति उसको अकेले उठा नहीं सकता है। दस किलो आटा, दस किलो चावल, दस किलो आलू, ढ़ाई किलो दाल, धनिया, हल्दी, मिर्चा सब कुछ देते हैं। इसके साथ-साथ दूसरा एक पैकेट देते हैं जिसमें लइया, चना और बिस्कुट की व्यवस्था होती है। जिसके पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है उसको तत्काल फूड पैकेट भी देते हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसमें हर तरीके की कल्याणकारी व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के अन्दर जो स्थापित बाढ़ चौकियां हैं, उन बाढ़ चौकियों का डिटेल भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

जो जल जमाव की स्थिति थी उसके बारे में भी एक रिपोर्ट बनाई गई है। जो इन्होंने बलिया और विभिन्न जिलों का नाम लिखा है, उस रिपोर्ट में इन सभी जिलों का विस्तृत विवरण है। आपकी अनुमति से मैं एक-एक जिले का विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको पता है कि श्रावस्ती में कितना अधिक काम हुआ है, आपने बलरामपुर जिले का काम भी देखा होगा। हमने सारे जिलों को देखा है और उन सब जिलों का निरीक्षण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आज तक के इतिहास में बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से इतना बेहतर काम कभी नहीं किया गया है। इस कारण से हमारा पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। इसके बावजूद भी हमारे उमाशंकर जी ने नीति बनाने के संबंध में प्रश्न किया है। मैं उमाशंकर सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि ड्रेजिंग मशीन बलिया में खड़ी है। आप जानते हैं कि जब ड्रेजिंग मशीन चलाने की बारी आई तो एन0जी0टी0 ने कहा कि आप ड्रेजिंग मशीन नहीं चला सकते। आप गंगा की खुदाई नहीं कर सकते, आप गंगा के दोनों तरफ कोई बाउण्ड्रीलाइन नहीं बना सकते। गंगा को

आप बांध नहीं सकते, किसी नदी को आप बांध नहीं सकते। बाढ़ बचाव कार्यों के माध्यम से हम लोगों का बचाव कर सकते हैं और इसी दृष्टि से ऐतिहासिक और अभिनव प्रयोग किया गया है जिसका प्रतिफल है कि जब बिहार, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे प्रदेश में लोग नाव चला रहे थे और इस तरीके की बातचीत हो रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमारे कुशीनगर के नहीं हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो बार-बार बंधे पर जाते थे, लेकिन जबसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से न तो उनको बंधे पर जाने का अवसर मिल पा रहा है और न ही वहां राजनीति कर पा रहे हैं। अब बंधा भी सुरक्षित है, कुशीनगर भी सुरक्षित है और आदरणीय लल्लू जी भी सुरक्षित हैं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी देवरिया और कुशीनगर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले चार-पांच सालों से वह देख रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था हुई है। लोग नाच रहे हैं बन्धों पर पहली बार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर कार्य कराया जा रहा है। अब तक के इतिहास में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। बाढ़ के सभी बन्धों पर हमने सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया है और सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर काम करा रहे हैं। हर कोई यहां से बैठकर देख सकता है कि वहां पर क्या गतिविधि चल रही है। इसके साथ-साथ हर बन्धे पर चौकी का निर्माण कराया गया है। ए0ई0 हो, जे0ई0 हो उसी बन्धे पर बाढ़ के समय रहेगा। अभी हम लोग बलिया गये थे, उपेन्द्र जी गये थे और मा0 मुख्य मंत्री जी भी गये थे। लोग कहते थे कि एन0एच0 हाई-वे पर बहुत दबाव हो गया है और 22 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद इधर से सरयू उधर से गंगा एक स्थान पर आकर मिलती है। बहुत सारा पानी होने के बाद मेरा बलिया पूरी तरह से सुरक्षित है और जिन गांवों में पानी गया था बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उनको हर तरीके की सुविधा दी गयी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों को आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत करिए यह योगी सरकार है। बाढ़ से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उत्तर प्रदेश में नहीं आ पायेगी। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी ने हमारा नाम लिया है। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी चूंकि आपने हमारा नाम लेकर कहा है। बलिया में गंगा नदी में भीषण बाढ़ आई। आप भी गये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे। न आपने कोई घोषण की और न ही मंत्री जी ने कोई घोषणा की। अभी सरयू नदी में भी बाढ़ आई है, जिसमें मेरे क्षेत्र के चार-पांच गावं बिल्कुल डूब गये। हम लोग नाव के लिए कहते-कहते थक गये, लेकिन नाव की व्यवस्था नहीं हुई। बिजली भी काट दी गयी। राशन तेल तो आप दे ही नहीं रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने जब वर्ष 2015-16 की बात कही है, तो आपको पता ही होगा कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तब, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री जी थे

तब बाढ़ पीड़ितों को एक बोरा आटा एक बोरा चावल, एक बोरा आलू, तेल, नमक, मसाला और कटान में जिनका पक्का घर गिरा था उनको पक्के का मुआवजा, जिनका कच्चा घर गिरा था उनको कच्चे का मुआवजा, जिनका छप्पर गिरा था उनको छप्पर का मुआवजा और जिनका कटान से खेत गिर गया था उस खेत का मुआवजा भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया है, क्योंकि वर्ष 2015-16 की बात आपने कह दिया। आपने बहुत कुछ दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी बलिया गये होंगे तो उनको पता होगा और मंत्री जी भी गये थे उनको भी पता होगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बलिया से हैं उनके क्षेत्र में और आधा मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुरहा ताल है। वहाँ पर जब गंगा का पानी बहता है तो सुरहा ताल में चला जाता है। जब घटता है तो कतहल नाले से वापस जाता है। उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने सफाई के बारे में जो कहा है। तीन-तीन बार वहां की सफाई की गयी है। आप ईमानदारी से पता लगा लीजिए कि कतहल नाले की कभी सफाई हुई है ? आप ईमानदारी से पता लगा लीजिए मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सफाई न होने के कारण आज कई हजार एकड़ फसल किसानों की सुरहा ताल में नष्ट हो गयी है। यह तीन साल से हो रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि फसल का मुआवजा दे दीजिए। जो बाढ़ से नष्ट हुआ है और जो जमाव से नष्ट हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन नहीं मिला। इस बार भी गंगा में, घाघरा में, सुरहा में फसल डूब गयी। आप किसानों को मुआवजा तो दे दीजिए, मेरा आपसे यही कहना है।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मान्यवर, चूंकि अभी मंत्री जी हैं और बाढ़ पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सठियाँव ब्लॉक है। वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बन रहा है। वहां पर भी बाढ़ और पानी से जुड़ी हुई बात है। वहां पर कम से कम दो हजार एकड़ जमीन है आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पानी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। उसमें बार-बार यह कहने में आता है कि उद्घाटन हो जाएगा। वह अच्छी बात है, लेकिन मैं मंत्री जी से बहुत निवेदन करके आपके संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आप इसे देख लें। इसमें 30-40 गावों की जमीनें बिल्कुल पानी से भरी हैं वह लोग अपना अनाज और फसल ही नहीं बो पा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन के संज्ञान में डाल दें, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सगड़ी है। हमारे यहाँ गोपालपुर भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है। वहाँ भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली। बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खास तौर से अपने विधान सभा क्षेत्र में सठियाँव की बात कह रहा हूँ, कृपया करके इसको दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबन्ध कर दें, ताकि पीड़ित किसानों को उससे मुक्ति मिल जाये।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन इतने वरिष्ठ व्यक्ति जब इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा कष्ट होता है। सत्य से परे जब कुछ कहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी स्मार्ट फोन रखते हैं और सबके पास गूगल बाबा हैं। जरा गूगल बाबा से पूछें कि वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016 में कितनी जमीन बाढ़ से प्रभावित हुयी थी। मा0 अध्यक्ष जी, यह राहत आयुक्त तय करते हैं। मेरा विभाग तय नहीं करता है। यह राहत आयुक्त के यहाँ से रेवन्यू विभाग से निश्चित किया जाता है कि कितनी जमीन प्रभावित हुयी है। जिलाधिकारी इसको बनाकर देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत वरिष्ठ हैं हम इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। यह सब चीजें वेबसाइट पर हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो गूगल बाबा बतायेंगे कि कितनी जमीन प्रभावित हुयी थी और वर्ष 2019-2020 में और 2020-2021 में कितनी जमीन प्रभावित हुयी यह सबको पता चल जायेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बलिया की बात कही है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इधर से सरयू जाती है और उधर से गंगा आती है और दो-तीन छोटी-छोटी नदियाँ भी हैं। वह जाकर उसमें मिलती हैं और 140 किमी0 गंगा का पाट है और 120 किमी0 सरयू का पाट है और दोनों जाकर जहाँ मिलती हैं समुद्र जैसा दृष्य वहाँ का बन जाता है। निश्चित रूप से हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण भी करके देखा। मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री बनने के बाद मैंने अपने सभी जन प्रतिनिधियों को पत्र लिखा, हो सकता है कि आपको भी हमारा पत्र मिला हो। उसमें लिखा कि जिसके यहाँ जो भी संवेदनशील, अति संवेदनशील बाढ़ से प्रभावित होने वाला एरिया हो आपका कोई प्रस्ताव हो तो आप दे सकते हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जिन जन प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिया, हमने शत-प्रतिशत प्रस्ताव स्वीकृत करके उस पर काम कराने का काम किया है। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, 148 करोड़ का काम केवल बलिया के अन्दर हुआ है और वह सब काम आज काम आ रहा है। आज की तारीख में पानी तेजी के साथ घट रहा है, लेकिन आज भी 20 लाख क्यूसेक पानी वर्तमान में बलिया में है। उसके बाद भी बलिया में हमारे सब बंधे सुरक्षित हैं। सब लोग सुरक्षित हैं। गाँव में पानी गया है, फसल में पानी गया है। जहाँ तक सरयू की बात है तो निश्चित रूप से कल सरयू का पानी साढ़े चार लाख क्यूसेक मी0 डिस्चार्ज किया जा रहा था, वह बलिया पहुंचा है, लेकिन अब गंगा का पानी तेजी के साथ घटने के कारण सरयू का पानी भी घट रहा है। एक-दो दिन के अन्दर ठीक हो जायेगा। आपने कहा है कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, निश्चित रूप से हमने कहा है कि सर्वे कराया जा रहा है, जिस किसी की फसल भी इसमें बर्बाद हुयी है उन सबको उसका मुआवजा दिया जायेगा। किसानों के लिए यह सरकार पूरी तरीके से समर्पित है और हर तरीके की सुविधा हमारे किसान भाइयों को दी जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मंत्री जी, सुरहा ताल के विषय में जो मैंने कहा है, 16 कोस में है और हजारों एकड़ फसल तीन साल से किसान न बो पा रहे हैं, न उनका कुछ हो पा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, कतहल नाला बिल्कुल संकरा हो गया है। जो रेगुलेटर गंगा और कतहल नाले के बीच में बना है, वह खत्म हो गया है, आप नया रेगुलेटर बनवा दीजिए, कतहल नाले की सफाई करवा दीजिए। सुरहा के किनारे हजारों गांव बसे हैं, वहां के किसानों को भी खाने और उगाने का अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इस सूचना को आग्रह्य करता हूँ, इस पर काफी विचार आ गये हैं और सरकार का भी उत्तर आ गया है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी आश्वासन दिया है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इस सदन में कहा है। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित हुआ और वर्ष 1955 में रिपोर्ट आ गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप इतनी पुरानी बात बता रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धोखे की बात बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है। पिछड़ों के साथ धोखा वर्ष 1955 से शुरू होता है, कांग्रेस ने लम्बे समय तक रद्दी की टोकरी में रखा। फिर वर्ष 1977 में चौधरी चरण सिंह लोक सभा में आवाज उठाते हैं। वर्ष 1978 में विन्धेश्वरी प्रसाद मण्डल आयोग गठित होता है, वर्ष 1981 में 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद वह रिपोर्ट भी रद्दी की टोकरी में चली जाती है। फिर वर्ष 1990 में स्व0 श्री बी0पी0 सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं और वह वर्ष 1990 में मण्डल कमीशन लागू करने की घोषणा करते हैं। मण्डल कमीशन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी कमण्डल लेकर निकल गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय आडवाणी जी पर देश के तमाम लोग श्रद्धा रखते हैं, उनको पूरा देश मानता है और वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना और आपने उनके बारे में जो वाक्य बोला है कि कमण्डल लेकर निकल गये, वह ठीक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम अज्ञानतावश बोल दिये हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है, मण्डल कमीशन रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, विरोध होता रहा। (सदस्यों के टोका-टाकी करने पर) सबको पिछड़ों का वोट चाहिए, सुहेलदेव को छोड़ दो, लेकिन आप लोग उनके हक की बात क्यों नहीं बोलते हो। इस बार चलो पिछड़ों से वोट मांगने तब बताता हूँ। बहुत उछल रहे हो, इस बार पिछड़ा वर्ग बताएगा। (सदस्य के टोका-टाकी करने पर) कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे तब पीड़ा नहीं होती है। अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी आ जाए तो काहे पीड़ा हो रही है, भईया। हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने 2 मई, 2018 को मा0 राघवेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, उस समय मैं मंत्री था और उस कमेटी ने 30 अक्टूबर, 2018 को रिपोर्ट सौंप दी। दो साल दस महीना हो गया है और बार-बार आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहता है, सरकार के पास लगभग 6 महीने और शेष हैं। यह रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी। अति पिछड़ों का जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे की रिपोर्ट लागू होगी या नहीं, इस बात को मैं बार-बार सदन में कहता हूं। बहुत बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की चर्चा होती है, मुसहर का बेटा, जिसे हम अपनी भाषा में वनवासी कहते हैं, इस सदन में नहीं है। मान्यवर, आज बंजारा है, बियार है, राजभर है, चौहान है, केवट है, मल्लाह है, बिंद है, केवट है, धोबी है, निषाद है, कश्यप है, इन जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, पहले भी हुआ है और जो लोग इधर बैठकर बोल रहे हैं, उनकी भी सरकार में हुआ है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबकी सरकार में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, आपका विषय तो आ गया है, आप इन लोगों के चक्कर में बेकार फंस रहे हैं, सीधे हमें बताइये।

(कुछ सदस्यों के बैठे-बैठे टोका-टाकी करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

क्यों घबरा रहे हैं, चलिये बोल लीजिए, यह पूरा प्रदेश देख रहा है और सब लोग देख रहे हैं। मान्यवर, यह रिपोर्ट लागू होगी या नहीं होगी। यह जो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखी हुई है...

श्री अध्यक्ष-

हम सरकार को बुला लेते हैं, आप बैठ जाइये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अब उसका जवाब तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे और दूसरी बात इस प्रश्न से अलग है। कल मैंने आपको एक ज्ञापन दिया था वह बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर जी की

प्रतिमा लगाने के संबंध में था। पिछली बार भी इसी सदन में चर्चा हुई थी और आज तक बाबा साहब की प्रतिमा सदन में नहीं लग पायी।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, आप बीच में सदन में नहीं रहे होंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं लागू होगी तो क्यों नहीं लागू होगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये तो हम सरकार से उत्तर मांगते हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय इस देश में बहुत बड़ा विषय रहा है और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पाने के लिए योगी जी की सरकार पूरी तरह संकल्पित है। प्रदेश के अन्दर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के जो हक, अधिकार का सवाल है उसको लेकर सरकार ने हमेशा काम किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस काम को हम जारी रखेंगे। यह बात कई बार सदन में आ चुकी है। असल में कुछ हमारे मित्रों के पास इसके अलावा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। यह ठीक है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए पहले ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज यह तस्वीर हमारे सामने नहीं होती और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश योगी जी की सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। कोई सवाल खड़ा करे, किसी को कोर्ट कचहरी जाने का मौका मिले, इस तरह का भी अवसर किसी को भी न मिले, इस बात को बड़ी गम्भीरता से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हमने कहा है कि सरकार परीक्षण करा रही है, वह काम जब पूरा हो जायेगा, तस्वीर जब पूरी तरह से साफ हो जायेगी और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी की सरकार पिछड़ों और अति पिछड़ों की भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा वह सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहेंगे। वनवासी समाज की बात माननीय ओम प्रकाश जी ने कही है, यह सवाल जरूर करेंगे, जब भगवान के मंदिर का भी सवाल हमारे सामने था, जब हम कहते थे कि भगवान का मंदिर बनेगा तो लोग यही सवाल देश में खड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताते हैं, लेकिन आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाही कर रही है कि भगवान श्रीराम का मन्दिर, जिसकी रक्षा किसी जमाने में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने की थी, वह मन्दिर बन रहा है और मैं कहना चाहता हूँ, अति पिछड़ी जातियों, जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, वह राजभर हो, बिन्द हो, निषाद हो, केवट हो, मल्लाह हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, मान्यवर, हमारा पाल या गड़ेरिया हो, सामाजिक न्याय उनके दरवाजे, चौखट, उनके आँगन

तक पहुँचा कर योगी जी की सरकार दम लेगी इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, अगर यह बात नहीं होती तो सामाजिक न्याय समिति का गठन योगी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा पर सवाल जो उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उन्हें अपने गिरेबाँन में झाँकना पड़ेगा। देश में जो मुस्लिम समाज है, बहुजन समाज पार्टी के नेता यहाँ पर हैं, वह मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन जो गजनी से आया, उसकी तुलना हिन्दुस्तान की धरती पे पैदा हुए मुसलमानों से नहीं की जा सकती। ये सैयद सलार मसूद की बात कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं। यह अपने भाषणों में हमारे शाहनवाज हुसेन के बारे में कहते हैं। लेकिन मान्यवर, शाहनवाज हुसेन को भारत माता का नारा लगाने में कोई गुरेज नहीं है, वन्दे मातरम् कहने में उनको कोई गुरेज नहीं है।

(मेजें थपथपाई गयीं)

और जिनके साथ यह अब गलबहियाँ कर रहे हैं, भारत माता का जयकारा लगवा दें और गए तो थे बहराइच के अन्दर या श्रावस्ती की बात है, बहराइच के अन्दर जो गजनी से आया एक आक्रान्ता था, आक्रमणकारी था, जिसने हिन्दू समाज की माँ-बहनों की इज्जत को किस तरह से तार-तार करने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के ननिहाल में 05 हजार राजभर को मारने का जिन लोगों ने काम किया था, यह उनकी मजार तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देगी तो क्या ओवैसी आरक्षण देंगे ? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम नहीं लागू करेंगे तो और कौन लागू करेगा ? क्या ओवैसी उसे लागू करेंगे ? हमें इस बात को समझना है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय समिति का गठन इसीलिए किया गया है, उसका परीक्षण हम करा रहे हैं, कहीं किसी को कोई बहाना न मिले, इसका रास्ता हम लोग खोज रहे हैं। यह योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, मान्यवर, उनके हित में जो करना होगा, हम वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सरकार का इस पर पर्याप्त उत्तर आ गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गरमा-गरमी बहस हो गयी। यह भी माननीय राजभर जी हैं और वह भी राजभर जी हैं। पिछड़ों और दलितों का आरक्षण जो भी हुआ है, आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस 27 प्रतिशत में हजारों से अधिक जातियाँ हैं, मंत्री जी इनका तब तक न्याय नहीं होगा, जब तक जातिगत जनगणना न करा दी जाए। हर जाति का, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लाला हो, भूमिहार हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हम तो अति पिछड़ा मानते ही नहीं, पिछड़ा मानते हैं, सबकी जातिगत जनगणना करा दीजिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उतना

उसको आरक्षण दीजिए। केवल गरमा-गरमी करने से कुछ नहीं होगा और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला भी है कि आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए, 50 प्रतिशत से ऊपर कर दी जाए, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, कई स्टेटों में 50 प्रतिशत से ऊपर 70-75 प्रतिशत तक आरक्षण है, क्यों इसमें ब्रेक लगाये हैं ? अगर आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे तो पिछड़ों का और दलित का पूरा हिस्सा मिल जायेगा। अगर जातिगत जनगणना करा देंगे तो जितनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी हो जायेगी, किसी को कोई एतराज नहीं रहेगा, माननीय अध्यक्ष जी, यही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 02 साल 10 महीना हो गया है, कितने दिन में अभी परीक्षण होगा ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने सदन के सामने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उसका हम परीक्षण करा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अध्यक्ष जी, यह कोई उत्तर नहीं है कि हम करा रहे हैं। यह उत्तर तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी दे चुके हैं कि हम करा रहे हैं। आपने भी पिछली बार हमसे कहा था कि यह हो जायेगा, आश्वासन तो मिल ही गया है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब एक दिशा में बात होती है तो दूसरी दिशा लोग पकड़ लेते हैं। क्या बीमारी है, ओवैसी कौन सा ऐसा रोग है जो सबको सता रहा है ? कोई भूत है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कुछ भी कहा और मा0 नेता विरोधी दल जी ने सदन में जो कुछ भी कहा वह भी आपने सुना कि हम सिर्फ पिछड़ा मानते हैं। मान्यवर, जैसा विषय होता है, विषय की गम्भीरता को देखकर उसके हिसाब से उसका परीक्षण होता है और उसी के हिसाब से उसकी रिपोर्ट भी बनती है। जहां तक नीयत और मंशा का सवाल है उसके ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारे लोगों ने दिया। इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में और नीट की परीक्षा में पहली बार अभी एक महीना पहले मा0 मोदी जी ने उसमें भी आरक्षण 27 परसेण्ट कर दिया है। यह हमारी मंशा जाहिर करता है कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं या उनके विरोधी हैं। जिस प्रकार से यह लोग आरोप लगाते हैं, केवल खाली शब्दों से कह देने से काम नहीं चलता। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, "सबका साथ और सबका विकास" यह हमारा नारा है। मा0 मोदी जी ने जब हर तरह से सभी के साथ का नारा दिया तो हम सभी को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। उस रिपोर्ट का परीक्षण होने के बाद इसी विधान सभा में उसका परिणाम सामने आएगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने हमें मत दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश सरकार ने और देश में मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में आरक्षण अधिनियम, 1994 में लागू किया गया है। जिसमें पिछड़ों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा अभी 69 हजार शिक्षक भर्ती वर्ष 2019 में की गई। उक्त भर्ती में उस आरक्षण अधिनियम की धज्जी उड़ाई गई और जिसके आधार पर पिछड़ों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, जहां तक पिछड़ों को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जिसको अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने संवैधानिक दर्जा दिया है। उस राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना है पिछड़ी जाति को केवल 3.80 प्रतिशत रिजर्वेशन का मौका मिला और अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, 21 प्रतिशत के आधार पर केवल 16 प्रतिशत उसमें हिस्सेदारी मिली। मान्यवर, आरक्षण अधिनियम के आधार पर व्यवस्था की गई है कि जो जनरल मेरिट होगी, सामान्य वर्ग की जो मेरिट होगी, उस मेरिट में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और उसके उपरान्त जो बचेगा 50 परसेण्ट के बाद, उसमें 27 परसेण्ट, और 21 परसेण्ट के हिसाब से रिजर्वेशन देने का काम किया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने जो भर्ती करने का काम किया है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को जहाँ केवल 4 प्रतिशत सामान्य कैटेगरी में भी माना है, पिछड़े वर्ग आयोग ने माना कि जो 6843 दर्शाई गई है, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ओ0बी0सी0 उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया है। जो ओ0बी0सी0 उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट थी, उसमें 6843 सामान्य वर्ग को समायोजित कर दिया गया। इसी तरह से 3136 पद अनुसूचित जाति के जो रिजर्वेशन के आधार पर जितना मिलना चाहिए था, उससे 3136 पद कम मिले हैं।

मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक एन0सी0बी0सी0-71010, 2020 के अनुसार इस बात को माना है। उन्होंने इस बात को माना कि इस भर्ती में जो आरक्षण के अधिनियम हैं, उसका घोर उल्लंघन किया गया है। राज्य की यह प्रणाली उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस नियम, 1981 के विरुद्ध है, नियम-14 के अनुसार है। नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात् जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर निर्धारित सीटों की संख्या निर्धारित करेगा। यद्यपि हम राज्य की प्रणाली को सही मानते हैं तो भी राज्य स्तर पर प्रस्तुत सूची के अनुसार आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। मान्यवर, जो सामान्य वर्ग का कट ऑफ था, वह 67.11 प्रतिशत था और पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 66.73 प्रतिशत था, अनुसूचित जाति का कट ऑफ 61.01 प्रतिशत था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक है और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओ0बी0सी0 उम्मीदवारों की कुल संख्या 69000 रिक्तियों की कुल

सीटों पर 27 परसेण्ट होगी यानी 18598 ओ0बी0सी0 उम्मीदवारों के लिए होगी। लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओ0बी0सी0 उम्मीदवारों के लिए 2637 हैं। मान्यवर, इस तरह से 18000 के सापेक्ष केवल 2637 ही दिया गया है।

मान्यवर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार आदेश संख्या-1194 कार्मिक-1194, दिनांक 25-03-94 उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कानून की स्थिति बताते हुए यदि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जाता है तो योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में तब उसे आरक्षित रिक्तियों को और समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा, अगर पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का व्यक्ति सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ पर चयनित होता है। मान्यवर, इस तरह से उन्होंने माना है इसलिए जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार है। जिन्होंने अनारक्षित उम्मीदवारों के कटऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना जा सकता है और अनारक्षित श्रेणी के उनके चयन के परिणामस्वरूप अर्जित की गई सीटें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के पास जाएंगी, यह माना है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, लेकिन इसके आधार पर प्रदेश की सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की जिसके आधार पर 5844 सीटें जो पिछड़े वर्ग की मिलनी चाहिए थीं, वह नहीं मिली हैं तो मान्यवर, इस तरह से ये एक तरफ तो कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने नीट परीक्षा में ऑल इण्डिया कोटे में आरक्षण देने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं और लोक सभा में सारी पार्टियों के लोगों ने बहुमत से पिछड़े वर्ग का जो विधेयक आया उसका समर्थन करने का काम किया, लेकिन मान्यवर, उसके होने के बावजूद भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और रिजर्वेशन के अधिनियम होने के बावजूद भी जो बेसिक शिक्षा में भर्ती की गयी है उसमें अनुसूचित जाति के 3136 पद कम भरे गये हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से यह माँग करता हूँ कि निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिकमेण्डेशन है उसको पूरा करने का काम करके पिछड़े वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं उनको भरने का काम किया गया है, जो 27 के मुकाबले 4 प्रतिशत ही भरा गया। उसी तरह से अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत के मुकाबले केवल 16 प्रतिशत भर्ती करने का काम किया गया। हम चाहते हैं कि ये जो गलतियाँ हैं, इसको सुधार करके और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर करने का काम करें, यह महत्वपूर्ण विषय है। इन वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं, वह पूरे देश में आन्दोलित हैं। लखनऊ में धरना-प्रदर्शन चल रहा है यह तात्कालिक और अविलम्बनीय विषय है, मैं चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही रोककर आप इस पर चर्चा कराने का काम करें।

बेसिक शिक्षा मंत्री (डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा में भर्ती के जितने भी प्रयास किये गये वह सब

उनकी प्रकियागत गलतियों के कारण न्यायालय में गये और उनमें से ज्यादातर वह पूरा नहीं कर पाये। हमारी मा0 योगी जी की सरकार ने एक-डेढ़ साल की इस कोरोना की महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश में 1 लाख 25 हजार शिक्षकों की भर्ती की है (मेजों को थपथपाहट)। इसका श्रेय सरकार को न मिले इसलिए गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं या जो भी जानकारियाँ चाही हैं, विभाग ने उपलब्ध कराया है और बड़ी विनम्रता के साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ सदन में बैठे हुए कुछ लोगों हेतु प्रतिशत निकालने के लिए भी शायद कोई कक्षा चलवानी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के विषय में, जिसके बारे में अभी चर्चा की गई है। 69000 पदों के अनुसार श्रेणीवार जो आरक्षण बनता है उसके अनुसार अनारक्षित श्रेणी में 34589 पद होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 प्रतिशत के हिसाब से 18598 पद होते हैं तथा अनुसूचित जाति में 14459 पद होते हैं जो कि 21 प्रतिशत होता है और अनुसूचित जनजाति में 1354 पद जोकि 2 प्रतिशत है। जो भर्ती हुई है अनारक्षित श्रेणी के 34589 पदों पर उसमें सामान्य श्रेणी के 20301 अभ्यर्थी चयनित हुये हैं उसमें भी अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में आकर 12630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुये हैं और अनुसूचित जाति के 1637 और अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थी अपने अधिक गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुये हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित 18598 जो कुल पद का 27 प्रतिशत होता है, वह तो अपने आरक्षण के आधार पर चयनित हुए ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्ग के 31228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो कुल भर्ती का लगभग 46 प्रतिशत है। अब यह 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत कैसे होता है, इसके लिए कौन-सी गणित पढ़ी जाये, अब उसको समझना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ई0डब्लू0एस0 को इसमें आरक्षण नहीं मिला है, क्योंकि उस समय जब यह विज्ञापन निकला था तो ई0डब्लू0एस0 का आरक्षण लागू नहीं था।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगा, मैं लालजी वर्मा जी का जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित वर्ग के 14459 पद होते हैं। इसी सदन में पिछली बैठक में आदरणीय वर्मा जी ने एक बात उठायी थी। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अगर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो उनके द्वारा एक नियम का हवाला दिया गया था कि आप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उन पदों को भर सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि जब आप अगली बार सदन में मिलेंगे तो यह प्रक्रिया पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, उस एस0टी0 वर्ग वाले रिक्त पद को भी हमने अनुसूचित वर्ग से भरा है। 14459 पदों के सापेक्ष 17260 अनुसूचित वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। कहां प्रतिशत कम रह गया है, यह हम जानना चाहते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यह जो पूरी सहायक अध्यापक भर्ती 69 हजार की हुई है, शिक्षक भर्ती की कोई सूची शिक्षा मंत्री के टेबल तक भी नहीं आयी है। भारत सरकार के

एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के आधार पर आरक्षण एवं विशेष आरक्षण जिसमें महिला आरक्षण है, दिव्यांग आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है, उन सभी आरक्षण एवं विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण पारदर्शिता के साथ, अभ्यर्थियों के गुणांक, जनपद की वरीयता एवं जनपदवार, श्रेणीवार रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही जनपदीय चयन समिति के माध्यम से की गयी है। यहां तक कि स्कूलों का आवंटन भी ऑनलाइन किया गया है। किसी भी अधिकारी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(कुछ सदस्यों के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका तो लल्लू जी इसमें नाम नहीं है। नोटिस में केवल वर्मा जी का नाम था। लल्लू जी आपका बाढ़ वाले में था। अभी चर्चा नहीं हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 67.11 प्रतिशत का जो जनरल कैटेगरी का कटऑफ है, उसमें ओ0बी0सी0 के लोग उस कटऑफ के बराबर जितने अंक पाए हैं या अनुसूचित जाति के लोग जो उस कटऑफ के अन्तर्गत अंक पाए हैं यदि उनको सामान्य मानकर उनकी भर्ती करने का काम किया जाये तो उस तरह से 3136 पद अनुसूचित जाति के लोगों से कम भरे गये हैं। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को माना है कि अगर उस भर्ती के कटऑफ को मान लिया जाये तो उसके आधार पर 6873 पद ऐसे हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग को कम भरने का काम किया गया। यह आयोग ने अपनी रिकमण्डेशन दी है और इनके साक्ष्यों को उन्होंने नकारा है कि यह साक्ष्य देने में असमर्थ हुए हैं। जो एन0आई0सी का हवाला दिया गया, इसको आयोग ने माना है कि उस संबंध में कोई प्रूफ प्रदेश सरकार देने में असमर्थ हुई है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतनी मांग है कि आरक्षण अधिनियम जो 1994 है, उसके अनुसार स्पष्ट है कि जो पद होंगे उसकी गणना आधी, जो उसका 50 प्रतिशत है, वह सामान्य कैटेगरी का है। उस सामान्य कैटेगरी के कटऑफ के बराबर जो अंक पाए हों, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के उनको आप उसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद जो शेष बचता है, वह उनका हक बनता है। रिजर्वेशन 27 प्रतिशत, 21 प्रतिशत हो, उसके बाद पूरा कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके आधार पर यह कमियां रह गयी हैं तो उसको आप सुधारने का काम करें। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि 1300 को तो आपने मान लिया, उसी तरह से इस 3100 और लगभग 6 हजार पद ओ0बी0सी0 के, इनको भी मानकर भर्ती करने की कार्यवाही कर दें तो निश्चित रूप से आरक्षण अधिनियम के अनुसार है अन्यथा आरक्षण अधिनियम के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया गया है और यह आयोग ने माना है। संवैधानिक दर्जा जिस आयोग को मिला है उसने माना है। मैं अपने मन से यह

बात नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से रिकमण्डेशन दिया गया है। आयोग ने करीब 16 प्वाइंट पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति दी है और इसमें उनकी सारी कमियों को दर्शाने का काम किया है। मान्यवर, उसके अनुसार कार्यवाही कर दें। यही हमारा आपके माध्यम से आग्रह है।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग में ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 की कितनी सीटें नहीं भरी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न तो उससे जुड़ा नहीं है।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

मान्यवर, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का अपमान हुआ है। ओ0बी0सी0 एस0सी0, एस0टी0 के छात्र इको गार्डेन में बैठे थे उनकी इतनी बर्बरता के साथ पिटाई की गयी, इतना मारा गया कि उनके हाथ-पैर टूट गये, बदतमीजी की सारी इन्तहाये पार हो गयीं। हम अपना हक तो रख सकते हैं, अपनी बात तो रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय से संबंधित नहीं है।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

उनकी मांग ये है कि अब तक कितनी ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 सीटें भरी नहीं गयी हैं और ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 के हित के लिए सरकार आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं कर रही है ? माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसा स्तर है जहां पर अपनी बात कहने का पूरा हक है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। बहुत ही खतरनाक तरीके से छात्रों की पिटाई की गयी है, इसकी हम सब घोर निन्दा करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी विडियो रिकार्डिंग दिखा सकता हूँ।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, योगी सरकार ने सवा चार साल में उत्तर प्रदेश के साढ़े 4 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष सरकारी नौकरी दी है, नौजवान खुश है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। मामले को ये इधर-उधर घुमाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं आरक्षण दो तरह का होता है। यहां बैठे हुए लोग रोज आरक्षण की बात करते हैं। वर्टिकल आरक्षण होता है जिसे 27 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनरिजर्वड में विभाजन करते हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी होता है। 20 प्रतिशत महिला आरक्षण है, 4 प्रतिशत दिव्यांगजन आरक्षण है, 5 प्रतिशत

भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है, 2 प्रतिशत स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों का आरक्षण है। किसी भर्ती में आरक्षण जब देते हैं तो आरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। सभी तरह के आरक्षण को देखना पड़ता है। 16-17 तरीकों के उनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हैं जो कम्प्यूटर के साफ्टवेयर पर पूरी तरह से तय होते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि पूरी भर्ती में लगभग 46 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जिस अन्तरिम रिपोर्ट की यह बात कर रहे हैं हमारे विभाग ने उनकी सारी जिज्ञासाओं का जवाब दिया है और इको गार्डेन की जो बात यह कह रहे हैं, आन्दोलन प्रायोजित किये जा रहे हैं, आन्दोलन कराये जा रहे हैं। नियुक्ति-पत्र वितरण हो रहे हैं और 1,25,000 नौजवानों को स्कूलों में नौकरी मिल रही है। आज हमारा एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, मनरेगा के मजदूर के बेटे को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस सूचना को हम अग्राह्य करते हैं।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

अध्यक्ष जी, 69,000 की भर्ती के पहले हमारी ही सरकार ने 68500 की एक भर्ती निकाली थी। उस भर्ती में केवल डी0एल0एड0 के अभ्यर्थी पात्र थे, जिनको बी0टी0सी0 कहते थे पहले बी0एड0 के लोग एलिजबुल नहीं थे। उस भर्ती में लिखित परीक्षा थी, लिखकर जवाब देना था। उस भर्ती का कट ऑफ 60 और 65 अंक का 150 में गया था। अध्यक्ष जी, उसमें लगभग 45,000 लोग ही क्वालीफाई किये थे, सबकी भर्ती हो गयी थी। 69,000 की भर्ती में एम0सी0टी0ई0 ने अर्हता बदल दी अब बी0एड0 के अभ्यर्थी भी पात्र हो गये। 68,500 के सापेक्ष उस समय लगभग 1,00,000 अभ्यर्थी थे। उसके बाद 69,000 भर्ती के सापेक्ष 4,31,000 लोगों ने आवेदन किया। लगभग 4,00,000 लोगों ने परीक्षा दी और यह परीक्षा मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन की थी, इसमें टिक लगाना था, उसमें 90 और 97 कटऑफ मार्क्स था। अनरिजर्व्ड के लिए 150 में से 97 नम्बर और रिजर्व्ड के लिए 90 नम्बर कटऑफ था। इसमें 01 लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी क्वालीफाई किये। उनमें से मेरिट बनाकर 69,000 को हमको लेना था। अध्यक्ष जी, कौन सी ऐसी कानूनी व्यवस्था है कि एक अलग तरह की प्रक्रिया कि पिछली भर्ती में से जो पद बच गये थे, जैसा कि यह कहते हैं, उसको ले आ करके हम इस भर्ती प्रक्रिया से कैसे भर सकते हैं। जो इस तरह की अनुचित माँग करेगा, उसको हम असंवैधानिक तरीके से पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को उकसाते हैं, मेरे आवास पर रोज कभी डेढ़ सौ, कभी दो सौ और कभी तीन सौ की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा लोग भेजे जाते हैं, इस तरह का आन्दोलन कराया जाता है। अध्यक्ष जी, सरकार जो मिशन रोजगार चला रही है, वह कहीं जनता जान न पाये, प्रभावित न हो जाये और 2022 में इनकी नइया फिर से डूब न जाये, केवल इसीलिए यह सब करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम इस सूचना को अग्राहय करते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि हॉरिजेण्टल, इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप किसी के हक को मार लेंगे। सबको अलग-अलग आरक्षण दीजिए। जितना स्वतंत्रता सेनानी का है, जितना विकलांग का है, जितना महिला का है, 27 प्रतिशत पिछड़ा का है, जितना हरिजन का है, अनुसूचित जाति का है, सबको देना है, किसको भुलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली से पिछली सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो कभी किसी मंत्री के खिलाफ नहीं बोलता हूँ और न ही बोलूँगा, क्योंकि यह परम्परा है। मैं भी मंत्री रहा हूँ, वह बार-बार हमेशा खड़े होकर कोई मंत्री का नाम लेते हैं। हमारे समय में मैं बेसिक शिक्षा मंत्री था, जो भर्ती हुई, वह केवल मेरिट से हुई।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

अध्यक्ष जी, मैंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप बैठ जाइये, मैं आपसे बहुत बड़ा विद्वान हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग आन्दोलन करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, बिल्कुल करवा रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ। हाउस में क्या बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अनाधिकृत तरीके से किसी को आन्दोलन करने के लिए नहीं कहती है। जिसका हक मारा जायेगा, वह आन्दोलन करेगा। इस सरकार में जो भी अपना हक माँगने आया है, उसको लाठी से मारा है, क्रिमिनल धाराओं में जेल भेजा है, हाथ तोड़ा है, पैर तोड़ा है, जेल भेजा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा विरोधी है, अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसके खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य-"पिछड़ा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" का नारा लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

(सदस्य श्री अजय कुमार "लल्लू" के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ भी अभी नेता विरोधी दल ने कहा है। नेता विरोधी दल का वक्तव्य पूरी तरीके से निराशा से भरा हुआ है, वह इधर आना चाहते हैं।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

अध्यक्ष जी, मुझे अनुमति दे दें और अगर आप सुनना चाहें तो मैं एक मिनट बोल लूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

मान्यवर, सूची में नहीं होगा, लेकिन आपका अधिकार है, आप बोलने दें तो मैं बोल लूँ।

श्री अध्यक्ष-

हम अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते हैं, आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जो संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था है, उसके पूरी तरह से पक्षधर है, उससे पूरी सहमति है और हृदय से सहमति है। इसलिए नेता विरोधी दल का यह बयान कतई मानने योग्य नहीं है। हम उससे पूरी असहमति व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना को अग्राहय कर दिया है। हमारे पास प्रभु नारायण सिंह यादव जी की भी नोटिस है। यह नोटिस जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के कतिपय सड़कों, नालों/नालियों तथा सीवर लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्रीमती सुषमा पटेल-

अध्यक्ष जी, एक मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

सुषमा जी की सूचना-उ0प्र0 राज्य सरकार के अधीन मृतक आश्रित कोटे की अनुकम्पा नियुक्ति में विवाहित पुत्रियों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण करता हूँ।

अब एजेण्डे पर आगे बढ़ते हैं।

[02:57] उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021†

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[02:58] उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021†

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[02:59] उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 27-08-2021 के साधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021†

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

† दिनांक 27-08-2021 के साधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021†

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट (संशोधन) विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 27-08-2021 के साधारण गजट के परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होनी है, उसमें सभी दलों के वरिष्ठ नेता भी रहते हैं, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूँ। बैठक के बाद हम लोग सदन में फिर से बैठेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, केवल नियम-51 ही बचा है, उसको भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

उसे बाद में ले लेंगे।

(03 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन 30 मिनट के लिए स्थगित किया)

(03 बजकर 35 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 04 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।)

(04 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[04:00] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष जी-

अब हम मद संख्या-79 ले रहे हैं। आज नियम-51 में काफी सूचनायें प्राप्त हुईं और उनमें 48 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं।

(सदस्यों के नाम पढ़े गये।)

श्री असलम अली-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना है उसे स्वीकार कर लीजिए। साढ़े चार साल में नियम-51 की कोई सूचना मेरी स्वीकार नहीं हुई है।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मान्यवर, मेरी भी सूचना स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

पहले तो नियम-51 की सूचनायें कम ली जाती थीं आज हमने नियम-51 के अन्तर्गत 48 सूचनायें स्वीकार की हैं।

श्री राम अचल राजभर-

अध्यक्ष जी, मेरी भी एक महत्वपूर्ण सूचना है उसे स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

राम अचल जी का तो हमेशा स्वीकार करते हैं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

अध्यक्ष जी, आज नियम-51 में जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन सबको स्वीकार कर लीजिए। मान्यवर, इसमें मेरी भी एक सूचना है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चेक करा लेते हैं और जो लोग उपस्थित हैं उनकी सूचना स्वीकार कर लेते हैं। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप एक स्लिप लिखकर प्रमुख सचिव कार्यालय में दे दीजिएगा।

आज दिनांक 18-08-2021 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 83 सूचनायें प्राप्त हुईं-

पहली सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह की प्रदेश सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित वर्गों की भाँति उम्र की सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर की नगर पंचायत निगोही का सीमा विस्तार कराए जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा बल्देव-बरौली कैलाश मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में है, चौथी सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते से निकाले जाने के संबंध मे हैं, पांचवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा में नामांकन दाखिल करने न दिये जाने के प्रकरण की जांच के संबंध में है, छठी सूचना श्री पंकज गुप्ता की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा की जा रही अनियमितताओं जांच कराये जाने के संबंध में हैं, सातवीं सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक में वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन के श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारियों का स्थायीकरण कराए जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद मथुरा के अन्तर्गत पर्यटन निदेशालय की कार्य योजना का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के नगर पालिका परिषद् रुदौली में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई,

दसवीं सूचना श्री प्रतीक भूषण सिंह की गोण्डा नगर मुख्यालय के अन्तर्गत रिंग रोड का निर्माण कराए जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद

अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि के संबंध में दिये गये एकपक्षीय आदेश की पुनः जांच कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब के अन्तर्गत भूमि की पैमाइश कर कब्जा कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में रिंग बांध के ठेकेदार तथा सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति में विवाहित पुत्रियों को लाभ दिये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुशांत सिंह की जनपद लखनऊ के वृन्दावन कालोनी में अराजक तत्वों द्वारा महिला पर हमला करने एवं चेन स्नैचिंग के प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में है, सोलहवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद प्रतापगढ़ के बजरंग महाविद्यालय, कुण्डा प्रतापगढ़ में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा महादेवा में नहर कटने से खराब हुई हजारों एकड़ फसल का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में है, अट्ठारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जनपद गोरखपुर के गोरखपुर नगर निगम में ओ0डी0एफ0 घोषित होने के बावजूद शौचालय न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर स्थित दी बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न किये जाने के संबंध में है, बीसवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सैदापुर मंझी मार्ग का चौड़ीकरण/मरम्मत कराए जाने के संबंध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को जाँच कराए जाने के संबंध में है, बाइसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के संबंध में हैं, तेइसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में है, चौबीसवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में बस अड्डा को निर्माण कराये जाने के संबंध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा किठौर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में हैं, छब्बीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में रजवाहों माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में कतिपय निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के ग्राम रायपुर से नन्दपुर के मध्य यमुना नदी पर पुल तथा सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री अजय कुमार "लल्लू" की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कतिपय विद्युत

कार्य कराये जाने के संबंध में है, तीसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, इकतीसवीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूँ तहसील सहसवान के राजकीय महाविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के संबंध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकर नगर में कतिपय मार्गों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ में वैध/अवैध निजी अस्पतालों एवं अवैध निजी पैथालॉजी के संचालन से उत्पन्न के संबंध में हैं, चौंतीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत छुटी कडी व नाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में ट्रांसफार्मरों के उच्चीकरण के संबंध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री असलम "राईनी" (एडवोकेट) जनपद श्रावस्ती में नव निर्मित दीवानी न्यायालय भवन, पुलिस अधीक्षक आवास एवं गल्ला मण्डी पूर्ण रूप से तैयार होने के बावजूद शिफ्ट न किये जाने के संबंध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में है, अड़तीसवीं सूचना मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद की आन्तरिक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में हैं, चालीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में भूमि के कटान के उपरान्त एस0डी0एम0 द्वारा एकपक्षीय निर्णय लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की कोरोना काल में उ0प्र0 कोरोना प्रोटोकाल के अन्तर्गत अन्तिम संस्कार किये जाने के उपरान्त भी शासन द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ न दिये जाने के संबंध में है, बयालीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के गऊघाट में पीपे के पुल को पक्का कराये जाने के संबंध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री श्यामधनी राही की उ0प्र0 सेतु निगम द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर रोक लगाये जाने के संबंध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री राजकुमार पाल की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर के उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्रा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में जर्जर पानी की टंकी का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में है, छियालीसवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार/ मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों में भारांक देते हुये आगामी सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के

अन्तर्गत 04 लेन मार्ग की सर्विस लेन का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, उन्चासवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद गाजियाबाद के आपराधिक छवि के लोगों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियों/हवाला कारोबार की जांच कराये जाने के संबंध में है, पचासवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में कतिपय मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत कतिपय नाली व सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में है, बावनवनीं सूचना श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव की प्रदेश के ए0डी0ओ0 पंचायत/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में फर्जी रूप से किये गये भुगतान की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के संबंध में है, तिरपनवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में विद्युत उपकेन्द्र पिचरी जलालपुर में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के संबंध में है, चौवनवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की उत्तर प्रदेश में भर व राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराए जाने के संबंध में है, पचपनवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की स्थानीय निधि-लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जा रही ऑडिट की पूर्व व्यवस्था को बहाल कराए जाने के संबंध में है, छप्पनवीं सूचना श्री उपेन्द्र नाथ पासवान की जनपद प्रतापगढ़ में उर्जा विभाग द्वारा एच0टी0 लाइन के पोल व तार बदलवाए जाने के संबंध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री कैलाशनाथ सोनकर की जनपद वाराणसी-गाजीपुर मार्ग से चन्द्रावती श्मशान घाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

राम कृष्ण भार्गव, डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री विक्रम सिंह, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल "कैलाश डेरी वाले", डॉ0 अरूण कुमार, श्री नफीस अहमद, श्री दलवीर सिंह, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया", श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना", श्री त्रिवेणी राम, श्री अनिल कुमार दोहरे, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री रवि शर्मा, डॉ0 संग्राम यादव, श्री पल्टूराम, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री बम्बा लाल, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, डॉ0 अजय कुमार तथा श्रीमती सरिता भदौरिया।

जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमसागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मद संख्या-80 को स्थगित करने के लिए आपसे अनुरोध किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मद संख्या-80 को स्थगित किया जाता है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के ग्राम पंचायतों में हो रहे घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि...

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वि0स0 क्षेत्र ऊँचाहार, जनपद-रायबरेली के वि0ख0 ऊंचाहार की ग्राम पंचायत ऊँचाहार देहात, पट्टी रहस कैथवल, कंदरावां, इटौरा बुजुर्ग जोकि आबादी एवं भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ी ग्राम सभायें हैं, जहाँ राज्य वित्त एवं 14वें वित्त आयोग के द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि ग्राम पंचायत के विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए भेजी जाती है, परन्तु उक्त ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की मिली-भगत से उक्त ग्राम पंचायत की धनराशि जो कार्य मनरेगा के द्वारा पूर्व में कराये गये हैं, उन्हीं स्थानों को पुनः दिखाते हुए सरकारी धनराशि का बंदरबाट किया जा रहा है। यही नहीं उक्त निधियों से प्राप्त धनराशि से स्ट्रीट लाइटें शासनादेश के अनुसार नेडा से न लेकर व्यक्तिगत फर्मों से साठ-गांठ कर बिना टेण्डर व बिना अनुमति के बड़ी रकमें निकाल ली गईं या तो उक्त लाइटें लगायी नहीं गईं और जहां लगाई गई हैं वो मानक के विरुद्ध घटिया लाइटें लगायी गई हैं। वहीं खड़न्जा व इंटरलॉकिंग के नाम पर उपरोक्त ग्राम पंचायतों में 02 करोड़ 80 लाख से अधिक कार्य मानक के विरुद्ध जिक-जेक इंटरलॉकिंग के स्थान पर घटिया इंटरलॉकिंग का निर्माण करा दिया गया है। वहीं उपरोक्त ग्राम पंचायतों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की फर्जी मरम्मत दिखाकर एक ही हैण्डपम्प का भुगतान कई बार निकाल लिया गया। ग्राम पंचायतों में मानक के विरुद्ध हुये सरकारी धन के दुरुपयोग एवं बंदरबांट की जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी है। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज के पत्र दिनांक 17-8-2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन जनपद रायबरेली के विकास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खण्ड ऊँचाहार की ग्राम पंचायतों ऊँचाहार देहात, पट्टी रहस कैथवल, कंदरावां एवं विकास खण्ड रोहनिया की ग्राम पंचायत इटौरा बुजुर्ग में हो रहे घोटालों के संबंध में की गई शिकायत की जांच जिलाधिकारी, रायबरेली के आदेश दिनांक 29-2-2020 द्वारा जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, नेडा, रायबरेली एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई रायबरेली की जांच समिति गठित कर कराई गई। जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्यानुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1-ग्राम पंचायत इटौरा बुजुर्ग (विकास खण्ड रोहनिया)-

उक्त ग्राम पंचायत में मनरेगा, राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से कराये गये स्ट्रीट लाइटें, हैण्डपम्प मरम्मत तथा खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग सहित कुल-16 कार्यों की जांच की गई, जिसमें खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग से संबंधित 07 कार्यों में डायरेक्ट्री आफ वर्क्स के अनुसार स्वीकृत माप से कम कार्य पाये जाने के कारण रुपये- 1,91,267.00 का दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है। उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं पाई गई। जांच में पाई गई दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता के आधार पर संबंधित सचिव को "कारण बताओ नोटिस" निर्गत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती रामश्री, ग्राम पंचायत इटौरा बुजुर्ग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-95(1) जी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कार्यालय-पत्र दिनांक 28-8-2020 के माध्यम "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई थी। उक्त नोटिस का उत्तर ग्राम प्रधान द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के दौरान दिनाक 25-12-2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-95 (1) जी की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई। जिस पर जिलाधिकारी, रायबरेली के कार्यालय-पत्र दिनांक 28-1-2021 के माध्यम से पूर्व प्रधान श्रीमती रामश्री, ग्राम पंचायत इटौरा बुजुर्ग को उक्त अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई, जिसका उत्तर प्राप्त हुआ है। प्रकरण में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

2-ग्राम पंचायत ऊँचाहार देहात-

इसमें मनरेगा, राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत, खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग सहित कुल-5 बिन्दुओं पर जांच की गई, जिसमें खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित 03 कार्यों में डायरेक्ट्री आफ वर्क्स के अनुसार स्वीकृत माप से कम पाये जाने के कारण रुपये 45,868.00 का दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है। उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं पाई गई। जांच में पाई गई दुरुपयोग/ वित्तीय अनियमितता के आधार पर संबंधित सचिव को "कारण बताओ नोटिस" निर्गत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला, ग्राम पंचायत ऊँचाहार देहात के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम धारा-95 (1) जी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु जिला पंचायत राज

अधिकारी कार्यालय के पत्र दिनांक 28-8-2020 के माध्यम "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई थी। उक्त नोटिस का उत्तर ग्राम प्रधान द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के दौरान दिनांक 25-12-2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा- 95 (1) जी की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई। जिस पर जिलाधिकारी, रायबरेली के कार्यालय-पत्र दिनांक 28-1-2021 के माध्यम से पूर्व प्रधान श्रीमती सुशीला ग्राम पंचायत ऊँचाहार देहात को उक्त अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई, जिसका उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। प्रकरण में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3-ग्राम पंचायत कंदरावां-

इस ग्राम पंचायत में मनरेगा, राज्य वित/चौदहवें वित्त से कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत, खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग सहित कुल-4 बिन्दुओं पर जांच की गई, जिसमें खड़न्जा व इण्टरलॉकिंग कार्य से संबंधित 03 कार्यों में डायरेक्ट्री आफ वर्क्स के अनुसार स्वीकृत माप से कम पाये जाने के कारण रुपये 19,160/- का दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई है। उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं पाई गई। जांच में पाई गई दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता के आधार पर संबंधित सचिव को "कारण बताओ नोटिस" निर्गत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती उमा सिंह, ग्राम पंचायत कंदरावां के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम धारा-95(1) जी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कार्यालय-पत्र दिनांक 28-8-2020 के माध्यम "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई, उक्त नोटिस का उत्तर ग्राम प्रधान द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के दौरान दिनांक 25-12-2020 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-95 (1) जी की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई। जिस पर जिलाधिकारी, रायबरेली के कार्यालय-पत्र दिनांक 28-1-2021 के माध्यम से पूर्व प्रधान श्रीमती उमा सिंह, ग्राम पंचायत कंदरावां को उक्त अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत "कारण बताओ नोटिस" निर्गत की गई, जिसका उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। प्रकरण में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4-ग्राम पंचायत पट्टी रहस कैथवल-

इस ग्राम पंचायत में श्रीमती पूनम पत्नी श्री विमलेश कुमार कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोविड-19 के नियमानुसार दिनांक 05-07-2020 से 21 दिवसों के लिए उक्त ग्राम को हाट स्पाट घोषित कर दिया गया, जिसके कारण ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों की स्थलीय जांच नहीं की जा सकी। जांच समिति की संयुक्त आख्या के अनुसार मनरेगा कार्य एवं डायरेक्ट्री आफ वर्क्स (राज्य वित्त/चौदहवें वित्त) से मिलान करने पर कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं पाई गई। ग्राम पंचायत पट्टी रहस कैथवल में कराये गये कार्यों की स्थलीय जांच पृथक से जांच समिति से कराई जा रही है।]

जनपद शाहजहाँपुर में अवैध कब्जा हटाये जाने एवं कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री रमा शंकर सिंह)-

मान्यवर, प्रकरण उत्तर प्रदेश विधान सभा की मा0 याचिका समिति..

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री रमा शंकर सिंह-

[की दिनांक 16-12-2020 को आहूत बैठक में भी उठाया गया था, जिसके क्रम में आख्या मा0 समिति को उपलब्ध करायी गयी है। यही प्रकरण उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-20) की प्रथम उप समिति के द्वितीय अध्ययन दल का दिनांक 20-01-2021 से 21-01-2021 तक अध्ययन भ्रमण से संबंधित बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त पर मा0 समिति की दिनांक 22-07-2021 को आहूत बैठक में भी उठाया गया था, जिसकी रिपोर्ट मा0 समिति को उपलब्ध करायी गयी थी। विद्युत विभाग गाटा संख्या-298, 297, 296 एवं 291 स्थित ग्राम व परगना निगोही, तहसील-तिलहर जनपद-शाहजहाँपुर में विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 1970 में निर्माणित किया गया था तबसे वर्ष 2018 तक निर्विवाद रूप से उक्त भूमि पर विद्युत विभाग काबिज अध्यासित चला आ रहा है। वर्ष 2018 के बाद उपरोक्त भूमि में बैनामे माननीय विधायक श्री रोशन लाल वर्मा जी के सुपुत्रगण श्री मनोज कुमार वर्मा व श्री सचिन कुमार वर्मा व अन्य श्री अखिलेश कुमार द्वारा कराने के बाद ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद प्रारम्भ हुए हैं उससे पूर्व तत्कालीन कथित भू-स्वामियों द्वारा किसी प्रकार का कोई भी भूमि विवाद व इस सन्दर्भ में कोई भी प्रार्थना-पत्र अनवरत् वर्ष 1970 से अभी तक नहीं किया गया और न ही कोई क्षतिपूर्ति ही मांगी गयी। इस आधार पर उक्त प्रकरण कालबाधित है। बैनामे के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

अ-बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7812, पृष्ठ, 297 से 354, क्रमांकः 17363, दिनांक 26-10-2018 (गाटा संख्या-296, रकबा 0.162 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.0405 हेक्टेयर क्रेता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल वर्मा, निवासी निगोही, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब–बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7793, पृष्ठ, 297 से 334, क्रमांकः 16892, दिनांक 15-10-2018 (गाटा संख्या-298, रकबा 0.174 हेक्टेयर का 0.00558 हेक्टेयर क्रेता श्री सचिन कुमार वर्मा पुत्र श्री रोशन लाल वर्मा, निवासी निगोही, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर)

स–बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7631 पृष्ठ, 77 से 140, क्रमांकः 11285, दिनांक 25-06-2018 (गाटा संख्या 296, रकबा 0.162 हेक्टेयर का 5/24 भाग 337.5 वर्ग मीटर अर्थात् 33.75 एयर क्रेता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल बर्मा, निवासी निगोही, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर)

द–बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7432 पृष्ठ, 49 से 116, क्रमांकः 4075, दिनांक 08-03-2018 (गाटा संख्या-296, रकबा 0.162 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.0405 हेक्टेयर क्रेता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रोशन लाल वर्मा, निवासी निगोही, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर)

इ–बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7834, पृष्ठ 399 से 446, क्रमांकः 18249, दिनांक 12-11-2018 (गाटा संख्या-291, रकबा 1.418 हेक्टेयर में से 0.1417 हेक्टेयर क्रेता श्री सचिन कुमार वर्मा पुत्र श्री रोशन लाल वर्मा, निवासी निगोही, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर)

ई–बही संख्या-1, जिल्द संख्या-7770, पृष्ठ 221 से 256, क्रमांकः 16035, दिनांक 26-09-2018 (गाटा संख्या-291, रकबा 1.481 हेक्टेयर का 1/24 भाग 4 वर्ग मीटर और 148.8 वर्ग मीटर क्रेता श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह, इन्द्रा नगर, कॉलोनी, जनपद-शाहजहाँपुर)।

उपरोक्त बैनामे कार्यालय उप निबन्धक, तहसील तिलहर, जनपद-शाहजहाँपुर में निबन्धित किये गये हैं। उक्त बैनामों के उपरान्त ही विपक्षी द्वारा अनुचित रूप से विभाग के कब्जे व अध्यासित व उपभोग की जमीन पर दिनांक 09-08-2018 को कब्जे का प्रयास किया गया तो विद्युत विभाग द्वारा न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, शाहजहाँपुर में मूल वाद संख्या-344/2018 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, शाहजहाँपुर बनाम श्री सुशील कुमार स्थायी निषेधाज्ञा को प्रेषित किया गया। मूल वाद में वर्तमान में सुनवाई चल रही है, जिसमें दिनांक 16-08-2021 नियत थी। रिट के वादीगणों का कथन कि उपरोक्त वाद खारिज कर दिया गया, गलत है। जिस आदेश की प्रति रिट में लगाई गयी है, उस आदेश को अपास्त करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्त मूल वाद संख्या-344/2018 में एक प्रकीर्ण वाद 140/2019 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शाहजहाँपुर प्रेषित किया गया जिसमें सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिनांकित 14-08-2019 को दिनांक 06-09-2019 को अपास्त कर दिया गया और मूल वाद संख्या-344/2018 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत

वितरण खण्ड, प्रथम, शाहजहाँपुर बनाम श्री सुशील कुमार स्थायी निषेधाज्ञा की नियमित सुनवाई प्रारम्भ हो गयी जो वर्तमान में नियमित रूप से प्रारम्भ है एवं वर्तमान में भी चल रही है एवं उक्त में तारीख 16-08-2021 नियत थी जिसकी अग्रिम तिथि 24-09-2021 नियत की गयी है। इसी भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-10 जनपद शाहजहाँपुर में रिवीजन संख्या-05/2020 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, शाहजहाँपुर बनाम सुशील कुमार में सुनवाई हेतु 27-08-2021 तारीख नियत है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट संख्या-17635/2021 कोर्ट कक्ष संख्या-40 में सुशील कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य भूमि की मुआवजे के सम्बन्ध में दायर है, जिसमें सुनवाई 28-08-2021 नियत है। नायब तहसीलदार निगोही, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर में भूमि विवाद के गाटा संख्या 298, 297, 296, 291 से सम्बन्धित 07 बैनामों का खतौनी में दाखिल खारिज एवं रिकॉल व निरस्तीकरण के 07 मुकदमे अलग-अलग दायर किये गये हैं जिसमें अभियाचनपत्र प्रभारी अधिकारी, मुआफिजखाना माल, शाहजहाँपुर से पत्रावलियाँ तलब करने का पत्र जारी किया गया है जिसमें तारीख 19-08-2021 दी गयी है, जबकि धारा-143 जेड0एल0आर0 एक्ट के तहत वाद संख्या-5/12 सरकार बनाम अनिल, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30-11-2012 को गाटा संख्या-298/0.174 हेक्टेयर लगान मुक्त अकृषक घोषित की जा चुकी है। धारा-143 जेड0एल0आर0 एक्ट के तहत वाद संख्या-6/12 सरकार बनाम राधा कृष्ण, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30-11-2012 को गाटा संख्या-297/0.158 हेक्टेयर लगान मुक्त अकृषक घोषित की जा चुकी है। धारा-143 जेड0एल0आर0 एक्ट के तहत वाद संख्या-4/12 सरकार बनाम ओम प्रकाश, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30-11-2012 को गाटा संख्या-296/0.162 हेक्टेयर लगान मुक्त अकृषक घोषित की जा चुकी है। यहाँ यह उल्लिखित करना समीचीन होगा कि उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित विभिन्न माननीय न्यायालयों में वर्तमान समय में कुल 10 मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं। निगोही विद्युत उपकेन्द्र की भूमि उत्तर-पश्चिम दिशा में 04 पोषक (एक गांगेपारा पोषक, दो निगोही पोषक, एक तालगांव पोषक) स्थापित हैं जिसमें आवासीय कॉलोनी के पीछे से गांगेपारा पोषक की लाइन दो रेल पोल बाउण्ड्रीवॉल से होकर क्षेत्र में निकली है जिसके प्रारम्भिक तीन पोल विद्युत उक्त गाटा की भूमि जो विद्युत विभाग के कब्जे में हैं, पर स्थापित है। विद्युत उपकेन्द्र के उत्तर-पूर्व कोने में निगोही-पुवायां मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित सीमांकित बाउण्ड्रीवॉल पोल को तोड़कर लगभग 50x150 फिट चौड़ी पट्टी पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे भविष्य में विद्युत उपकेन्द्र के स्विच यार्ड पर लगे परिवर्तक की मरम्मत व प्रतिस्थापना में काफी कठिनाई होगी। विद्युत उपकेन्द्र के पूर्व दिशा में निगोही–पुवायाँ मुख्य रोड पर सीमांकित बाउण्ड्रीवॉल सीमेण्टेड पोल की बनी है जो वर्तमान समय में जर्जर अवस्था में स्थापित है जिस पर रोड पट्टी से लगे हुए चार पोषक (एक ढकिया पोषक, एक विश्व बैंक पोषक, एक एस0पी0एन0 पोषक, एक जिन्दपुरा पोषक) बने हैं। चारों पोषक के प्रथम पोल विद्युत उपकेन्द्र की बाउण्ड्रीवॉल पर स्थापित है, लेकिन जिन्दपुरा

पोषक का द्वितीय पोल पॉवर हाउस के मुख्य द्वार के पास भी लगा है, विद्युत उपकेन्द्र पर आवासीय कॉलोनी के उत्तर में पावर हाउस व स्विच रूम के पीछे खाली पड़ी भूमि पर भू-माफिआओं व राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोग अतिक्रमण पर आमादा हैं जिसके पास पड़ी खाली भूमि पर पावर हाउस के कई पोल स्थापित हैं जिनके द्वारा क्षेत्र में पोषक बनाकर विद्युत सुचारु व निर्वाध रूप से शासन व प्रशासन की मंशानुरूप आपूर्ति की जाती है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का भूमि पर कब्जा हो जाता है, तो उक्त पोषकों को भू-माफियाओं द्वारा नुकसान पहुँचाया जा सकता है जिससे सम्बन्धित क्षेत्र में सुचारु व निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहेगी। विद्युत उपकेन्द्र के मुख्य द्वार के सामने बिलिंग सेण्टर स्थापित है जिसके दक्षिण साइड से होकर विभागीय आवासीय कॉलोनी तक रास्ता जाता है जिसके उत्तर व दक्षिण दिशा में विद्युत विभाग की खाली भूमि पड़ी है जिसको विद्युत पोल, परिवर्तक, तार आदि अन्य विद्युत सामग्री को सुविधानुसार रखने हेतु विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है।

विद्युत उपकेन्द्र के चारों ओर सीमांकन के रूप में सीमेण्टेड पोल स्थापित किए गये थे जिस पर तार स्थापित थे जो वर्तमान समय में काफी जर्जर अवस्था में स्थापित हैं और राजस्व अभिलेख खसरे में विद्युत उपकेन्द्र उपरोक्त गाटा में वर्णित है। उपरोक्त भौतिक सर्वेक्षण व अभिलेखों एवं विद्युत उपकरणों का अवलोकन करने से प्रतीत/ज्ञात हुआ कि उक्त विद्युत उपकेन्द्र लगभग 50 वर्ष पूर्व से स्थापित है जिससे सिद्ध है कि उसका उक्त भूमि पर वास्तविक रूप से अनवरत् कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विद्युत विभाग के सीमांकित भूमि जो उसके आस-पास खाली पड़ी है, पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है। विद्युत विभाग की उक्त सभी भूमि विद्युत विभाग के कब्जे में है जिस पर अनाधिकृत रूप से बैनामे एवं नियम विरुद्ध दाखिल खारिज कराकर जबरन व बदनीयत से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और राजस्व अभिलेखों में खसरे में विद्युत उपकेन्द्र उपरोक्त गाटा में प्रदर्शित है। उक्त पावर हाउस की खाली पड़ी भूमि पर दिनांक 01-09-2019 को 40-50 लोग साजिशन इकट्ठा होकर मिट्टी डालकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और जिसकी शिकायत की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01-09-2019 को थाना-निगोही, जनपद शाहजहाँपुर में दर्ज करायी गयी जिसमें कब्जाधारियों द्वारा सीमांकन पर लगे उत्तर-पश्चिम दिशा में विद्युत विभाग के सीमेण्टेड पोल को पूर्णतयः क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। निगोही पावर हाउस भूमि कब्जे के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष निगोही को भी दिनांक 01-09-2019 को भी शिकायत दर्ज करायी गयी है। उक्त बैनामे क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व विभाग के कार्मिकों से सांठ-गांठ करके एवं अपने प्रभाव का प्रयोग कर करा लिए गये हैं एवं राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। क्योंकि वर्तमान में क्षेत्रीय लेखपाल श्री अग्रसेन सिंह द्वारा गाटा संख्या-298, रकबा-0.1470, फसली वर्ष 1426 में कॉलम संख्या-18 व 19 के नीचे अंकित किया "कुछ जगह पर विद्युत विभाग का कार्यालय, आबादी खाली जगह भू-स्वामी" अंकित किया है। ऐसा दिनांक

27-08-2019 को विद्युत विभाग को सरकारी कार्य हेतु जारी किए गये उक्त गाटे के खसरे में मात्र "आबादी और बिजली घर" अंकित किया है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में बढ़ा चढ़ाकर विद्युत विभाग को नुकसान पहुंचाने की नियत से साजिशन अंकित किए हैं। इसी क्रम में लेखपाल श्री अग्रसेन द्वारा दिनांक 13-09-2018 को अपनी हस्तलिपि में एक नक्शा बनाया है जिसमें विद्युत विभाग, उपकेन्द्र भवन आदि गाटा संख्या आस-पास के लिखे हैं। उक्त नक्शे के अनुरूप दाखिल खारिज में कहीं वर्णन नहीं किया गया है।

राजस्व रिकॉर्ड में हेरा-फेरी की गयी है, जिस पर कब्जा व दखल मौके के हिसाब से दर्ज किया जाना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी व कर्तव्य है। विद्युत विभाग द्वारा विधि अनुसार ही पावर हाउस की स्थापना सन् 1970 के लगभग की गयी है। तबसे अनवरत् विवाद रहित कब्जा चला आ रहा है, जिसका क्षेत्र के विकास एवं जनहित के लिए विद्युत की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान है तथा जनता के हितार्थ विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु भविष्य में भी विस्तारीकरण किये जाने की सम्भावनाएं रहती हैं। राजस्व अभिलेखों का रख-रखाव राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) दिनांक 03-09-2019 में गाटा संख्या-291, 296, 297, 298 में विद्युत विभाग का कब्जा कितने हिस्से पर है, विवरण तालिका में अंकित किया है, जिसका संज्ञान निगम हित में लें। भविष्य में उक्त क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु उक्त विद्युत उपकेन्द्र पर अतिरिक्त क्षमतावृद्धि होने के दृष्टिगत भी उक्त अतिरिक्त भूमि का उपयोग जनहित में आवश्यक होगा। यदि उक्त भूमि पर जबरन व बदनीयत से कब्जा कर लिया गया तो उक्त क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बाधित होगा, जिससे जनहित प्रभावित होगा।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण पिछली बार सदन में नियम-51 में लगाया गया था, उसमें गलत सूचना आयी थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इसमें दोबारा सूचना मंगवा ली जाए। गाटा संख्या-298, 297, 296, 291 जो हमारे गांव का ही मामला है, जिस गांव में हम रहते हैं। यह संक्रमणीय भूमिधर हैं और किसानों के नाम आज नहीं जबसे चकबन्दी हुई है तबसे दर्ज हैं। 70 साल पहले से उनके नाम चली आ रही है और बिजली विभाग ने बगैर मुआवजा दिये कुछ जमीन पर बिजली घर बनवा दिया, शेष जमीन खाली पड़ी है। बिजली विभाग का कहना है कि यह जमीन हमारी है। क्या इनके पास कोई साक्ष्य है, क्या इन्होंने कहीं से दान स्वरूप ली है ? एक रिपोर्ट यह भी आयी है कि 40-50 लोग उस जमीन पर मिट्टी डाल रहे थे, जिस पर हमने एफ0आई0आर0 करायी थी। वह लोग जेल के अन्दर हैं, उनकी अभी जमानत नहीं हुई है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इन्हें अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है ? मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। यह प्रकरण प्राक्कलन समिति में चला। प्राक्कलन समिति मौके पर गयी थी। यहां पर हमारे कई सदस्य बैठे हुए हैं। मा0 सभापति महोदय भी गये थे, मौके पर इसकी जांच की गयी। जांच करने के बाद रिपोर्ट आयी और बिजली विभाग यह बहाना कर देता है कि हमने मुकदमा कर दिया है, तो क्या किसी की जमीन पर कब्जा करने के

बाद सरकार चाहे, अधिकारी चाहे, मर्जी हो जिसकी जमीन पर कब्जा कर लें और कह दें कि हमारा कब्जा है ? ऐसे तो पुरानी जमीनें हमारी सरकार ने खाली करायी हैं। जो हमारे भूमि स्वामी हैं, उन्हें भू-माफिया बताया गया है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि जो भूमि खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई हस्तक्षेप न करे और जिस पर अवैध कब्जा करके कार्यालय बनाया गया है, उसका मुआवजा दिया जाए। हमारी आपसे यह मांग है। अगर कहीं पर इन्होंने कोई दानपात्र किया हो या उनकी सहमति ली हो तब तो ठीक है। यहां पर हमेशा असत्य सूचना आती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनकी जमीन है तो उनकी जमीन पर कोई हस्तक्षेप न किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर एकड़ों जमीन पड़ी हुई हैं। बिजली विभाग वाले डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं कि यह तो हमारी जमीन हैं तो इसमे आपकी पीठ से कोई निर्देश आ जाये और बहाना यह करते हैं बिजली विभाग वाले कि हमने मुकदमा कर दिया है। मुकदमा कर दिया उनके नाम कोई स्टे है। मुकदमा करने से जमीन उनकी थोड़ी न हो गयी। बिजली विभाग के संदर्भ में हमारी कमेटी भी वहां पर गयी।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप निर्देश दें बिजली विभाग को कि किसी के साथ अन्याय न करे।

श्री रमा शंकर सिंह-

मान्यवर, एक प्रकरण बहुत पुराना वर्ष 1970 का है। विद्युत विभाग का उसमें 1970 से कब्जा है। पिछले दाखिल खारिज में कहीं भी उक्त व्यक्ति का नाम नही है। विद्युत विभाग का ही नाम है।

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, अगर विद्युत विभाग का नाम है, तो जमीन दान में दे देंगे। आज विद्युत विभाग के पास यह व्यवस्था नहीं है कि हम जमीन खरीद कर सब स्टेशन बनाएं यह व्यवस्था नहीं है।

श्री रमा शंकर सिंह-

मान्यवर, जब भी पॉवर हाउस सब-स्टेशन बनता है हम गांव सभा की जमीन पर बनाते हैं। या तो हम जमीन दान में लेते हैं। आज भी ऐसी विद्युत विभाग के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि पैसे से खरीद करके सब स्टेशन बनायें। आज यहां जो गांव सभा की जमीन मिली है 1970 से पॉवर हाउस बना है और क्षमता वृद्धि भी हुई है और जो रिपोर्ट आयी है हम इसको पुनः जांच करायेंगे। माननीय विधायक की बात को मैं नहीं काट रहा हूँ, लेकिन हम इसकी पुनः जांच करायेंगे। जो सही होगा उनके साथ अन्याय नहीं होगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सारी जमीन किसानों के नाम पर है। सात विधायक गये थे साकेन्द्र वर्मा जी गये थे और ज्ञानेन्द्र सिंह जी गये थे जिसमें से छह भाजपा के थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम ठीक से जांच कराएंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी कहा है कि वह ग्राम सभा की जमीन है अगर वह ग्राम सभा की जमीन है आप रिपोर्ट मंगा लें और कोई टाइम निर्धारित हो जाये यह तो रिपोर्ट 3 साल से लगातार असत्य आ रही है। रिपोर्ट का एक टाइम निर्धारित हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

वह दोबारा जांच के लिये कह तो रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, राजस्व विभाग, ए0डी0एम0, डी0एम0, 100 सी0डी0ओ0 और पूरे बिजली विभाग के ए0ई0 चीफ तक थे। सबने यह माना कि वह किसानों की जमीन है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं माननीय मंत्री जी तीन साल से प्राक्कलन समिति में लगातार यह मामला आ रहा है जो विधायक जी रख रहे हैं। मैं विधायक जी का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और सुरेश्वर जी भी इस बात को पूरी तरह जानते हैं वह इस समय मौजूद हैं उनसे भी आप पूछ लें। अगर अधिकारी असत्य रिपोर्ट दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कमेटी सदन का मिनी सदन है और इस मामले में मिनी सदन का अपमान हो रहा है। अधिकारियों द्वारा मिनी सदन का अपमान किया जा रहा है। वहाँ पर मिनी सदन गया था, अब अधिकारी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रमा शंकर सिंह-

इस मामले को पुनः जांच कराकर अगर अधिकारी दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं अगली मद ले रहा हूँ।

श्री रोशन लाल वर्मा-

अध्यक्ष जी, हमारी एक बात रह गई जो प्राक्कलन समिति है वह भी मिनी सदन है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है कि वह दुबारा जाँच कराएंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा-

वहाँ पर हमारे जो कृषक हैं उनको भू-माफिया बताया जा रहा है अगर अधिकारियों ने सदन को गुमराह किया है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि वह दुबारा जाँच कराएंगे।

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज की बदायूं सिंचाई परियोजना में मानकों के विपरीत नहर निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

जनपद बदायूँ में सरकार द्वारा किसानों की.....

श्री लाल जी वर्मा-

इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

[सिंचाई की समस्या के निदान हेतु बदायूँ सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरों के निर्माण का कार्य चल रहा है। मानक के विपरीत कार्य होने से इसका समुचित लाभ किसानों को मिलना सम्भव नहीं है। इसमें ठेकेदार, विभागीय अधिकारी मिलीभगत करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने में लगे हैं। जिससे नहरों में पानी सुचारु रूप से नहीं होगा और किसान सिंचाई से वंचित रह जायेंगे। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर मानक के अनुसार नहरों का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मानक के अनुसार नहरों का कार्य कराये जाने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

वक्तव्य-

डा0 महेन्द्र सिंह-

[जनपद बरेली/बदायूँ में किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु बदायूँ सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत रामगंगा नदी पर बैराज का निर्माण एवं जनपद बरेली/बदायूँ में नहरें निर्माणाधीन हैं। इस परियोजना के कार्य केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय सिंचाई विभाग द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार सम्पादित कराये गये हैं। वर्तमान में परियोजना के कार्य बन्द हैं तथा कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। परियोजना के अन्तर्गत ली जाने वाली भूमि की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि इत्यादि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने के कारण परियोजना पुनरीक्षित की गयी है। पुनरीक्षित परियोजना का मा0 मंत्री परिषद् से अनुमोदन अपेक्षित है। परियोजना के अन्तर्गत जनपद बरेली एवं बदायूँ के 343 गाँवों के 90,500 कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ देकर 37,453 हे0 भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।]

श्री राजीव कुमार सिंह-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के समय में यह परियोजना शुरू हुई थी यह 600-700 करोड़ की थी, लेकिन उसमें किसानों की आधी जमीन अधिग्रहीत कर ली और एक साइड से नहर बनी है, उस परियोजना का काफी लम्बा समय हो गया है, उसमें काफी भ्रष्टाचार भी पिछली सरकार के समय में हुआ था मेरा सिंचाई मंत्री जी से आग्रह है कि जो किसानों की जमीन पर एक साइड से नहर बन गई है। उनको सरकार का जो नियम है उसके अनुसार पैसे देकर उस योजना को पूरा करें अन्यथा जमीन तो अधिग्रहीत नहीं हुई है। एक तरफ लाइन पड़ गई है, जिससे कोई परियोजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। और इसमें जो मानक के विरुद्ध निर्माण हुए हैं उनकी जाँच के लिए कोई कमेटी बना दें।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011-12 में बदायूँ और बरेली के लिए एक सिंचाई परियोजना बनाई गई जिसका नाम बदायूँ परियोजना था। वह परियोजना 630 करोड़ की थी उसको पूरा करने का समय 2016 तय किया जाता है। 2016 में इस परियोजना को पूर्ण होना था उसमें 263 करोड़ जमीन के लिए पैसा और 367 करोड़ निर्माण के लिए तय किया गया था तत्कालिक सरकार इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी कि उन्होंने पूरा का पूरा 80 प्रतिशत जमीन खरीदने के बाद कोई कार्य शुरू करना चाहिए था एक भी जमीन नहीं खरीदा अधिग्रहण नहीं किया और परियोजना का शुभारम्भ करके जो जमीन का पैसा था उसको भी निर्माण में लगाकर खर्च कर दिया और पूरी की पूरी परियोजना ठप्प हो गई, बड़ी बात यह है कि 500 कि0मी0 नहर बननी थी और पाँच साल में केवल 55 कि0मी0 नहर बन पाई और पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया और उसके बाद अब उस परियोजना पर जो 630 करोड़ में पूरी होनी थी उसका पुनरीक्षित 2200 करोड़ हो गया है, 630 करोड़ की परियोजना 2200 करोड़ में पहुँच गई और जिस सरकार में इसको होना चाहिए था जिसके लिए पैसा दिया गया था वह पूरा पैसा और उस पूरी परियोजना को, किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था वह पैसा भी यह लोग हजम कर गए उसमें जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए राजीव जी ने जो कहा है निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी, लेकिन जो राजीव जी ने बताया है कि एक तरफ नहर बन गई है, लेकिन नहर 500 कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 55 कि0मी0 नहर बनी है इसके सिवाय न तो जमीन अधिग्रहीत की गई न कोई नहर बन पाई है और पूरी की पूरी परियोजना पिछली सरकार ने बिना डिजाइनिंग के, बिना किसी परमीशन के, बिना किसी जमीन

अधिग्रहण के उस परियोजना का शुभारम्भ किया और पूरी परियोजना को यह लोग हजम कर गए, इसलिए मैं अपने सम्मानित सदस्य से कहना चाहूंगा निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी और कार्यवाही करके हम सदन को भी अवगत कराएंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि पूरी परियोजना भ्रष्टाचार में चली गई। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब आपने सदन में कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही करेंगे उनके वक्तव्य में ही यह बात है।

जनपद अमेठी के अन्तर्गत आवास हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन न किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)-

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान प्रदेश की ग्राम पंचायत.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य ग्राम्य विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

[बलभद्रपुर जामों वि0ख0, तहसील-गौरीगंज जनपद-अमेठी में आवास हेतु पात्र व्यक्तियों को अपात्र घोषित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत बलभद्रपुर में लगभग 200 परिवार कच्चा एवं छप्पर के मकान में निवास करते हैं फिर भी सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में इन लोगों का नाम सम्मिलित नहीं किया गया। जिससे इन गरीब परिवारों में बरसात, ठण्डी व गर्मी के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोक राजनीति के चलते उक्त ग्राम सभा में सरकारी योजना का जरूरतमंद व गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। जिससे सरकार के प्रति उन लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है व सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि संदर्भित मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर प्रभावी कार्यवाही करायी जाए।

सूचना पर कृत कार्यवाही-

बिन्दु संख्या-1

ग्राम पंचायत-बलभद्रपुर, विकास खण्ड-जामों की सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची में कुल 118 लाभार्थियों के नाम सम्मिलित थे, सत्यापन के उपरान्त 41 लाभार्थी अपात्र एवं 77 लाभार्थी पात्र पाये गये। पात्र पाये गये सभी 77 लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप निम्नानुसार आवास आवंटित किया गया है :-

1-वर्ष 2016-17 में 30 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है।

2-वर्ष 2017-18 में 14 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है।

3-वर्ष 2018-19 में 19 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है।

4-वर्ष 2019-20 में 14 लाभार्थियों को आवास आवंटित करते हुए संतृप्त कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या-2

ग्राम पंचायत-बलभद्रपुर, विकास खण्ड-जामों में आवास प्लस वर्ष 2018 की सूची में कुल 469 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित थे। सत्यापन उपरान्त 251 व्यक्ति पात्र एवं 218 व्यक्ति अपात्र पाये गये। 251 पात्र पाये गये लाभार्थियों को स्थायी पात्रता सूची में से निम्नानुसार आवास आवंटित किया गया है :-

1-वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा कुल 90 लाभार्थियों को आवास आवंटित किया गया है।

2-वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा कुल 49 लाभार्थियों को आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 28 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी करते हुए शेष को लाभान्वित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिन्दु संख्या-3

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत-बलभद्रपुर, विकास खण्ड-जामों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तगर्त कतिपय पात्र परिवारों का नाम सूची में सम्मिलित न होने का संज्ञान लेते हुए पुनः व्यापक सर्वे कराते हुए पात्र परिवारों के चिन्हांकन का कार्य कराया गया। सर्वे में कुल 77 लाभार्थी आवास योजना हेतु पात्र पाये गये हैं, किन्तु वर्तमान में आवास प्लस की साइट बन्द होने के कारण इनका नाम फीड नहीं किया जा सका है। उक्त पात्र पाये

गये लाभार्थियों को आवास देने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा पोर्टल खोले जाने पर निर्भर है।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय पर आपने हमें मा0 मंत्री जी से अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इस पर आपसे एक-दो मिनट का समय भी चाहूँगा, क्योंकि यह बिना घर, बिना छप्पर और बिना छत वाले गरीब लोगों का मामला है। एक रिपोर्ट आई है, पूरा उत्तर हमने पढ़ लिया है। पहले तो 2011 की पात्रता सूची में 118 नाम लाभार्थियों के सम्मिलित होते हैं, जांच होती है उसके बाद 41 नाम अपात्र पाये जाते हैं बचे हुए 77 नाम जो पात्र पाये जाते हैं उनको आवास दे दिया जाता है। फिर 2017 की पात्रता सूची बनती है जिसमें 469 लोगों का आवेदन आता है, खुली बैठक में प्रस्ताव आता है जिसमें से 251 व्यक्ति पात्र पाये जाते हैं और 218 व्यक्ति अपात्र पाये जाते हैं। जब मैं इस प्रश्न को यहां पर उठाता हूँ कि अपात्र लोगों को पात्र बना दिया गया है और पात्र लोगों को अपात्र बना दिया गया है तब इस मामले की जांच होती है। इसमें दिया जा रहा है कि 251 पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अभी तक 139 लोगों को ही आवास उपलब्ध कराया गया है। नीचे आप देखेंगे तो वर्ष 2020-21 में 90 लोगों को और 2021-22 में 49 लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है। एक तो जो अधिकारी गलत जवाब देते हैं इनको जवाब पढ़ लेना चाहिए और जबाब सही देना चाहिए, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। वहीं ऊपर आप देखेंगे तो 251 लोगों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है और नीचे जो सत्रवार दे रहे हैं वह केवल 139 लोगों को दे रहे हैं कि आवास उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 251 पात्र लोगों को उन्होंने शत-प्रतिशत आवास दे दिया है, लेकिन जब यहां मैं प्रश्न उठाता हूँ और उसके बाद पुनः जांच होती है तो नीचे तीसरे बिन्दु में आप इनका जवाब देख लीजिए, स्पष्ट जवाब दिया गया है कि गहराई से इसकी जांच की गयी तो 77 पात्र व्यक्ति पाये गये, तो ये कौन से लोग थे जो 218 लोग अपात्र हुए थे ? फिर उन्हीं में से 77 लोग आपको कैसे पात्र मिल गये ? यह तो जांच का विषय है और जो अधिकारी सरकार को सदन को गुमराह करने का काम करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं मा0 मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा, मा0 मंत्री जी ऐसे मंत्री हैं जो सबकी बात सुनते हैं और गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन यहां पर एक समस्या है। मा0 अध्यक्ष जी 77 लोग जांच में पात्र तो पाये गये, लेकिन प्लान प्लस की साइड इस समय बन्द हो गयी है, अब इन 77 लोगों को जांच में पात्र तो कर दिया गया है लेकिन मा0 मंत्री जी सदन को यह भी अवगत करा दें कि इन 77 लोगों को आवास कैसे दिलायेंगे ? यह केवल एक ग्राम पंचायत की स्थिति नहीं है, इस तरह से हर ब्लाक में 10-15-20 ग्राम पंचायतों की स्थिति है कि ये अधिकारी और कर्मचारी लोग जांच में किसी गरीब के नाम के आगे लैण्ड लाइन लिखकर, किसी गरीब के नाम के आगे ट्रैक्टर लिख कर, किसी गरीब के पास 10 बिस्वा जमीन है या

जिनके पास 0.5 एकड़ जमीन थी उनके नाम के आगे से जीरो और प्वाइंट हटाकर 5 एकड़ जमीन लिख दिया जाता है जिसके कारण वह लोग अपात्र हो गये। ऐसे कम से कम हर जिले में हजारों-हजार लाभार्थी अपात्र कर दिये गये हैं। इस मामले को जब मैंने प्राक्कलन समिति में उठाया तो अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास का जवाब आया कि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन साइड नहीं खुल रही है, तो मैं अपात्रों को, मा0 मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर घर को छत देने का हर गरीब को छत देने का काम किया जायेगा। अगर यह साइड नहीं खुलेगी तो मा0 प्रधानमंत्री जी हर घर को छत कैसे दे पायेंगे ? मा0 मंत्री जी सदन को यह भी अवगत करा दिया जाय और आपके विभाग द्वारा कहा गया कि गहनता से जांच की गयी और जांच में 77 लोग पात्र गये, इन 77 लोगों को आप कैसे आवास देंगे, कृपया इसका आप जवाब दे दें।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से हमारे जवाब को पढ़ा है और अपने बिन्दुओं को रखा है। 3 पार्ट में हमारा उत्तर है जिसमें 469 पात्र के सापेक्ष 251 पात्रों का उल्लेख आपने किया है और वह हमारे उत्तर में भी है। आप कहते हैं कि हमने 139 को आवास दिया है और शेष को प्रथम किस्त देने के बाद कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम कार्यवाही करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका सवाल आया और यह विषय आया और जब संज्ञान में यह बात आई कि कुछ पात्र छूट गये हैं, तो हमने उसकी जांच कराई जिसमें 77 लोग इलिजिबिल पाये गये। साइट गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की अनुमति से हम खोलते हैं। विषय आया है कि जिसमें प्रदेश का और जनपदों का भी उल्लेख भी मा0 सदस्य ने किया है, माननीय अध्यक्ष जी, हमने भारत और मा0 मुख्य मंत्री ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि यह साइट खोल दी जाये और आवास प्लस में प्रदेश में अगर कुछ पात्र बचे हैं जैसा कि मोदी जी और मा0 मुख्यमंत्री जी का सपना है और जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कहा निश्चित रूप से वह सपना 2022 तक पूरा होगा, इसकी चिन्ता आपको कतई नहीं करनी है, हमारी सरकार इसको पूरा करेगी, मोदी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जो 77 हैं, जिस दिन साइट खुलेगी, उनकी पात्रता सुनिश्चित है हम उन्हें शामिल करेंगे और जो पात्र-अपात्र का खेल विभाग के लोग करते है और हमारे कर्मचारियों ने अगर ऐसा किया है पहले उन्होंने 469 की फीगर दी पहले उन्होंने पात्र बताया और फिर उन्होंने कहा कि इतने अपात्र है। यह बात उचित नहीं हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो इसके लिए दोषी होंगे पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र करने वालों के खिलाफ विधि के अनुरूप जो कार्यवाही सम्भव है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। हमारे लाभार्थी को प्रदेश के उस अन्तिम व्यक्ति को जिसे मोदी जी ने आवास देने की बात कही है, उन्हें आवास मिलेगा और योगी जी का यह संकल्प है योगी जी ने इसे पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री आवास की भी व्यवस्था की है। जो आपको चिन्ता है, वह हमारी

चिन्ता है, वह सरकार की चिन्ता है। अन्तिम व्यक्ति को छत मिले यह सुनिश्चित हो यह हमारी चिन्ता है, हमारी सरकार की चिन्ता है उसे हम पूरा करेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों का जवाब आया है कि भारत सरकार साइट खोलने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने यह भी कहा कि हम जांच करवायेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनसे सहमत हूँ हर गरीब को छत मिलनी चाहिए। केवल इतना स्पष्ट कर दे कितने दिनों में उन्होंने 2022 तक कहा है 2022 आने में बहुत समय नहीं है। कितने दिनों में साइट को खुलवा देंगे और पात्र व्यक्तियों का नाम कब तक आवास प्लस पर फीड करवा देंगे ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

माननीय अध्यक्ष जी, मैने पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से और मेरी तरफ से भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि आवास प्लस में जो और लोग शामिल हो सकते हैं, जो पात्र है उसके लिए भारत सरकार की अनुमति दी जाये जिसके बाद ही हम कार्यवाही कर सकते हैं। भारत सरकार से हम पुनः अनुरोध करेंगे और अति शीघ्र इस पर अनुकूल कार्यवाही सम्भव हो सके, इसका हम प्रयास करेंगे।

जनपद फिरोजाबाद में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत ही विद्वान साथी आदरणीय मनीष असीजा जी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है कि फिरोजाबाद में कोई राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं है तथापि .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य गन्ना विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश राणा-

[कराये जाने की महती आवश्यता है। उक्त के दृष्टिगत मा0 विधायक द्वारा नियम-51 के अंतर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

वक्तव्य-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यद्यपि जनपद फिरोजाबाद में कोई राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित नहीं है तथापि फिरोजाबाद में 02 राजकीय पालीटेक्निक कालेज स्थापित हैं, जिनमें जनपद के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग की विभिन्न विधाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध हो रहा है। डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग विधाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु फिरोजाबाद के नजदीकी जनपद मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित है। इस प्रकार जनपद फिरोजाबाद के साथ-साथ प्रदेश के छात्र-छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में अध्ययन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

2-उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु शासन द्वारा निर्धारित "परस्पेक्टिव प्लान" में किये गए अध्ययन में इंजीनियरिंग विधा के डिग्री स्तरीय निजी अभियंत्रण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त पाये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में नवीन इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3-शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रदेश की सभी डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं में प्रवेश एन0टी0ए0 द्वारा आयोजित जे0ई0ई0 (मेन्स) परीक्षा के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें छात्रों की रैकिंग के अनुसार कालेजों का आवंटन केन्द्रीयकृत आनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाना है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सम्बंधित जनपद के छात्र-छात्रायें अपने जनपद में स्थापित कालेज में ही प्रवेश पा सकें। वस्तुतः एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना में लगभग 100 करोड़ पूँजीगत धनराशि की आवश्कता होती है। इस वित्तीय वर्ष में नये राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु के बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।]

श्री मनीष असीजा-

फिरोजाबाद कांच चूड़ी उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वर्तमान में पिछले दस वर्षों से बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में कांच के उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। बदली परस्थितियों में जो परम्परागत कांच उद्योग और इसमें काम करने वाले हजारों की संख्या में जो टेक्नीशियन हैं। वह सब चाइना से आकर फिरोजाबाद में अपनी सेवा दे रहे हैं। भारत के अन्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जगहों से आकर भी लोग सेवा दे रहे हैं। हमने जो फिरोजाबाद में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग की है। उसके पीछे की भावना यह है कि जिस शहर में लगातार परम्परागत रूप से जीवंता के साथ बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हैं। यह वहां का स्वाभाविक कल्चर है। हमे यह बताया गया है कि पास में मैनपुरी है। वहां पर एक कॉलेज है और कॉलेज अन्य स्थानों पर भी हैं। प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज का भी इसमें उदाहरण दिया गया है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि वहां की फीस कम होती है। जिससे सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र को आसानी से एडमिशन मिल जाता है। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों ने भी देखा है। जिसमें फैकल्टी, लैबोरेट्री और इंटर्नशिप का जो है। वह इतना अपेक्षित नहीं है। जिसके कुछ कॉलेज तो अच्छे चलते है और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्दर बच्चे जाना नहीं चाहते है। अगर विशेषकर क्लास तकनीकि पर आधारित कुछ सब्जेक्ट के साथ होता, तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रारंभिक चरण आप शुरू कर दें तो यह आपका सफल प्रयोग हो सकता है और सीधा-सीधा सरकार को लाभ देगा।

श्री अध्यक्ष-

उनका उत्तर तो आया है कि संसाधन नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

इसलिए अध्यक्ष जी में आपसे निवेदन और वकालत कर रहा हूँ कि इसको एक दम से रिफ्यूज न करें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें इन्होंने लिखा है कि 100 करोड़ की पूंजी लगेगी और इस वित्तीय वर्ष मे नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु बजट नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

इस प्रपोजल को विचार के लिए रख लें और इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री सुरेश राणा-

मनीष असीजा जी लगातार फिरोजाबाद के लिए विषय उठाते हैं। बहुत गहनता के साथ विषय को रखते हैं। जहां तक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है फिरोजाबाद में तो वहां पहले से दो राजकीय पॉलिटेक्निक वहां पर हैं। यह वो भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है। जिस प्रकार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के माध्यम से जितने भी डिप्लोमा के कोर्स हैं उन तमाम डिप्लोमाधारियों के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने पहल की है। स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को ट्रेंड करके अपग्रेड करने का कार्य हो या अन्य जितने भी कोर्स

हों। उनके माध्यम से रोजगार के अवसर सरकार ने पैदा किये हैं। उसकी चारों तरफ लोगों ने सराहना की है। मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बराबर में है। यह भी सच्चाई है और हम यह भी जानते हैं। सरकार के द्वारा इस बात का भी अध्ययन कराया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रवेश की स्थिति है आज लगभग 62 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी हैं। इसलिए रोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए जिस प्रकार डिप्लोमा कोर्स को बढ़ावा दिया है सरकार ने आपने कहा है कि वहां कांच और तमाम प्रकार के उद्योग हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शुरू किए हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि जैसा हम सब जानते है अब बी0टेक0 में एडमिशन जे0ई0ई0 की परीक्षा से होती है। इस कारण से यह भी संभव नहीं है की वहां के बच्चों की ही उस कॉलेज में एडमिशन हो। प्रारम्भिक टैस्ट के आधार पर मिलता है। जहां आप कॉलेज के लिए बोल रहे है वहां 100 करोड़ की पूंजी का निवेश होगा।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का इसलिये भी आभार प्रकट करता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने मेरी दो बातों को सही मान लिया। मैं कोई राजनीतिक संकेत नहीं देना चाहता लेकिन कह रहा था कि डिग्री स्तरीय निजी अभियंत्रण संस्थाओं में एक समय में इंजीनियरिंग कालेज एक अलग तरह की योजना के तरीके से बनाये गये थे, तो यह सीट की उपलब्धता उन कालेज में है। अच्छी प्रतिष्ठा वाले कालेज में अभी भी सीट की बहुत मारामारी है। दूसरा, जो हमारे पालीटेक्निक हैं वह इंजीनियरिंग कालेज का विकल्प नहीं है। जो हमारे पालीटेक्निक हैं उस लेवल के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पालीटेक्निक बड़े अच्छे से चलाये जा रहे हैं। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इंजीनियरिंग कालेज है वह केवल फिरोजाबाद के बच्चों को ही नहीं पढ़ायेगा। जहां पर नदी बह रही है वहां पर अगर स्टीमर होगा तो उसकी उपादेयता अच्छी होगी। जहां पर लगभग 70-80 साल से सतत औद्योगिक क्रियायें चल रही है वहां पर इसकी जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसा उपलब्ध नहीं है।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिये मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यदि मा0 मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक इसमें प्रथम चरण दे दें या इस पर पुनर्विचार कर लें तब भी यह हो जायेगा। मुझे लगता है कि फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र जहां से इतना अधिक टैक्स जनरेशन होता है और वहां पर इतनी अधिक औद्योगिक एक्टीविटी है तो वहां के लिए शायद यह प्रयोग अच्छा रहेगा। मैं अनुरोध करूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह दें।

श्री सुरेश राणा-

मैंने कहा है कि मनीष जी की जानकारी बहुत तकनीकी रहती है और इसमें स्पष्ट कहा है कि चूंकि सौ करोड़ का पूंजीगत विषय है तो वित्तीय आधार उपलब्ध होंगे तो जैसा मनीष जो ने कहा है उस आधार पर हम सब लोग विचार कर लेंगे।

जनपद अमेठी के गौरीगंज में राजस्व विभाग द्वारा परिवारों को प्रताड़ित किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र दिनांक 13-08-2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम शाहपुर जामों, परगना गौरीजामों, तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी की खतौनी....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 महेन्द्र सिंह-

[वर्ष 1424-1429 फ0 की खाता संख्या-460 की गाटा संख्या-134/0.784 हे0 भूमि ग्राम सभा की सम्पत्ति हैं, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब खाते में अंकित हैं, जिसके संबंध में विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	गाटा संख्या/रकबा/ अतिक्रमण की अवधि	अतिक्रमणकर्ता	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या
1	134मि0/0.025हे0/15वर्ष	जोखू सुत रामदुलारे	टी 201704715001854
2	134मि0/0.026हे0/15वर्ष	माताफेर सुत रामभरोसे	टी 201804710102345
3	134मि0/0.045हे0/15वर्ष	शीतला प्रसाद सुत सूरजबली	टी 201804710102346
4	134मि0/0.022हे0/15वर्ष	सुरेश कुमार सुत शीतला प्रसाद	टी 201804710102348

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0 सं0	गाटा संख्या/रकबा/ अतिक्रमण की अवधि	अतिक्रमणकर्ता	कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या
5	134मि0/0.026हे0/15वर्ष	रामसुमेर सुत भुसई	टी 201804710102349
6	134मि0/0.031हे0/15वर्ष	रमेश कुमार सुत शीतला प्रसाद	टी 201804710102350
7	134मि0/0.030हे0/15वर्ष	रामअवध सुत सूरजदीन	टी 201804710102351
8	134मि0/0.039हे0/15वर्ष	मथुरा प्रसाद सुत गंगाराम	टी 201804710102352

2-प्रकरण में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र- 19 के तहत रिपोर्ट के अनुसार बेदखल किये जाने हेतु बाद संस्थित किया गया तत्पश्चात् उपरोक्त अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार न्यायालय तहसीलदार द्वारा आर0सी0 प्रपत्र- 20 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त सारिणी के क्रमांक-1 को छोड़कर शेष उपरोक्त विचाराधीन सभी वादों में पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु दिनांक 18-08-2021 तिथि नियत की गयी है, जिसमें नियमानुसार शीघ्र निरस्तारण करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत ग्राम के निवासी इन्द्रकुमार सुत जागेश्वर निवासी ग्राम शाहपुर जामों द्वारा उपरोक्त क्रमांक-1 पर अंकित वाद संख्या-टी 201704715001854 गांव सभा बनाम जोखू के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-34490 (पी0आई0एल0-सिविल)/2019 इन्द्रकुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2019 एवं तत्क्रम में योजित अवमानना याचिका संख्या-2257/2020 इन्द्रकुमार बनाम घनश्याम भारतीय, तहसीलदार गौरीगंज, अमेठी एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04-02-2021 को निर्गत अवमानना नोटिस के समादर में अवैध अध्यासी जोखू सुत रामदुलारे को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 01-03-2021 को नियमानुसार बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अवैध अध्यासी जोखू सुत रामदुलारे, निवासी शाहपुर जामों का पैतृक आवास पक्का मकान पूरे भगीरथ मजरे शाहपुर जामों में स्थित है। इनके पिता के पास ट्रैक्टर, धान कुटाई मशीन, आटा चक्की एवं पर्याप्त भूमि है। इस प्रकार ये आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक पुरवा के पन्द्रह-बीस परिवारों के घर से जुड़ा मामला है जिनके पुरखों ने तालाब के किसी नम्बर पर घर बना लिया था। ग्राम पंचायत की राजनीति में कभी कोई ग्राम प्रधान के साथ रहा, कभी कोई नहीं रहा तो एक-दूसरे की शिकायत करके

उनका घर गिरवाने का प्रयास चल रहा हैं। इसी में एक जोखू सुत राम दुलारे है, जिनके संबंध में रिपार्ट आई हैं कि दिनांक 01-03-2021 को इनके घर की बेदखली का आदेश कर दिया गया हैं। शासन की स्पष्ट मंशा है कि किसी का घर गिराने से पहले उसको कहीं प्रतिस्थापित किया जायेगा। इस रिपोर्ट में अधिकारीगणों द्वारा अपने बचाव में गलत जवाब दिया गया है कि उनके पास ट्रैक्टर है और उनके पास पक्का मकान है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर उसके पास मोटर साइकिल भी होगी तो मैं इस सदन में कभी दोबारा नहीं आऊँगा और राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा अनुरोध है कि गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं सदन में घोषणा कर रहा हूँ कि उसके भाई के पास ट्रैक्टर है, उसके भाई के पास पक्का मकान है। मैं जिस जोखू की बात कर रहा हूँ वह छप्पर में रहता है। जो कच्चा मकान बनाया है, कालोनी पाया है और पक्का मकान नहीं बना पा रहा है वह जोखू का पुत्र चन्दन है जिसके मकान को गिराने का वहां प्रयास हो रहा है। इस तरह से आठ परिवारों के मकान को ध्वस्त करने का षड्यन्त्र राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की 16 परसेण्ट आबादी इस तरह की भूमि पर निवास करती है इसलिये इनको पहले कहीं प्रतिस्थापित कर दिया जाये, इनको कहीं आवासीय पट्टा दे दिया जाये, इनको मुख्य मंत्री आवास दे दिया जाये तब इनको बेदखल किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और लगभग सभी माननीय विधायकों के संज्ञान में भी होगा कि किसी के पुरखों ने कहीं गलती की है और कही तालाब के नम्बर पर, कहीं घूरे या गड्ढ़े के नम्बर पर, कहीं चारागाह के नम्बर पर मकान बना लिया है, उस पर उनके बच्चें पैदा हुए, उनकी शादी हुई फिर उनके भी बच्चे हुए। शासन से उनको जो कालोनी मिल रही है वह नहीं बनाने पा रहे हैं उनके लिए आवास के पट्टे पहले हो जाएं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे चाहता हूँ कि इस गरीब के मकान को तब तक न गिराया जाए जब तक उसके आवास का पट्टा न हो जाए और जब तक इसको कहीं आवास न दे दिया जाए। आज दिनांक 18-08-2021 को आठ लोगों के वाद में तारीख लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिए।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी ने जो बताया है पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी तालाब हैं या चारागाह की जमीन हैं उस पर अगर अवैध कब्जा है तो हटाया जाए चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ही सब जगह पर ऐसी ही कार्यवाही हो रही है। यह जो विषय आया है इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया हैं और यह हाई कोर्ट में मुकदमा था इसमें बकायदा हाई कोर्ट मुकदमें की संख्या भी लिखी हुई है।

इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आठ परिवार जो तालाब की जमीन पर बसे हुए हैं, उसकी बकायदा पैमाईश की गयी है और राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है कि वह तालाबों की जमीन है। सम्मानित सदस्य ने जो कहा हैं कि वह 15-20 साल से अपना घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं। मान्यवर, जो जोखू की बात उनको हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बेदखल किया गया है। उनका मकान नहीं तोड़ा गया है और बेदखल करने के बाद जिलाधिकारी ने उनकी स्थिति क्या है इसकी रिपोर्ट दे दी है। आपने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है उनके भाई के पास है। अगर आपकी यह बात है तो मैं इसे जरूर दिखवा लूंगा कि उनके पास क्या है और उनके भाई के पास क्या है ? विषय केवल जोखू का है। बाकी सबके मुकदमें तहसील न्यायालय में हैं आज ही इसकी डेट लगी थी क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश हैं कि इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए इसलिए इसकी सुनवाई जल्दी हो रही है। मान्यवर, एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने एक जी0ओ0 जारी किया है और जी0ओ0 के माध्यम से कहा हैं कि एंटी भू-माफिया में जो एक्शन लिया जा रहा हैं उसके तहत कोई गरीब प्रताड़ित न हो अगर किसी गरीब ने कहीं जमीन पर मकान बनाकर रखा है और वह ऐसी जमीन है जिसे खाली कराना आवश्यक है और यदि पात्रता सूची में आता है तो उसको कहीं न कहीं स्थान अवश्य दिया जाए। यह सरकार गरीबों के लिए ही काम कर रही है। जोखू जी का जो विषय है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उसमें ऐसा किया गया है। उसके बावजूद भी उनका मकान नहीं तोड़ा गया है। उनका मकान आज भी वहां पर विद्यमान है। कोई भी मकान नहीं तोड़ा गया है। आपने जो कहा है हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, शासन का सीधा निर्देश है कि पहले उनको कहीं स्थापित कर देंगे। हाईकोर्ट ने केवल निस्तारण के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा था कि इनको बेदखल कर दीजिए। तहसीलदार को उन्हें कहीं पर पहले स्थापित कर देना चाहिए था उसके बाद बेदखली का आदेश करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने निस्तारण के लिए कहा था इसका यह मतलब नहीं है कि किसी का घर गिरा दिया जाए। पहले उनको कहीं स्थापित करवा दीजिए फिर चाहे उनका घर गिरा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया आप बहुत देर से बोल रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जोखू ही नहीं आप आठों को कहीं पर स्थापित करवा दीजिए।

डा0 महेन्द्र सिंह-

पात्रता सूची में जो होगा उनके लिए जरूर काम किया जाएगा।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

मान्यवर, मा0 विधायक की सूचना में उल्लिखित उक्त पुल.....

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 महेन्द्र सिंह-

[(वी0आर0बी0) शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 77.800 पर स्थित है। शारदा सहायक पोषक नहर Twin Channel के रूप में चलती है। दाँयी-बाँयी शारदा सहायक फीडर चैनल की तली की चौड़ाई 50-50 मीटर हैं। नहर का अधिकतम जल प्रवाह (डिस्चार्ज) 23000 क्यूसेक हैं। नहर में अधिकतम गहराई 4.40 मीटर तथा फ्री बोर्ड 0.65 मीटर है। शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 77.800 पर 04 स्पान (4X15) के 02 वी0आर0बी0 निर्मित हैं।

नहर के कि0मी0 77.800 पर निर्मित वी0आर0बी0 में आई क्रैक की मरम्मत हेतु परियोजना (प्रोजेक्ट फार रिकन्स्ट्रक्शन आफ डैमेज्ड स्पान आफ वी0आर0बी0 एट कि0मी0 77.800, कि0मी0 74.200, कि0मी0 66.450 ऑन लेफ्ट फीडर एण्ड एट कि0मी0 36.878 ऑन राइट फीडर आफ शारदा सहायक फीडर चैनल) मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उक्त परियोजना समिति द्वारा विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित की गयी कि उक्त पुलों की मरम्मत कराये जाने से पूर्व विशेषज्ञ से तकनीकी सलाह प्राप्त करने के उपरान्त कार्य कराये जायें। तत्क्रम में उक्त परियोजना पर तकनीकी सलाह प्राप्त करने हेतु आई0ई0टी0 लखनऊ से 04 वी0आर0बी0 का निरीक्षण किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अपनी तकनीकी आख्या/सलाह में वी0आर0बी0 के सभी स्पान को बदलने तथा पियर की लोडिंग, टेस्टिंग की आवश्यकता बतायी गयी।

आई0ई0टी0 लखनऊ के उक्त परामर्शानुसार दिनांक 04-02-2021 को परियोजनान्तर्गत पुलों (वी0आर0बी0) का स्थलीय निरीक्षण कर तकनीकी सलाह हेतु आई0आई0टी0 कानपुर से अनुरोध करने पर तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा दिनांक 10-07-2021 को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त वी0आर0बी0 का निरीक्षण किया गया है। आई0आई0टी0 कानपुर से रिपोर्ट प्रतीक्षित है। तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुसार परियोजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना के सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।]

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में शारदा सहायक का एक पुल क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। पुल के बीच में ड्रम लगा दिये गये। ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी सबका रास्ता बंद है। हम विभाग को लगातार तीन वर्षों से लिख रहे हैं कि इस पुल की मरम्मत करा दी जाये। हम लिख रहे हैं कि0मी0 77.800 पर जो पुल है वह क्षतिग्रस्त हैं। विभाग उत्तर दे रहा है कि कि0मी0 77.800 के अलावा, कि0मी0 74.200, कि0मी0 66.450 और कि0मी0 36.878 यह तीनों पुल चालू हैं। यह तीनों पुल न तो बंद है न वह बेरिकेट किये गये हैं। हम पर्टिकुलर उस पुल कि0मी0 77.800 की बात कर रहे हैं जो तीन साल से बंद है। विभाग लगातार इसको घुमा रहा है। आपने अपने उत्तर में अंत में कहा है कि परियोजना के सक्षम स्तर से तकनीकी/ प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि जिस पुल की मरम्मत की मैंने मांग की थी उसका जो इस्टीमेट पहली बार बना था उसकी कीमत लगभग 17 से 18 लाख थी। इन्होंने जिन पुलों का भेजा है कि इनकी भी मरम्मत कर दिया जाये वह तीनों पुल फंक्शन में हैं। यह गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं और मामले को लटका रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि जिस पुल की मैंने मांग की हैं और तीन साल से पुल बंद है, रास्ता बाधित है उसको चालू करवा दीजिए। बाकी पुलों का काम आप बाद में करवाते रहियेगा।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हमारे मा0 सदस्य ने कहा हैं हम उस पुल को दिखाकर जल्दी से जल्दी चालू करायेंगे और दूसरे जिन पुलों के बारे में हम लोगों ने यहाँ रिपोर्ट सबमिट किया है वह भी आपके यहाँ महमूदाबाद का पुल है। उसका इस्टीमेट बनाया गया, मुख्य अभियंता समिति से उसको स्वीकृत किया गया। स्वीकृत करने के बाद आई0ई0टी0, लखनऊ के द्वारा उसका तकनीकी परीक्षण कराया गया। आई0ई0टी0 लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसका एक बार लोड चेक कर लिया जाये और वह आई0आई0टी0 कानपुर करता है तो हम लोगों ने कानपुर भेजा है। वहाँ से परीक्षण होकर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आने वाली है। बहुत जल्दी हम इस पुल को भी ठीक करायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, केवल सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1821 में जब अंग्रेजों के जमाने में नहर प्रणाली प्रारम्भ हुयी थी तब से लेकर वर्ष 2021 तक पूरे उत्तर प्रदेश में 74 हजार पुल-पुलिया बने। मान्यवर, उसमें से बहुत सारे पुल-पुलिया जर्जर हो गये लेकिन पहली बार योगी सरकार ने 25500 पुल-पुलिया

इसी साल 100 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। उन्होंने 200 सालों में 74 हजार पुल-पुलिया बनाये और हम लोग 100 दिन में 25500 पुल-पुलिया बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ इसको भी मैं बहुत जल्दी कराकर जनता जनार्दन के लिए मुहैया कराऊंगा, जो हम लोग 25500 पुल-पुलिया बना रहे हैं उसके माध्यम से 42 हजार पंचायतों को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग अपने खेत तक पहुंचेंगे और खेत का सामान बाजार तक पहुंचा पायेंगे, जो संकरी पुल-पुलिया थीं उसको चौड़ी कर रहे हैं, जो जर्जर हो गयी थीं उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। नव निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार सब पर काम चल रहा है। इसलिए इस काम को भी हम जल्दी से करायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हमारा कहना उस पर्टिकुलर पुल के बारे में था। जिन चार पुल की बात हो रही है। इसमें हमारा कहना है कि टूटे हुये पुल को आप मरम्मत वाले पुल से अलग कर दें। टूटे हुये पुल का आप पहले काम करवा दें जो पुल फंक्शन में हैं उसको आप अलग कर दें। मान्यवर, एक दूसरा अनुरोध यह करना है कि हमारी एक शारदा सहायक 1972 में चालू हुई। हालांकि इसका इस प्रकरण से मतलब नहीं है, लेकिन लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी आदि कई जनपदों में जब नहर बनी तो हमारा ट्रैफिक लोड बहुत कम था। सिंगल पुल बने हैं। आज अगर हम लखनऊ से बहराइच जाते हैं तो महमूदाबाद नूरपुर पुल 1972 का बना है वह सिंगल पुल है। हम जब इसके चौड़ीकरण के लिए विभाग को लिखते हैं तो सिंचाई विभाग कहता है कि इसका चौड़ीकरण पी0डब्ल्यू0डी0 करेगा और जब पी0डब्ल्यू0डी0 को लिखते हैं तो वह कहता है कि इसको सिंचाई विभाग करेगा। यहाँ उस क्षेत्र के दो एम0एल0ए0 बैठे हुये हैं, एक सत्ता पक्ष का हैं और एक विपक्ष का है। आप चाहें तो दोनों से पूछ लीजिए, यह बात सही निकलेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या कहना है कि यह गम्भीर विषय है यह तो हम भी मान रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यह कहना है कि नहर पर पुराने पुल बने हुये हैं, सिंचाई विभाग चौड़ीकरण की जिम्मेदारी पी0डब्ल्यू0डी0 पर डाल रहा है और पी0डब्ल्यू0डी0 सिंचाई विभाग पर जिम्मेदारी डाल रहा है। दोनों सरकार के विभाग हैं। हमारा कहना है कि चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 उसका चौड़ीकरण कर दे, चाहे सिंचाई विभाग उसका चौड़ीकरण कर दे। क्योंकि वहाँ पर 4-5 घण्टे जाम लगता है। इसलिए विनती है कि इसकी एक दूसरे पर जिम्मेदारी न डालें, इन दोनों में से कोई भी विभाग उस पुल को बनवा दे।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने कहा कि पहले ट्रैफिक कम था, ट्रैक्टर नहीं थे। पहले साइकिल ले जाने के लिए एवं पैदल चलने के लिए बहुत सँकरे-सँकरे पुल-पुलिया बने हुए थे।

हम उन सबका चौड़ीकरण करा रहे हैं। यह सब पहले से ही निर्धारित है कि कौन-सा पुल पी0डब्ल्यू0डी0 बनायेगा और कौन-सा पुल सिंचाई विभाग बनायेगा और हम लोग उन पुलों के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। हम एक बार फिर से दिखवा लेंगे और जहां पर जरूरत होगी वहां पर काम किया जायेगा।

कानपुर नगर निगम के धनकुट्टी अस्पताल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

[दिनांक 03-03-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि कानपुर नगर निगम के धनकुट्टी क्षेत्र में बहुत पुराना अस्पताल नगर निगम द्वारा संचालित था, परन्तु कुछ वर्ष पूर्व भवन जर्जर होने व नगर निगम क्षेत्रों से चिकित्सा संवर्ग मृत कर देने से उक्त अस्पताल बन्द हो गया। वर्ष 2016 में उक्त स्थान पर बारातशाला बनाये जाने को लेकर नगर निगम से 52 लाख रुपया पास हुआ। क्षेत्रीय जनता में आकोश के कारण बारातशाला का काम रद्द हो गया। क्षेत्रीय जनभावना उक्त जगह पर अस्पताल का पुनर्निर्माण कराये जाने की है, भले ही चिकित्सक एन0एच0एम0 से नियुक्त हो जाय।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने व धनकुट्टी अस्पताल का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।

2- उक्त के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया हैं कि प्रश्नगत अस्पताल पूर्णरूप से जर्जर हो चुका है, जिसका स्थलीय निरीक्षण कर इसको ध्वस्त कराने हेतु धनांक रु0 386104.00 का आगणन तैयार किया गया, जिसकी निविदा दिनांक 16-06-2021 को आमंत्रित की गयी थी। ध्वस्तीकरण कार्य का सूचना पत्र दिनांक 29-07-2021 को निर्गत कर दिया गया है। अस्पताल के जर्जर भवन को ध्वस्त कर मलवा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इत्यादि हटाने के उपरान्त उक्त रिक्त भूमि पर अस्पताल का निर्माण किया जाना मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन के अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि उसको बीच में बारातशाला बनाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय आक्रोश के कारण हम लोग उसे अस्पताल बनाना चाहते हैं। यह ठीक है कि आपने उसको तोड़ने का टेण्डर कर दिया है। 03 लाख 86 हजार रुपये की धनराशि मिल रही हैं, यह जा नहीं रहा है, यह आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस धनराशि से उसकी बाउण्ड्री एवं सुन्दरीकरण हो जाए, टूटने की समय सीमा तय हो जाए और यदि नगर निगम को बजट की कोई दिक्कत हो तो वह चाहे हम पर डाल दे हम बजट विधायक निधि से कर देंगे या तो अपने अधिकारियों को डायरेक्ट कर दें और चलाने के लिए एन0एच0एम0 से बात हो रही है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने अधिकारी को डायरेक्ट कर दें जो हम लोगों से कोआर्डिनेट कर ले, हम बजट भी कर देंगे और एन0एच0एम0 से बात करके उसे चालू करा दिया जाए। ऐसी योजना बनाने के निर्देश दे दीजिए। धन्यवाद।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है। ध्वस्तीकरण के बाद, इसकी जो निविदा जारी की गयी है उसमें 30 दिन बाद ध्वस्तीकरण का लिखा हुआ है और ध्वस्तीकरण के बाद नगर निगम की कार्यकारिणी मा0 सदन तय करेगा कि उनको अस्पताल बनाना है या क्या करना है। उसमें शासन से जो भी सहयोग होगा वह अवश्य किया जायेगा।

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, 03 लाख 86 हजार रुपये आ ही चुका है और शेष बजट विधायक निधि से कर देंगे।

प्रदेश में आयुष चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री संजय गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दिनांक 24-02-2021.....

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जय प्रताप सिंह-

[को यह सूचना दी गयी है कि "श्री संजय गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य, संचालन नियमावली, 2018 के नियम-51 के अन्तर्गत विधान सभा में यह सूचना दी गई कि कोविड-19 महामारी के दौरान डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राज्य वित्त आयोग के बजट से आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय, चिकित्सकीय कार्य हेतु माह सितम्बर, 2020 में संविदा पर रखे गये थे, जिन्होंने कोविङ केयर सेन्टर (एल-1) में चिकित्सीय सेवायें माह फरवरी, 2021 तक कुल 05 माह की दी हैं। कोविङ केयर सेन्टर (एल-1) के बन्द हो जाने के पश्चात् नोटिस उपलब्ध कराते हुये सेवा समाप्त कर दी गयी है। सभी ने कोविड-19 महामारी बीमारी में निरन्तर सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है। प्रदेश में डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पहले से बहुत कमी है। संविदा पर रखे गये सभी आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड व्याय विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं। कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवायें देने वाले ऐसे सभी संविदा कर्मियों को समायोजित करना तर्कसंगत है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासन को वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।"

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियुक्ति की जाती है। नियमावली में सेवा समाप्त हुये संविदा कार्मिकों के समायोजन किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः इनको विभाग में समायोजित किया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद मथुरा में हमारी विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत फरह ब्लॉक में.....

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(केवल वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 महेन्द्र सिंह-

[फतेहपुर सीकरी राजवाहा से आगरा कैनाल नहर हमारे क्षेत्र के धाना जीवना ग्राम से होकर निकलती है। इस धाना जीवना नहर पर जो सड़क की पटरी है वह लगभग 20 साल पहले लम्बाई लगभग 1.5 किलोमीटर का निर्माण कराया गया था। तबसे अब तक क्षेत्र के काफी वाहन इस नहर की पटरी से पास होते हैं तथा यही कई गांव का मुख्य मार्ग है, 20 साल से किसी भी विभाग द्वारा इसका रख-रखाव, देखभाल व मरम्मत के अभाव में उक्त मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई गांव का आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा है, जनहित में उपरोक्त मार्ग के चाहे सिंचाई विभाग द्वारा अथवा लोक निर्माण विभाग के द्वारा उक्त मार्ग का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

केवल वक्तव्य-

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में धाना स्केप फतेहपुर सीकरी शाखा के कि0मी0 13.600 से उद्गमित होकर आगरा मुख्य नहर के कि0मी0 149.88 पर गिरती है। इस स्केप की कुल लम्बाई 2.100 कि0मी0 है। इस स्केप पर पूर्व में निर्मित सड़क काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, जिसके नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।]

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, 25 साल पहले चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत सड़क बनी थी। इस सड़क का 20 साल से होना न होना बराबर है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई सूचना है क्या हमारे पास ?

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सड़क का बनना न बनना बराबर हो गया है। एक महीने नहीं हुआ है कि वह पूरी-की-पूरी सड़क खराब हो गयी है और उसकी गिट्टी भी अलग हो गयी है। उस सड़क पर एक साथ दो गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं। आपके माध्यम से नियम-51 में स्वीकार हुआ, स्वीकार होने के बाद आज 06 महीने हो गये हैं। मैं स्वयं एक महीने पहले इस सड़क का उद्घाटन करने गया था और मैंने इंजीनियर एवं ठेकेदार से कहा था कि यह क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यह ई-टेण्डर है और बिलो टेण्डर आया है। हमें ई-टेण्डर एवं बिलो टेण्डर से क्या लेना-देना, हमें सिर्फ सड़क से मतलब था। उस कम चौड़ी सड़क पर गाड़ियां सड़क से नीचे गिर रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसमें आपकी तरफ से व्यवस्था चाहूँगा कि आप इसकी दोबारा जांच करा लें। पहले जितनी चौड़ी सड़क बनी हुई थी,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कम-से-कम उतनी चौड़ी तो बन जाए, उससे भी कम हो गयी है। धाना जीवना पर मुख्य मार्ग पं0 दीनदयाल जो फरह से लेकर और मार्ग है उसमें धाना जीवना पड़ता है। अगर स्थितियां यही रहीं तो जैसा विभाग ने कहा है कि 20 साल से सड़क खराब थी, बन्द थी। अभी भी यही चीज आयेगी और फिर 6 महीने बाद सड़क का नाम ही नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको दोबारा चेक करा लें, इस सड़क को दोबारा बनवा दें तो उससे कम से कम 20-25 गांवों का आवागमन सुगम हो सके और उस सड़क पर जो टर्न है उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष-

जो जवाब आया है हमको उसी के आधार पर एक पत्र लिख कर दे दीजिएगा।

[04:57] आज सदन में पुरःस्थापित विधेयकों की विचार एवं पारण संबंधी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण संबंधी मदें ली जाएं.....

पहला प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021, दूसरा धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021, तीसरा लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021, चौथा उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021, पांचवां उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021, छठां उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021, सातवां उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास विधेयक, 2021, आठवां उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, नवां उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021, दसवां उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021, ग्यारहवां उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021।

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि आज दिनांक 18 अगस्त, 2021 को कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक, जो सूचना मा0 अध्यक्ष जी ने सदन में दी है, यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें संबंधी जो प्रस्ताव रखा गया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[04:59] उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम (द्वितीय) विधेयक, 2021

श्रम, सेवा योजना मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 मंत्री जी, इस पर कुछ बोल तो लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, परिसर की किरायेदारी के विनियमितीकरण, भू-स्वामियों एवं किरायेदारों के हितों को सुनिश्चित करने एवं विवादों के समाधान हेतु त्वरित न्याय निर्णय प्रणाली को स्थापित करने लिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक मॉडल लॉ बनाया जा रहा है, जिसमें एक किराया अधिकरण एवं एक किराया प्राधिकरण दोनों को स्थापित किये जाने का प्रावधान है। प्रायः होता था कि किरायेदार कभी-कभी कुछ दिन किराया जमा करने के बाद मनमानापन करता था। वहीं पर कभी-कभी भू-स्वामी किरायेदार को अनायास बाहर करने का प्रयास करता था।

अब इस अधिकरण एवं प्राधिकरण के बन जाने से इस प्रकार के सभी विवादों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा और साथ ही साथ पहले के जो विवाद हैं एवं जिस न्यायालय में हैं वह यथावत् चलते रहेंगे, लेकिन इस अधिकरण के गठन के बाद जो भी इस तरह के प्रस्ताव विवादित हैं वह इस अधिकरण एवं प्राधिकरण के माध्यम से निस्तारित किये जायेंगे, जिसकी सुनवाई पहले ए0डी0एम0 करेगा फिर बाद में डी0जे0 करेगा। इस तरह विवाद को सुलझाने की मंशा से किरायेदार और भूवामी के मध्य संबंध अच्छे रहें, समय-समय पर उनके लिए क्या मानक तय किये गये हैं उसको फॉलो करते रहें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है और हम समझते हैं कि इसका सत्तापक्ष के साथ विपक्ष भी स्वागत करेगा, क्योंकि यह जनसामान्य के लिए हितकारी है और साथ ही साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय के क्रम में विधि आयोग के परीक्षण के बाद इस बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(इसी मध्य सांय 05 बजे अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस माननीय उच्चतम न्यायालय की बात सरकार या सरकारें करती रही हैं, उसी की अवहेलना लगातार ये लोग करते चले आ रहे हैं। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अभी एक निर्णय दिया, उस निर्णय में यह कहा है कि जिस तरह से कानून लोक सभा में, राज्य सभा में और विधान सभाओं में पास किए जा रहे हैं, उस पर प्रश्नचिन्ह उठाया है, और आज हम उसी काम को यहाँ पर कर रहे हैं, न मंत्रीगण उसको पढ़ रहे है, न माननीय सदस्य उसको पढ़ रहे हैं और उस कानून को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यह कानून जो आप बनाने जा रहे हैं, यह कानून किरायेदारों के विरोध में ज्यादा है और इसमें मकान मालिकों के पक्ष में ज्यादा चीजें हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने सारे ट्रिब्युनल बने और उन ट्रिब्युनल्स को आज तक हम लोग स्थापित नहीं कर पाए। उन लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाए, उन ट्रिब्युनल में मेम्बर नहीं बना पाए, अध्यक्ष नहीं बना पाए और यहाँ फिर दो ट्रिब्युनल बना रहे हैं। जो पुराना कानून था, उस कानून को हटाने की क्या जरूरत थी, नए कानून को बनाने की क्या जरूरत थी, माननीय मंत्री जी ने उसको स्पष्ट नहीं किया। माननीय मंत्री जी को उस बात का पता नहीं है कि किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडल एक्ट को लाइये। पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में एक समान रूप का कानून होना चाहिए। इसके पीछे की मंशा क्या थी यह किसी को पता नहीं है, लेकिन हम कानून बनाने जा रहे हैं। कल किरायेदार को अगर बाहर किया जायेगा, उसके अधिकार क्या होंगे ? आज ज्यादातर बड़े लोगों के पास मकान हो गए, मकान से आप मकान मालिक हो गए, आप किरायेदारों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे, कैसे बचा पायेंगे, आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि अगर बेहतर कानून बनाना है, तो इसको हम प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है, आसमान नहीं गिरने जा रहा है। अगर आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे, एक बेहतर कानून को पास करेंगे तो उससे पूरे देश में आपकी प्रशंसा होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब यह आयेगा तो वहाँ पर भी आपकी चर्चा होगी। इसलिए कहीं न कहीं इस कानून को वापस ले लेना चाहिए और विचार करके प्रवर समिति के माध्यम से इस सदन में इसे पुनः आना चाहिए, धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह किरायेदार और भू-स्वामी दोनों के हित में है, लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए, यह तो गाड़ी के आगे काठ लगाना है और ऐसे लोग विशेष रूप से जो किरायेदार के बारे में कह रहे हैं कि उसे मनमाने तरीके से निकाल दिया जायेगा। मान्यवर, किरायेदार के हितों की रक्षा की जा रही है, लेकिन ऐसे लोग जो बिना किराया दिए, जबरदस्ती मकान हड़पने की नीयत से माफिया के रूप में काम करते हैं, उनके लिए यह कानून जरूर आड़े आयेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए मान्यवर, यह जनहित में है और इसको पारित कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

खण्डशः विचार।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने कहा कि "विचार किया जाए" इस पर विचार तो हो। मा0 अधिष्ठाता महोदय, विचार तो तभी होगा, जब यह प्रवर समिति को जायेगा। आपने विचारार्थ कहा, विचार तो इस पर तभी होगा, जब प्रवर समिति इस पर विचार करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विपक्षी दल, आप अनुभवी हैं और आपके अनुभवों की धार से अगर मैं बच जाऊँ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। (हंसी)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यहाँ विचार हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब खण्डशः विचार।

खण्ड-02 से खण्ड-46 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021

परिसरों की किरायेदारी को विनियमित करने और भू-स्वामियों तथा किरायेदारों के हितों का संरक्षण करने हेतु किराया प्राधिकरण तथा किराया अधिकरणों की स्थापना करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विवादों या मामलों का समाधान करने हेतु त्वरित न्यायनिर्णयन क्रियाविधि का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा; संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह निम्नलिखित पर लागू होगा:–

(क) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र;

(ग) उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विकास क्षेत्र;

(घ) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विशेष विकास क्षेत्र;

(ङ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक औद्योगिक विकास क्षेत्र;

(च) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विनियमित क्षेत्र;

(छ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न आवास योजनाओं से सम्बंधित प्रत्येक क्षेत्र:

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि यह अधिनियम या उसका कोई आंशिक भाग ऐसे क्षेत्र के लिए लागू होगा और तदोपरान्त यह अधिनियम या उसका आंशिक भाग उक्त क्षेत्र के लिए लागू हो जायेगा।

(4) यह दिनांक 11 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "अनिवार्य बाध्यता" का तात्पर्य युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप, महामारी अथवा किराये पर दिये गये परिसर में किरायेदार के निवास स्थान को प्रभावित करने वाली प्रकृति द्वारा कारित किसी अन्य आपदा की स्थिति से है।

(ख) "भूस्वामी", जो मकान मालिक या पट्टाकर्ता या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी परिसर का किराया अपने वास्ते प्राप्त करता हो, या प्राप्त करने का हकदार हो, यदि परिसर किसी किरायेदार को दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है–

(एक) उसका उत्तराधिकारी, अंतरिती या समनुदेशिती;

(दो) कोई न्यासी या संरक्षक या रिसीवर, जो किसी अन्य व्यक्ति यथा अवयस्क या विकृत चित्त वाले व्यक्ति, जो संविदा नहीं कर सकता है, के वास्ते या उसकी ओर से या उसकी प्रसुविधा के लिए किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो;

(ग) "परिसर" का तात्पर्य औद्योगिक उपयोग के सिवाय निवास के प्रयोजनार्थ या वाणिज्यिक या शैक्षिक उपयोग के लिए ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग से है जो किराये पर हो या उस पर दिया जाना आशयित हो जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(एक) उद्यान, गैराज या बन्द पार्किंग क्षेत्र, रिक्त भूमि, मैदान और उपवन, यदि कोई हो, जो ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग से संलग्न हो; और

(दो) ऐसे भवन या भवन के आंशिक भाग का कोई सज्जा जो उसके अपेक्षाकृत अधिक प्रसुविधाकारी उपभोग के लिए हो किन्तु उसमें होटल, आवास गृह, धर्मशाला या सराय जैसे परिसर सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) "सम्पत्ति प्रबन्धक" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या किसी विधिक इकाई से है जो परिसर का प्रबन्धन करने के लिए भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत हो और जो किरायेदार के साथ व्यवहरण करते समय भूस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ङ) "किराया प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 30 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(च) "किराया अधिकरण" का तात्पर्य धारा 32 के अर्थान्तर्गत किसी अधिकरण से है;

(छ) किसी परिसर के सम्बंध में "संदेय किराया" का तात्पर्य धारा 8 में यथा विनिर्दिष्ट किराया से है;

(ज) "उप किरायेदार" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे किरायेदार विद्यमान किरायेदारी करार का अनुपूरक करार करने के पश्चात् स्वयं द्वारा धारित परिसर का सम्पूर्ण या आंशिक भाग उप किराये पर देता है या किरायेदारी करार या उसके किसी आंशिक भाग के अधीन उपगत अपना अधिकार अन्तरित करता है या सम्नुदेशित करता है;

(झ) "किराया करार" का तात्पर्य संदेय किराया के प्रतिफल स्वरूप भूस्वामी का परिसर किराया पर देने के प्रयोजनार्थ भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित लिखित करार से है,

(ञ) "किरायेदार", जो पट्टेदार या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसके द्वारा या जिसके लिए या जिसकी ओर से, किसी परिसर का किराया किसी किरायेदारी करार के अधीन भूस्वामी को संदेय हो और इसमें उप-किरायेदार के रूप में परिसर को अध्यासित करने वाला कोई व्यक्ति और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् अपनी किरायेदारी की समाप्ति के पश्चात् कब्जा जारी रखने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसके विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश या डिक्री पारित की गयी हो।

अधिनियम का कतिपय परिसरों पर लागू न होना

3-(1) इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी:-

(एक) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी उपक्रम या उद्यम या सांविधिक निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्वाधीन परिसर;

(दो) सेवा संविदा के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों को किराये पर दिये गये किसी कम्पनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन परिसर;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा स्वामित्व प्राप्त परिसर;

(चार) वक्फ अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्फ द्वारा या लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा स्वामित्वाधीन परिसर;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त अन्य भवन या भवन श्रेणी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उक्त उपधारा के खण्ड (एक) से खण्ड (पाँच) में निर्दिष्ट परिसर का स्वामी और किरायेदार सहमत होते हैं कि ऐसे भूस्वामी और किरायेदार के मध्य हुआ किरायेदारी करार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाना चाहिए। ऐसा भूस्वामी, धारा 4 के अधीन किरायेदारी करार की जानकारी के समय ऐसा करने के लिए किराया प्राधिकारी को सूचित कर सकता है।

अध्याय दो

किरायेदारी

किरायेदारी करार

4–(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात, ऐसे लिखित करार के सिवाय किसी परिसर को किराये पर नहीं देगा या किराये पर नहीं लेगा, जिसकी सूचना किरायेदारी करार के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भूस्वामी और किरायेदार द्वारा संयुक्त रूप से किराया प्राधिकारी को दी जायेगी :

परन्तु यह कि बारह माह से कम की अवधि के लिए आवासीय किरायेदारी के मामलों में, भूस्वामी और किरायेदार से ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) जहाँ भूस्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किरायेदारी करार के निष्पादन को सूचित करने में विफल हों वहां भूस्वामी और किरायेदार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किराया प्राधिकारी को किरायेदारी करार के निष्पादन के सम्बंध में सूचना पृथक-पृथक देंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सृजित किरायेदारी के सम्बंध में,–

(क) यदि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य लिखित रूप में कोई करार किया गया हो तो उन्हें संयुक्त रूप से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) यदि लिखित रूप में कोई करार न किया गया हो तो भूस्वामी और किरायेदार को उस किरायेदारी के सम्बंध में एक लिखित करार करना होगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर किराया प्राधिकारी को इसे प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु यह कि जहां भूस्वामी या किरायेदार संयुक्त रूप से किरायेदारी करार की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल हों अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक करार तक पहुँचने में विफल हों वहां ऐसे भूस्वामी और किरायेदार को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर ऐसी किरायेदारी के सम्बंध में पृथक-पृथक विवरण किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि भूस्वामी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया है किन्तु किरायेदार ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो तो भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसी बेदखली कार्यवाहियों के दौरान, किराया प्राधिकारी को इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे न्यायनिर्णयन के दौरान किरायेदार द्वारा संदेय अन्तरिम किराया का विनिश्चय करना होगा।

(4) राज्य सरकार को यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में और रीति से दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में एक डिजिटल प्लेटफार्म सुनिश्चित करना होगा।

(5) किराया प्राधिकारी प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ किरायेदारी करार निष्पादन के सम्बंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् पक्षकारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी।

(6) किरायेदार से संव्यवहार करने के लिए भूस्वामी द्वारा सम्पत्ति प्रबन्धक के प्राधिकार की शर्तें, यदि कोई हों, वही होंगी जैसा कि तद्निमित्त किरायेदारी करार में भूस्वामी और किरायेदार द्वारा करार किया जाय।

(7) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन दी गयी सूचना, किरायेदारी और उससे जुड़े हुए मामलों से सम्बंधित तथ्यों की निर्णायक सबूत होगी और सूचना के किसी विवरण के अभाव में, भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

किरायेदारी की अवधि

5-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् की गयी प्रत्येक किरायेदारी, भूस्वामी और किरायेदार के मध्य यथा करारकृत और किरायेदारी करार में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

(2) किरायेदार, भूस्वामी से किरायेदारी करार में करारकृत अवधि के भीतर, किरायेदारी का नवीकरण या विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकता है, और यदि भूस्वामी को स्वीकार्य हो तो भूस्वामी के साथ पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर एक नया किरायेदारी करार कर सकता है।

(3) जहाँ कोई किरायेदारी किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाये और उसका नवीकरण न किया गया हो या किरायेदार ऐसी किरायेदारी की अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिक्त करने में विफल हो तो ऐसा किरायेदार, भूस्वामी को धारा 23 में यथा उपबन्धित रूप में बढ़ा हुआ किराया संदाय करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किरायेदारी अवधि, ऐसे किसी समय में समाप्त हो जाती है जब वह मुहल्ला, जहाँ परिसर किराये पर दिया गया हो, किसी अनिवार्य बाध्यता की आपदाजनित घटना से प्रभावित हो, तो किरायेदार की अपेक्षा के अधीन भूस्वामी पहले से हुए किरायेदारी करार की उसी निबन्धन और शर्तों पर ऐसी आपदाजनित घटना के समाप्त होने के दिनांक से एक माह की अवधि तक, उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देगा।

मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी के अधिकार और उसकी बाध्यताएं

6-(1) यथास्थिति भूस्वामी या किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित करार की शर्तें, उनके उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होंगी, और ऐसी स्थिति में, मृत भूस्वामी या किरायेदार के उत्तराधिकारी के पास वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जैसा कि ऐसी किरायेदारी की शेष अवधि के लिए किरायेदारी करार में करार किया गया हो।

(2) आवासीय किरायेदारी के किसी किरायेदार की मृत्यु की स्थिति में, किरायेदारी का अधिकार, उसके उत्तराधिकारियों पर किरायेदारी की शेष अवधि के लिए न्यागत हो जायेगा, अर्थात:-

पति या पत्नी; पुत्र अथवा पुत्री या जहां पुत्र और पुत्री दोनों हों; वहाँ दोनों; माता-पिता; उनके पूर्व-मृत पुत्र की विधवा होने के नाते पुत्रवधु विधवा या तलाकशुदा बहन;

परन्तु यह कि उत्तराधिकारी साधारणतः मृतक किरायेदार के साथ उसकी मृत्यु के दिनांक तक परिसर में रह रहा हो।

(3) किसी गैर आवासीय किरायेदारी के किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में किरायेदारी का अधिकार, किरायेदारी की शेष अवधि के लिये उस व्यक्ति को न्यायगत हो जायेगा, जो मृत व्यक्ति के कारबार का उत्तराधिकारी हो।

(4) वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों, दावेदारों, अभिभोगियों अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए एक पक्षकार था और कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी हो, के नामों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(5) आवेदन में वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के नाम एवं पते तथा अन्य विवरण, और मृतक के साथ उनका सम्बंध अन्तर्विष्ट होगा और इसके समर्थन में एक शपथ-पत्र संलग्न होगा और तदोपरान्त यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण द्वारा एक संक्षिप्त जाँच किए जाने के पश्चात् आवेदन पर विनिश्चय किया जायेगा।

(6) जब कभी मामले के किसी पक्षकार के लिए उपसंजात होने वाले किसी अभिवक्ता को उस पक्षकार की मृत्यु के सम्बंध में पता चले तो उसे इस सम्बंध में यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण को सूचित करना होगा और यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण तदोपरान्त ऐसी मृत्यु के सम्बंध में नोटिस अन्य पक्षकार को देगा और इस प्रयोजनार्थ अभिवक्ता तथा मृतक पक्षकार के मध्य संविदा अस्तित्व युक्त मानी जायेगी।

उप-किरायेदारी पर निर्बन्धन

7-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान किरायेदारी करार का पूरक करार करने के सिवाय कोई किरायेदार :-

(क) किरायेदार के रूप में स्वयं द्वारा धारित परिसर का संपूर्ण या आंशिक भाग उप-किरायेदारी पर नहीं देगा;

(ख) किरायेदारी करार या उसके किसी आंशिक भाग में अपना अधिकार अन्तरित या समनुदेशित नहीं करेगा।

(2) जहाँ परिसर, उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट विद्यमान किरायेदारी करार के अनुपूरक करार पर उप किराये पर दिया जाए वहाँ भूस्वामी और किरायेदार संयुक्त रूप से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसे करार के निष्पादन के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर उप किरायेदारी के सम्बंध में किराया प्राधिकरण को सूचित करेगा।

अध्याय तीन

किराया

संदेय किराया

8-किसी परिसर के सम्बंध में संदेय किराया ऐसा किराया होगा जिस पर भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार की शर्तों के अनुसार करार किया गया हो या जैसा कि धारा 9 के अधीन पुनरीक्षित किया गया हो या धारा 10 के अधीन अवधारित किया गया हो।

किराया पुनरीक्षण

9-(1) भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किराया पुनरीक्षण किरायेदारी करार की शर्तों के अनुसार होगा।

(2) जहाँ, किरायेदारी प्रारम्भ होने के पश्चात, भूस्वामी ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व किरायेदार के साथ लिखित रूप में करार किया हो और किरायेदार द्वारा अध्यासित परिसर में सुधार, परिवर्धन या संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए व्यय उपगत किया हो जिसमें आवश्यक रूप से धारा 15 के अधीन किए जाने वाले आवश्यक मरम्मत कार्य सम्मिलित न हों वहां भूस्वामी परिसर के किराये की धनराशि में इस रूप में वृद्धि कर सकता है जैसा कि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य करार किया गया हो और किराये में इस प्रकार की वृद्धि ऐसा कार्य पूरा होने के एक माह पश्चात् से प्रभावी हो जायेगी।

(3) लिखित रूप में किसी करार के अध्यधीन, जहाँ परिसर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहाँ उसका किराया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अग्रतर दो वर्ष की अवधि के लिए नीचे संसूचित सूत्र के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने योग्य होगा:-

(क) जहाँ परिसर को दिनांक 15-07-1972 के पूर्व किराये पर दिया गया हो वहां इसे दिनांक 15-07-1972 को किराये पर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) जहाँ परिसर को दिनांक 15-07-1972 को या उसके पश्चात् किराये पर दिया गया हो वहाँ किराया पुनरीक्षित किए जाने का दिनांक किरायेदारी प्रारम्भ होने के दिनांक के एक वर्ष पश्चात् होगा;

उपरोक्त मामलों में संदेय किराये की दर आवासीय निवास के मामले में पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और गैर-आवासीय परिसर के मामले में सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ायी जा सकती है तथा किराये के वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जायेगी। किराये में ली गयी धनराशि फिर से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक उसी तरीके से प्रतिवर्ष पूर्ववत दरों पर बढ़ाये जाने योग्य होगी।

ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, यदि 15-07-1972 के पश्चात् किरायेदारी जारी रहने के दौरान परिसर के किराये को पुनरीक्षित किया जा चुका हो तो ऊपर उल्लिखित किराया पुनरीक्षण का फार्मूला ऐसे किराया पुनरीक्षण के दिनांक से लागू होगा :

परन्तु यह कि उपरोल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी पूर्वोक्त उपबन्ध में उपदर्शित फार्मूला के अनुसार संदेय पुनरीक्षित किराया, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से निम्नानुसार संदेय होगा।

(एक) प्रथम वर्ष में इस प्रकार संगणित किराया का आधा।

(दो) द्वितीय वर्ष में इस प्रकार संगणित किराये की पूर्ण धनराशि।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिसमें कोई निर्दिष्ट परिसर किसी किरायेदार को किराये पर दिया गया हो ऐसे परिसर का भूस्वामी भी खण्ड (3) के उपबन्धों के अनुसार किराया पुनरीक्षण का हकदार होगा और इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू होंगे।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कृत किरायेदारी के मामले में भूस्वामी किरायेदार को लिखित रूप से नोटिस देकर उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप में बढ़ी हुयी किराया दर की माँग करेगा और इस प्रकार वर्द्धित किराया दर नोटिस तामील किए जाने के 30 दिन के भीतर संदेय होगा। ऐसी स्थिति में किरायेदारी करार संशोधित समझा जायेगा और बढ़ा हुआ किराया दर धारा 8 के अधीन संदेय किराया होगा:

परन्तु यह कि यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई किरायेदारी करार नहीं था, तो भूस्वामी और किरायेदार किराये की बढ़ी हुयी दर पर किरायेदारी करार निष्पादित करने के लिए परस्पर सहमत हो सकते हैं जिसमें विफल होने पर किराया प्राधिकरण धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन किराया वृद्धि अवधारित करेगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की अवधि के लिए पूर्वोक्त बढ़े हुए किराये का कोई बकाया संदेय या वसूली योग्य नहीं होगा।

विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण द्वारा किराया पुनरीक्षित किया जाना

10-(1) किराया पुनरीक्षण के सम्बंध में भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में, किराया प्राधिकरण, भूस्वामी या किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर, किरायेदार द्वारा संदेय पुनरीक्षित किराये और अन्य प्रभारों का निर्धारण कर सकता है और ऐसा दिनांक भी नियत कर सकता है जिस दिनांक से ऐसा पुनरीक्षित किराया संदेय होगा।

(2) पुनरीक्षित किए जाने वाले किराया अवधारण करने में किराया प्राधिकरण किराया पर दिये गये आस-पास के क्षेत्रों में प्रचलित बाजार दर से मार्गदर्शित हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन एक बार कोई अवधारण कर दिये जाने के पश्चात् नये सिरे से अवधारण हेतु कोई आवेदन, उक्त अवधारण के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक नहीं किया जायेगा।

(4) किराया प्राधिकरण, किराया पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के दौरान अनन्तिम किराया अवधारित कर सकता है जो अन्तिम अवधारण के अध्यधीन होगा।

सुरक्षा जमाराशि

11-(1) किरायेदार द्वारा अग्रिम रूप से संदत्त की जाने वाली प्रतिभूति जमाराशि वही होगी जैसा कि भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किरायेदारी करार में करार किया जाए, जो-

(क) आवासिक परिसर के मामले में दो माह के किराये से अधिक न हो; और

(ख) गैर-आवासिक परिसर के मामले में छः माह के किराये से अधिक न हो।

(2) किरायेदार की किसी देनदारी के लिए सम्यक् कटौती करने के पश्चात् किरायेदार से रिक्त कब्जा प्राप्त किए जाने के दिनांक को प्रतिभूति जमा धनराशि किरायेदार को वापस की जावेगी।

अध्याय चार

भू-स्वामी और किरायेदार के अधिकार और उनकी बाध्यताएं

भूस्वामी और किरायेदार द्वारा मूल किरायेदारी करार का प्रतिधारित किया जाना

12-किरायेदारी करार को भूस्वामी और किरायेदार दोनों द्वारा दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जायेगा, और इनमें से प्रत्येक मूल हस्ताक्षरित किरायेदारी करार को भूस्वामी द्वारा अपने पास और ऐसे करार के प्रतिलेख को किरायेदार द्वारा अपने पास प्रतिधारित किया जावेगा।

संदेय किराया एवं अन्य प्रभार और उनके संदाय की रसीद

13-(1) प्रत्येक किरायेदार को किरायेदारी करार में यथा करारकृत अवधि के भीतर संदेय किराया और अन्य प्रभारों का संदाय करना होगा।

(2) प्रत्येक भूस्वामी या उसका सम्यक्तित प्रबन्धक, किरायेदार से किरायेदारी करार के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर संदेय किराये और अन्य प्रभारों के निमित्त संदाय प्राप्त करने पर तत्काल अभिस्वीकृति के सापेक्ष स्वयं द्वारा प्राप्त धनराशि के लिए एक सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि जहाँ किराया या अन्य प्रभारों का संदाय किरायेदार द्वारा भूस्वामी को इलेक्ट्रानिक रीति से किया जाय वहाँ उसकी बैंक अभिस्वीकृति, ऐसे संदाय की निर्णायक सबूत होगी :

परन्तु यह और कि किरायेदार को अपने भूस्वामी को नकद, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल मनी ऑर्डर या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य रीति से किराये या अन्य प्रभारों को विप्रेषित करने का अधिकार होगा।

किराया प्राधिकरण के पास किराया जमा करना

14–(1) जहाँ भूस्वामी किसी किराये और अन्य संदेय प्रभारों को स्वीकार करने से इंकार कर देता है या रसीद देने से इंकार कर देता है, वहाँ भूस्वामी को किराये और अन्य प्रभारों का संदाय लगातार दो महीने तक डाक मनीऑर्डर या किसी अन्य रीति से इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय, और यदि भूस्वामी ऐसी अवधि के भीतर किराया और अन्य प्रभारों को लेने से इंकार करता है, तो किरायेदार किराया प्राधिकरण को उसी रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) किरायेदार द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि के साथ एक आवेदन संलग्न किया जायेगा, जिनमें निम्नलिखित विशिष्टतायें सम्मिलित होंगी, अर्थात:–

(क) परिसर, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये जाने है, उस परिसर की पहचान के लिए पर्याप्त विवरण;

(ख) ऐसी अवधि, जिसके लिए संदेय किराया और अन्य प्रभार जमा किये गये हों;

(ग) भूस्वामी या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और पते, जो इस तरह के किराये और संदेय अन्य प्रभारों के हकदार होने का दावा करते हैं;

(घ) ऐसे कारण और परिस्थितियाँ, जिनके लिए किराया और अन्य संदेय प्रभार जमा करने का आवेदन किया गया हो;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो आवश्यक हो सकती हैं।

(3) जहाँ किरायेदार यह विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किरायेदारी करार की अवधि के दौरान किराया किसको संदेय है वहाँ किरायेदार, ऐसे मामले में, किराया प्राधिकरण को किराया इस रीति से जमा कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किराया जमा किया जाता है वहाँ किराया प्राधिकरण उस मामले की पूछताछ करेगा, कि किराया किसको संदेय है और मामले के तथ्यों के आधार पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि उचित समझा जाय।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमा किये गए संदेय किराये और अन्य प्रभारों का आहरण, भूस्वामी के विरुद्ध किसी स्वीकारोक्ति के रूप में होगा या किरायेदार द्वारा कृत किसी अन्य दावा के रूप में नहीं किया जायेगा, यदि भूस्वामी किराये के करार के अधीन करारकृत सीमा तक उसका आहरण करता है।

परिसर की मरम्मत और उसका अनुरक्षण

15–(1) लिखित रूप में किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी भूस्वामी और किरायेदार परिसर को उसी प्रकार अच्छी स्थिति में रखेंगे जैसा कि सामान्य टूट–फूट को छोड़ कर किरायेदारी के प्रारम्भ में था, और द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट या किरायेदारी करार में यथा करारकृत उक्त परिसर की क्रमशः मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) किरायेदारों के सह्य या भूस्वामी के साथ साझा की जाने वाली सामान्य सुविधाओं के मामले में, किरायेदार और भूस्वामी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां उन सुविधाओं में सुधार करने और अनुरक्षण करने के लिए इस रूप में होंगी जैसा कि किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) यदि किरायेदार उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करने में विफल रहता है या ऐसा करने से इनकार करता है, तो भूस्वामी सुधार कार्य करवा सकता है और प्रतिभूति जमा धनराशि से इस तरह के सुधार कार्य के लिए उपगत धनराशि में कटौती कर सकता है और ऐसी कटौती की गई धनराशि का संदाय किरायेदार द्वारा इस संबंध में भूस्वामी द्वारा नोटिस जारी किये जाने के एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसे सुधार कार्य की लागत, प्रतिभूति जमा धनराशि से अधिक होती है, तो किरायेदार इस संबंध में भूस्वामी द्वारा नोटिस जारी करने के एक माह की अवधि के भीतर भूस्वामी को इस प्रकार कटौती की गयी प्रतिभूति जमा धनराशि सहित अतिरिक्त लागत का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) यदि भूस्वामी उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट सुधार कार्य करवाने से इंकार करता है, तो किरायेदार इस प्रकार के सुधार कार्य करवा सकता है और आगामी माह के लिए संदत्त किये जाने वाले किराये से तद्निमित्त उपगत व्यय की कटौती कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में किसी एक माह में किराये से कटौती, एक माह के लिए करारकृत किराये के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) जहाँ परिसर सुधार कार्य के बिना रहने लायक न हो और किरायेदार द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने के पश्चात् भूस्वामी अपेक्षित सुधारकार्य करवाने से इन्कार करता है, तो किरायेदार भूस्वामी को 15 दिन की लिखित नोटिस देने के बाद परिसर को त्याग सकता है।

(6) जहाँ किराये पर दिया गया परिसर अनिवार्य बाध्यता के कारण किरायेदार के रहने लायक न हो या किरायेदार ऐसी घटना घटित होने के कारण निवास करने में असमर्थ हो वहाँ भूस्वामी इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, किरायेदार से उक्त परिसर का किराया तब तक नहीं वसूल करेगा जब तक कि भूस्वामी उस परिसर को रहने योग्य पुनर्स्थापित न कर दे:

परन्तु यह कि जहाँ किराये पर लिया गया परिसर, उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में निवास योग्य न रह जाय या और भूस्वामी से इसे रहने योग्य बनाने के लिए अपेक्षित सुधार कार्य करवाने में विफल रहता है या उक्त परिसर को रहने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, तब, किरायेदार की देनदारी, यदि कोई हो, कि सम्यक कटौती, करने के पश्चात्, नोटिस अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भूस्वामी द्वारा प्रतिभूति जमा धनराशि और अग्रिम किराया किरायेदार को वापस कर दिया जाएगा।

किरायेदार द्वारा परिसर का देखभाल किया जाना

16—किरायेदारी के अस्तित्वशील रहने के दौरान, किरायेदार—

(क) जानबूझकर या लापरवाही से परिसर को न तो नुकसान पहुंचाएगा या न तो ऐसे नुकसान की अनुज्ञा देगा;

(ख) किसी क्षति के संबंध में भूस्वामी को लिखित में सूचित करेगा;

(ग) साज्जा और स्थायी उपकरण सहित परिसर और उसमें लगे सामानों का युक्तियुक्त पूर्वक ध्यान रखेगा और किरायेदारी प्रारम्भ होने पर और सामान्य निवास की स्थिति में उसकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसे युक्तियुक्त पूर्वक निवास योग्य रखेगा।

परिसर में प्रवेश

17—(1) प्रत्येक भूस्वामी या संपत्ति प्रबंधक किराये पर दिये गये परिसर में प्रवेश के समय से कम से कम चौबीस घण्टे पहले किरायेदार को लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक ढंग से सूचना देने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में परिसर में प्रवेश कर सकता है, अर्थात्:—

(क) परिसर में सुधार कार्य या प्रतिस्थापन करवाना या परिसर में काम करना या करवाना; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि परिसर निवास योग्य अवस्था में है या नहीं, परिसर का निरीक्षण करना; या

(ग) किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के लिए कोई अन्य युक्तियुक्त कारण।

(2) नोटिस प्रवेश के लिए दिन, समय और कारण विनिर्दिष्ट होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् परिसर में प्रवेश नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कुछ भी भूस्वामी को युद्ध, बाढ़, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों, जो उस परिसर को प्रभावित कर सकते हैं, की दशा में किरायेदार को पूर्व सूचना दिए बिना किराये पर दिये गए परिसर में प्रवेश से प्रवारित नहीं करेगा।

संपत्ति प्रबंधक के संबंध में सूचना

18—यदि भूस्वामी ने किसी संपत्ति प्रबंधक को अभिनियोजित किया हो तो भूस्वामी किरायेदार को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात्—

(क) संपत्ति प्रबंधक का नाम;

(ख) सबूत कि ऐसा संपत्ति प्रबंधक भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) विशिष्ट प्रयोजन, जिनके लिए संपत्ति प्रबंधक को भूस्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने की अवधि; और

(घ) यदि संपत्ति प्रबंधक एक विधिक इकाई हो तो इकाई और इस निमित्त उस विधिक इकाई द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, जिससे किरायेदारी करार के संबंध में संपर्क किया जा सकता है।

संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्य और उसके कर्तव्य अतिक्रमण के परिणाम

19—(1) संपत्ति प्रबंधक के कर्तव्यों में निम्नलिखित कर्तव्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) रसीद के साथेक्ष किराया संग्रहीत करना;

(ख) भूस्वामी की ओर से आवश्यक सुधार कार्य करना;

(ग) समय-समय पर परिसरों का निरीक्षण करना;

(घ) किरायेदार को निम्नलिखित के लिए नोटिस देना:—

(एक) परिसर का समुचित अनुरक्षण;

(दो) किराये के संदाय में विलम्ब;

(तीन) किराये का पुनरीक्षण;

(चार) परिसर रिक्त करना;

(पाँच) किरायेदारी का नवीकरण;

(ङ) किरायेदारों के मध्य विवादों के समाधान में सहायता;

(च) किरायेदारी से संबंधित किसी अन्य मामले पर केवल भूस्वामी के अनुदेशों पर कार्रवाई की जाएगी।

(2) जहाँ संपत्ति प्रबंधक उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में या भूस्वामी के अनुदेशों के विरुद्ध कार्य करता है वहाँ किराया प्राधिकरण, उस निमित भूस्वामी या किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन पर, सम्पत्ति प्रबंधक को हटा सकता है या सम्पत्ति प्रबंधक पर ऐसी लागतें अधिरोपित कर सकता है, जिससे कि ऐसे उल्लंघन के कारण भूस्वामी या किरायेदार द्वारा उपगत किसी हानि की प्रतिपूर्ति हो सके।

अत्यावश्यक आपूर्ति या सेवा को रोकना

20—(1) कोई भूस्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, किरायेदार द्वारा अध्यासित किसी परिसर में किसी अत्यावश्यक आपूर्ति या सेवा को रोक नहीं सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में और इस निमित्त किरायेदार द्वारा किये गये आवेदन पर किराया प्राधिकरण उक्त मामले का परीक्षण करने के पश्चात् उपधारा (3) में निर्दिष्ट जाँच को विचाराधीन रखते हुए यथास्थिति भूस्वामी या सम्पत्ति प्रबंधक पर तत्काल अत्यावश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बहाल किये जाने का निर्देश देते हुए एक अन्तरिम आदेश दे सकता है।

(3) किराया प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन किरायेदार द्वारा दिये गये आवेदन के संबंध में एक जाँच संचालित करेगा, और ऐसे आवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक माह की भीतर जाँच पूरी करेगा।

(4) किराया प्राधिकरण सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवश्यक सेवा रोकने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदाय किये जाने हेतु अनधिक दो माह के किराये का प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा, जिससे कि उपगत हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(5) किराया प्राधिकरण किरायेदार से मासिक किराया की अनधिक दुगुनी धनराशि की शास्ति उद्ग्रहीत कर सकता है यदि वह यह पाता है कि आवेदन ओछा या घिनौना था।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अत्यावश्यक सेवाओं में जल, विद्युत, पाइप से कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग में रोशनी, लिफ्ट, सीढ़ी, सफाई, पार्किंग, संचारलिंक और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति सम्मिलित हैं।

अध्याय–पाँच

बेदखली के विरुद्ध किरायेदार का संरक्षण, भूस्वामी द्वारा परिसर के कब्जा की बहाली

बेदखली के विरुद्ध किरायेदार का संरक्षण

21–(1) किसी किरायेदार को किरायेदारी करार जारी रहने के दौरान तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा, जब तक कि उपधारा (2) के उपबंधों के सिवाय या धारा 22 की उपबंधों के अनुसार भूस्वामी और किरायेदार द्वारा लिखित रूप से अन्यथा करार न किया जाय :

परन्तु यह कि जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् भूस्वामी ने विक्रय विलेख द्वारा परिसर का अधिग्रहण किया हो और इसे क्रय करने से पूर्व वह किसी किरायेदार के अधिभोग में था वहाँ परिसर के कब्जा की वापसी के लिए कोई आवेदन इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अर्जन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि न बीत चुकी हो या पूर्ववर्ती भूस्वामी और किरायेदार के मध्य निष्पादित किरायेदारी करार की समाप्ति न हो गयी हो, जो भी पहले हो :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन भूस्वामी द्वारा परिसर का अर्जन किये जाने के पश्चात् भूस्वामी ऐसे अर्जन के एक माह के भीतर कब्जाधीन किरायेदार को भी सूचित करेगा।

(2) किराया प्राधिकरण, भूस्वामी द्वारा यथाविहित रीति से आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित आधारों में से एक या एक से अधिक आधारों पर परिसर के कब्जा से बेदखली और बहाली का आदेश दे सकता है, अर्थात्:–

(क) यह कि किरायेदार धारा 8 के अधीन संदेय किराये का संदाय करने के लिए सहमत नहीं है;

(ख) यह कि किरायेदार ने लगातार दो माह तक के लिए धारा 13 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किराये के बकाया और ऐसे अन्य संदेय शुल्कों का पूर्ण रूप से संदाय, भूस्वामी को संदेय ऐसे किराये के बकाये और अन्य शुल्कों के संदाय हेतु मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया है, जिसमें विलम्बित संदाय के लिए ब्याज भी सम्मिलित है, जैसा कि भूस्वामी को संदेय ऐसे किराया या अन्य प्रभारों के संदाय के लिए मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर किरायेदारी करार में विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह कि किसी किरायेदार के संबंध में, जो संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य हो और जिसके पक्ष में भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1925) के अधीन विहित प्राधिकारी ने एक प्रमाण-पत्र जारी किया है कि वह उस अधिनियम की धारा 3 के अर्थान्तर्गत विशेष शर्तों के अधीन सेवारत है या जहाँ उसकी सेवा करते हुए शत्रु की कार्रवाई से मृत्यु हो गयी हो, तो उसके वारिसों के संबंध में, इस खण्ड में शब्द "दो महीने" शब्द "एक वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।

(ग) यह कि किरायेदार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, भूस्वामी की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना परिसर के सम्पूर्ण या उसके किसी आंशिक भाग के कब्जा से अलग हो गया है :

परन्तु यह कि यदि किरायेदार कोई फर्म हो तो फर्म के स्वत्वधारी या भागीदारों या उनके कारबार की प्रकृति में परिवर्तन होने की स्थिति में, भूस्वामी का पूर्व समर्थन लिखित रूप में प्राप्त नहीं किया गया हो,

(घ) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी से परिसर के ऐसे दुरूपयोग को बंद करने की नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् भी उसका दुरुपयोग करना जारी रखा है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, "परिसर का दुरुपयोग" का तात्पर्य किरायेदार द्वारा परिसर के अतिरिक्त स्थान के अतिक्रमण या किरायेदारी करार में स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ परिसर के उपयोग या परिसर के ऐसे उपयोग से है जो सार्वजनिक विघ्न का कारण बनता है या संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है या भूस्वामी के हितों के लिए हानिकारक है अथवा अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए है;

(ङ) जहाँ परिसर या उसके किसी आंशिक भाग के संबंध में भूस्वामी के लिए किसी सुधार कार्य या निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन या विध्वंस करना आवश्यक है, जिसे परिसर को रिक्त किये बिना किया जाना संभव न हो :

परन्तु यह कि ऐसे मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन के पश्चात् किरायेदार को वापस उसी परिसर में पुनः निवास करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब भूस्वामी और किरायेदार के मध्य पारस्परिक रूप से करार हो गया हो और किराया प्राधिकरण को एक नया किरायेदारी करार प्रस्तुत कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किरायेदार को निम्नलिखित स्थितियों में पुनः परिसर में निवास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :—

(एक) किराया प्राधिकरण के समक्ष ऐसा पारस्परिक किरायेदारी करार प्रस्तुत न करने पर; और

(दो) उन मामलों में, जहाँ किरायेदार को किराया प्राधिकरण के आदेश के अधीन बेदखल किया गया हो;

(च) यह कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा भूमि के उपयोग में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप उसके उपयोग में परिवर्तन के लिए भूस्वामी द्वारा किसी मरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन या विध्वंस करने के लिए परिसर या उसके किसी हिस्से की आवश्यकता होती है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य यथास्थिति नगर निगम या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से है, जो भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए सुधार कार्य या पुनर्विकास या भवन विध्वंस से संबंधित मामलों पर अनुमति प्रदान करता है;

(छ) यह कि किरायेदार ने किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने के लिए लिखित सूचना दी है और उस नोटिस के परिणामस्वरूप भूस्वामी ने उक्त परिसर का विक्रय करने हेतु संविदा किया है या कोई अन्य कदम उठाया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हितों को गंभीर रूप से नुकसान होगा, यदि उसे उस परिसर का कब्जा नहीं मिलता हैं;

(ज) यह कि किरायेदार ने भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है या किसी स्थायी संरचना का परिनिर्माण किया हैं;

(झ) यह कि धारा 7 के उल्लंघन में, किरायेदार ने अपने द्वारा धारित परिसर का सम्पूर्ण या कोई भाग उप-किरायेदारी पर दिया है या किरायेदारी करार या उसके आंशिक भाग में अपने अधिकारों को अन्तरित या समनुदेशित किया है;

(ञ) यह कि जहाँ किरायेदारी समय के प्रवाह द्वारा समाप्त हो जाती है;

(ट) यह कि किरायेदार ने किसी व्यक्ति को परिसर में दखल करने की अनुमति दी है, जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है।

स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी, पुरुष, पैतृक वंशज, ऐसे माता-पिता, दादा-दादी और कोई अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से पृथक्कृत पुत्री, पुरुष वंश की बेटी या विधवा पुत्र-वधू, जो सामान्य तौर पर उसके साथ रह रहा/रही हो।

(ठ) यह कि किरायेदार ने परिसर से उसकी चल सम्पत्ति को अधिकांशतः हटा दिया है;

(ड) यह कि उक्त परिसर, भूस्वामी द्वारा या तो अपने विद्यमान रूप में या भूस्वामी द्वारा अपने अधिभोग के प्रयोजनार्थ उसके विध्वंस और नये निर्माण के पश्चात् अपेक्षित है।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किराये का संदाय करने में विफल रहने के कारण किरायेदार को बेदखल करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, यदि किरायेदार किराये का बकाया और अन्य संदेय प्रभारों, यदि कोई हों, का संदाय, उक्त मांग नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर ब्याज सहित, भूस्वामी को करता है या किराया प्राधिकरण के पास जमा करता है।

(4) जहां किरायेदार, किसी एक वर्ष में उपधारा (3) में निर्दिष्ट राहत प्रदान किये जाने के पश्चात्वर्ती दो महीने तक लगातार किराया संदाय करने में विफल रहता है तो किरायेदार, दोबारा ऐसी राहत पाने का हकदार नहीं होगा।

(5) उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन बेदखली के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में, किराया प्राधिकरण, परिसर के केवल किसी आंशिक भाग से बेदखली की अनुमति दे सकता है, यदि भूस्वामी इसके लिए सहमत हो।

भूस्वामी की मृत्यु की दशा में परिसर के कब्जा की बेदखली और बहाली

22-(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूस्वामी की मृत्यु होने की स्थिति में, जहां किरायेदारी की अवधि के दौरान भूस्वामी के विधिक वारिसों द्वारा किराये पर दिये गये परिसर की आवश्यकता होती है, वहाँ ऐसे विधिक वारिस, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, इस निमित्त किराया प्राधिकरण के समक्ष, उक्त परिसर के कब्जा से बेदखली और बहाली के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) किराया प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किये गये आवेदन पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को किराये पर दिये गये परिसर की आवश्यकता है, मृतक भूस्वामी के विधिक वारिसों को उक्त परिसर के रिक्त कब्जा को सौंपने के लिए किरायेदार के विरुद्ध आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

किरायेदार द्वारा रिक्त करने से इंकार करने के मामले में किराया का बढ़ाया जाना

23-जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी आदेश या नोटिस द्वारा किरायेदारी अवधि के समाप्त होने या किरायेदारी के पर्यवसान होने पर किरायेदारी करार के अनुसार किरायेदार, किराये पर दिये गये परिसर को रिक्त करने में विफल रहता है, वहाँ ऐसा किरायेदार, भूस्वामी को निम्नलिखित रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) प्रथम दो माह के लिए मासिक किराया का दो गुना; और

(ख) इसके पश्चात् तब तक मासिक किराये का चार गुना जब तक किरायेदार उक्त परिसर पर कब्जा जारी रखता है।

भूस्वामी द्वारा अग्रिम किराये का प्रतिदाय

24–(1) जहां कोई भूस्वामी धारा 21 की उपधारा (2) या धारा 22 के अधीन कब्जा वापसी के अधिकार का उपयोग करता है और उसे किरायेदार से अग्रिम में कोई किराया या कोई अन्य संदाय प्राप्त हुआ था, वहां वह कब्जा की वापसी से पूर्व, देय किराया और अन्य प्रभारों में कटौती करने के पश्चात् किरायेदार को ऐसी धनराशि वापस करेगा।

(2) यदि भूस्वामी कोई प्रतिदाय करने में विफल रहता है तो वह किरायेदार को ऐसे दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि उस धनराशि पर समय–समय पर विहित किया जाय जिसे वह छोड़ चुका है या प्रतिदाय करने में विफल रहा है।

बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान किराये का संदाय

25–धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आधार से भिन्न किसी आधार पर कब्जा की वापसी के लिए किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां किरायेदार बेदखली के लिए दावा करता है, वहीं भूस्वामी कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर धारा 8 और धारा 23 के अधीन यथा संदेय किराया का संदाय करने हेतु किरायेदार को निदेशित करने के लिए किराया प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है, और किराया प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संदाय में विलम्ब के कारण किरायेदार को दण्डात्मक प्रभारों, यदि कोई हों, के साथ ऐसे संदाय करने और अन्य समस्त बकाया प्रभारों का संदाय करने का आदेश दे सकता है।

अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण की अनुज्ञा

26–(1) भूस्वामी की लिखित सहमति के बिना किरायेदार किराये पर दिये गये परिसर में कोई संरचनात्मक परिवर्तन या कोई स्थायी ढांचा परिनिर्मित नहीं करेगा।

(2) जहां भूस्वामी किसी किरायेदार को किराये पर दिये गये किसी परिसर में कोई सुधार करने या किसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है, और किरायेदार भूस्वामी को इस तरह के सुधार करने या ऐसी अतिरिक्त संरचना का निर्माण करने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है, वहां भूस्वामी किराया प्राधिकारी को इस निमित्त आवेदन कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन भूस्वामी द्वारा किये गये किसी आवेदन पर यदि किराया प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि भूस्वामी ऐसा कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक है जो आवश्यक है, तो किराया प्राधिकरण भूस्वामी को ऐसे कार्य करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसे अन्य आदेश दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे:

परन्तु यह कि ऐसे सुधार या अतिरिक्त संरचना से परिसर की वास–सुविधा या आवास सेवायें न्यून या क्षीण या विकृत नहीं होंगी जिससे किरायेदार को अनुचित कठिनाई उत्पन्न हो।

रिक्त भूमि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

27–(1) धारा 21 या धारा 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किराये के लिए दिये गये किसी परिसर में कोई रिक्त भूमि समाविष्ट हो जिस पर तत्समय प्रवृत्त नगर पालिका उपविधियों के अधीन आवासीय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई भवन परिनिर्मित करना अनुज्ञेय हो और भूस्वामी, जो इस तरह का भवन बनाना चाहता है, किरायेदारी करार के आधार पर किरायेदार से उसका कब्जा प्राप्त करने में असमर्थ है वहीं भूमि स्वामी या भूस्वामी की मृत्यु की दशा में, उसके विधिक वारिस, इस निमित्त किराया प्राधिकरण के समक्ष यथा विहित प्रारूप में और रीति से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त किए जाने पर यदि किराया प्राधिकरण का यह समाधान हो जाए कि यथास्थिति भूस्वामी या उसके विधिक वारिस कार्य प्रारम्भ करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और यह कि शेष परिसर से रिक्त भूमि के विभाजन से किरायेदार को अनुचित कठिनाई नहीं होगी तो वह–

(क) ऐसी जांच के पश्चात् इस तरह के विभाजन का निदेश दे सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे;

(ख) रिक्त भूमि का कब्जा भूस्वामी को सौंप सकता है;

(ग) परिसर के शेष हिस्से के सम्बन्ध में किरायेदार द्वारा संदेय किराया अवधारित कर सकता है; तथा

(घ) मामले की परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे अन्य आदेश कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

भूस्वामी को रिक्त कब्जा दिया जाना

28–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी परिसर में किसी किरायेदार का या किरायेदार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों का हित, किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है और ऐसे परिसर के कब्जे की वापसी के लिए इस अधिनियम के अधीन किराया प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश किया जाता है, वहीं ऐसा आदेश, धारा 21 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे सभी अध्यासियों के लिए बाध्यकारी होगा जिनके अध्यासन में उक्त परिसर हो, और उसका रिक्त कब्जा, ऐसे समस्त अध्यासियों द्वारा भूस्वामी को या भूस्वामी के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रदान किया जायेगा।

किरायेदार द्वारा कब्जा त्यागने की नोटिस के सम्बन्ध में उपबंध

29-इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई किरायेदार, किरायेदारी करार के अधीन यथा अपेक्षित लिखित सूचना दिये जाने पर परिसर का कब्जा त्याग सकता है और ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध न होने पर किरायेदार को परिसर का कब्जा त्यागने से कम से कम एक माह पूर्व भूस्वामी को नोटिस देना होगा।

अध्याय छः

किराया प्राधिकरण, किराया अधिकरण, उनकी शक्तियाँ तथा अपील

किराया प्राधिकरण

30-जिला कलेक्टर, अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

विवादों का परक्राम्यकृत समझौता

31-(1) किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण, ऐसे समस्त मामलों में जहाँ प्रत्यर्थी समुचित मामलों में पक्षकारों के मध्य परक्राम्यकृत विवाद समझौता से पूर्व किसी भी समय आवेदन के सापेक्ष प्रतिवाद करता है, या उसे प्रतिवाद करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) के अधीन उन्हें समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे जैसा कि वे किसी समझौता के लिए तत्परतापूर्वक प्रोत्साहित करने हेतु उचित समझें।

(3) जहाँ समझौता द्वारा मामले का निस्तारण किया जाय, वहाँ किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण समझौता की शर्तों को अभिलिखित करेंगे और उन शर्तों के संबंध में अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

किराया अधिकरण

32-किराया अधिकरण की अध्यक्षता स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा या प्रत्येक जिला के जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

33-(1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में अन्तर्विष्ट कुछ भी किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण पर लागू नहीं होगा, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और उसके पास अपने स्वयं की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति से विनियमित करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(क) भूस्वामी या किरायेदार, शपथ-पत्र और दस्तावेजों के साथ यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन या अपील, यदि कोई हो, दायर कर सकता है,

(ख) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण, तब आवेदन या अपील, शपथ-पत्र और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ, विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करेगा;

(ग) विरोधी पक्षकार आवेदक को उसकी एक प्रति तामील कराने के पश्चात् शपथ-पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ उत्तर दाखिल करेगा,

(घ) आवेदक, विरोधी पक्षकार को एक प्रति तामील कराने के पश्चात् प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है,

(ङ) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण सुनवाई का दिनांक निर्धारित करेगा और इस तरह की संक्षिप्त जाँच आयोजित कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण, मामले को यथा सम्भव शीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा, जो आवेदन या अपील की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों से अधिक की अवधि की नहीं होगी:

परन्तु यह कि यथास्थिति जहाँ ऐसा कोई आवेदन या अपील साठ दिनों की उक्त अवधि के भीतर निपटायी नहीं जा सकती हो, वहाँ यथा स्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण उस अवधि के भीतर आवेदन या अपील को निस्तारित न किये जाने के लिए लिखित कारणों को दर्ज करेगा।

(3) यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन या अपील में, किसी साक्षी का साक्ष्य शपथ-पत्र द्वारा दिया जायेगा:

परन्तु यह कि यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण को जहां यह प्रतीत होता है कि परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए साक्षी को बुलाना न्याय हित में आवश्यक है, ऐसे साक्षी को परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित होने का आदेश देगा।

(4) सम्मन तामील किये जाने के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के उपबंध, किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण द्वारा नोटिस तामील किये जाने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। उक्त तामीलीकरण रीति के अतिरिक्त, भूस्वामी या किरायेदार को नोटिस, ई-मेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी तामील की जा सकती है।

(5) प्रत्येक आवेदन या अपील ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(6) यथास्थिति, किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण पूरी कार्यवाही में एक पक्ष के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन की अनुमति नहीं देगा और ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त हेतुक होने के मामले में वह लिखित में तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करेगा और स्थगन का अनुरोध करने वाले पक्षकार को युक्तियुक्त लागत का संदाय करने का आदेश देगा।

(7) धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ङ), (घ) और (छ) या धारा 22 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय किराया प्राधिकरण के समक्ष ऐसा आवेदन दाखिल किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर किया जायेगा।

(8) किराया प्राधिकरण इस तरह का आवेदन दाखिल किये जाने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन दाखिल किये गये प्रत्येक आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण की शक्तियाँ

34-(1)किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निहित हैं-

(क) किसी व्यक्ति को समन भेजना और उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना तथा शपथ पूर्वक उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज किये जाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) स्थानीय अनुसंधान के लिए कमीशन जारी करना;

(ङ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(च) चूक के लिए आवेदन या अपील को खारिज करना या उसका एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(छ) चूक के लिए किसी आवेदन या अपील को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी अन्य आदेश को निरस्त करना या पुनः मंगाना;

(ज) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया जा सकता है।

(2) किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, और भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच आयोजित करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, किराया प्राधिकरण,-

(क) कम से कम चौबीस घंटे की नोटिस लिखित रूप में देने के बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय किसी परिसर में प्रवेश करने और जांच करने के लिए प्रवेश और जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है;

(ख) किसी लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को जाँच के लिए सुसंगत ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को निरीक्षण करने हेतु ऐसे समय और ऐसी जगह पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4) किराया प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है तो अपने समक्ष कार्यवाही में उसे सलाह देने के लिए विचाराधीन मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले निर्धारणकर्ता या मूल्यांकनकर्ता के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(5) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश में कोई लिपकीय या अंकगणितीय त्रुटि या किसी आकस्मिक लोप से उत्पन्न होने वाली कोई अन्य त्रुटि, किसी भी समय, किराया प्राधिकारी द्वारा किसी भी पक्षकार या अन्यथा की ओर से इस निमित्त आवेदन प्राप्त होने पर ठीक की जा सकती है।

(6) किराया प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के उपबन्धों के अधीन जुर्माने की वसूली के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और किराया प्राधिकारी को ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए उक्त संहिता के अधीन एक मजिस्ट्रेट माना जायेगा।

(7) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश या इस अध्याय के अधीन अपील में पारित आदेश, किराया प्राधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए किराया प्राधिकरण के पास किसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

(8) किराया प्राधिकरण एकपक्षीय पारित किसी आदेश को रद्द या पुनः मंगा सकता है, यदि क्षुब्ध पक्षकार कोई आवेदन प्रस्तुत करता है और उसे संतुष्ट करता है कि सूचना समुचित रूप में तामील नहीं की गयी थी या यह कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब उसे किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(9) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किराया प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, अपील में विनिश्चय के अध्यधीन अंतिम होगा और उसे किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

किराया अधिकरण को अपील

35–(1) किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ किराया अधिकरण को स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसमें परिसर अवस्थित है, उस आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील कर सकता है :

परन्तु यह कि कोई अपील तब तक नहीं ठहरेगी जब तक कि अपीलकर्ता किराया प्राधिकरण के आक्षेपित आदेश के अधीन सम्पूर्ण संदेय धनराशि का पचास प्रतिशत पूर्व में जमा नहीं कर देता है।

(2) उपधारा(1) के अधीन अपील दायर किये जाने पर किराया अधिकरण, प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति के साथ नोटिस तामील करेगा और प्रतिवादी पर अपील की नोटिस तामील किये जाने के तीस दिनों के अन्दर सुनवाई नियत करेगा तथा अपील का निस्तारण अपील तामील किये जाने के दिनांक से सात दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) जहाँ किराया अधिकरण न्यायसंगत और उचित विनिश्चय करने के हित में यह आवश्यक समझे वहाँ वह अपील में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है:

परन्तु यह कि सुनवाई के दौरान ऐसे किसी दस्तावेज को एक से अधिक बार दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) किराया अधिकरण, अपने विवेकानुसार अपील लंबित रहने के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(5) अपील का विनिश्चय करते समय, किराया अधिकरण, तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, किराया प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, अपास्त या उपान्तरित कर सकता है।

आदेश का निष्पादन

36–(1) किराया प्राधिकरण किसी पक्षकार द्वारा दायर आवेदन पर, किराया अधिकरण के आदेश या इस अधिनियम के अधीन कृत किसी अन्य आदेश को इस तरह से निष्पादित करेगा, जैसा कि निम्नानुसार विहित किया जाय:–

(क) उस व्यक्ति को परिसर का कब्जा प्रदान करना जिसके पक्ष में विनिश्चय किया गया है; या

(ख) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली के प्रयोजन से विरोधी पक्षकार के एक या अधिक बैंक खातों को कुर्क करना; या

(ग) ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए किराया प्राधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के अधिकारियों सहित किसी अधिवक्ता या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना; या

(घ) विरोधी पक्षकार के वेतन और भत्ते की कुर्की; या

(ङ) विरोधी पक्षकार की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री।

(2) किराया प्राधिकरण अन्तिम आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय पुलिस से सहायता ले सकता है:

परन्तु यह कि कोई आवेदक तब तक पुलिस सहायता प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी लागतों का संदाय नहीं करता है जैसा कि किराया प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाय।

(3) किराया प्राधिकरण अपने आदेश या किराया अधिकरण के आदेश या इस अधिनियम के अधीन कृत किसी अन्य आदेश के सम्बंध में निष्पादन कार्यवाहियों का संचालन संक्षिप्त रीति से करेगा और इस धारा के अधीन किये गए निष्पादन के लिए आवेदन का निस्तारण, विरोधी पक्षकार को दी गई नोटिस के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा।

अध्याय सात
प्रकीर्ण

किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

37—राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और अपने कृत्यों की दक्षतापूर्वक निस्तारण करने के लिए ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

कतिपय मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

38—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस अध्यादेश के उपबन्धों से संबंधित किसी मामले में कोई मुकदमा या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।

(2) किराया प्राधिकरण की अधिकारिता, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत किरायेदारी करार तक सीमित होगी और परिसर के हक या स्वामित्व के प्रश्न तक विस्तारित नहीं होगी।

न्यायालय फीस

39—(1) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) के उपबन्ध, यथास्थिति किराया प्राधिकरण या किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों या अपीलों के सम्बंध में लागू होंगे।

(2) न्यायालय फीस की संगणना के प्रयोजनार्थ, कब्जा की वापसी के लिए किराया प्राधिकरण को किया गया आवेदन और किराया अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का ज्ञापन, भूस्वामी और किरायेदार के मध्य एक वाद माना जायेगा।

(3) किराया प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन हेतु न्यायालय फीस, किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन के समान होगा।

अधिकारियों एवं कर्मचारिवर्ग का लोक सेवक होना

40—इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किराया प्राधिकरण और किराया अधिकरण के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारिवर्ग को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5 और 12 का लागू होना

41—परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 36 सन् 1963) की धारा—4, 5 और 12 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

42—तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात से असम्बद्ध होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

43—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किराया अधिकरण के किसी अधिकारी और कर्मचारिवर्ग के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

44—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रारूप और तरीका;

(ख) पोस्टल मनी ऑर्डर या किसी अन्य रीति से किरायेदार द्वारा भूस्वामी को किराया और अन्य प्रभारों का संदाय किये जाने की रीति या उपधारा (1) के अधीन भूस्वामी द्वारा उस राशि को ग्रहण करने से स्वीकार नहीं करने पर किराया प्राधिकरण के साथ किराये और अन्य प्रभारों की जमा राशि के तरीके तथा धारा 14 के उपधारा (3) के अधीन किराया प्राधिकरण के साथ किराये की जमा राशि के तरीके;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन करने का तरीका;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन परिसर के कब्जे की बहाली के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका;

(ङ) धारा 21 और 24 के अधीन संदेय ब्याज की दर;

(छ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन भवन निर्माण के लिए किराये पर दिये गये परिसर के कब्जे को प्राप्त करने के लिए किराया प्राधिकरण के समक्ष भूस्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप और तरीका;

(ज) धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन किराया अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रपत्र;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन उपबंधित किया जाने वाला कोई अन्य मामला;

(ट) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के अधीन किराया अधिकरण के किसी आदेश या तद्धीन किये गये किसी अन्य आदेश के निष्पादन की रीति;

(ठ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित या विहित किया जाने वाला कोई अन्य मामला।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

45 (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हुए बिना गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकती है:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2021

46–(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देना, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972) और उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देना, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972) के अधीन समस्त मामले और अन्य कार्यवाहियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर जारी रहेंगी और उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निस्तारित की जावेंगी मानों उक्त अधिनियम निरंतर प्रवृत्त हो और यह अधिनियम, अधिनियमित न किया गया हो।

(3) उन परिसरों के संबंध में जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को सिविल न्यायालय के समक्ष या अपील में किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित उपधारा(1) द्वारा निरसित विधि से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन भूस्वामी और किरायेदार के मध्य किसी विवाद से सम्बन्धित समस्त मामले और कार्यवाहियाँ, ऐसे न्यायालय के समक्ष जारी रखी जायेंगी और ऐसी लागू विधि के अनुसार निस्तारित की जायेंगी।

(4) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2021) और उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2021) के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह–प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जावेगी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 4 (1) देखें]

किरायेदारी की सूचना के लिए प्रपत्र

सेवा में,

किराया प्राधिकरण

.....

.....(पता)

1–ई-मेल या मोबाइल नंबर सहित भूस्वामी का नाम और पता.....

2–संपत्ति प्रबंधक का नाम और पता .....
(यदि कोई हो)

3–ई-मेल या मोबाइल नंबर सहित किरायेदार का नाम और पता.....

4–पिछली किरायेदारी का विवरण, यदि कोई हो .....

5–अनुलग्नक भूमि सहित किरायेदार को किराये पर दिये गये .....
परिसर का विवरण, यदि कोई हो

6–दिनांक, जिस पर किरायेदार को कब्जा दिया गया हो .....

7–धारा 8 में यथा संदेय किराया .....

8–किरायेदार को प्रदान किए गए फर्नीचर और अन्य उपकरण .....

9–अन्य प्रभार/संदेय कर

क–विद्युत

ख–जल

ग–अतिरिक्त साज सज्जा, फिटिंग्स और स्थिर उपकरण .....

घ–अन्य सेवाएं .....

10–किरायेदारी करार संलग्न करें .....

11–किरायेदारी की अवधि .....
(कितनी अवधि के लिए किराये पर दिया)

12–भूस्वामी का फोटो पहचान पत्र .....

13–भूस्वामी का मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी .....
(यदि उपलब्ध हो)

14–किरायेदार की फोटो पहचान पत्र संख्या .....

15–किरायेदार का मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी .....

16–संपत्ति प्रबंधक का फोटो पहचान पत्र .....
(यदि कोई हो)

17–संपत्ति प्रबंधक का मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी .....
(यदि कोई हो)

भूस्वामी का नाम और हस्ताक्षर

किरायेदार का नाम और हस्ताक्षर

भूस्वामी की फोटो

किरायेदार की फोटो

संलग्नक :-

1. किरायेदारी करार।

2. भूस्वामी के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।

3. किरायेदार के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।

4. संपत्ति प्रबंधक के फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ, यदि कोई हों।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 15(1) देखें]

भूस्वामी और किरायेदार के मध्य अनुरक्षण सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का विभाजन

जब तक किरायेदारी करार में अन्यथा करार न किया जाय भूस्वामी भाग क के अधीन आने वाले मामलों से संबंधित मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा और किरायेदार भाग ख के अधीन आने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग क

भूस्वामी की जिम्मेदारियाँ

1-किरायेदार द्वारा कारित नुकसान की आवश्यकता को छोड़कर संरचनात्मक मरम्मत।

2-दीवारों की सफेदी और दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग।

3-जब आवश्यक हो पाइप बदलना और उसका नलसाजी करना।

4-आन्तरिक और बाह्य विद्युत वायरिंग और अन्य संबंधित अनुरक्षण, जहां आवश्यक हो।

भाग ख

किरायेदार द्वारा समय-समय पर मरम्मत की जानी चाहिए

1-नल का वाशर और नल को बदलना।

2-नाली की साफ सफाई।

3-शौचगृह की मरम्मत।

4-वॉश-बेसिन की मरम्मत।

5-बाथ टब की मरम्मत।

6-गीजर की मरम्मत।

7-परिपथ वियोजक की मरम्मत।

8-स्विच और साकेट की मरम्मत।

9-प्रमुख आंतरिक और बाहरी तारों में परिवर्तन को छोड़कर विद्युत उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन।

10-रसोई के स्थिर उपकरणों की मरम्मत।

11-दरवाजों, आलमारी, खिड़कियों आदि की घुंडियों और तालों को बदलना।

12-फ्लाई-नेट को बदलना।

13-खिड़कियों, दरवाजों आदि में कांच के पैनलों का प्रतिस्थापन।

14-किरायेदार द्वारा उपयोग में लिए गए या किराये पर लिए हुए बगीचों और खुले स्थानों का रख-रखाव।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-46 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक तथा संलग्न प्रथम व द्वितीय अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद् किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 पारित किया जाए।

[05:10] उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, इसलिए कानून को अलग से लाना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार का कानून 2003 में बन चुका है और यह कानून पुराना चला आ रहा था। नीति आयोग ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने और भारत सरकार ने इन सबने यह तय किया है कि संयुक्त रूप से जो कानून अब प्रचलित हैं उनके स्थान पर नए कानून बन चुके हैं, उनको निषिद्ध किया जाए या उनको समाप्त किया जाए इस वजह से इस कानून को लाना पड़ा। इसके लिए पहले से कानून उपलब्ध है, उस आधार पर धूम्रपान निषेध है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश धूमपान निषेध (सिनेमा घर) निरसन विधेयक, 2021 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मेरा प्रवर समिति को देने का आशय इस बात से है कि अभी हाल ही में इसके बाद उत्तर प्रदेश द्वितीय निरसन विधेयक और उ0प्र0 तृतीय निरसन विधेयक और दो विधेयक पहले से आ रहे हैं। ऐसे में धूमपान का तीसरा अलग से लाना, यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला महसूस होता है, हालांकि कोरोना के काल में धूम्रपान निषेध को जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें वह ज्यादा बेहतर है, इसको टाला भी जा सकता था, परन्तु इन सबके बावजूद निरसन विधेयक जिसे तीसरी बार जल्दबाजी में बहुमत का फायदा उठाकर यह विधेयक आज कार्यमंत्रणा में पास करके लाने की कोशिश का काम है। यह किसी भी रूप में न तो मर्यादित है और न ही परम्पराओं के अनुरूप है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दबाजी न करके इसमें कुछ नए प्रावधान भी हो सकते हैं। उनकी पूरी तरह से समीक्षा कर ली जाए और उसके बाद प्रवर समिति उस पर निर्णय ले तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि

जल्दीबाजी में लें। अन्यथा दो निरसन विधेयक आप पहले ला रहे हैं उसी में इसे भी शामिल कर लेते हैं, उसमें न शामिल करके अलग से लाया गया और कोरोना के काल में लाया गया, जबकि लोग पहले से इस बात के लिए आशंकित हैं और फेफड़ों की अलग-अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। मान्यवर, मेरा यह आग्रह है कि इसमें जल्दबाजी न की जाए और इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और प्रवर समिति के साथी जो भी प्रतिनिधि निर्णय लेंगे उस निर्णय के अनुरूप इसका फैसला कर लिया जाए।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, संजय गर्ग जी विद्वान सदस्य हैं, उनको यह एलॉट कर दिया गया कि इसका विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध क्यों कर रहा है इस बात की जानकारी इनको नहीं है। जो निरसन विधेयक होते हैं यह जो कानून जिनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है और जनता पर जबरदस्ती बोझ बने हुए हैं, फाइलों में बोझ बने हुए हैं, इस वजह से निरसन विधेयक हम लोग लाए और लगातार इस तरह के विधेयक इस सदन में ला रहे हैं जब से यह सरकार मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है।

अभी तक हम 485 निरसन विधेयक सदन में ला चुके हैं, लेकिन पूरा सदन जानता है कि इन लोगों को एक बार भी पता ही नहीं चला कि निरसन विधेयक का मतलब क्या होता है ? आज चूँकि बोलने का अवसर चाहिए था, अखबार में छपने के लिए कुछ चाहिए था, तो केवल उस अवसर की तलाश में इन्होंने बोला है और जहां तक कोरोना महामारी का जिक्र किया तो पूरी कोरोना महामारी को आज लगभग पौने दो वर्ष होने जा रहे हैं और इन पौने दो वर्षों में समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से केवल सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक तक सीमित रहे। समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति, कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके सेवा कार्य करने नहीं आया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध स्वरूप एक साथ बोलने पर सदन में शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री ब्रजेश पाठक-

जब अप्रवासी मजदूर आए और उनको चप्पलें पहनाना था, तो भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता चप्पल पहना रहा था। उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करानी थीं, तो भाजपा का कार्यकर्ता उपलब्ध करा रहा था, उन्हें राशन देना था, तो भाजपा का कार्यकर्ता राशन उपलब्ध करा रहा था, उन्हें पका पकाया भोजन देना था, तो भाजपा का कार्यकर्ता भोजन उपलब्ध करा रहा था। ये समाजवादी पार्टी के लोग आइसोलेशन में बैठे थे, घरों में बैठ करके आराम फरमा रहे थे, वातानुकूलित कमरों में, घरों में बैठकर आराम फरमा रहे थे और ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। आप लोग कोरोना महामारी का नाम लेने लायक भी नहीं हैं। मान्यवर,

कोरोना महामारी के काल की बात पर इनका चेहरा शर्म के मारे बाहर नहीं निकलेगा। जब ये चुनाव में लड़ने जाएँगे तो पता चलेगा, जब ये क्षेत्र में जाएँगे तो पता चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य महोदय, इसमें दोनों पक्षों की अपनी-अपनी बात आई है। अब हम मूल विषय पर ही अपनी बात रखें। मा0 मंत्री जी ने अपनी बात रख दी है और अब मैं सदन के सामने प्रस्ताव लाने का काम कर रहा हूँ।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, हमारे खिलाफ तो इसके लिए मुकदमे तक लिखे गए, हम लोगों ने राशन बाँटा है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी ने गलत फँसने की बात कही और अपना ही गलत फँस गए। अगर आपकी सहमति हो तो कोरोना पर चर्चा हो जाए।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 नेता विरोधी दल महोदय, अभी कोरोना का नाम मैंने सदन में नहीं लिया है, आपके सदस्य ने इसे उठाया है, फिर मैंने उसका जवाब दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो और मा0 मुख्य मंत्री जी की आज्ञा हो तो पूरा एक दिन कोरोना पर चर्चा हो जाए। इसलिए कि उस कोरोना काल में चर्चा करने का काम मा0 मंत्री जी के द्वारा ही हुआ था, चिट्ठी लिख करके हुआ था। चिट्ठी लिख करके आपने ही इसको किया था।

श्री ब्रजेश पाठक-

आप कैसे बचे मैं जानता हूँ, कैसे आप बचे और आप कितना प्रभावित थे, आपको कितना दर्द हुआ। जब आप कोरोना से पीड़ित थे, तो आपको कितना दर्द हुआ, आप यहाँ पर बताएँ उस समय बार-बार फोन करके किसने आपका हाल-चाल लिया, तब सपा वाले थे तो एक भी नहीं थे। ये जो आपके पीछे बैठे हैं, तब ये एक भी नहीं थे। तब हमारी सरकार आपका ध्यान रख रही थी, हमारी सरकार आपका ध्यान रख रही थी और कोई नही था आपके साथ। इनमें से कितने लोगों ने आपको फोन किया बताएँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सब थे।

श्री ब्रजेश पाठक-

मैं था उस समय, मैं डायरेक्टर से आपका हाल-चाल पूछ रहा था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसीलिए कोरोना पर एक दिन की चर्चा हो जाए।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने से सदन में उत्पन्न शोर से व्यवधान की स्थिति)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करने जा रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कोरोना पर चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध **(सिनेमा घर) (निरसन)** विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर)(निरसन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952, जैसा कि यह असंगत हो चुका है, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1952 का निरसन व्यावृत्ति

2–उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

3–तथापि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) अधिनियम, 1952 का निरसन किये जाने से–

(क) ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या उससे निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्माचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कार्य या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम पर प्रभाव नही पड़ेगा;

(ग) इस बात के होते हुए किसी सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर प्रभाव नही पड़ेगा कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा वेल में सरकार विरोधी नारेबाजी की जाती रही)

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल से मेरा निवेदन है कि जब सारे दिन सदन की कार्यवाही बड़ी शन्तिपूर्वक चली है और इस समय यह बिजनेस का आखिरी काम है तो आप लोग अपने स्थान पर चले जायें।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्य अपनी सीटों पर वापस आ गये)

श्री ब्रजेश पाठक–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:19] उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी")-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए।

वस्तुतः उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों के आलोक में मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति के आवेदन को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया में प्रायः स्वाभाविक रूप से प्रक्रियात्मक विलम्ब हो जाता था ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कतिपय उपबन्ध किये जाने आवश्यक थे कि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को सम्मान राशि और अन्य सुविधायें लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से मिले।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं प्रस्ताव भी करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक कमी दिखायी दे रही है, आपने पत्नी को तो उत्तराधिकारी के रूप में कर दिया है, लेकिन पुत्र को नहीं किया है। अविवाहित पुत्र अर्थात् पुत्र जो आश्रित हैं उसको इसमें नहीं किया गया तो फिर यह अब अधूरा रह गया है। लोकतंत्र सेनानी हम भी हैं और हमको लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं और हमें ऐसा लगता है कि समाज कल्याण मंत्री जी भी लोकतंत्र सेनानी होंगे तो इसमें आप पत्नी और पुत्र भी जोड़ दें। जब मंत्री जी इसके मंत्री थे तो मैंने इनसे आग्रह किया था तो मेरे आग्रह को ये दूसरी बात समझ गये। लोकतंत्र सेनानी मुख्यतः समाजवादी अर्थात् सोशलिस्ट, जनसंघ, आर0एस0एस0, कम्युनिष्ट तथा अन्य पार्टियों के लोग थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश के महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी को जिनके द्वारा इसको लाया गया और मा0 अखिलेश यादव जी ने तीन-तीन बार बढ़ाकर 15000/- रुपये इसको किया। मैंने मंत्री जी से कहा था और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा था कि संयोग है कि आपकी यहाँ सरकार है और आपकी सरकार केन्द्र में भी है। कोई ऐसी सरकार आ जाये जो इसको समाप्त न कर दे, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को स्टेट और केन्द्र दोनों से पेंशन मिलती है।

विधान सभा यह प्रस्ताव पास करे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा इस बात का प्रस्ताव पास करती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह से केन्द्र सरकार भी लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन राशि दे। इसीलिए मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव दे रहा था।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद बुआ जी ने बन्द कर दिया था, यह नहीं बताया। इसके बाद हमारी सरकार ने जुलाई, 2018 में एक साथ 5 हजार रुपये बढ़ाकर 20 हजार रुपये सम्मान राशि देने का निर्णय लिया। इसमें जो अभी विसंगतियां थीं कि लोग डी0एम0 के यहां दौड़ते थे और तमाम प्रक्रियाओं में देर लगती थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस दिन उनकी मृत्यु होगी। यदि तीन महीने के अन्दर एप्लीकेशन दे दी जाती है, तो मृत्यु के अगले दिन से ही उनको सम्मान राशि मिलेगी। यह इतना अच्छा प्रस्ताव है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सर्वसम्मति से इसको पास किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2018 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 की उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु यह और कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के पश्चात् अगले दिवस से इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगी/होगा, किन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर किये जाने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु यह भी कि यदि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति द्वारा सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं के लिये पूर्वोक्त आवेदन, लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के तीन माह के पश्चात् किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधायें, उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:26] उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-4 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021

कतिपय अधिनियमितियों जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अगस्त, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या दत्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्माचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या क्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानो उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

अनुसूची

(धारा-2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	वैलीडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1894 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1894)
2	कैनिंग कॉलेज कन्ट्रीब्यूशन अधिनियम, 1920 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1920)
3	कैनिंग कॉलेज अधिनियम, 1922 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1922)
4	नॉइक गर्ल्स प्रोटेक्शन अधिनियम, 1929 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1929)
5	उत्तर प्रदेश मॉइनर गर्ल्स प्रोटेक्शन अधिनियम, 1929 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1929)
6	उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर अधिनियम, 1932 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1932)
7	संयुक्त प्रान्त ओपियम स्मोकिंग अधिनियम, 1934 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1934)

8	कुमायूँ एनीमल ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1947)
9	संयुक्त प्रान्त में शरणार्थियों की रजिस्ट्री और गतिविधि का अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1948)
10	उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ सप्लाईज (कन्टीनूयेन्स ऑफ पावर) अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1948)
11	संयुक्त प्रान्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1949)
12	उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1950)
13	उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकॉमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1950)
14	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1950)
15	उत्तर प्रदेश प्रान्तीय आर्म्ड कांन्स्टेबुलरी (आयति प्रसार) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1950)
16	उत्तर प्रदेश सिंचाई सम्बन्धी (आकस्मिक अधिकार) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1951)
17	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1951)
18	उत्तर प्रदेश मेन्टीनैंस आफ पब्लिक आर्डर का निवर्तन अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1951)
19	उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल ऑफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1951)
20	औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1951)
21	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1952)
22	उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बिलिंग (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1952)
23	उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, सन् 1952)
24	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1953)
25	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1953)
26	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1954)
27	उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1955)
28	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों, सभा सचिवों और सदस्यों,(के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1956)

29	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1957)
30	उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1957)
31	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1957 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1957)
32	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1958)
33	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1958)
34	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1959)
35	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1960)
36	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1960)
37	उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1961)
38	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री और सभा सचिवों (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1961)
39	उत्तर प्रदेश सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1961)
40	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेसन (संशोधन) अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1962)
41	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1963)
42	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1963)
43	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1963)
44	उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1964)
45	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1964)
46	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1966)
47	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1966)
48	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1966)
49	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1966)

50	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1966)
51	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1966)
52	उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा जिला पंचायत (कार्यअवधि का विस्तार) अधिनियम, 1968 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1968)
53	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (री इन्रोक्टमेन्ट एण्ड कन्टीन्यूएन्स) अधिनियम, 1968 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1968)
54	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1969)
55	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1970)
56	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1970)
57	उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, सन् 1970)
58	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1971)
59	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1972)
60	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1972)
61	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, सन् 1972)
62	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, सन् 1972)
63	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1973)
64	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पैंशन अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1974)
65	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1974)
66	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1974)
67	उत्तर प्रदेश शौरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1974)
68	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1975)
69	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1975)
70	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1975)
71	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1976)

72	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1976)
73	उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1976)
74	उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1976)
75	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1976)
76	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 1976)
77	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, सन् 1976)
78	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1977)
79	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1977)
80	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1978)
81	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1978)
82	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1978)
83	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1978)
84	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स टैक्सेसन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1978)
85	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1978)
86	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1978)
87	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1979)
88	उत्तर प्रदेश धूमपान निषेध (सिनेमा घर) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1979)
89	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1979)
90	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1979)
91	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 1979)
92	उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1979)

93	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1980)
94	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1980)
95	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1980)
96	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1980)
97	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1981)
98	उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1981)
99	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1982)
100	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1982)
101	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1982)
102	उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1982)
103	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1982)
104	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1983)
105	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1983)
106	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1983)
107	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1983)
108	उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1983)
109	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1984)
110	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1984)

111	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1984)
112	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1984)
113	उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1984 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1984)
114	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1985)
115	उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1985)
116	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1985)
117	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1985)
118	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 1985)
119	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1985)
120	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1985)
121	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1985)
122	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1986)
123	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1986)
124	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1986)
125	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1986)
126	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1986)
127	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पैंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1986)
128	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1986)
129	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1987)
130	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1987)

131	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयात तथा एल्कोहल बिक्री करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1987)
132	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1987)
133	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1987)
134	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1987)
135	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1988)
136	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1988)
137	उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1988)
138	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1988)
139	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1988)
140	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1989)
141	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयात तथा एल्कोहल बिक्री करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1989)
142	मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1989)
143	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1989)
144	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियाँ विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1989)
145	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1989)
146	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1989)
147	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1989)
148	उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1989)
149	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1990)
150	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1990)

151	उत्तर प्रदेश मंडी, राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1990)
152	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1990)
153	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1990)
154	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1990)
155	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1990)
156	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1990)
157	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1990)
158	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1991)
159	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1991)
160	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1991)
161	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1991)
162	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1991)
163	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 1991)
164	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1991)
165	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1991)
166	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1992)
167	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1992)
168	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1992)
169	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (अंशों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 1992)
170	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1992)
171	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1992)

172	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1992)
173	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1992)
174	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1993)
175	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1993)
176	उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1993)
177	उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1994)
178	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1994)
179	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1994)
180	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1994)
181	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1994)
182	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1995)
183	उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1995)
184	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1995)
185	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1995)
186	उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1995)
187	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1995)
188	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फस (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1995)
189	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1995)
190	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1997)
191	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1997)

192	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1997)
193	उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1997)
194	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1997)
195	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1997)
196	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1997)
197	उत्तर प्रदेश चीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1998)
198	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1998)
199	उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1998)
200	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1998)
201	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1998)
202	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1998)
203	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1998)
204	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1999)
205	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1999)
206	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 1999)
207	उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल (निरसन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 1999)
208	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1999)
209	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 1999)
210	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2000)
211	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2000)

212	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2000)
213	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2000)
214	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2000)
215	उत्तर प्रदेश शौरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2000)
216	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2000)
217	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2000)
218	उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2000)
219	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2000)
220	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2000)
221	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (अपव्यय का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 2000)
222	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 2000)
223	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2001)
224	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2001)
225	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2001)
226	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, सन् 2001)
227	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2001)
228	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2001)
229	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2001)
230	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2001)
231	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2002)

232	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2002)
233	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2003)
234	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2003)
235	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2003)
236	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 2003)
237	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2004)
238	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2004)
239	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2004)
240	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 2004)
241	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2004)
242	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2004)
243	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2004)
244	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2004)
245	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2004)
246	उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2004)
247	उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (निरसन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2005)
248	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल तथा एल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2005)
249	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2005)
250	उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2005)
251	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2005)
252	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2005)

253	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2005)
254	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2006)
255	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2006)
256	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2006)
257	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2006)
258	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2006)
259	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, सन् 2006)
260	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 2006)
261	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 2007)
262	उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2007)
263	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2007)
264	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2007)
265	उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2007)
266	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2007)
267	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2007)
268	उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2007)
269	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2007)
270	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2007)
271	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 2007)
272	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, सन् 2007)
273	उत्तर प्रदेश ज्येष्ठ अधिकारी आवास (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, सन् 2007)

274	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, सन् 2007)
275	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, सन् 2007)
276	उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2008)
277	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2008)
278	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2008)
279	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2008)
280	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2008)
281	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2008)
282	इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 2008)
283	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2008)
284	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2008)
285	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2009)
286	उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 2009)
287	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2009)
288	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2009)
289	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2009)
290	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2009)
291	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2009)
292	उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2009)
293	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2010)
294	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2010)

295	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2013)
296	उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2013)
297	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2013)
298	उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, सन् 2013)
299	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 2013)
300	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2013)
301	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 2013)
302	उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 2014)
303	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2014)
304	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2014)
305	उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 2014)
306	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2015)
307	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2015)
308	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 2016)
309	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, सन् 2016)
310	उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2016)
311	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2016)
312	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2017)

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी के उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-4 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:28] उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 विचार किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-3 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021

कतिपय अधिनियमितियाँ, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन अधिनियम, 2021 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या खस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या क्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानो उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1935)
2	दि यूनाइटेड प्राविन्सेस लैंड एक्वीजीशन (रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज) ऐक्ट, 1948 (यूनाइटेड प्राविन्सेस ऐक्ट संख्या 26 सन् 1948)
3	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स ऑफ कन्ट्रोल) (अमेंडमेंट एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स) ऐक्ट, 1956 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 29 सन् 1956)
4	उत्तर प्रदेश सीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1976)
5	उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1976)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-3 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:29] उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। अधिनियम, 1975 के अधीन उत्तर प्रदेश जल निगम का गठन एक निगमित निकाय के रूप में हुआ था। अब इसका कार्य बहुत बढ़ गया है। हमारी तमाम योजनायें हैं, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, नमामि गंगे के तहत काम हो रहा है, एस0टी0पी0 बन रहे हैं, सीवर पड़ रहे हैं, नाले बन रहे हैं, काम बहुत बढ़ गया है और जल जीवन मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन नगरीय यह भी आ रहा है, एक-दो महीने में इसका भी कार्य शुरू होगा। जल जीवन मिशन ग्रामीण का कार्य चल रहा है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जल निगम को दो भागों में विभक्त कर दिया जाय, जल निगम ग्रामीण और जल निगम नगरीय।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के समक्ष सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की मंशा जल निगम को समाप्त करने की है, पिछले साढ़े 4 सालों में जिस तरीके से जल निगम पर उस व्यवस्था के साथ कुठाराघात किया गया, आज जल निगम के पास एक भी पैसा नहीं है। जल निगम अपने पेट्रोल का भी पैसा अदा नहीं

कर सकता। कई महीनों से कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा नहीं है। सरकार ने इस पूरी व्यवस्था का निजीकरण कर दिया। जितनी जल-कल योजनायें हैं निजी कम्पनियों के हाथ में देकर आपने बड़े पैमाने पर जल निगम की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और आज सरकार यह बताने को तैयार नहीं है। आप एक के बाद दूसरी बॉडी बना रहे हैं, दूसरी के बाद कल तीसरी बनायेंगे, परसों चौथी बनायेंगे। जल निगम को विभाजित करने के पीछे आपका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ? आपने कहा कि जल निगम का काम बढ़ रहा है। साढ़े 4 सालों में आपने जल निगम को कितना काम दिया ? आपने कितने हैण्डपम्प लगवाये ? कितनी जल निगम की टंकियां बनवायी ? सारा काम प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। जल निगम समाप्ति की कगार पर है। जल निगम को विभाजित करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को विचार करना चाहिए, प्रवर समिति को इसको दे देना चाहिए। अगर आपको जल निगम को बचाना है तो कहीं-न-कहीं सरकारी योजनाओं का पैसा आपको जल निगम को देना चाहिए। आपके पास कोई बढ़िया एजेन्सी नहीं है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करती। जल निगम की जो बोरिंग पहले हम लोगों के जमाने में हुआ करती थीं आज विभिन्न एजेन्सियों को बोरिंग देने पर वह सारी व्यवस्था चौपट हो गयी है। हमारे यहां बोरिंग आप एग्रो को देते हैं। एग्रो की बोरिंग उठाकर आप देख लीजिये। पहले जल निगम द्वारा की गयी बोरिंग आज तक चल रही है, लेकिन सरकार ने सोची-समझी साजिश के तहत षडयंत्र के तहत जल निगम को बर्बाद करने का काम किया है।

जल निगम जिस बीमारी की कगार पर है, उससे उबरने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा कहीं न कहीं निजीकरण की मंशा दिखाई पड़ती है। इस निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहेंगे कि प्रवर समिति को अगर आप दे दें तो इसका बेहतर स्वरूप निकल कर आयेगा कि इसकी जरूरत है या नहीं है। मुझे लगता है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रवर समिति को इसको दे दें तो बेहतर होगा।

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विद्वान साथी ने अपनी बात शुरू की कि जल निगम को समाप्त कर रहे हैं। हम इसको दो भागों में दो जल निगम बना रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने निजीकरण की चिन्ता व्यक्त की। इस विधेयक में कहीं भी निजीकरण का कोई जिक्र नहीं है और न ही निजीकरण का कोई प्रस्ताव है। केवल सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि कार्यभार बहुत बढ़ रहा है। वह सुचारु रूप से चले, दो निगम होंगे, दो एम0डी0 होंगे, दोनों के अलग-अलग दो-दो ज्वाइंट एम0डी0 होंगे, दोनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, एक तरफ जल शक्ति विभाग का होगा और एक तरफ नगर विकास विभाग का होगा। उनके

अलग-अलग बोर्ड होंगे, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव उस बोर्ड के मेम्बर होंगे। कार्य और सुचारु रूप से चले, इसके लिए इसका विभाजन किया जा रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, जल निगम की समस्या पिछली सरकारों में पैदा हुई हैं हम उसको सुधारने में लगे हैं, हम उसका सुधार करके रहेंगे। जल निगम को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थान दिला कर रहेंगे और रही बात प्रवर समिति की तो मैं देख रहा हूँ कि जितने विधेयक आ रहे हैं। प्रवर समिति और इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो प्रवर समिति।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-10 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था(संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में—

(क) खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(10) नगर विकास विभाग,आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पंचायतीराज विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है।"

(ख) खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा,अर्थात्:—

"(15) 'निगम' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से है।"

(ग) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(29क) नगरीय स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम,नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत अथवा किसी नगरीय क्षेत्र समिति से है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ग्रामीण स्थानीय निकाय का तात्पर्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य क्षेत्र से है।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),जो नगर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जो नमामि गंगे और ग्रामीण जल सम्भरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा, के नाम से दो निगमों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण तथा अभिकल्प सेवाएं उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के साथ जारी रहेंगी।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) जल निगम (नगरीय) में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(1क) जल निगम (ग्रामीण) में, उपधारा (2कक) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

(2) जल निगम (नगरीय) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) एक प्रबन्ध निदेशक जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य के अनुभव से भी युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव,उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेय जल और सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य में अनुभव सहित मुख्य अभियन्ता स्तर के दो अभियंता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे,

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके पास वित्त एवं लेखा कार्य सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन होंगे।

प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पदेन

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, पदेन

(च) निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश पदेन

(छ) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, पदेन।

(ज) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2क) जल निगम (ग्रामीण) में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासनिक अनुभव से युक्त और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य के भी अनुभव से युक्त अर्ह अभियंता होगा अथवा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ख) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो संयुक्त प्रबंध निदेशक अथवा पेय जल तथा सीवर व्यवस्था सम्बंधी कार्य में अनुभव से युक्त मुख्य अभियंता स्तर के दो अभियंता, जो उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ग) एक वित्त निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जावेगा, जिसके पास वित्तीय तथा लेखा कार्य सम्बंधी विषयों का अनुभव हो।

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन।

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायतीराज विभाग,नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल सम्भरण विभाग, पदेन।

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग पदेन।

(छ) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, पदेन

(ज) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, पदेन

(झ) राज्य में स्थानीय निकायों के पांच निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य

5–मूल अधिनियम की धारा 14, जिसमें पार्श्वांकित शीर्षक सम्मिलित है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा और पार्श्वांकित शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

14–उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की अधिकारिता राज्य का अधिसूचित नगरीय क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात :–

(एक) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।

(दो) राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना।

(तीन) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।

(चार) जल संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रभारों के समीक्षा करना और उन पर सलाह देना।

(पाँच) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना।

(छः) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।

(सात) नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहाँ पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर ऐसी अवधि के लिए, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

(ग्यारह) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान करना।

(तेरह) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन निगम को सौंपे गये किन्ही कृत्यों को करना और

(चौदह) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अधिकारिता का क्षेत्र और उसके कृत्य

"14-क उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की अधिकारिता राज्य का ग्रामीण क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(एक) जल सम्भरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनका उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना;

(दो) राज्य सरकार और ग्रामीण स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(तीन) राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना;

(चार) ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, के क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल सम्भरण प्रभारों की समीक्षा करना और उन पर सलाह देना;

(पाँच) अपेक्षित सामग्रियों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उनका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

(छः) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना;

(सात) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समस्त सम्बन्धित कृत्यों को करना, जो यहाँ उल्लिखित न हों, और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे;

(आठ) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जिसने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, के जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वार्षिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना;

(नौ) राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संबद्ध पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;

(दस) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना;

(ग्यारह) राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना;

(बारह) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षता पूर्वक व्यावहारिक अनुसंधान करना;

(तेरह) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(चौदह) इस अधिनियम द्वारा तद्धीन निगम को सौंपे गये किन्ही अन्य कृत्यों को करना; और

(पन्द्रह) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो गजट में, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायें।"

धारा 15 का संशोधन.

7–पार्श्वांकित शीर्षक सहित मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा और पार्श्वांकित शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

निगम की शक्ति

"15–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:–

(एक) समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हो, निरीक्षण करना;

(दो) किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे;

(तीन) अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(चार) जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना;

(पाँच) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;

(छः) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;

(सात) स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना;

(आठ) जल संस्थानों के अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना;

(नौ) धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;

(दस) स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

धारा 31 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

31–(1) निगम की स्थापना के दिनाँक, जिसे आगे "नियत दिनाँक" कहा गया है, से–

(क) समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जल–कल, भवन, प्रयोगशालाएं, भण्डार, यान फर्नीचर और अन्य साज–सामान सम्मिलित है) जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनाँक के ठीक पूर्व निहित थीं, सब निगम में निहित हो जायेंगी और अंतरित हुई समझी जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा अवधारित करे।

(ख) तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त अधिकार देनदारियों और दायित्व, चाहे वे उक्त विभाग से सम्बन्धित किसी संविदा से या अन्यथा उदभुत हुए हों, वे सब निगम के अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व होंगे;

(2) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारियों, देनदारियों और दायित्वों का मूल्यांकन ऐसे रीति से किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार निर्धारित करे।

(3) राज्य सरकार समय–समय पर निगम की सम्पतियों, आस्तियों, देनदारियों और दायित्वों का स्टाक ले सकती है और किसी यथा विहित सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के मध्य निहित करने, अन्तरित करने या पुनः आवंटित करने हेतु निर्देशित कर सकती है।

(4) जहाँ नियत दिनाँक के ठीक पूर्व इस अधिनियम को अधीन निगमों के मध्य बंटवारा के अध्याधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम किसी सम्पत्ति अधिकार या देनदारियों के सम्बन्ध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लिए पक्षकार हों वहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के आधार पर उस सम्पत्ति या उन अधिकारों या देन–दारियों में अंश धारण करने वाला या अर्जित करने वाला निगम तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम पर प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा अथवा उसे कार्यवाही हेतु पक्षभार के रूप में जोड़ा जायेगा।

धारा 37 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"37 (1) इस धारा में उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा समायोजित हो, नियत दिनाँक को राज्य सरकार के सामान्य आदेश अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा दिये निदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का कार्मिक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों और पेंशन, उपादान तथा विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारियों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा या सेवा में रहेगा, जिन पर वह नियत दिनाँक को उसे धारण करता, यदि वह अधिनियम प्रवृत्त न होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा, जब तक उसका सेवा योजन निगम से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे उसकी सेवाएं नियंत्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

परन्तु यह कि उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

परन्तु अग्रतर यह कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम/निगम के अधीन पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो–

(क) किसी स्थाई कर्मचारी की दशा में, 03 मास के पारिश्रमिक;

(ख) किसी अस्थाई कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक, के बराबर होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपादान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उसके नाम जमा धनराशि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा नियत दिनाँक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखा सहित निगम को अन्तरित कर दी जायेगी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के अपवर्जन हेतु, निगम तत्सदृश धनराशियों का जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उचित समय पर उन्हें देय हो, संदाय करने के लिए दायी होगा।

उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ निगमों के मध्य वितरित किये जाएंगे।

(3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निगम के किसी कर्मचारी के सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या ऐसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनाँक को और स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनाँक से निगम के अधिष्ठान से सृजित हो जायेगा, निगम का यथास्थिति स्थाई या अस्थाई कर्मचारी हो जायेगा।

(5) छंटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स, जैसा कि वह राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हो, के पैरा 426 या पैरा 436 की कोई बात सिवाय इस धारा में उपबन्धित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम में नियत दिनाँक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनाँक से पहले जिसके विरूद्ध हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनाँक को या से अन्तरित नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनाँक के पश्चात् ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् राज्य सरकार की सेवा के दौरान ऐसे कर्मचारी की किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध या उसके सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने में सक्षम होगा, जिसे वह उचित समझे।

कठिनाइयों को दूर किया जाना

10–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ विशेषतया तत्कालीन जल निगम के विभाजन के संक्रमण के सम्बन्ध में इस अधिनियम या संशोधनों में निर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों द्वारा आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि वह अधिनियमितियाँ उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्धन अथवा लोप के रूप में हो सकते हैं तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो और जिन्हें यह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनाँक से 02 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-10 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:36] उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021

नगर विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1962 यह निवासियों को ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मान्यवर, शहरी जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसके अनुसार ऐसे मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लगभग 62 लाख 39 हजार लोग ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं। अब उनकी सुविधा के लिए उनका सर्वांगीण विकास, आवास, पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था और सड़क जैसी बुनियादी आवश्यकतायें प्रदान करने का सरकार का पूरा इरादा है। अब इसमें समग्र विकास के लिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 2 अमेंडमेंट लाये जा रहे हैं। एक तो सक्षम स्तर को राज्य सरकार से निर्देशित किया जा सके। दूसरा सक्षम स्तर से जो विनियमन बने हैं उनको सक्षम स्तर से अनुमोदित किया जा सके। इसमें केवल 2 संशोधन हुये हैं।

श्री मौ0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) संशोधन विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती संशोधन विधेयक, 2021 के बारे में बताना चाहता हूँ। इस संशोधन का आधार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को बनाया गया है। जबकि वर्तमान 2021 की परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी हैं। इस कारण यह संशोधन विधेयक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होगा। इसमें वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को भी देखा जाना चाहिए ताकि संशोधन औपचारिक नहीं वास्तविकता के आधार पर हो सके।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, इसमें मैंने बताया कि 2 संशोधन हो रहे हैं। एक शासन से सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जा सके। दूसरा जो सक्षम स्तर है वह जो विनियमन बनायें उसको शासन के

सक्षम स्तर से अनुमोदित करा सकें। यह दो संशोधन इस ऐक्ट को और तर्कसंगत और उपयोगी बनाने के लिए हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब कानून हम बनाते हैं। कोई एक परम्परा है कि हम प्रवर समिति की बात करेंगे। प्रवर समिति कानून बनाने का एक अभिन्न अंग है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि 2011 को आपने मानक बनाया है वह आपने खुद पढ़ा अपने उद्देश्य और कारणों में, 2011 की जगह 2021, को मानक बनायें तो यह बेहतर होगा। दूसरा जो सक्षम अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी हैं। उसको आपने स्पष्ट नहीं किया कि यह कौन होगा। इसमें यह कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं पर भी संदेह न रहे इसलिए आप स्पष्ट कर देते कि सक्षम अधिकारी और प्राधिकारी में किसके पास जायेगा।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

हम यह कह रहे हैं कि उसको निर्देशित कर सकते हैं और जो विनियमन बनायेंगे उनको अनुमोदित कर सकते हैं। रही बात 2011 की 2021 की वह जैसा आगे होगा। उसको सक्षम स्तर से चेंज कर लिया जायेगा। इस अधिनियम में पहले है न उस संशोधन को लाने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 तथा प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन)

(संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1962 में नई धाराओं 40 और 41 का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

"40–सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के सुचारू प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा।

विनियम बनाने की शक्ति

41–सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सक्षम प्राधिकारी के मामलों को प्रशासित करने के लिये इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली से संगत विनियम बना सकता है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021

पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 नीलकंठ तिवारी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त ही सम्भावनाओं का प्रदेश है। जिसके मूल आधार में हमारे विशिष्ट और वैशिष्ट्य को ग्रहण किये हुए हमारे आध्यात्मिक केन्द्र हैं। टूरिज्म के स्थल, हेरिटेज टूरिज्म के स्थल हमारे सांस्कृतिक केन्द्र हैं, स्वतन्त्रता से जुड़े हुए केन्द्र हैं। किसी कारणवश हमारे आध्यात्मिक स्थलों पर वर्ष 2017 के पूर्व लोगों ने ध्यान नहीं दिया, विचार नही किया। पर्यटन विकास की दृष्टि से उस पर काम नहीं

किये गये, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद 700 से ज्यादा ऐसे आध्यात्मिक स्थलों के पर्यटन के विकास के कार्य इस समय प्रचलित हैं जिन स्थलों पर लोग हजारों-हजार की संख्या में जाते हैं। वर्ष 2017 में ही ब्रज क्षेत्र के विकास को ले करके परिषद् का गठन किया गया। मुझे आपकी अनुमति से सदन को यह बताने में बहुत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति होती है कि 300 से ज्यादा पर्यटन के स्थल जिसमें दो ताज वाले एवं रसखान के दो मकबरे भी शामिल हैं ? इन पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है जहाँ लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य अयोध्या धाम का विकास, काशी विश्वनाथ धाम का विकास, नैमिष का विकास, देवीपाटन का विकास और अन्य-अन्य ऐसे आध्यात्मिक केन्द्रों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में चित्रकूट धाम के भी विकास का कार्य प्रचलित है। उस काम को ठीक से और अच्छे तरीके से और बढ़िया से चाहे वाल्मीकि जी का आश्रम हो, तुलसीदास जी का स्थल हो, माँ मन्दाकिनी का घाट हो, ऐसे सभी स्थलों को, सभी चीजों को एकीकृत करके एक साथ एक योजना बना करके विकसित किया जाय, इस भाव को ले करके आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह विकास परिषद् बनाया गया है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अच्छा विधेयक, माननीय मंत्री जी चित्रकूट धाम के विकास के लिए लाये हैं।

निश्चित रूप से सबकी मंशा हैं कि यह विकसित हो। मैं आपको इसमें दो सुझाव देना चाहता हूँ। प्रदेश में ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जिनको इसकी जरूरत है। विचारोपरान्त सम्यक् रूप से आप एक ऐसा विधेयक लाते, जिसमें सभी मंदिरों को उसमें रखा जाता। अगर आप सभी प्रस्तावित मंदिरों को इसमें शामिल कर लेंगे, तो उसमें सबका विकास होगा। हम चित्रकूट धाम, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् और काशी विश्वनाथ का भी विकास चाहते हैं। हम सम्यक् रूप से पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों के विकास की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोगों की जन-भावना कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई है। आज आप एक मंदिर लाएंगे, कल दूसरा

लाएंगे और परसों तीसरा लाएंगे। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा ऐक्ट बनाइये, जिसमें सभी मंदिरों का सम्यक् रूप से विकास/विस्तार कर सकें। आपका इको टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो या कोई अन्य टूरिज्म हो, उसमें सभी का सहयोग हो, तभी एक बेहतर विधेयक होगा। अगर एक-एक करके विधेयक लाएंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विधेयक नहीं होगा। एक 'अम्ब्रेला ऐक्ट' बना दीजिये। उसमें प्रदेश के सभी मंदिरों को अधिग्रहीत कर लीजिये। जब सरकार सभी का विकास करेगी, तो और अच्छा रहेगा।

डॉ0 नीलकंठ तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने जो विषय उठाया है, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 सदस्य के विधान सभा को में मा0 सदस्य के प्रस्ताव पर ही एक मंदिर का विकास हो रहा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

इसीलिए तो आपको बधाई दे रहा हूँ।

डॉ0 नीलकंठ तिवारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य ने अभी एक बात कही है कि सरकार उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों को अधिग्रहीत कर ले। यह हमारी परम्परा नहीं है। मंदिर समाज की चीज है। मंदिर की देख-रेख व्यवस्था समाज के द्वारा होनी चाहिए। हमारी यह सोच है कि मंदिर की अवस्थापना और सुविधाएं सर्वोच्च और वैश्विक स्तर की हों। आदरणीय योगी जी की शायद यही परिकल्पना है कि उन्होंने 'अयोध्या धाम' को विश्व की वैश्विक नगरी बनाने की परिकल्पना को लेकर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री चित्रकूट धाम विकास परिषद् को लाया गया है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी मंदिर सरकारी अधीनता में आए। मंदिर समाज की सम्पत्ति है और इस बारे में समाज के लोग चिन्ता करें और उसके पर्यटन की अच्छी सुविधाओं का विकास, सर्वोच्च सुविधाओं का विकास हम करें। मा0 सदस्य ने अभी जो भावना व्यक्त किया, तो उनको यह बात सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए कि पूरे प्रदेश के मंदिर सरकार के अधीन रहें। इस बात को उन्हें अपने घोषणा-पत्र में लाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-43 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2021

चित्रकूट की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला चित्रकूट के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को चित्रकूट क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला चित्रकूट के भीतर स्थित चित्रकूट क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "चित्रकूट क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला चित्रकूट के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(ङ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य चित्रकूट जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू-बद्ध चीजें या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या चित्रकूट क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(झ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या चित्रकूट जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके क्रियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ट) "योजना" का तात्पर्य श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ड) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ढ) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ण) "श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य चित्रकूट क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और चित्रकूट क्षेत्र की दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है;

अध्याय—दो

श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद

परिषद का गठन और निगमन

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे "श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद" के रूप में जाना जायेगा।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) जिला चित्रकूट के राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन का सदस्य, पदेन;

(घ) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त होंगे;

(ङ) सदस्य सह–संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ड) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ढ) आयुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट, पदेन;

(ण) जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, पदेन;

(त) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, पदेन;

(थ) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(द) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;

(ध) अध्यक्ष, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पदेन;

(न) कार्यपालक अधिकारी, चित्रकूट नगर पालिका परिषद, पदेन;

(प) राज्य के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पाँच प्रख्यात व्यक्ति, जो अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(फ) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (प) और (फ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का प्रशासनिक प्रधान होगा और परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित या संविदा पर लिये गये समस्त अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे।

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे।

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, पदेन;

(घ) सचिव, विशेष परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट, पदेन;

(ङ) कार्यपालक अधिकारी, चित्रकूट नगर पालिका परिषद पदेन;

(च) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, झांसी, पदेन;

(छ) चित्रकूट जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन;

(ज) कार्यपालक अभियंता, चित्रकूट–चित्रकूट विकास प्राधिकरण;

(झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, चित्रकूट, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (नगरीय एवं ग्रामीण), चित्रकूट, पदेन;

(ठ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम चित्रकूट, पदेन;

(ड) प्रभागीय वन अधिकारी, चित्रकूट, पदेन;

(ढ) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा, पदेन;

(ण) अधीक्षक पुरातत्वविद, लखनऊ, पदेन;

(त) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी, पदेन;

(थ) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) राज्य का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरण विद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ध) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(प) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(फ) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (थ),(द),(ध),(न),(प) और (फ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7-(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

8-परिषद का मुख्यालय चित्रकूट में होगा।

परिषद की बैठकें

9-परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10-नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिससे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11-परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12-परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो-तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्याय-तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13-परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:-

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, चित्रकूट की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण चित्रकूट क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) राज्य सरकार के नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14—परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) चित्रकूट क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रकमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा चित्रकूट की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त सांकेतिक प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) चित्रकूट क्षेत्र में नदियों और जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) चित्रकूट क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न धनधारकों—सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) चित्रकूट क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) चित्रकूट क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ सम्बीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया-कलापों में समन्वय करना।

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15-(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:—

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा कियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपे जायं।

2–जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनाओं की समामिलयता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16–(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे।

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें चित्रकूट क्षेत्र में विकास सम्बन्धी किया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा चित्रकूट की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात् :–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेयजल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) चित्रकूट क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17–उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18–(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी।

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी।

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19–उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20–(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू-उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो।

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझाओं पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21–(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा-स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22–(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय-व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की सम्भिलयता/समन्वय को सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय–पाँच

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को कियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री चित्रकूट धाम विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी :–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान;

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा :–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) चित्रकूट क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित्त योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) परिषद द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन उक्त योजना तथा परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु सहभागी विभागों और कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्ही अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा–परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार,–

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में हो; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वही होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम, के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे कियान्वित करने के पश्चात् चित्रकूट क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय-समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34–(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35–(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकमत 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद की निधियों से वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होंगे।

प्रत्यायोजन

36–परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जावेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37–इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38–परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2)पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं; अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा(4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं; अर्थात् :—

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तदनुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुर्नगठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-43 तथा प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 नीलकंठ तिवारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद्, विधेयक, 2021

पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 नीलकंठ तिवारी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 विचार के लिए है सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्री संजय गर्ग–

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने नया विधेयक विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् को रखने का काम किया यह अपने आप में प्रतीत हो रहा है कि यह जल्दबाजी

में तमाम विधेयक लाए जा रहे हैं। पहले विधेयक की जो सामग्री दी गयी थी वह चित्रकूट धाम की थी, परंतु उसमें अंकित विन्ध्य धाम किया गया था। तीर्थ विकास परिषद् और इस तरह जल्दबाजी में यह तमाम सामग्री हम लोगों को दी जा रही है आप जितने भी इस तरह के रिलीजन टूरिज्म परिषद् बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो इससे पहले प्राथमिकता के आधार पर हो जाने चाहिए। मैं सहारनपुर से आता हूँ, तो माँ शाकुम्भरी देवी ट्रस्ट आपके लिए समान है और लोग बात कर रहे थे कि लोग शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे आज यात्रा शुरू करते हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि शुरुआत पहले माँ शाकुम्भरी देवी के तीर्थ ट्रस्ट को बनाकर होगी जोकि वहां के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है और पूरे भारत के लोग वहां जाकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। परंतु तमाम चीजों के साथ-साथ निश्चित रूप से जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत एक इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं देने का मकसद हम सबका है कि हम सब कैसे लोगों को इस तरह की सुविधाएं दे सकें। इको टूरिज्म में या रिलिजन टूरिज्म में जिससे दूसरे लोग आकर्षित हो सकें। माँ शाकुम्भरी जाने का रास्ता ही ऐसा है कि अभी हाल ही में बड़ी-बड़ी गाड़ियां उसमें बह गईं। ना जाने कितने तीर्थ यात्रियों को उसमें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तो यह प्राथमिकताएं तय हो जानी चाहिए थी। विन्ध्य धाम आपने अपने हिसाब से ले लिया, परंतु माँ शाकुम्भरी देवी का भी महत्व उससे कम नहीं है। उसी के साथ-साथ इन तमाम चीजों पर एक समग्र चर्चा हो जाती और चर्चा होने के बाद एक कैनोपी के रूप में यह विधेयक आने की बात होती तो निश्चित रूप से इसमें आपकी सरकार की नीयत साफ दिखती कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। इस तरह से विधेयक को लाना और जल्दबाजी में लाना सुबह के समय इसकी उपस्थिति तय कराना और शाम को इसे पारित करा देना। इसको स्वतंत्र वातावरण में पूरी तरह से समय देकर चर्चा करके सदन की राय लेनी चाहिए थी। तो इसमें मैं नहीं समझता इस पर कोई जल्दबाजी की जरूरत है। मेरा एक अनुग्रह है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें प्रवर समिति इस पर एक महीना चर्चा करे और चर्चा करने के बाद उन सुझावों को शामिल करके इसे विधेयक के रूप में पेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

आदरणीय योगी जी की सरकार है यहां पर किसी भी आस्था के केन्द की विकास के परियोजनाओं को पेंडिंग में नहीं डाला जाता। त्वरित और तत्काल उस पर कार्यवाही होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, माँ विंध्यवासिनी धाम का पर्यटन विकास हमको लगता है कि विपक्ष से आदरणीय हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष जरूर गये होंगे माँ विध्यवासिनी धाम इधर एक दो महीने में, क्योंकि वह बहुत ही आस्तिक व्यक्ति हैं। उज्जवल जी भी गये हैं, यह सभी लोग गये हैं, क्या स्वरूप अभी बन चुका है, जरूर देखकर आये होंगे। आदरणीय योगी जी की सरकार प्रत्येक क्षण विकास के निर्णय लेती है और आस्था के केन्द्रों को विकसित करने की

जितनी भी योजनायें हैं सभी योजनायें पूरे प्रदेश में चल रही हैं। माननीय सदस्य जिस बात को हमारे ध्यान में लाये हैं, हमको लगता है कि उनके पास पहले भी अवसर था, इधर भी अवसर लगातार थे और अभी भी अवसर है। शायद उन्होंने मिल करके एक और उस बारे में चर्चा की होती या कहा होता तो जरूर उस पर कार्यवाही होती, लेकिन न तो उन्होंने जब उनकी सरकार थी तब किया, न तो इतने दिनों में कभी उन्होंने प्रयास किया। आज जब एक अच्छा काम होने जा रहा है तो उस पर यह कि हमको विरोध करना है केवल विरोध करना है यह भाव लेकर उनके द्वारा यह विषय उठाया गया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह सब विषय विकास के विषय में व्यवधान न उत्पन्न करते हुए एक बार विकास की गति को और आस्था के केन्द्रों को विकसित होने दिया जाए।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक लाया गया है। पक्ष-विपक्ष में बाकायदा चर्चा हो जाए फिर उसे और ज्यादा बेहतर बना लिया जाए। इस आशय के साथ हमने सुझाव दिया है। अब सुझाव मानना न मानना माननीय मंत्री के अधिकार में है। अब अगर अधिनायकवादी रवैया ही अपनायें तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य संजय जी आपको माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप उनसे मिल लें। अब आप बैठ जायें।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को अपने माननीय सदस्य संजय जी से जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द इसलिए भी कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जनपद-बिजनौर में भी विदुर कुटी नाम से कितनी व्याख्यात और कितनी पवित्र जगह है और महाभारतकाल में उसकी व्याख्या की गयी, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसी तरह के सभी भव्य स्थलों को, तीर्थ स्थलों को अगर जोड़ दिया जाए, सबका एक संशोधन ले आया जाए तो उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

डॉ0 नीलकंठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इस चर्चा के माध्यम से उस विषय को लाना चाहते हैं जो उनके क्षेत्र में पर्यटन विकास के क्षेत्र में है।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपसे मिल लेंगे आप इनकी बात को समझ लीजियेगा।

डॉ0 नीलकंठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सुन लिया है। महाभारत सर्किट में उस स्थल को लिया जा चुका है। केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ तथा स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-43 तक प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2021

विन्ध्याचल की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला मिर्जापुर के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को विन्ध्याचल क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह विधेयक उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मिर्जापुर के भीतर स्थित विन्ध्याचल क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(ग) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(घ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य मिर्जापुर जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(ङ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुक्रियाएं और भू-बद्ध चीजें या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(च)"स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या विन्ध्याचल क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ज) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(झ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या मिर्जापुर जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके क्रियाकलाप, परिषद से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ञ) "योजना" का तात्पर्य विन्ध्याचल क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और विन्ध्याचल क्षेत्र की दोनों मूर्त एवं अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी विन्ध्य धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ट) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ठ) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ड) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा-41 के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ढ) "विन्ध्याचल क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला मिर्जापुर के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है।

अध्याय—दो

विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद

परिषद का गठन और निगमन

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे "विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद" के रूप में जाना जायेगा।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

3–परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष–मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) जिला मिर्जापुर के राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन का सदस्य, पदेन;

(घ) कार्यपालक उपाध्यक्ष,जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त होंगे।

(ङ) सदस्य सह–संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ड) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ढ) आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर,पदेन;

(ण) जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर,पदेन;

(त) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, पदेन;

(थ) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश,पदेन;

(द) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;

(ध) उपाध्यक्ष, मिर्जापुर–विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर,पदेन;

(न)कार्यपालक अधिकारी, विन्ध्याचल नगर पालिका परिषद, पदेन;

(प) विन्ध्याचल क्षेत्र के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसी पाँच प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जावेंगे;

(फ) दस करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (प) और (फ) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्यपालक उपाध्यक्ष ऐसे विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से समाविष्ट परिषद के सदस्य हों, के परामर्श से एक प्राविधिक दल गठित करेगा। उक्त दल परिषद द्वारा किये गये कार्यों का समय–समय पर परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट कार्यपालक उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(3) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद का अधिकारी होगा और परिषद द्वारा नियुक्त समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे।

(5) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी।-कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे।

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) पुलिस अधीक्षक, विन्ध्याचल, पदेन;

(घ) उपाध्यक्ष, मिर्जापुर, विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण,मिर्जापुर, पदेन;

(ङ) कार्यपालक अधिकारी, विन्ध्याचल नगर पालिका परिषद पदेन;

(च) राह योजनाकार, नगर और ग्राम नियोजन, वाराणसी, पदेन;

(छ) मिर्जापुर जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन;

(ज) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, मिर्जापुर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम (नगरीय एवं ग्रामीण), मिर्जापुर, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम मिर्जापुर, पदेन;

(ठ) प्रभागीय वन अधिकारी, मिर्जापुर, पदेन;

(ड) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, पदेन;

(ढ) अधीक्षक पुरातत्वविद, वाराणसी, पदेन;

(ण) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी, पदेन;

(त) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(थ) विन्ध्याचल क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरण विद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) विन्ध्याचल क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ध) विन्ध्याचल क्षेत्र का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(प) दो प्रख्यात लोक प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ब),(द),(घ),(न),(प),(फ) और (ब) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

8–परिषद का मुख्यालय निर्जापुर में होगा।

परिषद की बैठकें

9–परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

10–नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिससे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

11–परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

12–परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति कुल आधे सदस्यों से होगी।

अध्याय–तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13–परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:–

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, विन्ध्यांचल की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन के प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण विन्ध्याचल क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14–परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) योजना तैयार करना;

(ख) किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) विन्ध्याचल क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रकल्पों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की व्यवस्था निर्धारित करने तथा विन्ध्याचल की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) विन्ध्याचल क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) विन्ध्याचल क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को साझा करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों–सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) विन्ध्याचल क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन, कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) विन्ध्याचल क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया–कलापों में समनय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15–(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके कियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी कियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा कियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपे जायं।

(2) जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनाओं की सम्भिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16–(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे।

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें विन्ध्याचल क्षेत्र में विकास सम्बन्धी किया–कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका विन्ध्याचल क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा विन्ध्याचल की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू–उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेयजल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) विन्ध्याचल क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथा विहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी।

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20—(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू-उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो।

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संशोधित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा–स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानो वह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानो वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22–(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय–व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित् करना होगा।

अध्याय–पाँच

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान, अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को कियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे विन्ध्य धाम विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी:–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि; और

(ग) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित् किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा:–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) विन्ध्याचल क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित् योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) परिषद द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन विन्ध्य धाम योजना तथा परियोजनाओं के कियान्वय हेतु सहभागी विभाग और कियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्ही अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

आय–व्ययक

25–परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय–व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

26–परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के किया–कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

लेखा और लेखा–परीक्षा

27–(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा–परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा–परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा–परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार,–

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) यथास्थिति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हो; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय;

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निर्देशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय–छः

भूमि का अधिग्रहण और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29–(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् विन्ध्याचल क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने कि लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नहीं है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय-समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के सम्यक प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के ऊपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षता पूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, परिषद की निधि से ऐसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाय।

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, अपने सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियमावली बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तदधीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्:—

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तदानुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से–

(क) समस्त सम्पतियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये किन्ही कार्य को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पतियों, निधियों और देयों को वसूल करने के प्रयोजनार्थ परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

खण्डशः विचार

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-43 तक प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

डॉ0 नीलकंठ तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार करने का मैं निवेदन कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एकल कैम्पस का प्राविधान है।

अर्थात् निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने मुख्य परिसर के अतिरिक्त कोई अन्य ऑफ कैम्पस केन्द्र स्थापित करने हेतु उक्त अधिनियम में कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है। ये निजी विश्वविद्यालय जिसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधायें होंगी। आपवादिक परिस्थितियों में अपना मुख्य परिसर विकसित करने के पश्चात् व अपने अस्तित्व में आने के 05 वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय कुछ शर्तों के अंतर्गत ये दूरस्थ परिसर केन्द्र इस अधिनियम के बाद खोल सकेंगे। इन दूरस्थ केन्द्रों के समग्र कार्य निष्पादन का वार्षिक अनुश्रवण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नत हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे। अगर इन केन्द्रों की कार्य-प्रणाली असन्तोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों के बंद करने के लिए अनुदेश दिया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा। इन परिस्थितियों में जो वहाँ के नामांकित छात्र हैं, उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के अंतर्गत प्रदेश में ऐसे महाविद्यालय संचालित हैं, जिनके द्वारा महाविद्यालय की भूमि प्रायोजक संस्था द्वारा धारित न होकर महाविद्यालय द्वारा धारित है। ऐसी स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों, जिनके नाम मानक के अनुसार भूमि एवं अन्य मानक पूर्ण हैं, उनके द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने में एक विधिक कठिनाई आती है और ऐसी भूमि महाविद्यालय द्वारा धारित होने के कारण ये प्रायोजक संस्था द्वारा महाविद्यालय के नाम चिन्हित भूमि को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में जो बाधा बन करके आता है, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के संशोधन के माध्यम से धारा-3 की उपधारा-ख में यह प्राविधान किया जा रहा है कि ऐसी भूमि जो महाविद्यालय के नाम है, को विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था द्वारा धारित माना जायेगा तथा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्राविधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक संस्था द्वारा धारित माना जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक संशोधन इसमें और जोड़ा है कि अधिनियम की धारा-34 में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियाँ कार्य-परिषद् द्वारा बनायी जायेंगी और राज्य सरकार

को उनका अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता है। परन्तु इस संशोधन के साथ उक्त प्राविधान को संशोधित करके निजी विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गयी प्रथम परिनियमावली को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और विश्वविद्यालयों को परिनियम बनाने में स्वायत्तता प्राप्त हो जायेगी।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं इस अधिनियम का स्वागत करता हूँ। स्वागत करने की वजह यह है कि मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारा प्रदेश है इस देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और हम सब जानते हैं कि आबादी के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है।

लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

इसकी वजह यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जल्दबाजी में इसको पास करायेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें छूट जायेंगी। मंशा सही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज को लेकर जैसा आपने उद्देश्य और कारण में लिखा है कि आप चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में विश्वविद्यालय कायम हो जाये। बहुत अच्छी मंशा है, यह होना चाहिए। उन देशों ने सबसे ज्यादा तरक्की की है जहाँ लिटरेसी रेट, एजुकेशन का रेट ज्यादा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तालीम इंसान, जिन्दगी की सबसे पहली सीढ़ी होती है। बिना एजुकेशन के कभी हम परिपक्व नहीं हो सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए विश्वविद्यालय की जमीनों की भी रिक्वायरमेंट है कि जितना हमें विश्वविद्यालय को डेवलप करने के लिए जमीन चाहिए, आबादी के प्रेशर से उतनी जमीनें भी नहीं मिल पा रही हैं और कई बार बहुत से ऐसे प्राइवेट्स लोग हैं जो विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं और वह धन भी इकट्ठा कर सकते हैं चंदा मांगकर चाहे अपने रिर्सोसेज से मगर जमीन अवलेबल ही नहीं है। अगर अवलेबल भी है तो वह दो पार्ट में है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ इसलिए इस बात को कह रहा था कि इसको प्रवर समिति को सौंप दें कोई बहुत परेशानी नहीं हो जाएगी कि अगर एक महीने इस पर विचार हो जाए और एक डिटेल रिपोर्ट इस पर बन जाए कि हम यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मुमकिन हो तो जमीन की रिक्वायरमेंट को भी कम कर दें और चाहे इसको बिल्ट अप एरिये से भी जोड़ दें। बिल्ट अप एरिये का आशय यह है कि हमको विश्वविद्यालय में कितनी बिल्डिंगें, कितना कमरा, कितना कांस्ट्रेक्टेड पोर्शन चाहिए। अगर हमारे पास ग्राउंड की कमी है, जमीन की कमी है तो हम उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल यह आपको करना ही पड़ेगा यह हम सब लोगों को जान लेना चाहिए। आज अमरीका में चले जाइए कहीं और देशों में चले

जाइए तो आज बीस-बीस, पचास-पचास मंजिलों की बिल्डिंगें बन रही हैं तो हम आज चाहे न करें मगर आप लोग इसको आने वाले दिनों में देखेंगे कि आज नहीं तो कल यह विधेयक आप लाना ही पड़ेगा कि अब अगर हमारे पास जमीनें कम हो रही हैं जैसे मेडिकल है मेडिकल में हम कहते हैं कि 20 एकड़ हमें चाहिए, अभी एक संशोधन चल रहा है कि 10 एकड़ में भी उसको कर लें, लेकिन 20 एकड़ भी बहुत ज्यादा है। अगर उसको हम कम कर सकें और उसको बिल्ट अप एरिये में जोड़ सकें या दूरी को बढ़ा भी सकें जैसे 10 किलोमीटर होता है, तो हम उसको अप्रूवल देंगे। एक अच्छी मंशा से मैं यह प्रस्ताव दे रहा हूँ। मेरी यह बिल्कुल नीयत नहीं है कि सरकार के किसी काम में बाधा डालें। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि इस पर डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से गौर हो जाए और अगर प्रवर समिति में जाता है। उसमें माननीय सदस्य बैठकर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं और इन सारे बिन्दुओं पर कि जमीन कितनी होनी चाहिए। अगर हमारे पास बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जमीन कम हो रही है तो हम उसको बिल्ट अप एरिये से जोड़ लें, उसकी हाइट बढ़ा लें, इस तरह से करके अगर एक डिटेल रिपोर्ट बन जाए तो मेरा ख्याल है यह ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 में, —

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(गक) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 'सम्बद्ध' अथवा 'सहयुक्त' महाविद्यालय से है;

(गख) 'परिषद्' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है;"

(ख) खण्ड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

(नक) "परिसर दूरस्थ केन्द्र" का तात्पर्य निजी विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर के बाहर राज्य के भीतर स्थापित निजी विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है जो उसके घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित है, जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय तथा कर्मचारिवृंद हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम में, धारा 3 के खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण** : प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रायोजक निकाय द्वारा सम्यक रूप से धारित की गयी मानी जायेगी।"

नयी धारा 7(क) का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम में, धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"7(क) कोई निजी विश्वविद्यालय ऐकिक विश्वविद्यालय होगा, जिसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी तथापि आपवादिक परिस्थितियों में अपना मुख्य परिसर विकसित करने के पश्चात् और अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन परिसर दूरस्थ केन्द्र खोलने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है :—

(क) 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित किये जायेंगे। प्रायोजक निकाय उच्च शैक्षिक संस्थान या राज्य में 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' के लिये केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रतिमानों के सम्यक् अनुरूप होगा।

(ख) परिसर दूरस्थ केन्द्र (केन्द्रों) के समग्र कार्य निष्पादन का वार्षिक अनुश्रवण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे।

(ग) उक्त केन्द्र/संस्थान निजी विश्वविद्यालय के घटक इकाई होंगे। तथापि निजी विश्वविद्यालय के पास उन्हें सम्बद्ध करने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) यदि उक्त केन्द्र (केन्द्रों) की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्र (केन्द्रों) को बन्द करने के लिये अनुदेश दिया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में उससे पहले से नामांकित छात्रों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।

धारा 34 का संशोधन

5–मूल अधिनियम में, धारा 34 की उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली, कार्यपरिषद् द्वारा बनायी और अनुमोदित की जायेगी।

(2) यथोक्त प्रथम परिनियमावली, विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के छः माह के भीतर सूचनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तथा प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्रीमती नीलिमा कटियार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव कर रही हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

[06:14] उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन विधेयक, 2021

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुजा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, 15वें वित्तीय आयोग की एक रिकमण्डेशन थी कि हम अपने फाइनेंसियल डेफिसिट को बैलेंस रखें किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति न पैदा हो क्योंकि एफ0आर0बी0एम0 की लिमिट हमारी अभी तक 3 प्रतिशत थी पिछले वर्ष कोरोना के काल में चूंकि आर्थिक गतिविधियाँ स्लो हुई थीं इसलिए इसको बढ़ाकर उन्होंने पाँच प्रतिशत किया था लेकिन इसमें स्टेबिल्टी लाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने इसमें राय दी थी इसलिए हम यह संशोधन लाए है इसमें खास तौर से पाँच साल के लिए हमारा एफ0आर0बी0एम0 की लिमिट क्या हो यह बताया गया है। 21-22 में चार प्रतिशत 22-23 में 3.5 प्रतिशत 23-24 में 3 प्रतिशत 24-25 में 3 प्रतिशत तथा 25-26 में 3 प्रतिशत इसमें 0.50 का इजाफा हो सकता है अगर हम विद्युत के सुधार के कुछ विषय लागू करें। विद्युत सुधार अगर लागू करें तो 0.50 का और इजाफा हो सकता है। यानि 21-22 में जो हमको 4 प्रतिशत की लिमिट मिल रही है उसके स्थान पर साढ़े चार प्रतिशत हो सकती है। यह जो विद्युत का सुधार है इसको भी उन्होंने क्लैरीफाई किया है खासतौर से कि हम विद्युत की चोरी रोकें वास्तव में जो रियल कंजम्पसन है रियल जो कन्फ्यूमर है उसी के आधार पर तय करें। ओवर आल हमारा फाइनेंसियल स्टेटमेंट भी सही हो इफीसिएंसी बढ़ाएं लाइनलास कम करें इसके लिए अलग-अलग उन्होंने मार्किंग लिखी है। विद्युत सुधार होगा तो हम अपनी एफ0आर0बी0एम0 की लिमिट साढ़े चार प्रतिशत अवेल कर सकते हैं वरना 21-22 का जो करेंट इयर है उसमें चार प्रतिशत और जिस प्रकार से हमने बताया कि इस पाँच साल में हम 21-22 से लेकर 25-26 तक हमारी एफ0आर0बी0एम0 की लिमिट क्या हो इसके लिए हम संशोधन लाए हैं कि स्टेबिल्टी रहे। मैं समझता हूँ कि इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है वैसे हम इसका स्वागत करेंगे।

श्री संजय गर्ग-

अधिष्ठाता महोदय, मै आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। यह अपने आप में बहुत ही गम्भीर वित्तीय अनुशासन का विधेयक है, मैं समझता हूँ कि इसे बड़ी गम्भीरता के साथ चिन्तन में सभी लोगों का सहयोग लेकर अगर इसे बनाया जाता तो शायद उसके बेहतर परिणाम हमारे सामने आते। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और सभी के द्वारा कोरोना की तृतीय लहर की आशंका की जा रही है ऐसे में डब्लू0एच0ओ0 और तमाम संस्थाओं के द्वारा जो आशंका की जा रही है ऐसे में हम प्रदेशीय स्तर पर अपने वित्तीय अनुशासन को बनाने के लिए समयानुकूल तरीके से जनता को राहत पहुँचाने के लिए किस तरह से अपने वित्तीय अनुशासन को बरकरार रख सकें यह बहुत ही अपने आप में चिन्ता का विषय है।

हालांकि 15वें वित्त आयोग ने और केन्द्र सरकार ने जो संस्तुति की है उसके अनुरूप आपने इस विधेयक को बनाने की चेष्टा की है। परन्तु उसके बावजूद अगर विपक्ष के समस्त विधायकों की राय मशविरा कर ली जाती तो निश्चित रूप से वह सामना जो हम इसके पहले कर चुके हैं हमने देखा है किस तरह से 2020-21 के अप्रैल-जून की तिमाही में 23.9 फीसदी तक की जी0डी0पी0 में गिरावट आई जबकि उससे पहले जनवरी-मार्च में 3.1 फीसदी की इसमें वृद्धि थी उसी तरह से पिछले वर्ष इसी कार्यकाल में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि थी आने वाली जो तीसरी लहर है उसकी गम्भीरता कितनी होगी इस बात को जानने के बावजूद कि पहले सत्र के बाद आक्सीजन के अभाव में जो कुछ हुआ जो निर्णय 8-9 महीने में होने चाहिए थे, जिस तरह की राहत उसके बाद लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वह राहत उस तरह से नहीं पहुँच पाई। इन तमाम चीजों के ऊपर आगे आने वाले खतरे किस तरह से होंगे यह अभी भविष्य के गर्त में है ऐसे में बहुत जल्दबाजी में विधेयक को ले आना जबकि बहुत सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो बहुत सारे विभाग इस बात के लिए रह गए कि वहाँ सेवेन्थ पे कमीशन का लाभ नहीं मिला। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो डिस्किशनरी पेंडिंग हैं उसकी स्थिति इस समय बहुत कमजोर है इन तमाम स्थितियों पर हम विचार कर सकें इस बात के लिए जरूरी है कि जो 15वें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए उन्हें दिमाग में रखते हुए एक राय-मशवरा समग्र स्तर से ले लिया जाय। सभी लोग उसमें अपना विचार दे दें तो एक समग्र रूप में आप उसमें संशोधन कर पायेंगे, वह और ज्यादा बेहतर होगा और पूरे प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को बरकरार रखने में और ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को अगर हम प्रवर समिति को सौंप दें, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। अभी लेखा अनुदान आने में भी समय है हम इसे एक महीने के अन्दर उन संस्तुतियों के बाद फिर विधेयक का रूप ले लेंगे और इसे पारित करा देंगे, वह ज्यादा बेहतर होगा। इसकी गम्भीरता को देखते हुए अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें वह पूरी चर्चा करे, उसके तमाम पॉजिटिव निगेटिव प्वाइन्ट्स पर बात हो और आगे आने वाले भविष्य के खतरों को भी उसका आभास बना लिया जाय। 5 प्रतिशत पहले किया गया उसके बाद हमने उसे कम करके आंकलन करने की कोशिश की है, परन्तु किसी भी रूप में उसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है। चूँकि जो पैनडेमिक के खतरे हैं आगे आने वाले दौर में जिस तरह के खतरे हमें झेलने पड़ेंगे उन तमाम स्थितियों का आंकलन भी हम सबको करना होगा। ऐसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का आंकलन करते हुए विधेयक का रूप लें, प्रवर समिति में उसमें चर्चा हो और उसके बाद उसे अगर कारगर ढंग से पेश करने की बात हो तो वह और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे वित्तीय अनुशासन को बनाने में कारगर सिद्ध होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, फाइनेन्सियल डिसिपिलिन को मेनटेन करना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमने किया भी है। हमने बहुत से गैर जरूरी खर्चे कम किए हैं और मितव्यता भी बरती है, हर स्तर पर मितव्ययता बरती गयी है और हमारी कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से हम एफ0आर0बी0एम0 की जो लिमिट सीमा है उसके अन्दर रहें। आय को बढ़ायेंगे और भी अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी खर्चे इस प्रकार के हैं, जिसकी हम कटौती कर सकते हैं, उसकी कटौती करेंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारी एफ0आर0बी0एम0 की गाइडलाइन्स है उसको मेनटेन रखने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध
(संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अनिधियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) वर्ष 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः चार प्रतिशत, साढ़े तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी :

परन्तु यह कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदंड के आधार पर वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा, उपलब्ध होगी ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय सदस्यों के लिए सेन्ट्रल हॉल में जलपान की व्यवस्था

श्री अधिष्ठाता–

पूरी कार्यवाही सम्पन्न हुई, इसके लिए आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ और सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि कैन्टीन में आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, आप सब लोग उसे ग्रहण करने की कृपा करें। अब हम लोग कल 11:00 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 06 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 18 अगस्त, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)
(तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-12 पर देखिये)

उ0प्र0 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में हस्तानान्तरित मार्गों की सूची

लोक निर्माण विभाग

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4
1	कानपुर नगर	बिठूर से खेरेश्वर मार्ग	15.650
2	बलरामपुर	उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर से विजय नगर मार्ग	21.150
3	लखनऊ	गंगागंज से नगराम मार्ग	12.000
4	फिरोजाबाद	मुरलीपरवाद से एका अछनाड मार्ग	8.500
5	हाथरस	सासनी से अकराबाद मार्ग	9.225
6	गौतमबुद्ध नगर	रबुपुरा जेवर मार्ग से झाझर जेवर मार्ग किमी0-0 दायां सकदीरपुर बीरमपुर मार्ग	1.450
		अलीगढ टप्पल जेवर दाया झुण्डा-II (काला झुण्डा) मार्ग	5.900
		नकनपुर खादर से अनवरगढ लखीपुर बीगर भाईपुर मार्ग	2.750
7	सहारनपुर	सलौली से खुम्बा कलां (यमुना बन्धा) मार्ग	23.030
8	शाहजहांपुर	कटरा खुदागंज(टी-01) से भुड़ा हरबन्तपुर किमी0 0.000 से 8.000	8.000
		कटरा खुदागंज(टी-01) से भुड़ा हरबन्तपुर किमी0 8.000 से 18.000	10.000
		तिलहर(टी-04) से जैतीपुर किमी0 0.000 से 8.000	8.000
		तिलहर(टी-04) से जैतीपुर किमी0 8.000 से 16.890	8.890
		तिलहर(टी-04) से जैतीपुर किमी0 0.000 से 3.300	3.300
9	आजमगढ़	कप्तानगंज से महराजगंज मार्ग किमी0 0.00 से 8.80	8.800
		देवगांव कंराकत से कंराकत मार्ग किमी0 0.00 से 4.00	4.000
		रानीपुर से तिरसा मार्ग किमी0 0.00 से 10.500	10.500
10	गोरखपुर	पिपराईच से हाटा मार्ग लम्बाई किमी0 0.00 से 3.100	3.100
		सिकरीगंज बेलघाट से लोहरैया मार्ग किमी0 0.00 से 10.500	3.100
11	प्रतापगढ़	एसएच0 मार्ग किमी0 188 से सोखपुर मार्ग लम्बाई 7.00 किमी0	7.000
12	सुलतानपुर	लम्भुआ नवघे मार्ग लम्बाई 13.00 किमी0	13.000
		लम्भुआ जमखुरी मार्ग लम्बाई 10.50 किमी0	10.500
		खाईपुर से अखण्डनगर लम्बाई 22.40 किमी0	22.400
13	मिर्जापुर	बीरजापुर भटौली से जौसरा मार्ग	4.650

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

1	बाँदा	तिन्दवारी-पयरेण्डा-पैलानी मार्ग से सलही दाया खटिहा कलाँ मार्ग (पैकेज सं0- यूपी-1285)	10.300
2	बाराबंकी	फतेहपुर से रामनगर पार्ट-1 (पैकेज सं0 यू0पी0-1355)	9.780
		फतेहपुर से रामनगर पार्ट-2 (पैकेज संख्या-यूपी 1356)	11.340
		कड़ाकापुर रोड से कनसा कला (पैकेज संख्या-यूपी 1320वीं)	2.580
3	बस्ती	बाल्टरगंज से गौर (पैकेज संख्या-यूपी 1557)	9.750
4	बुलन्दशहर	पहासू से दानपुर दाया बनगुरी (पैकेज संख्या-यूपी 1721)	13.500
5	फीरोजाबाद	दुलवापुर उमापुर मार्ग से सैदपुर टी-02 (पै0-0.00 से 11.730 किमी) (पैकेज संख्या-यूपी 13139)	11.730
		दुलवापुर उमापुर मार्ग से सैदपुर टी-02 (पै0-0.00 से 10.000 किमी) (पैकेज संख्या-यूपी 13141)	10.000
		दुलवापुर उमापुर मार्ग से सैदपुर टी-02 (पै0-10.00 से 19.000 किमी) (पैकेज संख्या-यूपी 13142)	9.000
		मवई पटरंगा मार्ग (पै0- 0.00 से 5.00 किमी) (पैकेज संख्या-यूपी 2370)	5.000
6	फर्रुखाबाद	छम्दी खुर्रमा-उम्मरपुर रोड से हदीदादपुर खेई (पैकेज संख्या-यूपी 2457)	0.850

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0 में)
7	गोण्डा	महराजगंज आर्यनगर से करनैलगंज (कि0 18.00 किमी से 21.925 किमी) (पैकेज संख्या–यूपी 3062)	3.930
		महराजगंज आर्यनगर से करनैलगंज (कि0 00.00 किमी से 07.00 किमी) (पैकेज संख्या–यूपी 3060)	7.000
		महराजगंज आर्यनगर से करनैलगंज (कि0 07.00 किमी से 18.00 किमी) (पैकेज संख्या–यूपी 3061)	11.000
8	कासगंज	सहावर से सोरो (पैकेज संख्या–यूपी 2194)	9.500
9	ललितपुर	महरौनी से नाराहट रोड (कि0– 14.15 से 22.15 किमी) (पैकेज सं0– यूपी– 4534)	8.000
		महरौनी से नाराहट रोड (कि0– 22.15 से 30.25 किमी) (पैकेज सं0– यूपी– 4535)	8.100
		महरौनी से कारीटौरन डाया सौजना रोड (पैकेज सं0– यूपी– 4540)	8.700
10	मुज्जफरनगर	टी0–3 से बलवाखेडी मार्ग (पैकेज सं0– यूपी– 5549)	6.200
11	रामपुर	एन0एच0–87 किमी0–35 से अली नगर कोटा (पैकेज सं0– यूपी– 5961)	3.530
12	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज से चन्द्रदीपघाट (0.00 से 9.00 किमी) (पैकेज सं0– यूपी– 6569)	9.000
		डुमरियागंज से चन्द्रदीपघाट (9.00 से 17.10 किमी) (पैकेज सं0– यूपी– 6570)	8.100
		नौगढ़ बर्डपुर मार्ग से महावारी। (पैकेज सं0– यूपी– 6577)	7.300
13	उन्नाव	मौरावां से बिहार (पैकेज सं0– यूपी– 69100)	7.000
		बिहार से बरूवा (पैकेज सं0– यूपी– 69101)	11.000
		पुरवा से सोहरामऊ पार्ट–1 (पैकेज सं0– यूपी– 69104)	9.450
		पुरवा से सोहरामऊ पार्ट–2 (पैकेज सं0– यूपी– 69105)	9.450

(बी0एस0 रावत)
मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल
लो0नि0वि0, लखनऊ

नत्थी (ख)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-26 पर देखिये)

विधान सभा बडौरा के कार्यों की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	परिव्यय धनराशि (लाख में)	व्यय	वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि	वित्तीय प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		वर्ष 2017-18							
1	जिला योजना 16-17	ग्राम पंचैरिया मधुल से ग्राम भैसहा तक पक्का सडक कार्य	1.80	66.62	46.98	46.98	46.98	100%	कार्य पूर्ण/ राशियों का भुगतान शेष।
		कुल 1 कार्य	1.80	66.62	46.98	46.98	46.98	100%	
		प्रभारित खर्च, लोकधिधि, बागपत का शेष :-	1.80	66.62	46.98	46.98	46.98	100%	
		कुल 1 कार्य	1.80	66.62	46.98	46.98	46.98	100%	
1	गन्ना योजना 14-15	भैसहा मोड से राजपुर जागपुर होते हुए बडौत-कोताना मार्ग।	13.45	779.26	779.26	779.26	779.26	100%	
		कुल 1 कार्य	13.45	779.26	779.26	779.26	779.26	100%	
		प्रभारित खर्च, लोकधिधि, बागपत का शेष :-	13.45	779.26	779.26	779.26	779.26	100%	
		कुल 1 कार्य	13.45	779.26	779.26	779.26	779.26	100%	
1	राज्य सडक परियोजना 2014 16-17	बागपत से पिलोखुर्द मुजीत मार्ग।	6.00	187.90	123.89	123.89	123.89	100%	कार्य पूर्ण/ राशियों का भुगतान शेष।
		कुल 1 कार्य	6.00	187.90	123.89	123.89	123.89	100%	
		प्रभारित खर्च, लोकधिधि, बागपत का शेष :-	6.00	187.90	123.89	123.89	123.89	100%	
		कुल 1 कार्य	6.00	187.90	123.89	123.89	123.89	100%	
1	राज्य सि 17-18	हसनपुर खलावं से बोहा मार्ग	1.70	15.31	15.31	15.31	15.31	100%	
2	राज्य सि 17-18	खण्डपुर से सिसाना मार्ग	2.30	18.02	18.02	18.02	18.02	100%	
3	राज्य सि 17-18	पंचैरिया खुर्द से अलग सी और खण्डपुर से सीवा इस्लामपुर मार्ग	0.40	2.77	2.77	2.77	2.77	100%	
4	राज्य सि 17-18	बली इमरत कॉलेज से अहमदपुरली मार्ग	1.00	7.50	7.50	7.50	7.50	100%	
5	राज्य सि 17-18	सोईल पश्चिम सिसानगर मार्ग	1.50	13.11	13.11	13.11	13.11	100%	
6	राज्य सि 17-18	दूलैवी मार्ग से पिलोखुर्द मार्ग (अंतिमी रास्ता)	1.50	31.79	31.79	31.79	31.79	100%	
7	राज्य सि 17-18	सोईल खुर्द मुख से पश्चिम मार्ग	0.66	5.83	5.83	5.83	5.83	100%	
8	राज्य सि 17-18	सोईल खुर्द मुख से बनाखुर्द मार्ग	0.88	7.69	7.69	7.69	7.69	100%	
9	राज्य सि 17-18	सोहसी से पिलोखुर्द मार्ग के सम्पर्क मार्ग	0.25	11.52	11.52	11.52	11.52	100%	
10	राज्य सि 17-18	सिसाना से बनाखुर्द मार्ग	2.70	21.80	21.80	21.80	21.80	100%	
11	राज्य सि 17-18	बनाखुर्द से सुजात मार्ग	1.00	15.52	15.52	15.52	15.52	100%	
12	राज्य सि 17-18	बनाखुर्द से पिलोखुर्द मार्ग से आबादी भाग से पश्चिमी मार्ग व चकी का निर्माण।	0.50	20.51	20.51	20.51	20.51	100%	
13	राज्य सि 17-18	हसनपुर बलाना से दूलैवी से सिसाना मार्ग।	3.80	55.68	55.68	55.68	55.68	100%	
14	राज्य सि 17-18	पिलोखुर्द बनाखुर्द सीव से सिसाना पोलिसाना के बाल से पिलोखुर्द मार्ग	1.40	25.08	25.08	25.08	25.08	100%	
15	राज्य सि 17-18	सीवा मुजैत मार्ग का शेष भाग।	0.50	6.72	6.72	6.72	6.72	100%	
		कुल 15 कार्य	प्रभारित खर्च, लोकधिधि, बागपत का शेष :-	20.89	258.85	258.85	258.85	100%	

विधान सभा बडौत के कार्यो की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किलोमी0)	स्वीकृत लागत (लाख में)	आवंटन	अब तक कुल आवंटन	खर्च	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष मरम्मत	पीरु बडौत मार्ग किमी0 36 व 40 (प्रारम्भिमार्ग)	0.60	38.46	38.46	38.46	38.46	100%	
2	विशेष मरम्मत	सूलनगर–बुढाना–बडौत मार्ग (प्रारम्भिमार्ग) के किमी0 51 व 57 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.00	45.10	45.10	45.10	45.10	100%	
3	विशेष मरम्मत	बगडी बाईपास (रेहडी मार्ग)	1.90	100.46	100.46	100.46	100.46	100%	
4	विशेष मरम्मत	चौहलता सोरमिराण का सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य। (अतिरिक्त)	0.70	11.58	11.58	11.58	11.58	100%	
5	विशेष मरम्मत	इदरीसपुर साइफन से सिलसाडी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	1.50	12.90	12.90	12.90	12.90	100%	
6	विशेष मरम्मत	बडौत से इदरीसपुर साइफन की पटरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.20	12.91	12.91	12.91	12.91	100%	
7	विशेष मरम्मत	ग्राम इदरीसपुर साइफन की पटरी का शेष भाग मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.78	18.23	18.23	18.23	18.23	100%	
8	विशेष मरम्मत	ग्राम बडौत अमीनगर सराय मार्ग से जयराज इण्टर कालिज मार्ग से ग्राम–भराला मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	1.10	9.99	9.99	9.99	9.99	100%	
9	विशेष मरम्मत	ग्राम जानोली से शंकराचार्य मन्दिर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.20	15.13	15.13	15.13	15.13	100%	
10	विशेष मरम्मत	ग्राम कोताना से शबगा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.02	17.74	17.74	17.74	17.74	100%	
11	विशेष मरम्मत	ग्राम जिवाना प्याऊ से किठवाडा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.95	7.50	7.50	7.50	7.50	100%	
12	विशेष मरम्मत	ग्राम साजिदपुर नाले की पटरी की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.38	30.65	30.65	30.65	30.65	100%	
13	विशेष मरम्मत	ग्राम बरालला पश्चिम दिशा बाईपास मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य।	2.50	30.40	30.40	30.40	30.40	100%	
14	विशेष मरम्मत	सूलनगर–बुढाना–बडौत (प्रारम्भिमार्ग) कि किमी0 40 से 48 व 62(ADC) का एसआईबीसी0 द्वारा मशीनीकरण का कार्य।	9.80	186.78	186.78	186.78	186.78	100%	
15	विशेष मरम्मत	दिल्ली मवाणीवी मार्ग से बिकोडपुर मार्ग।	1.20	10.13	10.13	10.13	10.13	100%	
	कुल 15 मार्ग	निर्माण खण्ड, लोनिनिवि0 बागपत का योग :–	**30.83**	**547.96**	**547.96**	**547.96**	**547.96**	**100%**	
	कुल 30 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**50.93**	**806.81**	**806.81**	**806.81**	**806.81**	**100%**	
1	राज्यि मशीनीकरण	बली सिकाती मार्ग	1.50	14.66	14.96	14.96	14.96	100%	
2	राज्यि मशीनीकरण	ग्राम गढी से बिजरौली मार्ग।	2.00	15.66	15.33	15.33	15.33	100%	
3	राज्यि मशीनीकरण	सिरौलपुर चौपले से गढी मार्ग।	2.00	15.66	15.30	15.30	15.30	100%	
4	राज्यि मशीनीकरण	खासपुर से सूजरा मार्ग।	3.85	37.49	37.49	37.49	37.49	100%	
5	राज्यि मशीनीकरण	खोपडा से बुढैरा मार्ग।	4.00	38.95	38.95	38.95	38.95	100%	
	कुल 5 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि0, बागपत का योग :–	**13.35**	**122.42**	**122.03**	**122.03**	**122.03**	**100%**	
	कुल 5 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**13.35**	**122.42**	**122.03**	**122.03**	**122.03**	**100%**	
		वर्ष 2018–19							
1	राज्यनि 2018–19	बुढैरा धनौरा पुल से ग्यासीखेडा पुल मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.47	14.88	14.88	14.88	14.88	100%	
2	राज्यनि	बडौत अमीनगर सराय मार्ग किमी0 1–3 बीबीसी0 से मशीनीकरण का कार्य	3.00	69.50	69.50	69.50	40.00	100%	
3	राज्यनि	लोकडा रजवाहा सूजरा से सादुल्लापुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	0.25	4.40	4.40	4.40	0.00	100%	
	कुल 3 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि0, बागपत का योग :–	**4.72**	**88.78**	**88.78**	**88.78**	**54.88**	**100%**	

विधान सभा बडौत के कार्यो की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किलोमीटर)	स्वीकृत लागत (लाख में)	आवंटन	अब तक कुल आवंटन	व्यय	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष मरम्मत	नेहरू बाजारी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.40	3.75	3.75	3.75	3.75	100%	
2	विशेष मरम्मत	डिलवाडी लिंक मार्ग।	1.25	10.81	10.81	10.81	10.81	100%	
3	विशेष मरम्मत	बाजारी, छपरौली, नूनखेडी मार्ग।	0.50	5.50	5.50	5.50	5.50	100%	
4	विशेष मरम्मत	जाकिरपुर खेडी से छपरौला एवं सीत मार्ग।	1.60	16.55	16.55	16.55	16.55	100%	
5	विशेष मरम्मत	किठौरापुर से इदरीसपुर, आलमपुर मार्ग।	0.60	6.40	6.40	6.40	6.40	100%	
6	विशेष मरम्मत	जिलाना कार्यालय मार्ग।	1.00	9.97	9.97	9.97	9.97	100%	
7	विशेष मरम्मत	बिनौली अमीनगर सराय रोड से गावडी मार्ग।	0.67	6.48	6.48	6.48	6.48	100%	
8	विशेष मरम्मत	बडौत छोटाना मार्ग से बिकाना गांव तक	0.71	34.52	34.52	34.52	34.52	100%	
9	विशेष मरम्मत	लोधन भलवाडा से चौबाली होते हुये जानौस मार्ग।	0.30	11.83	11.83	11.83	11.83	100%	
10	विशेष मरम्मत	औरिक्का का सम्पर्क मार्ग।	0.77	6.33	6.33	6.33	6.33	100%	
	कुल 10 कार्य	निर्माण खण्ड, लोनिनिवि० बागपत का योग :–	**7.81**	**112.14**	**112.14**	**112.14**	**112.14**	**100%**	
	कुल 13 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**12.53**	**200.92**	**200.92**	**200.92**	**167.02**	**100%**	
1	राजकीय मरीनीकरण	बडौत अमीनगर सराय मार्ग किमी० 7–17	11.00	169.55	169.55	169.55	168.54	100%	
2	राजकीय मरीनीकरण	पोपडा बुढैरा रोड से कर्मखेरीपुर गढी मार्ग।	0.30	2.95	2.95	2.95	2.95	100%	
3	राजकीय मरीनीकरण	बागपत से सिरौजपुर मार्ग से सल्तीपुर मार्ग	1.45	14.29	14.29	14.29	14.29	100%	
4	राजकीय मरीनीकरण	डौला नहर की पटरी से सादुल्लापुर मार्ग।	0.60	5.91	5.91	5.91	5.91	100%	
	कुल 4 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि, बागपत का योग :–	**13.35**	**212.70**	**212.70**	**212.70**	**191.69**	**100%**	
1	मरीनीकरण	मेरठ बडौत मार्ग (प्रतिखा–34)	17.42	362.99	362.99	362.99	362.99	100%	
	कुल 1 कार्य	निर्माण खण्ड, लोनिनिवि० बागपत का योग :–	**17.42**	**362.99**	**362.99**	**362.99**	**362.99**	**100%**	
	कुल 5 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**30.77**	**575.69**	**575.69**	**575.69**	**554.68**	**100%**	
1	राज्य योजना	जनपद–बागपत में पत्नी से बिजरौली मार्ग के किमी०–02 में पूर्वी यमुना नहर पर लघु सेतु का निर्माण।	0.00	70.30	41.50	41.50	41.50	100%	
	कुल 1 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि० बागपत का योग :–	**0.00**	**70.30**	**41.50**	**41.50**	**41.50**	**100%**	
	कुल 1 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**0.00**	**70.30**	**41.50**	**41.50**	**41.50**	**100%**	
		वर्ष 2019–20							
1	विशेष मरम्मत	खापपुर–बिकाना मार्ग के किमी० 4 एवं किमी० 6(2nd) की विशेष मरम्मत कार्य।	1.25	11.18	11.18	11.18	11.18	100%	
2	विशेष मरम्मत	टपौदी–बिकाना मार्ग से बिहारीपुर मार्ग (बडौली राजवाहा) के किमी० 1.2 एवं 3 की विशेष मरम्मत कार्य।	3.00	25.97	25.97	25.97	25.97	100%	
	कुल 2 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि, बागपत का योग :–	**4.25**	**37.15**	**37.15**	**37.15**	**37.15**	**100%**	
	कुल 2 कार्य	जनपद का कुल योग :–	**4.25**	**37.15**	**37.15**	**37.15**	**37.15**	**100%**	
1	मरीनीकरण	बडौत अमीनगर सराय मार्ग (प्रतिखण्ड) के किमी० 4, 5, 6, 18, 19(bit), 20 में बीटमीo के मरीनीकरण का कार्य।	5.86	108.57	108.57	108.57	108.57	100%	
2	मरीनीकरण	बरौला–रामनगर से टिसयाली सम्पर्क मार्ग (छापौला मार्ग) के किमी० 1(2nd) में सामान्य मरम्मत के साथ मरीनीकरण का कार्य।	0.26	2.87	1.57	1.57	1.57	100%	
	कुल 2 कार्य	प्रान्तीय खण्ड, लोनिनिवि, बागपत का योग :–	**6.12**	**151.44**	**110.14**	**110.14**	**110.14**	**100%**	

विधान सभा बढ़ौत के कार्यों की सूची

क्रम सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	आवंटन	अब तक कुल व्यय	शेष	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निर्माण गद्द	बढ़ौत से ग्रामीण से गहाना से उपरला गली से सलाना तक कार्य का सलाना व्यवस्था के साथ मरीक्षीकरण का कार्य।	1.00	7.94	7.94	7.94	7.94	100%	
	कुल 1 कार्य	निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण विभाग का शेष :-	1.00	7.94	7.94	7.94	7.94	100%	
	कुल 3 कार्य	जनपद का कुल शेष :-	7.12	119.38	118.08	118.08	118.08	100%	
1	जिला योजना 19-20	बढ़ौत छपरौली मार्ग पर स्थित खरखोदा पुल से छपा खरखोदा पुल तक मार्ग का मरीक्षीकरण का कार्य।	0.57	29.20	10.08	10.08	10.08	40%	कार्य प्रगति में
	कुल 1 कार्य	निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण विभाग का शेष :-	0.57	29.20	10.08	10.08	10.08		
	कुल 1 कार्य	जनपद का कुल शेष :-	0.57	29.20	10.08	10.08	10.08		
1	राज्य योजना	बढ़ौत-सोफाना (खरौदिखाना) का मरीक्षीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।	10.15	1723.92	256.59	256.59	244.00	30%	कार्य प्रगति में
	कुल 1 कार्य	निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण विभाग का शेष :-	10.15	1723.92	256.59	256.59	244.00		
	कुल 1 कार्य	जनपद का कुल शेष :-	10.15	1723.92	256.59	256.59	244.00		
		वर्ष 2020-21							
1	विशेष मरम्मत	बागो से निकासी मार्ग (ग्रामीण मार्ग) से विलोपित 0.175 से 0.365 तक आवासी भाग में दाल बाली से लोपलिंग पूर्व नाली द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	0.18	13.67	13.67	13.67	13.43	100%	
2	विशेष मरम्मत	टटीरी से बालम्बा कुटली मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.38	24.35	24.35	24.35	20.37	100%	
3	विशेष मरम्मत	बनौड़ा कुटली से बनौरा सिंचाईगढ़ा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.40	22.68	22.68	22.68	21.83	100%	
	कुल 3 कार्य	ग्रामीण खण्ड, लोकनिर्माण, बागपत का शेष :-	4.98	61.10	61.10	61.10	55.63	100%	
1	निर्माण गद्द	"300 एलपीसीए अमृत कलश" पीएम ग्राम सोकसमर्थन बढ़ौत सिंचाईगढ़ी सराय बरकला मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य (हिंद सिंह डैम, खण्ड-10 प्रथम स्थान एवं की उपलब्धता सीमा, खण्ड 10 में हरी स्थानों)	2.75	49.34	24.67	24.67	24.67	100%	
	कुल 1 कार्य	निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण विभाग का शेष :-	2.75	49.34	24.67	24.67	24.67		
	कुल 4 कार्य	जनपद का कुल शेष :-	7.71	110.44	85.77	85.77	80.30		
1	मरीक्षीकरण	खण्ड मरीक्षा विभाग मार्ग से सिंचाईगढ़ी तक मार्ग का निर्माण।	2.00	16.60	16.20	16.20	14.42	100%	
	कुल 1 कार्य	ग्रामीण खण्ड, लोकनिर्माण, बागपत का शेष :-	2.00	16.60	16.20	16.20	14.42	100%	
	कुल 1 कार्य	जनपद का कुल शेष :-	2.00	16.60	16.20	16.20	14.42	100%	

नत्थी (ग)
(अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-26 पर देखिये)

वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 07–12–2020 तक निर्माण एवं मरम्मत करायी गयी 18 सड़कों के नाम व निर्माण तथा मरम्मत लागत की सूची :–

क्र. सं.	विधान सभा	मार्ग का नाम	वर्ष	लम्बाई कि.मी. में	अनुमानित लागत लाख रू. में	कार्य का प्रकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बढ़ौत	पदड़ा ग्राम से बलौद मार्ग (प्रथम भाग) मार्ग।	2017–18	1.000	12.360	मरम्मत	कार्यपूर्ण
2	बढ़ौत	बीतली– निवाली रोड से निवाली मार्ग।	2017–18	0.400	4.324	मरम्मत	कार्यपूर्ण
3	बढ़ौत	बागपत मेरठ रोड से बली मार्ग अवशेष भाग।	2017–18	0.700	13.578	मरम्मत	कार्यपूर्ण
4	बढ़ौत	बढ़ौत–बिनौली रोड से लोहड़ा होते हुए बिजरौल मार्ग।	2017–18	0.500	5.480	मरम्मत	कार्यपूर्ण
5	बढ़ौत	पुख खेड़ी से आचार्य खेड़ा मार्ग।	2017–18	0.950	9.996	मरम्मत	कार्यपूर्ण
6	बढ़ौत	मलकपुर चीनी मिल रोड से सिनौली मार्ग।	2017–18	1.800	19.488	मरम्मत	कार्यपूर्ण
7	बढ़ौत	मलकपुर–छपरौली रोड से पूर्वी खास की पटरी मार्ग।	2017–18	2.440	27.887	मरम्मत	कार्यपूर्ण
8	बढ़ौत	मलकपुर चीनी मिल रोड से बरसाल मार्ग।	2017–18	1.200	11.847	मरम्मत	कार्यपूर्ण
9	बढ़ौत	बढ़ौत–छपरौली रोड से जोगवाना मार्ग। (द्वितीय भाग)	2017–18	1.000	9.413	मरम्मत	कार्यपूर्ण
10	बढ़ौत	अरिकपुर खेड़ी से फतेहपुर पुठ्ठी मार्ग। (द्वितीय भाग)	2017–18	1.000	9.133	मरम्मत	कार्यपूर्ण
			योग–	10.99	123.506		
1	बढ़ौत	मलकपुर–छपरौली रोड से चौबाली रोड नहर की पटरी मार्ग।	2018–19	0.600	29.766	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
2	बढ़ौत	ग्राम–सिरसली से शाहमल इण्टर कालेज बिजरौल की ओर मार्ग।	2018–19	1.100	40.745	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
3	बढ़ौत	दिल्ली–सहारनपुर रोड से बिकोडपुर की ओर मार्ग।	2018–19	0.500	24.489	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
4	बढ़ौत	जौहड़ी बिजलीघर से ग्राम बिजवाड़ा की सीमा तक मार्ग।	2018–19	1.500	55.201	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
5	बढ़ौत	के0एच0आर0 इण्टर कालेज खानपुर लुहारी से कोताना की ओर मार्ग।	2018–19	1.000	39.532	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
6	बढ़ौत	दिल्ली–सहारनपुर रोड से बिकोडपुर खास की पट्टी मार्ग (अवशेष भाग)।	2018–19	1.000	34.824	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
			योग–	5.700	224.557		
1	बढ़ौत	बढ़ौत–बिजरौल मार्ग से शाहमल स्थल से होती हुई प्राइमरी स्कूल तक मार्ग।	2019–20	0.400	18.777	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
2	बढ़ौत	बढ़ौत–छपरौली रोड से नहर की पटरी ग्राम सिनौली की ओर मार्ग।	2019–20	0.970	44.323	नवनिर्माण	कार्यपूर्ण
			योग–	1.370	63.100		
			कुल योग–	18.06	411.163		

नत्थी (घ)
(अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-30 पर देखिये)

गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत डासना में निर्मित मैरिज होम का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 स0	मैरिज होम/ संचालनकर्ता का नाम	भूखण्ड/स्थल का विवरण	मानचित्र स्वीकृत है अथवा नही	कृत कार्यवाही
1	सागर फार्म हाउस/श्री सी0पी0 सागर	आकाशनगर, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-133/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-3/2018 योजित है।
2	घनश्याम फार्म हाउस/श्री चन्द्रभान सिंह	इन्द्रगढ़ी, मेन हापुड़ रोड।	नहीं	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-140/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-3/2018 योजित है।
3	नेताजी फार्म हाउस/कौसर जहां	डासना, गाजियाबाद।	नहीं	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-26/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-3/2018 योजित है।
4	नारायण कार्मस/श्री आलोक गुप्ता	आकाशनगर, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-68/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-3/2018 योजित है।
5	जैफलीनी मैरिज होम, श्री अजय कुमार	काजीपुरा, डासना, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-09/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-5/2018 योजित है।
6	ए0एस0 फार्म हाउस, श्री राजवीर सिंह कुंवर वीर सिंह, बलवीर सिंह	ग्राम काजीपुरा, डासना, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत वाद सं0-25/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-5/2015 योजित है।
7	रायल गार्डन, श्री नरेन्द्र गोयल	एन0एच0-24 डासना, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत वाद सं0-10/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-5/2018 योजित है।
8	एन0आर0गार्ड, श्री मंजीत सिंह व अजय कुमार	ग्राम काजीपुरा, एन0एच0-24, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत वाद सं0-20/अ0नि0/प्रवर्तन जोन-5 /2015 योजित है
9	ब्रिस्टल पैलेस, श्री विजय अग्रवाल	एन0एच0-24, रायल कालेज, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत वाद सं0-42/अ0नि0/ प्रवर्तन जोन-5/2015 योजित है।
10	यू0के0 फार्म हाउस, श्री प्रवेश पुत्र श्री महीपाल	खादिकपुर, काजीपुरा, मेन रोड वेव सिटी, गाजियाबाद।	नही	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1373 की धारा-26, 27 व 28 के अन्तर्गत वाद सं0-53/अ0नि0/ प्रवर्तन जोन-5/2015 योजित है।
11	वेदान्ता फार्म हाउस राकेश कुमार गर्ग	एन0एच0-24, गाजियाबाद।	नही	शमन आवेदन की पत्रावली मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विचाराधीन है।

(दुर्गेश सिंह)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

(आलोक रंजन)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-3

(सुशील कुमार चौबे)
वरिष्ठ प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

नत्थी (ङ)
(तारांकित प्रश्न संख्या-164 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-106 पर देखिये)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

...ष्ठ अभियन्ता (विकास)
...ालय
...Engineer-in-Chief (Dev.) &
...Department
...ण विभाग, लखनऊ - 226001
...Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 226001
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2236472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdelnc@gmail.com

...ई0/प्रशासन वर्ग/60 ई0डी0/2019 दिनांक 18/06/2019

कार्यालय ज्ञाप

...निर्णय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6150/एफ0टी0/ई0एफ0टी0/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा ...हुये निरस्त करते हुये निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाते है :-

...संख्या-63 में मार्ग निर्माण में आरक्षण/डी0पी0आर0 गठन हेतु विस्तृत प्रक्रिया का विवरण ...गया है। ...संख्या-64 में राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग एवं शहरी मार्गों में IRC:37 - 2018 के प्रावधान करने के आदेश निर्गत किये गये है। इस क्रम में IRC:37 - 2018 में सम्मिलित ...बिन्दुओं को निम्नानुसार इस आशय से वर्णित किया जा रहा है कि परिकल्पना के समय इंगित बिन्दुओं ...का समावेश उपयोगिता क्रम से किया जाय :-

1. NH, SH, Urban Roads हेतु डिजाइन लाइफ 20 वर्ष एवं मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों हेतु डिजाइन लाइफ 15 वर्ष रखी जाय।
2. ...यातायात की गणना 7 दिनों के लिये की जाये। सामान्य यातायात हेतु Traffic Growth Rate 5% ली जाये।
3. Expressway, NH, SH, Urban Roads की परिकल्पना में 90th Percentile CBR ली जाये। MDR, ODR की परिकल्पना में यातायात 20 MSA से कम होने की दशा में 80th Percentile CBR तथा 20 MSA या इससे अधिक होने पर 90th Percentile CBR ली जाये।
4. ...में Quarry क्षेत्र के मार्गों की परिकल्पना में वास्तविक आधार पर VDF की गणना की जाये एवं Cement Treated Base (CTB) की परिकल्पना में Axle Load Survey कर Reliability Factor के ...पर की जाये।
5. Fatigue Strain की गणना निम्नानुसार की जाये :-

Sr. no.	Category of Road	MSA	Equation
1	Expressway, NH, SH, Urban Road	For all MSA	IRC 37:2018, Equation 3.4 (90% reliability)
2	MDR, ODR	<20MSA	IRC 37:2018, Equation 3.3 (80% reliability)
		≥ 20 MSA	IRC 37:2018, Equation 3.4 (90% reliability)

6. Fatigue एवं Rutting Strain की गणना में फैक्टर "C" की गणना निम्नानुसार की जाये :-

Sr. No.	Construction Type	Criteria for selection of 'C' value	
		≤ 20 MSA	> 20 MSA
1	Bituminous surface course with granular base and sub-base.	1.12	2.35
2	Bituminous surface course with CTSB, CTB and granular crack relief layer.	2.35	
3	Bituminous surface course with CTSB, CTB and SAMI.	2.35	
4	Bituminous surface course with CTSB and emulsion/foam bitumen stabilized RAP/virgin aggregate.	1.12	
5	Bituminous surface course with GSB, CTB and granular crack relief layer.	2.35	
6	Bituminous surface course with CTSB and granular base course.	1.12	

7. CTB, ETA की न्यूनतम मोटाई 100 एम0एम0 व CTSB की न्यूनतम मोटाई 200 एम0एम0 रखी जाये।

8. IITPAVE डिजाइन में CTSB, CTB एवं ETA का modulus निम्नानुसार लिया जाये :-

- CTSB - 600 MPa
- CTB - 5000 MPa
- ETA - 800 MPa

9. बिटुमिन बेस व सर्फेसिंग में बिटुमिन प्रकार निम्नानुसार लिया जाये :-

MSA	Base Course (DBM)	Wearing Course (BC)
> 50 MSA	VG 40	VG 40
20 – 50 MSa	VG 40	VG 40
< 20	VG 30	VG 30
For Expressway & NH	VG 40	VC 40

नोट :-Modified Bitumen (IRC:SP-53) का प्रयोग करने के लिये प्राविधिक स्वीकृति करने वाले अधिकारी उपलब्धता के आधार पर प्रविधान करेंगें एवं डिजाइन हेतु Modulus 1600 MPa रहेगा।

10. मार्गों के सुदृढ़ीकरण में यदि वर्तमान Bitumen Crust को उखाड़ कर पुनः Lay किया जाना स्थलीय आवश्यकता एवं वित्तीय कारणों से उपयुक्त न हो, तो वर्तमान Bituminous Crust के ऊपर Bituminous overlay किया जाये। इसकी परिकल्पना Long Life Pavement की तरह की जाये। प्रतिबन्ध यह होगा कि, वर्तमान मार्ग में Granular Course न्यूनतम 200 mm होना चाहिये।

ह0/-
(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं
विभागाध्यक्ष,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लो0नि0वि0/नियोजन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0, रा0नि0नि0लि0/उ0प्र0, राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5. मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. महालेखाकार, वर्क्स, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
8. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्यालय स्थित समस्त वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10. निदेशक अन्वेषणालय/उप निदेशक, क्यू0पी0टी0 लो0नि0वि0 लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ई-मेल द्वारा)।

ह0/-
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं
विभागाध्यक्ष

नत्थी (च)
(अतारांकित प्रश्न संख्या-194 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-122 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2021 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री दलवीर सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 194 के क्रम में जनपदों से संकलित की गई सूचना

जनपदों में एन0एच0आई0 व टोल संचालकों कम्पनी के बीच हुए करारों में स्टाम्प चोरी के प्रकाश में आये प्रकरण

क्रम सं0	जनपद	प्रकरणों की सं0	अंतर्वेस्त धनराशि	उक्त स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए उठाये गये कदम
1	2	3	4	5
1	रायबरेली	7	13150320	उक्त सभी प्रकरणों में दिनांक 20.12.2019 को स्टाम्प वाद योजित किया जा चुका है।प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर(वि0/एल0) रायबरेली में विचाराधीन है।
2	भदोही	1	14653920	टोल प्लाजा स्थित लालानगर तहसील औराई जिला भदोही के प्रकरण में वाद सं0 डी0 2020166700000015 सरकार बनाम मे0 जयसिंह एण्ड कम्पनी स्थापित है। वर्तमान में वाद जिलाधिकारी भदोही न्यायालय में लम्बित है जिसमें अंतिम तिथि 02.08.2021 है।
3	मुरादाबाद	4	255487180	समस्त प्रकरणों में स्टाम्पवाद दर्ज हो चुका है। जिलाधिकारी न्यायालय में निस्तारण हेतु सुनवाई चल रही है।
4	लखनऊ	1	186302680	300एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथोरिटी व मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया के मध्य आगरा एक्सप्रेस वे पर स्थित टोल प्लाजा में टोल वसूल किये जाने हेतु निष्पादित कंसेशन एग्रीमेंट विलेख निष्पादन दिनांक 12.09.2018 पर स्टाम्प वाद सं0 डी 2020104600000904 सरकार बनाम मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 संस्थित होकर न्यायालय जिलाधिकारी लखनऊ में निस्तारण हेतु लम्बित है। वाद में सुनवाई हेतु 02.08.2021 की तिथि नियत है।
5	अलीगढ	2	560963874	1. स्टाम्प वाद सं0 डी 20161802000397 राज्य बनाम गाजियाबाद एक्सप्रेस वे प्रा0लि0 में न्यायालय कलेक्टर अलीगढ के आदेश दिनांक 13.10.2020 के द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क 456399940 रु0 अर्थदण्ड रु0 456399940 रु0 एवं विलेख निष्पादन दिनांक से वसूलयाबी तिथि तक कमी स्टाम्प धनराशि पर 1.5 प्रतिशत साधारण ब्याज आरोपित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में वसूली प्रमाणपत्र सं0 1215 दिनांक 10.11.2020 तहसीलदार गभाना को प्रेषित, लम्बित। रिट सं0 24257/20 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा स्थगन आदेश निर्गत। 2. स्टाम्प वाद सं0 डी 20161802000398 राज्य बनाम ब्रज भूमि एक्सप्रेस वे प्रा0 लि0 में रिट सं0 342/2020 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.02.2020 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर अलीगढ से निर्गत नोटिस दिनांक 15.02.2016 में आगे की कार्यवाही स्थगित की गई।
6	ईवरिया	1	76588140	न्यायालय स्तर पर लम्बित

क्रम सं0	जनपद	प्रकरणों की सं0	अंतर्वलित धनराशि	उक्त स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए उठाये गये कदम
1	2	3	4	5
7	गोरखपुर	2	125125680	1. जनपद गोरखपुर के अंतर्गत अवस्थित नवनलर टोल प्लाजा के टोल संवाहकर्ता कम्पनी मे0 आर0के0जैन इन्फ्रा प्रा0 लि0 के विरुद्ध स्टाम्प वाद सं0 डी 20190531000195 5 सरकार बनाम मे0 आर0के0जैन इन्फ्रा प्रा0 लि0 योजित। सम्पति उक्त स्टाम्प वाद में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर स्टाम्प गोरखपुर के द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2020 पारित जिसके अनुसार विलेख / अनुबंध पत्र पर कमी स्टाम्प शुल्क रु0 5218400/- व अर्थदण्ड रु0 25000/- कुल कमी स्टाम्प राजस्व रु0 5243400/- आरोपण के साथ विलेख निष्पादन की तिथि से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के ब्याज की वसूली हेतु आदेशित। वसूली हेतु लम्बित। 2. जनपद गोरखपुर के अंतर्गत अवस्थित तेनुआ टोल प्लाजा के टोल संवाहकर्ता कम्पनी गोरखपुर कसाया टोलवेज प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर कार्तिक राठी आफिस सं0 306-7 पांडनी अपार्टमेन्ट 2/2 न्यू पलेसिया इन्दौर 452001 मध्यप्रदेश के विरुद्ध स्टाम्प वाद सं0 डी 20200531000044 सरकार बनाम गोरखपुर कसाया टोलवेज प्रा0 लि0 इन्दौर योजित। सम्पति उक्त स्टाम्प वाद में न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर स्टाम्प गोरखपुर के द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2021 पारित जिसके अनुसार विलेख / अनुबंध पत्र पर कमी स्टाम्प शुल्क रु0 114882280/- व अर्थदण्ड रु0 5000000/- कुल कमी स्टाम्प राजस्व रु0 119882280/- आरोपण के साथ विलेख निष्पादन की तिथि से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के ब्याज की वसूली हेतु आदेशित। वसूली हेतु लम्बित।
8	हापुड़	1	49900000	प्रलेख 23.12.2010 को निष्पादित है। निष्पादन 8 वर्ष से अधिक का होने के कारण प्रलेख कालबाधित है। आक्ष्य आयुक्त स्टाम्प को कार्यालय के पत्र सं0 572/दि नांक 11.12.2019 द्वारा प्रेषित।
9	सुल्तानपुर	1		प्रकरण में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ को निष्पादित विलेखों/अनुबंध पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र सहायक आयुक्त स्टाम्प व जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है।
10	कानपुर नगर	1		जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर क्षेत्र में एक टोल प्लाजा संचालित है जिसके विलेख की प्रति हेतु पत्र भेजे जाने पर परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 53 बसंत विहार नौबस्ता कानपुर नगर के पत्र सं0 606 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विलेख की प्रति उपलब्ध न कराते हुए स्टाम्प शुल्क की छूट के संबंध में मा0 मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम भारत सरकार के पत्र सं0 2406/13/2013-एच दिनांक 10.02.2020 की प्रति उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) के पत्र सं0 200/एस0टी0-2020 दिनांक 14.09.2020 द्वारा पुनः विलेख की प्रति चाही गई किन्तु परियोजना निदेशक द्वारा अभी तक विलेख की प्रति उपलब्ध नही कराई गई है जिसके कारण प्रकरण में स्टाम्प प्रभार्यता का परीक्षण नही हो सका है।
11	बहराइच	1	1730240	स्टाम्प वाद सं0 डी 20190815000141 9 न्यायालय जिलाधिकारी बहराइच में विचाराधीन नियत तिथि 22.09.2021
12	अम्बेडकर नग	4	2090120	02 प्रकरण न्यायालय जिलाधिकारी तथा 02 प्रकरण न्यायालय सहायक आयुक्त स्टाम्प में विचाराधीन है।
13	जालौन	4	94470204	सभी प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज/लखनऊ में विचाराधीन।

क्रम सं0	जनपद	प्रकरणों की सं0	अंतर्वलित धनराशि	इक स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए उठाये गये कदम
1	2	3	4	5
14	बरेली	1		उपनिबंधक सदर प्रथम बरेली को निर्देशित किया गया कि संबंधित टोल प्लाजा के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर अनुबंध पत्र/विलेख की प्रति उपलब्ध करायें।
15	वाराणसी	1	67935940	प्रकरण पर बहस हेतु दिनांक 26.03.2021 नियत।
16	कुशीनगर	7	125921900	स्टाम्पवाद योजित ,पक्षकारों को नोटिस जारी।
17	ललितपुर	2	7774500	प्रकरणत प्रकरणों के संबंध में वाद योजित कर कार्यवाही की गई। दोनो वाद(अपील) मा0 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (C.C.R.A) न्यायालय में विचाराधीन है।
18	कानपुर देहात	2	36763765	1. स्टाम्प वाद सं0 44/2013-14 सरकार बनाम मे0 ओरिएण्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा0 लि0 दर्ज कराया गया जिसमें न्यायालय जिलाधिकारी कानपुर देहात के आदेश दिनांक 28.08.2014 के उपरान्त मा0 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (C.C.R.A) न्यायालय में विचाराधीन है। 2. स्टाम्प वाद सं0 39/2013-14 सरकार बनाम मे0 ओरिएण्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा0 लि0 दर्ज कराया गया जिसमें न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0)कानपुर देहात के आदेश दिनांक 19.09.2013 द्वारा रु0 7765/- कमी स्टाम्प व रु0 1000/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसे पक्षकार द्वारा जमा किया गया।
19	नानपारा	1	1061920	न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) में स्टाम्प वाद लम्बित।
20	बाराबंकी	1	8739600	स्टाम्पवाद सं0 51/19/04(14-15)सरकार बनाम गंगोत्री इंटर प्राइजेज द्वारा निदेशक अतुल त्रिपाठी में दिनांक 22.12.2015 को निर्णय पारित किया गया। वसूली प्रमाणपत्र सं0 आर0एस0जी0 92(2015-16) दिनांक 29.01.2016 जारी। वसूली हेतु प्रकरण लम्बित।
21	अमरोहा	6	76914020	समस्त प्रकरणों में स्टाम्पवाद दर्ज हो चुका है।जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है।
22	आगरा	2	26840000	वाद सं0 डी 2016010100287 एवं वाद सं0 डी 20150101008992 जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है, जिनमें क्रमशः दिनांक 04-08-2021 व 31-08-2021 नियत है।
23	हापुड़	1	22463900	आर0सी0जारी।
24	फिरोजाबाद	6	102675300	1. रिट याचिका सं0 63738/2015 आयुक्त अजय पन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 बनाम राज्य,12689/2016 एम0ई0पी0इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम राज्य तथा 11884/2016 एम0ई0पी0इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम राज्य न्यायालय कलेक्टर फिरोजाबाद द्वारा स्टाम्प वादों में पारित आदेशों के विरुद्ध योजित है जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 2. रिट याचिका सं0 5666/2016 मे0 ईगल इन्फ्रा इण्डिया बनाम राज्य,19517/2016 एम0ई0पी0इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम राज्य, 19521/2016 एम0ई0पी0इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम राज्यन्यायालय कलेक्टर फिरोजाबाद द्वारा स्टाम्प वादों में पारित आदेशों के विरुद्ध योजित है जो मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
25	अयोध्या	1	422800000	पी0एम0सी0टोलवेज प्रा0लि0 तड़सीनपुर सोहावल से संबंधित रिट याचिका सं0 49 (एम0एस0)/2019 मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में वसूली हेतु लम्बित।
26	अमेठी	1	519900	आर0सी0जारी।

क्रम सं0	जनपद	प्रकरणों की सं0	अंतर्वस्तु धनराशि	उक्त स्टाम्प चोरी की वसूली के लिए उठाये गये कदम
1	2	3	4	5
27	झांसी	5	107679440	1. वाद सं0 डी 20200637002798/2020 सरकार बनाम मे0 दीपिका कन्सट्रक्शन में आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा कम स्टाम्प शुल्क रू0 2883000/- आरोपित। वसूली हेतु आर0सी0 जारी। 2. 04 प्रकरण न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) न्यायालय में विचाराधीन
28	बस्ती	5	230734380	1. एक प्रकरण में रू0 3896632/- जमा। 2 दो प्रकरणों में जिलाधिकारी बस्ती द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क व अर्थदण्ड रू0 451168000/- तक 1.5 प्रति शत प्रति माह ब्याज के साथ आरोपित किया गया जिसमें से एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में पारित आदेश के क्रम में रू0 10584000/- जमा किया जा चुका है तथा दूसरे प्रकरण में रू0 153598955.51 की वसूली विभिन्न चालानों द्वारा हुई हैं। उक्त दोनों प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। 3. दो प्रकरण न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) न्यायालय में विचाराधीन
29	मेरठ	1	251300000	स्टाम्प वाद खोजित। न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) मेरठ में विचाराधीन।
	योग	73	2870586923	